SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
# का
# वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

## हरियाणा सरकार
## 2026 की प्रतिवेदन संख्या 1
## (राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

# का

# वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

## हरियाणा सरकार

**2026 की प्रतिवेदन संख्या 1**

**विषय सूची**


| *विषय* | *अनुच्छेद* | *संदर्भ पृष्ठ संख्या* |
|---|---|---|
| **प्रस्तावना** | | v-viii |
| **कार्यकारी सार** | | ix-x |
| **अध्याय 1: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन** | | |
| राज्य का प्रोफाइल | 1.1 | 1 |
| राज्य की जनसांख्यिकी | 1.1.1 | 1 |
| राज्य की अर्थव्यवस्था | 1.1.2 | 1 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय | 1.1.2.1 | 2 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान | 1.1.2.2 | 3 |
| वित्त का स्नैपशॉट | 1.1.3 | 4 |
| निधियों के स्रोत एवं उपयोग | 1.1.4 | 5 |
| सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट | 1.1.5 | 6 |
| राज्य की समेकित निधि | 1.2 | 7 |
| राजस्व प्राप्तियां | 1.2.1 | 7 |
| पूंजीगत प्राप्तियां | 1.2.2 | 18 |
| वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक | 1.2.3 | 19 |
| व्यय | 1.2.4 | 20 |
| राजस्व व्यय | 1.2.4.1 | 23 |
| पूंजीगत व्यय | 1.2.4.2 | 29 |
| आकस्मिकता निधि | 1.3 | 36 |
| लोक लेखा | 1.4 | 37 |
| निवल लोक लेखा शेष | 1.4.1 | 37 |
| आरक्षित निधियां | 1.4.2 | 37 |
| नकद शेष | 1.4.3 | 38 |
| राजकोषीय स्थिरता | 1.5 | 40 |
| लोक देयता प्रबंधन | 1.5.1 | 41 |
| देयता प्रोफाइल: घटक | 1.5.1.1 | 42 |
| उधार ली गई निधियों का उपयोग | 1.5.1.2 | 44 |
| ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान | 1.5.1.3 | 45 |
| राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति | 1.5.1.4 | 46 |
| लेखापरीक्षा के बाद के घाटे के संकेतक | 1.5.2 | 47 |
| राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति | 1.5.3 | 47 |
| ऋण स्थिरता विश्लेषण | 1.5.4 | 49 |
| गारंटियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं | 1.5.5 | 52 |

| विषय | अनुच्छेद | संदर्भ पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| राजकोषीय स्थिरता के मार्ग | 1.5.6 | 53 |
| राज्य के राजस्व में सुधार | 1.5.6.1 | 53 |
| व्यय पक्ष से संबंधित मामले | 1.5.6.2 | 55 |
| निष्कर्ष | 1.6 | 57 |
| सिफारिशें | 1.7 | 58 |
| **अध्याय 2: बजटीय प्रबंधन** | | |
| बजट प्रक्रिया | 2.1 | 59 |
| बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर | 2.2 | 59 |
| बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक/सेवा-वार विश्लेषण | 2.2.1 | 61 |
| बजट मार्क्समैनशिप | 2.3 | 62 |
| विनियोग लेखे | 2.4 | 63 |
| बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया | 2.5 | 64 |
| अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण | 2.5.1 | 64 |
| अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध होना | 2.5.2 | 65 |
| निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग | 2.5.3 | 67 |
| अप्रयुक्त राशि और सरेंडर किए गए विनियोग और/अथवा बड़ी बचतें/सरेंडर | 2.5.4 | 68 |
| राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण | 2.5.5 | 70 |
| बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय | 2.5.6 | 70 |
| त्रैमासिक व्यय सीमा का अनुपालन न करना | 2.5.7 | 73 |
| एकल नोडल एजेंसी | 2.6 | 76 |
| एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श | 2.7 | 77 |
| चयनित अनुदानों की विस्तृत समीक्षा में पाए गए अन्य मामले | 2.8 | 78 |
| अनुदान संख्या 12 की समीक्षा | 2.8.1 | 78 |
| अनुदान संख्या 17 की समीक्षा | 2.8.2 | 83 |
| आकस्मिकता निधि | 2.9 | 87 |
| आकस्मिकता निधि से अग्रिम | 2.9.1 | 87 |
| निष्कर्ष | 2.10 | 88 |
| सिफारिशें | 2.11 | 88 |
| **अध्याय 3: वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार** | | |
| राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजटेतर उधार | 3.1 | 89 |
| सरकार की निर्वहन न की गई देयताएं | 3.2 | 91 |
| निर्वहन न की गई ब्याज देयता | 3.2.1 | 91 |
| राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम अंशदान | 3.2.2 | 91 |

| विषय | अनुच्छेद | संदर्भ पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि | 3.2.3 | 92 |
| राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट/राज्य खनिज विकास निधि | 3.2.4 | 93 |
| रिफंड मामलों की लंबित स्थिति | 3.2.5 | 93 |
| भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर | 3.2.6 | 93 |
| सरकारी खातों से बाहर निधियां | 3.3 | 94 |
| हरियाणा ग्रामीण विकास निधि | 3.3.1 | 94 |
| हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड | 3.3.2 | 94 |
| हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड | 3.3.3 | 95 |
| हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग निधि | 3.3.4 | 96 |
| उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब | 3.4 | 96 |
| सार आकस्मिक बिल | 3.5 | 98 |
| लघु शीर्ष-800 का संचालन | 3.6 | 99 |
| मुख्य उचंत और ऋण, जमा एवं प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत बकाया शेष | 3.7 | 100 |
| विभागीय आंकड़ों का मिलान | 3.8 | 101 |
| नकद शेष का मिलान | 3.9 | 101 |
| मंडलीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित राशि | 3.10 | 102 |
| लेखांकन मानकों का अनुपालन | 3.11 | 102 |
| स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण | 3.12 | 103 |
| दुर्विनियोग, हानि, चोरी, आदि | 3.13 | 104 |
| राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई | 3.14 | 106 |
| निष्कर्ष | 3.15 | 106 |
| सिफारिशें | 3.16 | 106 |
| **परिशिष्ट** | | |
| राज्य सरकार के वित्त पर का समय क्रम डेटा | 1.1 | 109 |
| वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार | 1.2 | 112 |
| 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति | 1.3 | 114 |
| ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए | 2.1 | 116 |
| ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए | 2.2 | 117 |
| 20 अनुदानों के अंतर्गत बजट, व्यय एवं बचत का विवरण | 2.3 | 118 |
| प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक की निधियों का अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग | 2.4 | 119 |

| ***विषय*** | ***अनुच्छेद*** | ***संदर्भ पृष्ठ संख्या*** |
|---|---|---|
| अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग | 2.5 | 121 |
| अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग | 2.6 | 122 |
| 2022-25 के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान | 2.7 | 124 |
| 2024-25 के दौरान बजट एवं बचत के उपयोग की अनुदान-वार प्रतिशतता | 2.8 | 125 |
| बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई | 2.9 | 126 |
| वास्तविक बचत के सापेक्ष अनुदान-वार अभ्यर्पित राशि का विवरण | 2.10 | 127 |
| अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2022-25 के दौरान सतत बचत | 2.11 | 128 |
| वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगतगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण | 2.12 | 131 |
| उन योजनाओं का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से बजटीय प्रावधान को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था | 2.13 | 132 |
| वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाला विवरण, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ तथा कुल व्यय के 30 प्रतिशत और उससे अधिक है | 2.14 | 134 |
| व्यय की अधिकता का योजनावार विवरण (अंतिम तिमाही के दौरान ₹ दो करोड़ से अधिक का व्यय और कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक का व्यय) | 2.15 | 136 |
| व्यय की अधिकता का योजनावार विवरण (अंतिम तिमाही के दौरान ₹ दो करोड़ से अधिक का व्यय और कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक का व्यय) | 2.16 | 137 |
| अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के लिए 2024-25 में बचत (₹ दो करोड़ एवं 20 प्रतिशत) का योजना-वार विवरण | 2.17 | 138 |
| महिला एवं बाल विकास विभाग में खोले गए बैंक खातों का विवरण | 2.18 | 140 |
| अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के लिए 2024-25 में बचत (₹ दो करोड़ एवं 20 प्रतिशत) का योजना-वार विवरण | 2.19 | 141 |
| अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2022-25 के दौरान सतत बचत | 2.20 | 142 |
| उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राशि आहरित की गई | 2.21 | 143 |
| परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत अंशदान एवं निवेश का विवरण | 3.1 | 144 |
| 2024-25 तक स्वायत्त निकायों के लेखों का बकाया | 3.2 | 145 |

## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

हरियाणा सरकार के राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करना और वित्तीय डेटा के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानमंडल को जानकारी प्रदान करना है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

अध्याय 1 - राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसमें घाटे/अधिशेष, ऋण प्रोफाइल और मुख्य लोक लेखा लेनदेन सहित मुख्य सूचकांकों का वृहद राजकोषीय विश्लेषण और राज्य की राजकोषीय स्थिति शामिल है।

अध्याय 2 - बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग तथा आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विचलन पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय 3 - वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मामलों पर टिप्पणी करता है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा और लेनदेन की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों वाली रिपोर्टें, वैधानिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों वाली रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की जाती हैं।

## राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, किसी राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाएंगे।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन आने वाले खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों तथा प्रारंभिक एवं सहायक खातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे संकलित करते हैं। इन लेखों की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य डेटा का आधार हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मापदंडों और अनुमानों की तुलना में आवंटन प्राथमिकताओं के आकलन के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के मूल्यांकन के लिए।
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम।
- विभागीय अधिकारियों और खजानों (लेखांकन के साथ-साथ एमआईएस) के साथ अन्य डेटा।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद डेटा और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी।
- राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम।
- वित्त आयोग की सिफारिशें।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- भारत सरकार (जीओआई) की सर्वोत्तम प्रथाएं और दिशानिर्देश।

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 11 नवंबर 2025 को एक एंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) की तैयारी में अपनाए गए लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी गई थी। अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के साथ 19 फरवरी 2026 को एग्जिट मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

## सरकारी लेखे की संरचना

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है।

### 1. राज्य की समेकित निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां शामिल हैं। कानून के अनुसार और भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित प्रयोजनों और रीति के अतिरिक्त, इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि), राज्य की समेकित निधि पर भारित होती हैं (भारित व्यय) और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

### 2. राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 (2))

यह निधि एक अग्रदाय के रूप में होती है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित किया जाता है और इस निधि को राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है ताकि राज्य विधानमंडल द्वारा व्यय के प्राधिकार के लंबित रहने तक, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि दी जा सके। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में व्यय को डेबिट करके इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

### 3. राज्य के लोक लेखे (संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार एक बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखा में जमा की जाती हैं। लोक लेखा में पुनर्भुगतान योग्य राशियां, जैसे कि लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज वहन करने वाले और ब्याज वहन न करने वाले), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वहन करने वाली और ब्याज वहन न करने वाली), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (ये दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, जो अंतिम बुकिंग लंबित हैं) शामिल होती हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल होता है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होता है।

# सरकारी लेखों की संरचना

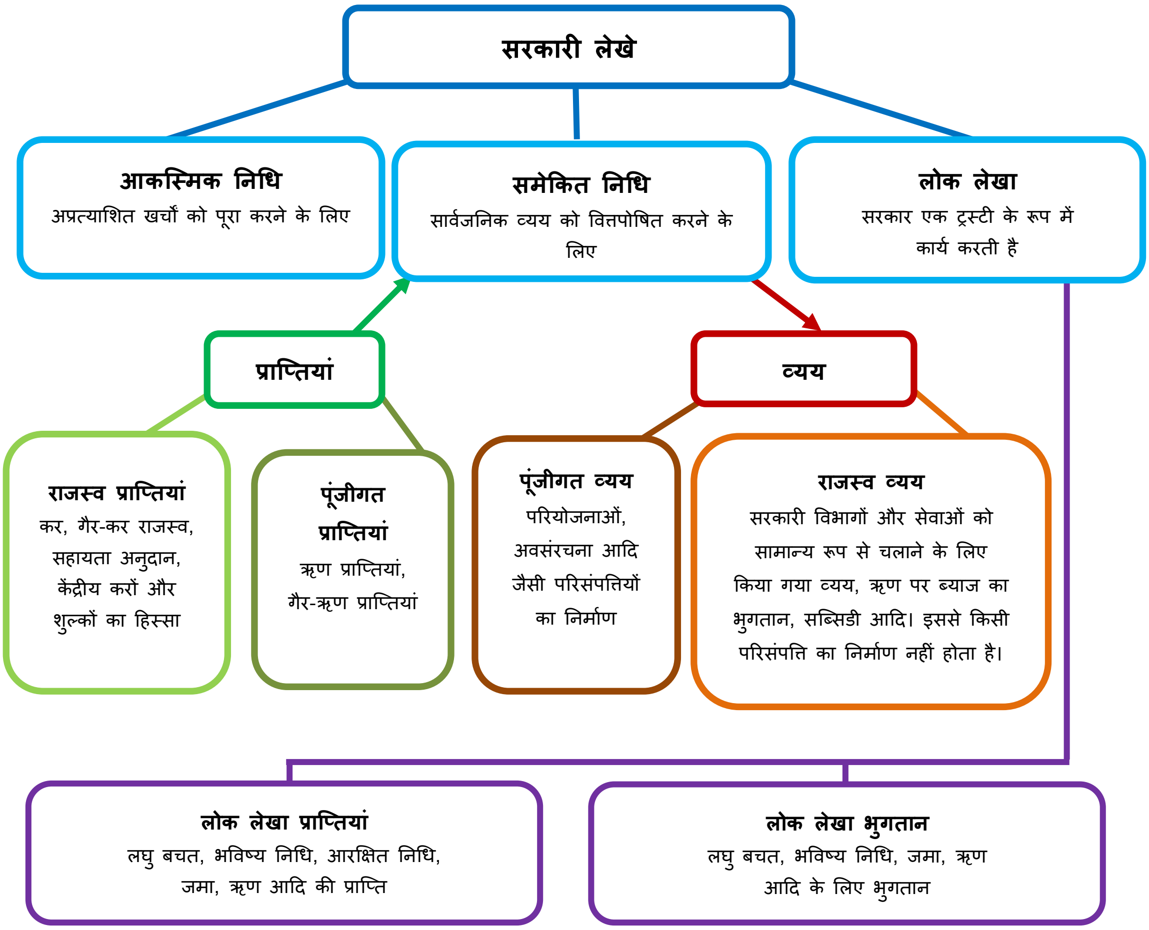

# कार्यकारी सार

## कार्यकारी सार

*हरियाणा राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा की राजकोषीय स्थिति का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करता है। यह राज्य के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करता है और इसके राजस्व और व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा करता है, राज्य की ऋण स्थिति और उधारी के पैटर्न का आकलन करता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतकों के साथ इसके निष्पादन की तुलना करता है।*

हरियाणा की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मध्यम वृद्धि दर्शाई, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। राज्य ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 3.67 प्रतिशत का योगदान दिया। पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा की हिस्सेदारी स्थिर बनी रही है, जो समग्र सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान में निरंतरता को दर्शाती है। हमने देखा कि उच्च कर संग्रह, विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर और वृद्धित केंद्रीय कर अंतरण के कारण पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (5.05 प्रतिशत) हुई। हालांकि, गैर-कर राजस्व में सात प्रतिशत की कमी हुई और केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 17.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इन प्राप्तियों में प्रमुख योगदान राज्य के स्व-कर राजस्व का है, जो कुल प्राप्तियों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। इसके बाद केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से सहायता अनुदान का स्थान आता है। इस प्रकार, स्वयं के स्रोतों पर राज्य की निर्भरता काफी अधिक है, जो राजकोषीय आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।

राज्य के व्यय में राजस्व व्यय (कुल व्यय का 88.94 प्रतिशत), विशेष रूप से प्रतिबद्ध लागत और सब्सिडी (राजस्व व्यय का 64 प्रतिशत, कुल व्यय का 57 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 76 प्रतिशत) की उच्च वृद्धि का वर्चस्व रहा, जिससे पूंजीगत निवेश के लिए सीमित राजकोषीय स्थान शेष रहा। पूंजीगत व्यय अस्थिर बना रहा और बजटीय स्तरों से कम रहा, जो अवसंरचना के निवेश में बाधाओं को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय कुल उधार का केवल 17.67 प्रतिशत था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत निर्माण या विकास गतिविधियों के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान उपभोग और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था। राज्य अपने राजस्व घाटे को राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित लक्ष्यों के भीतर रोकने में सक्षम नहीं था, जिससे राजकोषीय समेकन के लिए बहुत कम संभावना बची। राज्य की कुल देयताएं पिछले पांच वर्षों के दौरान बढ़ती रही और पिछले वर्ष की तुलना में इनमें 10.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उच्च बकाया देयताएं भविष्य में पुनर्भुगतान और ब्याज दायित्वों को बढ़ाती हैं, जिससे मध्यम अवधि में राजकोषीय लचीलापन और सीमित हो जाता है। इसके अतिरिक्त, निवेशों पर मिलने वाला रिटर्न, सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर की तुलना में चिंताजनक रूप से कम था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को

राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों का अंतरण न करने (₹ 1,170.27 करोड़), लंबित रिफंड मामलों (₹ 827.54 करोड़), विभिन्न विभागों के विरूद्ध डिस्कॉम की ऊर्जा प्रभार देयताओं (₹ 253.82 करोड़), ऋण स्टॉक में शामिल न किए गए बजट-बाह्य उधारों (₹ 146.53 करोड़), एनपीएस/सांविधिक निधियों में राज्यों के अंशदान को राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को कम अंतरण/अंतरण न करने/ब्याज देयताओं (₹ 93.49 करोड़) आदि के संबंध में कई महत्वपूर्ण अदत्त देयताओं को भी आगे बढ़ाया। इन अदत्त देयताओं का संचयी मूल्य ₹ 2,491.65 करोड़ था, जो वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.21 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे के 7.19 प्रतिशत के बराबर है।

वित्तीय वर्ष में 19 अनुदानों के राजस्व/पूंजीगत, भारित और दत्तमत सेक्शनों में बड़े पैमाने पर बचत भी देखी गई। यद्यपि 2024-25 के दौरान प्राधिकार से अधिक कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ, तथापि वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹ 1,335.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य विधायिका द्वारा नियमितीकरण के लिए लंबित है। 2,135 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में देरी, जिनमें से 884 वर्ष 2019-20 से पहले के हैं; 40 स्वायत्त निकायों के संबंध में 82 लेखों का लंबित होना (30 सितंबर 2025 तक); और लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय का अत्यधिक उपयोग वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं, जो चिंता का विषय है। हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड और हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड के तहत निधियों को सरकारी खाते से बाहर रखा गया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों का उल्लंघन है। प्रतिवेदन में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में निधियों की बेहतर ट्रैकिंग के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) और एसएनए-स्पर्श के कार्यान्वयन जैसे सकारात्मक कदमों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, एसएनए-स्पर्श में पूर्ण माइग्रेशन अभी लंबित है।

बढ़ता ऋण भार, उच्च प्रतिबद्ध व्यय और सीमित पूंजीगत निवेश राजकोषीय स्थिरता के बारे में चिंता उत्पन्न करते हैं। दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व वृद्धि, बेहतर व्यय नियंत्रण और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। बजट के अलावा लिए गए उधारों में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए और उनका समय पर लेखांकन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। बजट के अधिक विवेकपूर्ण प्रावधान के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

# अध्याय 1

## राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

## अध्याय 1: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

*यह अध्याय 2024-25 के लिए हरियाणा के वित्त का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, आर्थिक संकेतक और राज्य की राजकोषीय संरचना शामिल है। यह राजस्व और व्यय, ऋण के स्तर और राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, जो लगातार असंतुलन और उधार पर निर्भरता को दर्शाता है। अध्याय में उच्च प्रतिबद्ध व्यय, निवेश पर कम रिटर्न आदि जैसे मामलों को दर्शाया गया है।*

## 1.1 राज्य का प्रोफाइल

हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित है। इसके 22 जिलों में से 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं। यह 44,212 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 21वें स्थान पर है। 2025 तक, इसकी अनुमानित जनसंख्या 3.09 करोड़ (भारत की जनसंख्या का 2.19 प्रतिशत) थी, जिसका घनत्व 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह सेक्शन राज्य की जनसांख्यिकी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और राज्य की प्रति व्यक्ति आय का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

### 1.1.1 राज्य की जनसांख्यिकी

राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य का जनसांख्यिकीय विवरण नीचे ***तालिका 1.1*** में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 1.1: राज्य की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल**

| | हरियाणा | राष्ट्रीय औसत |
|---|---|---|
| ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)<br>(जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट 'भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036') | 56.74 | 64.30 |
| शहरी जनसंख्या (प्रतिशत)<br>(जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट 'भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036') | 43.26 | 35.70 |
| जनसंख्या घनत्व<br>(जनसंख्या अनुमान पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट 'भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036') | 700 | 430 |
| प्रति 1,000 पुरुषों पर लिंग अनुपात<br>*(भारत की जनगणना 2011) (भारत और राज्य 2011-2036 के लिए जनसंख्या अनुमान)* | 892 | 947 |
| प्रति 1,000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर<br>*(एसआरएस बुलेटिन सितंबर 2025)* | 26 | 25 |
| मातृ मृत्यु दर (15-49 आयु वर्ग की प्रति लाख महिलाओं पर)<br>*(भारत में मातृ मृत्यु दर पर एसआरएस बुलेटिन 2021-23)* | 6 | 5 |
| कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चों की संख्या)<br>*(एनएफएचएस-5, 2019-21)* | 1.91 | 1.99 |
| जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्षों में)<br>*(एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2017-21 और 2019-23, भारत का आरजीआई, भारत सरकार)* | 68.8 | 70.3 |
| गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (प्रतिशत में)<br>*(बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2015-16 और 2019-21 (हेडकाउंट अनुपात) - नीति आयोग)* | 7.07 | 14.96 |
| साक्षरता दर (प्रतिशत में)<br>*(आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) (2023-24)* | 84.8 | 80.9 |

### 1.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था

सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### *1.1.2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय*

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है, जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य स्तर पर इसे मापता है, और दोनों आर्थिक विकास और समग्र प्रगति को दर्शाते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां ***तालिका 1.2*** में दी गई हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में सकल राज्य घरेलू उत्पाद योगदान ***चार्ट 1.1*** में दिया गया है। देश की प्रति व्यक्ति आय और राज्य की प्रति व्यक्ति आय को ***चार्ट 1.2*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.2: भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियां (वर्तमान कीमतों पर)**

| वर्ष | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | 1,98,54,096 | 2,35,97,399 | 2,68,90,473 | 3,01,22,956 (पहला आरई) | 3,30,68,145 (पीई) |
| हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) | 7,30,442 | 8,77,269 | 9,74,732 | 10,85,510 | 12,13,951 |
| सकल घरेलू उत्पाद में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का हिस्सा (प्रतिशत में) | 3.68 | 3.72 | 3.62 | 3.60 | 3.67 |
| भारत की प्रति व्यक्ति आय (₹ में) | 1,27,244 | 1,50,906 | 1,69,145 | 1,88,892 | 2,05,324 |
| हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय (₹ में) | 2,25,137 | 2,65,163 | 2,89,213 | 3,19,363 | 3,53,182 |

**स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।**

**आरई: संशोधित अनुमान, पीई: अनंतिम अनुमान**

हरियाणा की अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में लगातार वृद्धि दर्शाई है, इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में ₹ 7,30,442 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 12,13,951 करोड़ हो गया है। यह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के अनुरूप मुख्यत: औसत वार्षिक विकास दर का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि हरियाणा का निष्पादन समय-समय पर राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गया है, विशेष रूप से 2021-22 में जब राज्य में महामारी के बाद की वसूली सुदृढ़ थी। पिछले पांच वर्षों में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हरियाणा की हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है, जो समग्र सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान में स्थिरता का संकेत देती है।

हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, जो इसके अपेक्षाकृत सुदृढ़ औद्योगिक और कृषि आधार को दर्शाती है जैसा कि अनुच्छेद 1.1.2.2 में बताया गया है। 2024-25 में, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ₹ 3,53,182 अनुमानित है, जो विशेष रूप से ₹ 2,05,324 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो देश की तुलना में काफी सुदृढ़ आर्थिक निष्पादन का संकेत देती है।

चार्ट 1.1: जीडीपी और जीएसडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर और जीडीपी में जीएसडीपी का योगदान

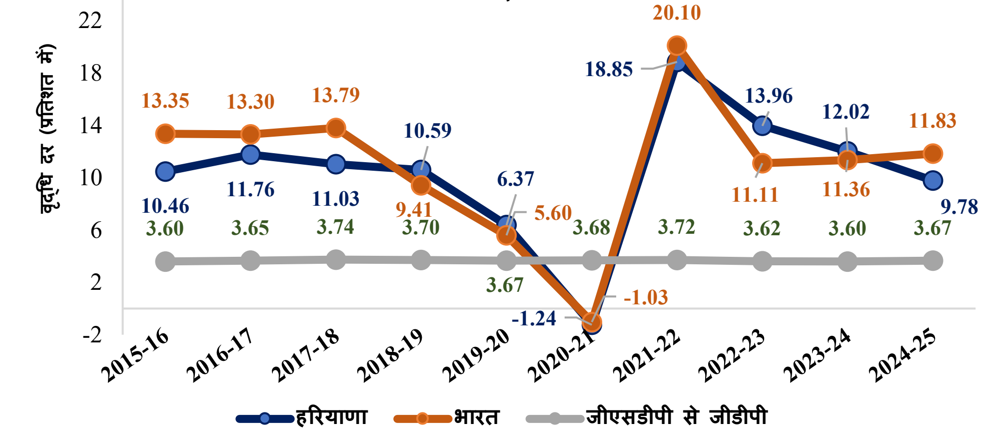


चार्ट 1.2: भारत और हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय (₹ में)

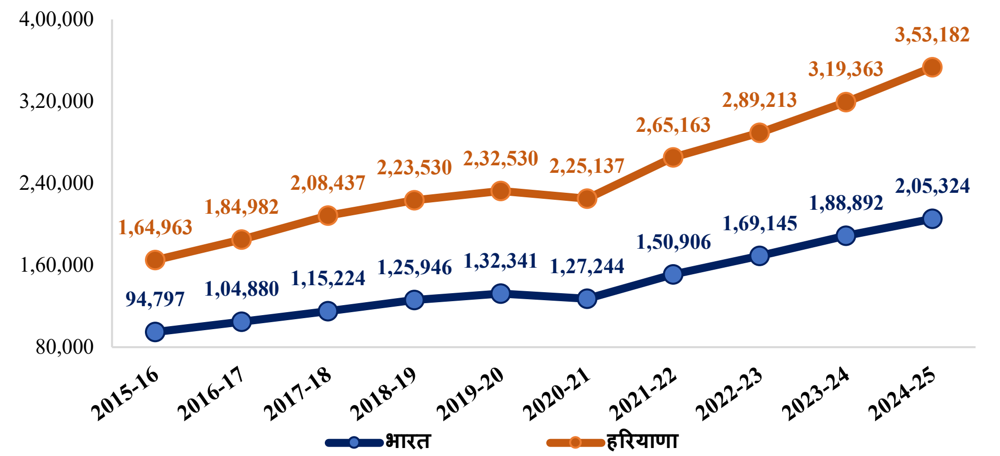


## *1.1.2.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान*

2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा क्षेत्रीय योगदान और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय योगदान, जिसे पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में उनके हिस्से के संदर्भ में मापा गया है, को क्रमशः ***चार्ट 1.3*** और ***चार्ट 1.4*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: क्षेत्रीय योगदान 2024-25

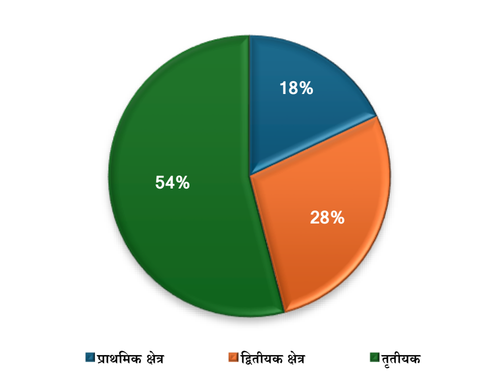


चार्ट 1.4: जीएसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि

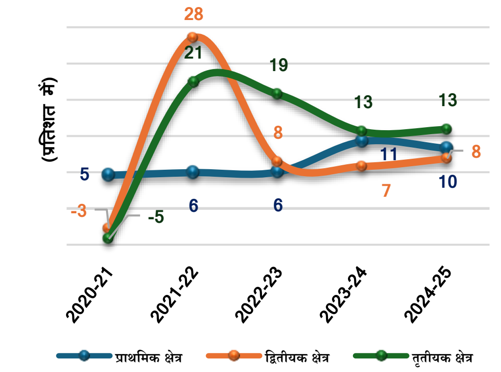

***चार्ट 1.5*** अपने प्रमुख योगदान खंडों के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र की संरचना को दर्शाता है।

**चार्ट 1.5: क्षेत्रवार वितरण, वित्तीय वर्ष 2024-25**

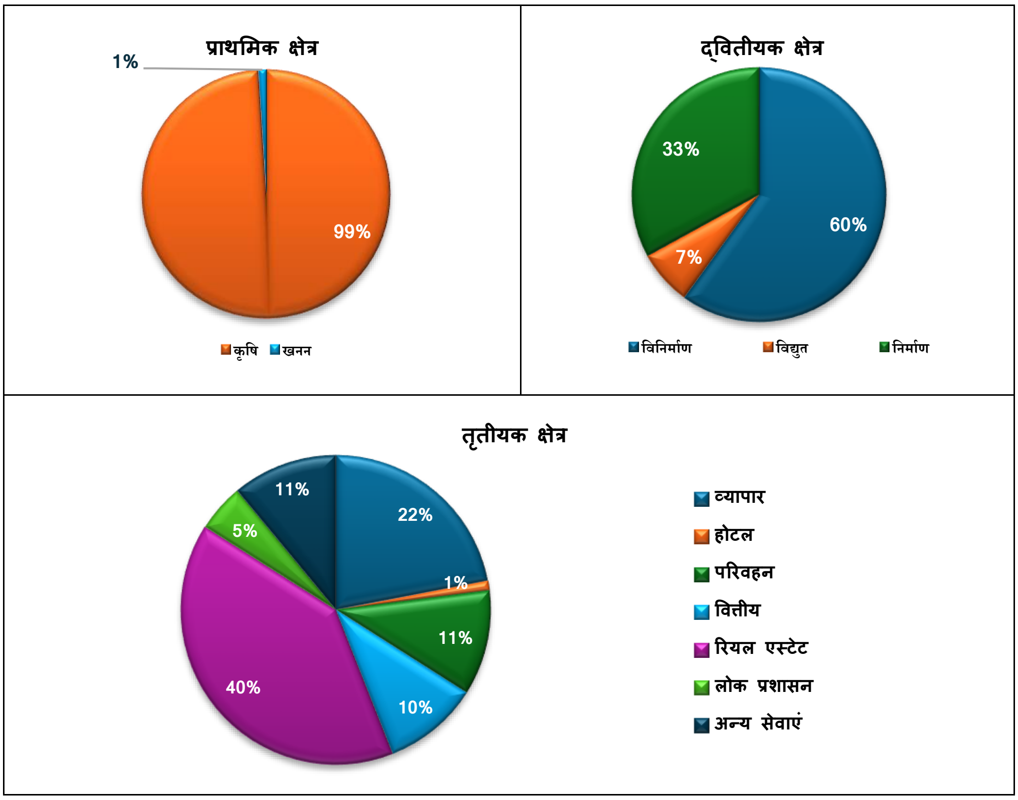


वित्तीय वर्ष 2024-25 में हरियाणा की अर्थव्यवस्था में, तृतीयक क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद (54 प्रतिशत) का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र (28 प्रतिशत) और प्राथमिक क्षेत्र (18 प्रतिशत) हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्र पर प्रभावी है, जबकि विनिर्माण और निर्माण द्वितीयक क्षेत्र को संचालित करते हैं। तृतीयक क्षेत्र में रियल एस्टेट, व्यापार और परिवहन जैसी सेवाएं प्रमुख अंशदानकर्ता हैं; राष्ट्रीय राजधानी के करीब होना और इसका एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आना, इस विकास के मुख्य कारण हैं।

पिछले पांच वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्तियां द्वितीयक क्षेत्र में उतार-चढ़ाव दर्शाती हैं, जिसमें 2021-22 में काफी वृद्धि हुई और उसके बाद इसमें कमी आई। प्राथमिक क्षेत्र ने लगातार और स्थिर वृद्धि दर्शाई है, जिससे अर्थव्यवस्था को उतार-चढ़ाव से बचाया जा सका है, जबकि तृतीयक क्षेत्र में मामूली लेकिन स्थिर वृद्धि हुई है। उतार-चढ़ाव की प्रवृत्तियों के बावजूद, तृतीयक क्षेत्र पिछले पांच वर्षों में द्वितीयक क्षेत्र की तुलना में अधिक स्थिर रहा है।

### 1.1.3 वित्त का स्नैपशॉट

***तालिका 1.3*** में वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए हरियाणा की राज्य सरकार के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिया गया है।

**तालिका 1.3: वित्त का स्नैपशॉट**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | घटक | 2023-24 (वास्तविक) | 2024-25 (बजट अनुमान) | 2024-25 (संशोधित अनुमान) | 2024-25 (वास्तविक) | वास्तविक से बजट अनुमान की प्रतिशतता | वास्तविक से स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कर राजस्व | 84,856.47 | 97,883.33 | 96,009.73 | 92,008.33 | 94.00 | 7.58 |
| *(i)* | स्व-कर राजस्व | 72,511.12 | *84,551.10* | *81,944.08* | *77,942.68* | 92.18 | 6.42 |
| *(ii)* | संघीय करों/शुल्कों का अंश | 12,345.35 | *13,332.23* | *14,065.65* | *14,065.65* | 105.50 | 1.16 |
| 2. | कर-भिन्न राजस्व | 8,103.00 | 9,243.46 | 8,771.62 | 7,536.20 | 81.53 | 0.62 |
| 3. | सहायता अनुदान एवं अंशदान | 8,355.37 | 9,512.11 | 7,843.05 | 6,884.88 | 72.38 | 0.57 |
| **4.** | **राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)** | **1,01,314.84** | **1,16,638.90** | **1,12,624.40** | **1,06,429.41** | **91.25** | **8.77** |
| 5. | ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली | 301.15 | 689.01 | 689.01 | 293.88 | 42.65 | 0.02 |
| 6. | अन्य प्राप्तियां | 114.83 | 4,870.00 | 700.00 | 102.36 | 2.10 | 0.01 |
| 7. | उधार एवं अन्य देयताएं (क) | 31,441.04 | 33,634.50 | 32,555.97 | 34,665.15 | 103.06 | 2.86 |
| **8.** | **पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)** | **31,857.02** | **39,193.51** | **33,944.98** | **35,061.39** | **89.46** | **2.89** |
| **9.** | **कुल प्राप्तियां (4+8)** | **1,33,171.86** | **1,55,832.41** | **1,46,569.38** | **1,41,490.80** | **90.80** | **11.66** |
| **10.** | **राजस्व व्यय (ख)** | **1,13,195.70** | **1,34,456.36** | **1,30,472.08** | **1,25,849.29** | **93.60** | **10.37** |
| 11. | ब्याज भुगतान | 21,604.97 | 25,141.70 | 24,692.59 | 24,219.24 | 96.33 | 2.00 |
| 12. | पूंजीगत व्यय | 15,920.94 | 16,280.94 | 12,752.52 | 12,480.03 | 76.65 | 1.03 |
| 13. | ऋण एवं अग्रिम | 4,055.22 | 5,095.11 | 3,344.78 | 3,161.48 | 62.05 | 0.26 |
| **14.** | **कुल व्यय (10+12+13)** | **1,33,171.86** | **1,55,832.41** | **1,46,569.38** | **1,41,490.80** | **90.80** | **11.66** |
| **15.** | **राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-) (4-10)** | **(-) 11,880.86** | **(-) 17,817.46** | **(-) 17,847.68** | **(-)19,419.88**[1] | **108.99** | **(-) 1.60** |
| **16.** | **राजकोषीय आधिक्य (+)/घाटा (-) {(4+5+6)-14}** | **(-) 31,441.04** | **(-) 33,634.50** | **(-) 32,555.97** | **(-) 34,665.15** | **103.06** | **(-) 2.86** |
| **17.** | **प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (16-11)** | **(-) 9,836.07** | **(-) 8,492.80** | **(-) 7,863.38** | **(-) 10,445.91**[2] | **123.00** | **(-) 0.86** |

**स्रोत:** **संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और बजट एक नजर में।**

***(क)*** ***उधार एवं अन्य देयताएं: लोक ऋण के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखे के निवल (प्राप्तियां-संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंतिम नकद शेष के निवल।***

***(ख)*** ***राजस्व खाते पर व्यय में ब्याज भुगतान शामिल हैं।***

बजट अनुमानों की तुलना में ऋणों एवं अग्रिमों और अन्य प्राप्तियों की वसूली के तहत वास्तविक प्राप्तियां काफी कम रही। हालांकि, राज्य सरकार ने अन्य प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमानों को कम कर दिया था, लेकिन वास्तविक इन अनुमानों की तुलना में कम रहे। यह अति-आशावादी प्राप्ति अपेक्षा का संकेत है जो राज्य में आर्थिक विकास के अनुरूप नहीं था। पूंजीगत व्यय बजट अनुमानों का लगभग 77 प्रतिशत था, हालांकि यह संशोधित अनुमानों के समीप रहा।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 के लिए राज्य सरकार के वित्त का विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

### 1.1.4 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

चालू वर्ष के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उपयोग के घटकों की तुलना ***चार्ट 1.6*** में दी गई है।

---

1 लेखापरीक्षा के बाद समायोजित राजस्व घाटा ₹ 21,986.48 करोड़ है।

2 लेखापरीक्षा के बाद समायोजित प्राथमिक घाटा ₹ 13,012.51 करोड़ है।

**चार्ट 1.6: 2024-25 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

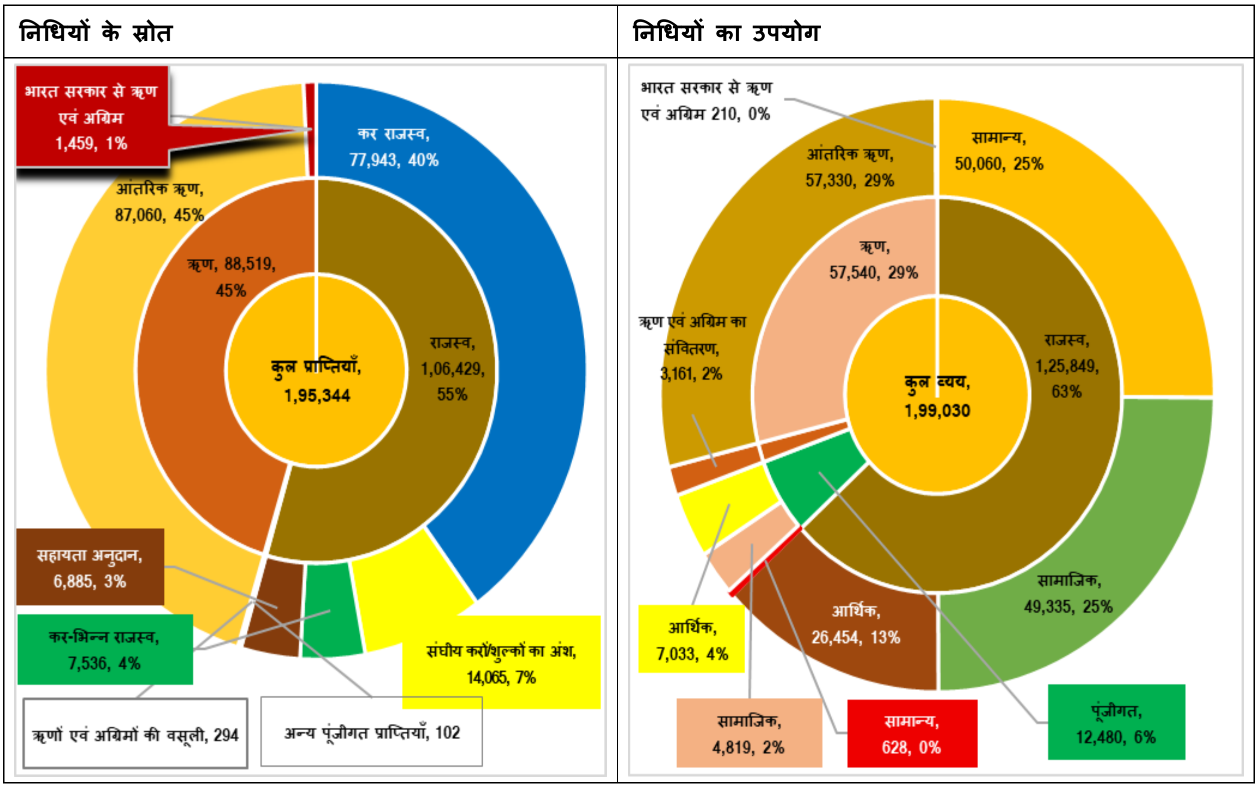


**स्रोत: वित्त लेखे।**

***परिशिष्ट 1.2*** में पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों और समग्र राजकोषीय स्थिति के विवरण दिए गए हैं।

## 1.1.5 सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हैं। 31 मार्च 2025 तक ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार पिछले वर्ष की समसामयिक स्थिति से तुलना को ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शाया गया है। देयताओं में मुख्यत: आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखों और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों में मुख्यत: पूंजीगत व्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति ***तालिका 1.4*** में दी गई है।

**तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| देयताएं | | | | | परिसंपत्तियां | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2025 को | प्रतिशत वृद्धि | | | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2025 को | प्रतिशत वृद्धि |
| **समेकित निधि** | | | | | | | | | |
| क | आंतरिक ऋण | 2,80,772.24 | 3,10,502.75 | 10.59 | क | सकल पूंजीगत परिव्यय | 1,56,410.71 | 1,67,914.39 | 7.35 |
| ख | भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 15,825.21 | 13,827.90 | (-) 12.62 | ख | ऋण एवं अग्रिम | 14,328.46 | 18,070.05 | 26.11 |
| **आकस्मिक निधि** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **आकस्मिक निधि (अप्राप्य)** | | **545.95** | **148.93** | **(-) 72.72** |
| **लोक लेखा** | | | | | | | | | |
| क | लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि | 18,762.25 | 18,777.29 | 0.08 | क | विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| ख | जमा | 14,557.39 | 16,179.92 | 11.15 | ख | प्रेषण | - | - | - |
| ग | आरक्षित निधियां | 12,238.55 | 14,553.25 | 18.91 | ग | उचंत एवं विविध | 19.72 | 29.96 | 51.93 |
| घ | उचंत एवं विविध शेष | - | - | - | **नकद शेष (चिह्नित निधि में निवेश सहित)** | | **5,438.02** | **6,057.28** | **11.39** |
| ङ | प्रेषण | 336.99 | 303.55 | (-) 9.92 | **कुल** | | **1,76,743.60** | **1,92,221.35** | **8.76** |
| | | | | | **राजस्व लेखा में घाटा** | | **1,66,749.02** | **1,82,923.30** | **9.70** |
| | | | | | **राउंडिंग-ऑफ के कारण अंतर** | | **0.01** | **0.01** | |
| **कुल** | | **3,43,492.63** | **3,75,144.66** | **9.21** | **कुल** | | **3,43,492.63** | **3,75,144.66** | **9.21** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

***तालिका 1.4*** दर्शाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में समग्र देयताएं 9.21 प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि परिसंपत्तियों में 8.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व लेखे के घाटे में मामूली वृद्धि हुई है।

## 1.2 राज्य की समेकित निधि

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, जुटाए गए ऋण और ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम राज्य की समेकित निधि का हिस्सा होते हैं।

### 1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

पांच वर्ष की अवधि (2020-25) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि ***तालिका 1.5*** में दर्शाई गई है।

**तालिका 1.5: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां**

**(₹ करोड़ में)**

| मानदंड | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व प्राप्तियां** | **67,561** | **78,092** | **89,194** | **1,01,315** | **1,06,429** |
| **कर राजस्व** | **48,352** | **63,099** | **73,339** | **84,856** | **92,008** |
| स्व-कर राजस्व | 41,914 | 53,377 | 62,961 | 72,511 | 77,943 |
| संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश | 6,438 | 9,722 | 10,378 | 12,345 | 14,065 |
| **गैर-कर राजस्व** | **6,961** | **7,394** | **8,742** | **8,103** | **7,536** |
| **भारत सरकार से सहायता अनुदान** | **12,248** | **7,599** | **7,113** | **8,356** | **6,885** |
| राज्य का स्व-राजस्व (स्व-कर एवं गैर-कर राजस्व) | 48,875 | 60,771 | 71,703 | 80,614 | 85,479 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 सीरीज) | 7,30,442 | 8,77,269 | 9,74,732 | 10,85,510 | 12,13,951 |
| **वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)** | | | | | |
| राजस्व प्राप्तियां | (-) 0.44 | 15.59 | 14.22 | 13.59 | 5.05 |
| राज्य का स्व-राजस्व | (-) 2.69 | 24.34 | 17.99 | 12.43 | 6.03 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद | (-) 1.03 | 20.10 | 11.11 | 11.36 | 11.83 |
| **उत्पलावकता अनुपात [3]** | | | | | |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता | --* | 0.78 | 1.28 | 1.20 | 0.43 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राज्य की स्व राजस्व उत्पलावकता | --* | 1.21 | 1.62 | 1.09 | 0.51 |

**स्रोत: राजस्व प्राप्तियों के लिए वित्त लेखे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।**

**** उत्पलावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि ऋणात्मक थी।***

सुदृढ़ कर संग्रह के समर्थन से 2021-22 में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि उच्च (15.59 प्रतिशत) रही थी, लेकिन 2024-25 में यह घटकर पांच प्रतिशत पर आ गई है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों में विभिन्न स्रोतों से अंशदान ***चार्ट 1.7*** और ***चार्ट 1.8*** में दिया गया है।

**चार्ट 1.7: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां**

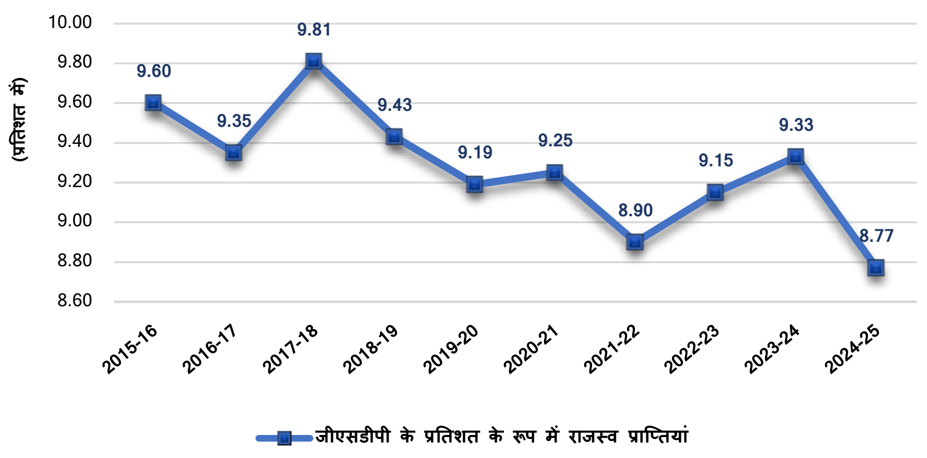


[3] उत्पलावकता अनुपात राजकोषीय मद की, आधार मद में दी गई मद के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता की मात्रा को इंगित करता है।

चार्ट 1.8: राजस्व प्राप्तियों में अंशदान

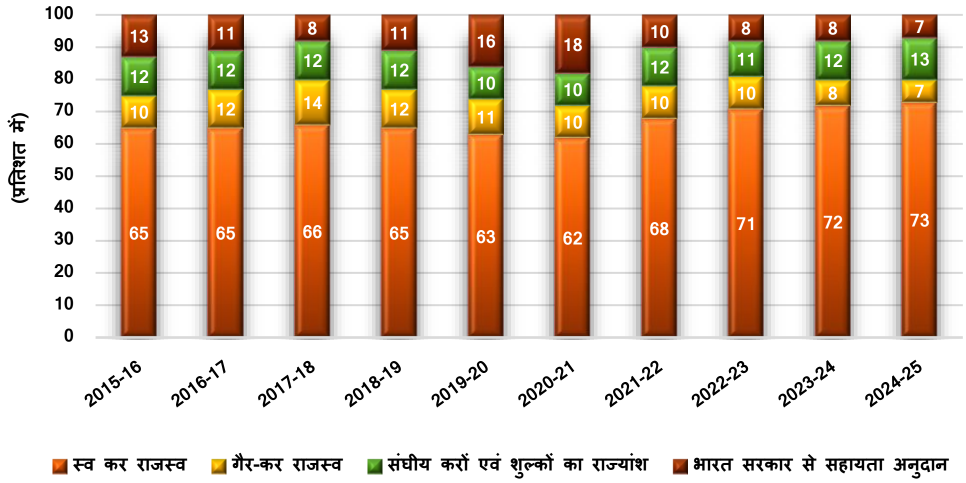


राज्य की राजस्व प्राप्तियां 2015-16 में ₹ 47,557 करोड़ से लगातार बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,06,429 करोड़ हो गई, जो दस वर्षों की अवधि में दो गुना से अधिक की समग्र वृद्धि को दर्शाती हैं ***(परिशिष्ट 1.1)***। यह वृद्धि मुख्य रूप से स्व-कर राजस्व में वृद्धि के कारण हुई, जो 2015-16 से 2024-25 के दौरान ₹ 30,929 करोड़ से बढ़कर ₹ 77,943 करोड़ हो गया। स्व-कर राजस्व का योगदान लगातार 62 से 73 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि गैर-कर राजस्व और अनुदान एक छोटा हिस्सा बनाते हैं। इस प्रकार, अपने स्वयं के स्रोतों पर राज्य की निर्भरता बहुत अधिक है, जो राजकोषीय आत्मनिर्भरता को दर्शाती है, हालांकि धीमी होती उत्प्लावकता कर आधार को व्यापक बनाने और गैर-कर राजस्व को बढ़ाने/जुटाने की आवश्यकता का सुझाव देती है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में, 2015-16 से 2024-25 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई और 2024-25 में यह 8.77 प्रतिशत रही। यह दर्शाता है कि हालांकि राजस्व संग्रह में स्पष्ट रूप में वृद्धि हुई है, लेकिन समग्र अर्थव्यवस्था में उनका योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुरूप नहीं बढ़ा है।

चार्ट 1.9: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों की अंतर-राज्य तुलना (प्रतिशत में)

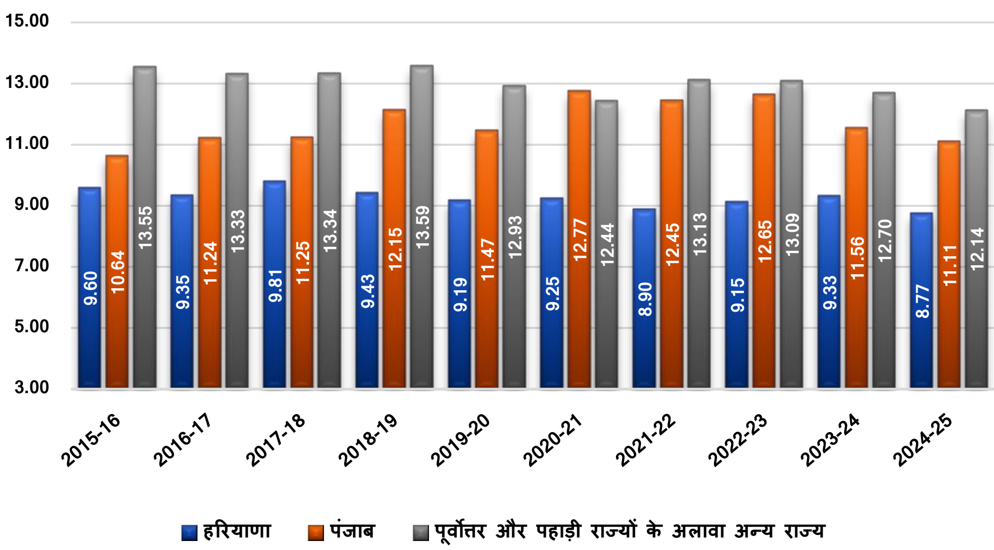

## क. राज्य के अपने संसाधन

**चार्ट 1.10: राज्य के स्व राजस्व का विवरण**

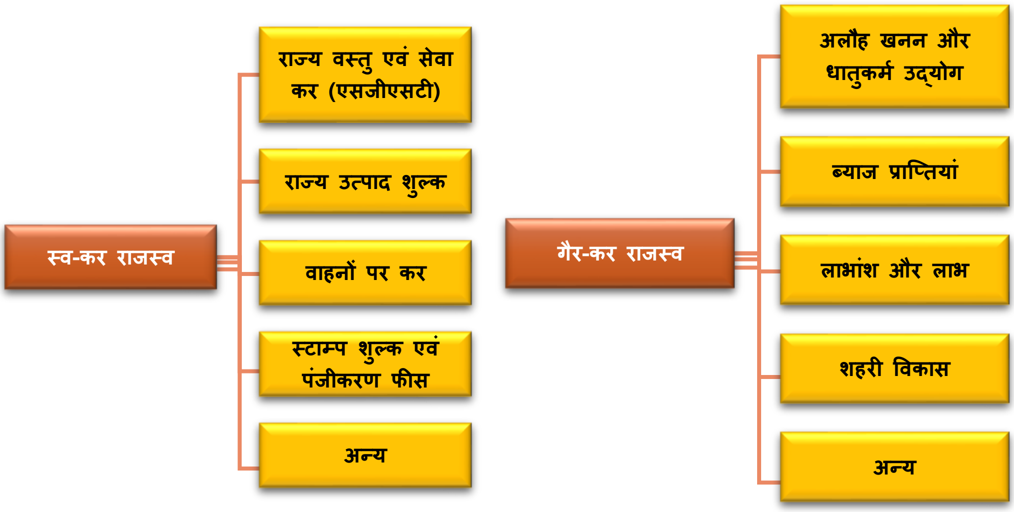


## (i) स्व-कर राजस्व

स्व-कर राजस्व वह राजस्व है जो राज्य सरकार संविधान के तहत कर लगाने के अधिकार का उपयोग करके संग्रहित करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक, बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई), और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्व-कर राजस्व का वास्तविक विवरण ***तालिका 1.6*** में दिया गया है।

**तालिका 1.6: स्व-कर राजस्व: 2023-24 (वास्तविक) और 2024-25 (बीई, आरई और वास्तविक)**

**(₹ करोड़ में)**

| कर राजस्व | 2023-24 (वास्तविक) | 2024-25 (बीई) | 2024-25 (आरई) | 2024-25 (वास्तविक) |
|---|---|---|---|---|
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) | 33,960 | 37,498 | 37,500 | 37,739 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 11,326 | 12,650 | 12,650 | 12,701 |
| स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस | 10,529 | 15,101 | 14,049 | 10,492 |
| वाहनों पर कर | 4,904 | 5,404 | 5,250 | 5,268 |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 11,331 | 13,200 | 11,800 | 11,517 |
| अन्य[4] | 461 | 698 | 695 | 226 |
| **कुल** | **72,511** | **84,551** | **81,944** | **77,943** |

**स्रोत: राज्य के वित्त लेखे और बजट दस्तावेज।**

2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्व-कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियां क्रमशः ***चार्ट 1.11*** और ***चार्ट 1.12*** में दर्शाई गई हैं।

[4] अन्य में भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, सेवा कर आदि शामिल हैं।

चार्ट 1.11: 2015-16 से 2024-25 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की प्रवृत्तियां

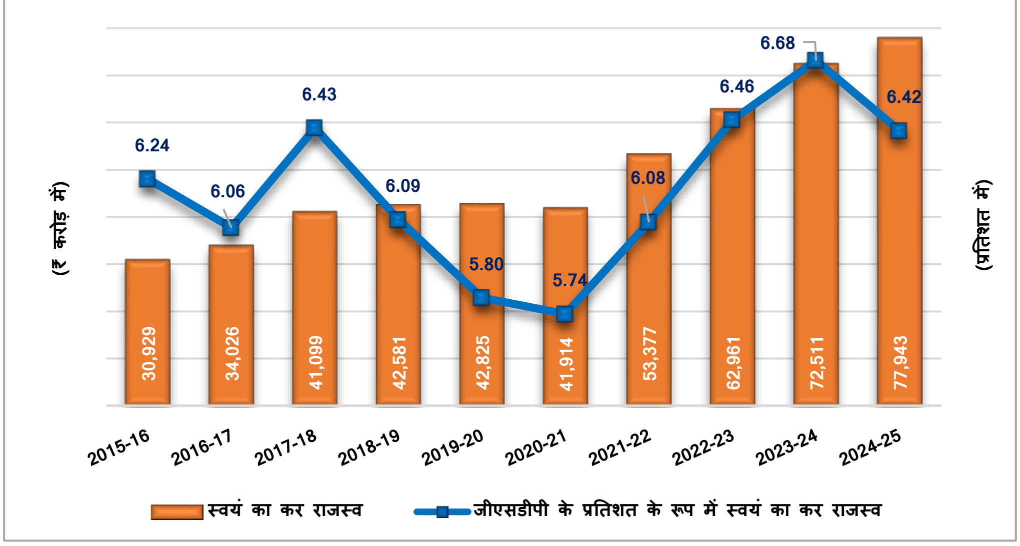


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

चार्ट 1.12: राज्य के स्व-कर राजस्व के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

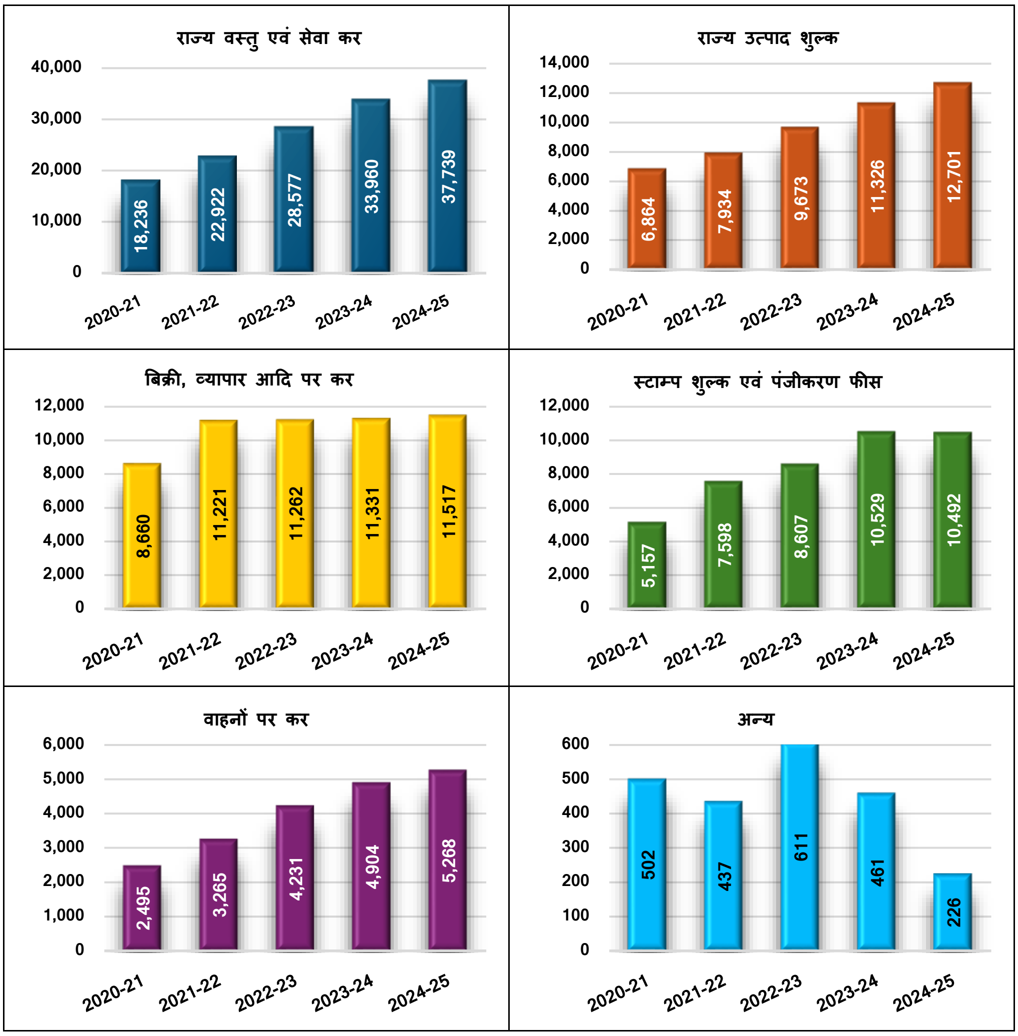


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

एक क्षेत्र अर्थात राज्य वस्तु एवं सेवा कर में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकृत करदाताओं में 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था। इस पर्याप्त वृद्धि ने राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान दिया है। राज्य उत्पाद शुल्क में वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ नई उत्पाद शुल्क नीति के कार्यान्वयन और लाइसेंस फीस में वृद्धि के कारण हुई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने बताया (19 फरवरी 2026) कि स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में ऋणात्मक वृद्धि का एक कारण शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को दो प्रतिशत हिस्सेदारी का सीधा अंतरण था।

### (ii) गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। ***तालिका 1.7*** वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गैर-कर राजस्व के वास्तविक के साथ वास्तविक प्रस्तुत करती है।

**तालिका 1.7: गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक**

**(₹ करोड़ में)**

| गैर-कर राजस्व | 2023-24 (वास्तविक) | 2024-25 (बजट अनुमान) | 2024-25 (संशोधित अनुमान) | 2024-25 (वास्तविक) |
|---|---|---|---|---|
| **ब्याज प्राप्तियां** | 1,645 | 1,795 | 1,795 | 1,793 |
| **लाभांश और लाभ** | 290 | 260 | 260 | 170 |
| **उपयोगकर्ता प्रभार** | 1,401 | 1,853 | 1,652 | 1,078 |
| **अन्य** | 4,767 | 5,335 | 5,065 | 4,495 |
| **कुल** | **8,103** | **9,243** | **8,772** | **7,536** |

**तालिका 1.8: राज्य के गैर-कर राजस्व के घटक**

**(₹ करोड़ में)**

| गैर-कर राजस्व | | 2023-24 (वास्तविक) | 2024-25 (बजट अनुमान) | 2024-25 (संशोधित अनुमान) | 2024-25 (वास्तविक) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ब्याज प्राप्तियां** | | **1,645** | **1,795** | **1,795** | **1,793** |
| **लाभांश और लाभ** | | **290** | **260** | **260** | **170** |
| **अन्य गैर-कर प्राप्तियां** | | **6,168** | **7,188** | **6,717** | **5,573** |
| क) | प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई | 618 | 360 | 360 | 409 |
| ख) | अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 03 | 12 | 12 | 06 |
| ग) | सड़क परिवहन | 1,368 | 1,500 | 1,500 | 1,427 |
| घ) | शहरी विकास | 1,560 | 1,800 | 1,600 | 1,331 |
| ङ) | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | 367 | 695 | 695 | 224 |
| च) | अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग | 811 | 955 | 755 | 737 |
| छ) | अन्य | 1,441 | 1,866 | 1,795 | 1,439 |
| **कुल** | | **8,103** | **9,243** | **8,772** | **7,536** |

2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व और इसके घटकों की प्रवृत्तियां क्रमशः ***चार्ट 1.13*** और ***चार्ट 1.14*** में दर्शाई गई हैं।

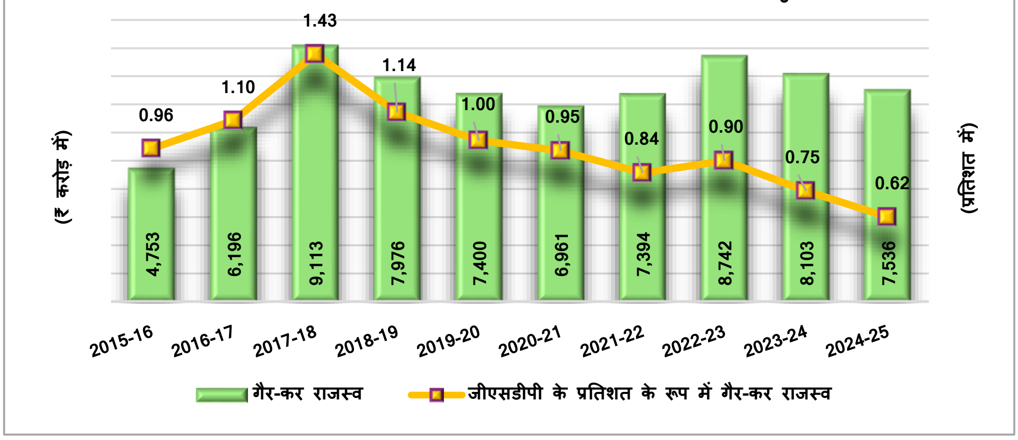


चार्ट 1.13: 2015-16 से 2024-25 के दौरान गैर-कर राजस्व की प्रवृत्तियां

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

दस वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के गैर-कर राजस्व में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। यह 2015-16 में ₹ 4,753 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 9,113 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद 2020-21 में घटकर ₹ 6,961 करोड़ रह गया। इसके बाद आंशिक सुधार देखा गया और 2022-23 में यह फिर से बढ़कर ₹ 8,742 करोड़ हो गया, लेकिन 2023-25 के दौरान इसमें फिर से गिरावट देखी गई और 2024-25 में यह ₹ 7,536 करोड़ पर रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी, 2015-2025 के दौरान गैर-कर राजस्व में इसी तरह का उतार-चढ़ाव देखा गया। यह 2015-16 में 0.96 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 1.43 प्रतिशत हुआ, जिसके बाद 2018-22 के दौरान इसमें गिरावट आई, 2022-23 में आंशिक वृद्धि हुई और फिर गिरावट के साथ 2024-25 में यह 0.62 प्रतिशत पर रहा। यह दर्शाता है कि राजस्व वृद्धि अर्थव्यवस्था की गति के साथ समन्वय नहीं कर पाई है।

**चार्ट 1.14: गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक (2020-25)**

**(₹ करोड़ में)**

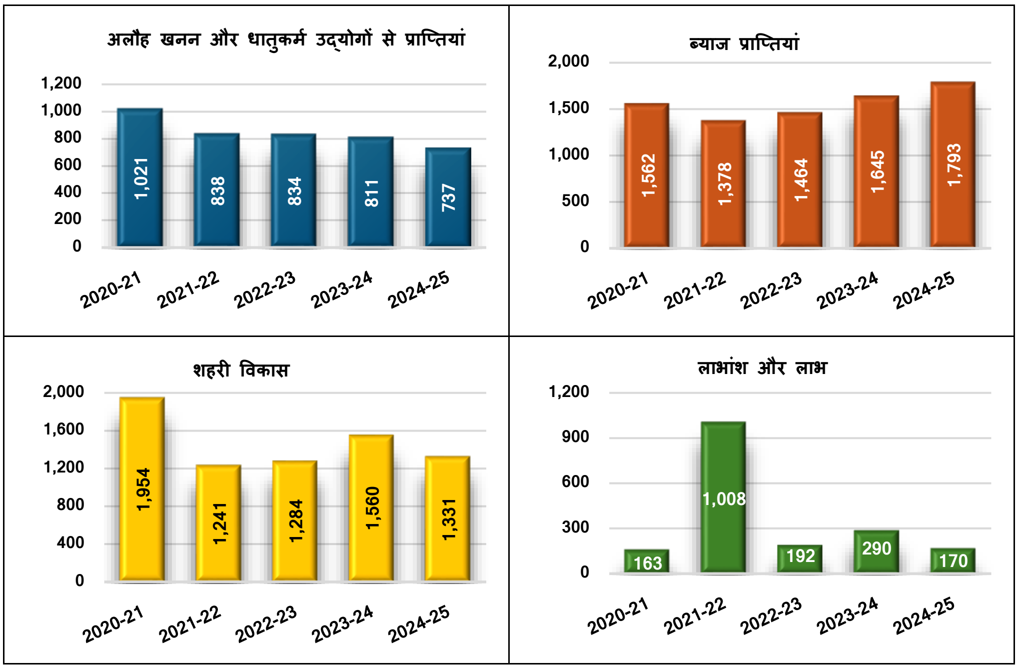

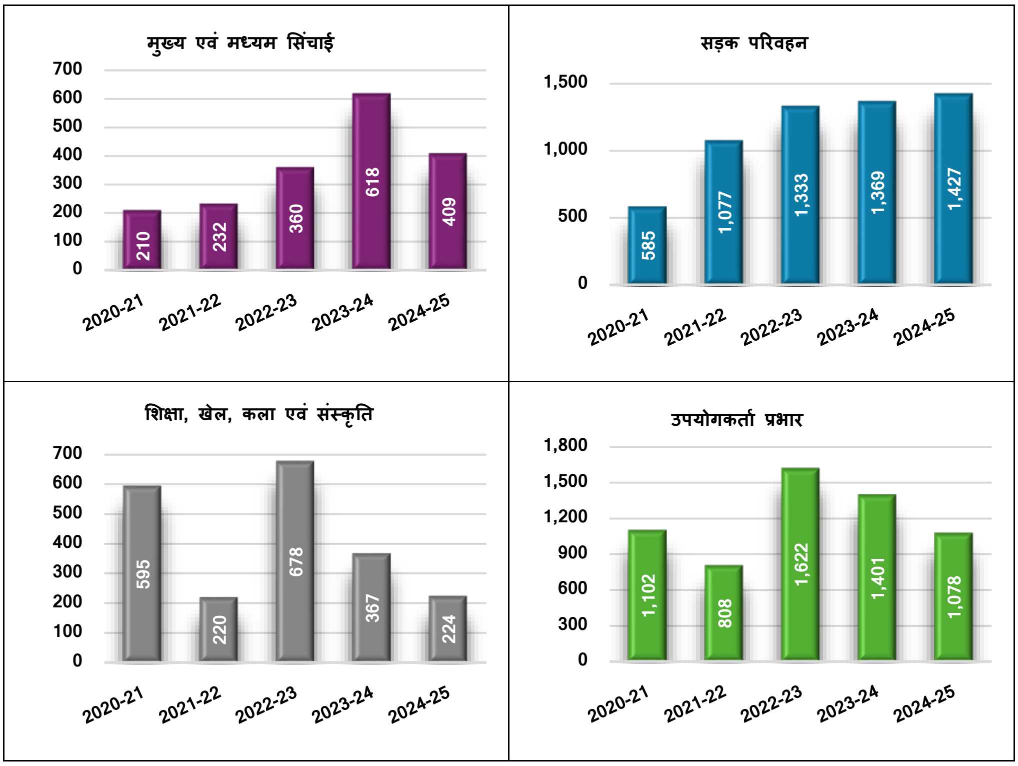


**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

मुख्य घटकों में, ब्याज प्राप्तियों में 2021-22 से लगातार वृद्धि हुई और 2024-25 में ₹ 1,793 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि लाभांश और लाभ से प्राप्तियों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रहा, 2021-22 में इसमें ₹ 1,008 करोड़ की तीव्र वृद्धि हुई, लेकिन अन्य वर्षों में यह कम रही। शहरी विकास प्राप्तियां 2021-22 से 2024-25 के दौरान ₹ 1,241 करोड़ और ₹ 1,560 करोड़ के बीच अपेक्षाकृत स्थिर रही, जबकि सड़क परिवहन राजस्व में 2020-21 में ₹ 585 करोड़ से 2024-25 में ₹ 1,427 करोड़ तक की निरंतर वृद्धि देखी गई। मुख्य और मध्यम सिंचाई से प्राप्तियां 2020-21 से 2023-24 के दौरान ₹ 210 करोड़ से धीरे-धीरे बढ़कर ₹ 618 करोड़ हो गई, जबकि 2024-25 में यह घटकर ₹ 409 करोड़ रह गई। हालांकि, अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों से प्राप्तियां पिछले कुछ वर्षों में 2020-21 में ₹ 1,021 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 737 करोड़ हो गई। कुल मिलाकर, ब्याज प्राप्तियां, शहरी विकास प्राप्तियां और सड़क परिवहन अपेक्षाकृत स्थिर योगदानकर्ताओं के रूप में उभरे, जबकि खनन और लाभांश राजस्व के अनिश्चित स्रोत बने रहे।

## ख. संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा

संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से के घटकों में प्रवृत्तियां ***तालिका 1.9*** में दर्शाई गई हैं।

**तालिका 1.9: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा**

**(₹ करोड़ में)**

| घटक | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) | 1,907.46 | 2,763.35 | 2,932.91 | 3,746.67 | 4,108.06 |
| निगम कर | 1,946.54 | 2,846.17 | 3,478.57 | 3,705.50 | 3,991.23 |
| निगम कर से भिन्न आय पर कर | 1,996.13 | 2,874.79 | 3,397.23 | 4,279.41 | 5,089.99 |
| सीमा-शुल्क | 338.27 | 709.48 | 407.99 | 432.62 | 715.61 |
| संघ उत्पाद शुल्क | 215.83 | 390.43 | 128.00 | 163.72 | 137.72 |
| सेवा कर | 28.52 | 127.53 | 16.22 | 2.31 | 0.43 |
| अन्य कर[5] | 4.84 | 10.41 | 17.08 | 15.12 | 22.61 |
| **कुल** | **6,437.59** | **9,722.16** | **10,378.00** | **12,345.35** | **14,065.65** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से में लगातार वृद्धि हुई। यह पांच वर्षों में दोगुना बढ़कर 2020-21 में ₹ 6,437.59 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 14,065.65 करोड़ हो गया।

इन घटकों में, सबसे अधिक योगदान केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) का रहा, जो 2020-21 में ₹ 1,907.46 करोड़ से लगातार बढ़कर 2024-25 में ₹ 4,108.06 करोड़ हो गया। निगम कर आगामी मुख्य अंशदानकर्ता था, जो 2020-21 में ₹ 1,946.54 करोड़ से लगातार वृद्धि दर्शाते हुए 2024-25 में ₹ 3,991.23 करोड़ हो गया। निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो 2020-21 में ₹ 1,996.13 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 5,089.99 करोड़ हो गया, जिससे यह इस अवधि के अंत तक सबसे बड़ा घटक बन गया। सीमा-शुल्क प्राप्तियां, 2020-21 में ₹ 338.27 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 715.61 करोड़ हो गई, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में उतार-चढ़ाव आया, जो 2020-21 में ₹ 215.83 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 137.72 करोड़ हो गया। सेवा कर, जिसका हिस्सा कम था, वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के कारण 2024-25 तक नगण्य हो गया।

***चार्ट 1.15*** 2015-16 से 2024-25 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संघीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के प्रतिशत की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

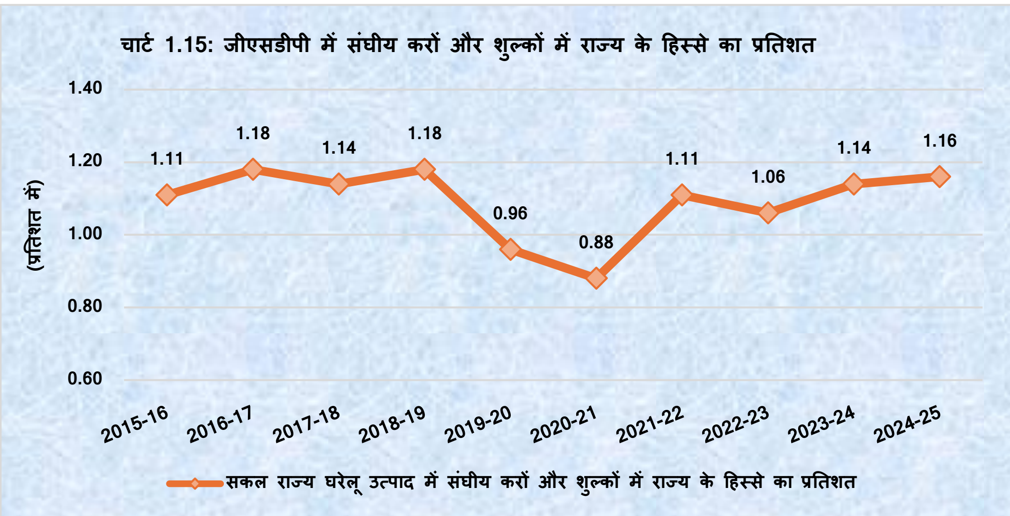


[5] इसमें संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

जैसा कि ***चार्ट 1.15*** से स्पष्ट है, 2015-16 से 2018-19 के दौरान यह अनुपात 1.11 से 1.18 प्रतिशत के समीप व्यापक रूप से स्थिर रहा। हालांकि, इसके बाद इसमें भारी गिरावट देखी गई, जिसमें 2019-20 में यह अनुपात गिरकर 0.96 प्रतिशत और 2020-21 में दशक के निचले स्तर 0.88 प्रतिशत पर आ गया। ये अंतरण 2020-21 में 0.88 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 1.16 प्रतिशत हो गए, जो बेहतर केंद्रीय अंतरण और कर आधार में वृद्धि को दर्शाते हैं।

2024-25 में, राज्य का कर हिस्सा बजट अनुमान (₹ 733 करोड़ तक) और 15वें वित्त आयोग के अनुमानों (₹ 3,829 करोड़ तक) दोनों से अधिक रहा।

कुल मिलाकर, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से में वृद्धि मुख्य रूप से आयकर, निगम कर और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर से उच्च अंतरण से प्रेरित थी। इन अंतरणों ने राज्य के राजस्व पूल का एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हिस्सा बनाया, जिससे राजकोषीय क्षमता को सुदृढ़ करने में मदद मिली।

## ग. भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान (जीआईए) की प्रवृत्ति और इसके घटक ***तालिका 1.10*** में दर्शाए गए हैं।

**तालिका 1.10: भारत सरकार से सहायता अनुदान**

**(₹ करोड़ में)**

| घटक | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान | 3,135.18 | 3,332.31 | 2,919.81 | 2,768.56 | 2,853.99 |
| वित्त आयोग अनुदान | 2,364.00 | 1,192.05 | 1,617.56 | 1,973.33 | 2,392.53 |
| वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से सृजित राजस्व की हानि के लिए मुआवजा | 5,065.81 | 2,908.67 | 2,575.89 | 3,504.88 | 1,445.36 |
| विधायिका के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान | 1,683.14 | 165.21 | 0.00 | 108.60 | 193.00 |
| **कुल** | **12,248.13** | **7,598.24** | **7,113.26** | **8,335.37** | **6,884.88** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

**तालिका 1.10** दर्शाती है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 2020-21 में ₹ 12,248.13 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 6,884.88 करोड़ रह गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान 17.40 प्रतिशत की यह कमी मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में ₹ 2,059.52 करोड़ की कमी के कारण हुई, जिसकी आंशिक भरपाई 2024-25 में वित्त आयोग के अनुदान में ₹ 419.20 करोड़ की वृद्धि से हुई।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राजस्व घाटे को कम करने या समाप्त करने और सभी उधारों को पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिए जा रहे हैं। 2024-25 में, जो वित्त आयोग की अवधि का चौथा वर्ष है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान के रूप में ₹ 4.16 करोड़ प्राप्त हुए।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को ***चार्ट 1.16*** में दर्शाया गया है।

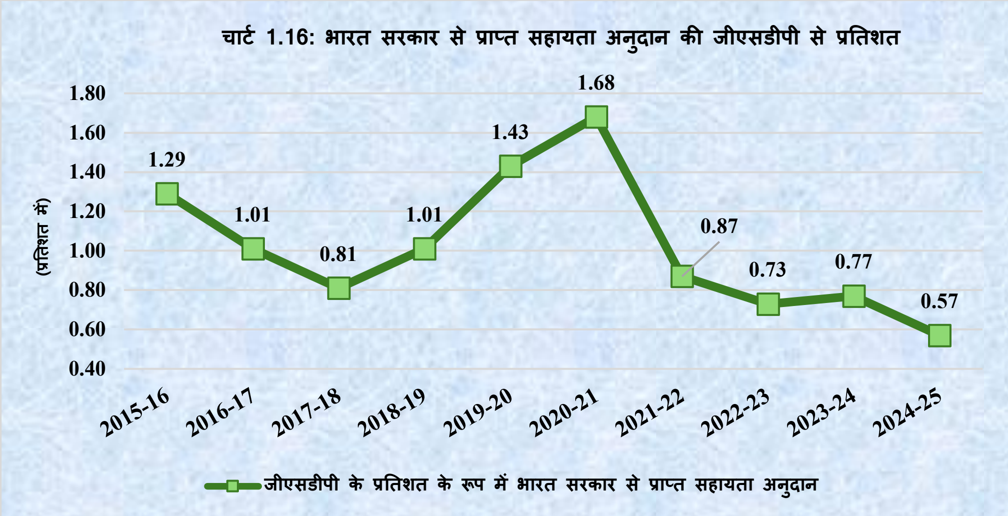


## (i) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान

2024-25 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ₹ 2,853.99 करोड़ के अनुदान में से प्रमुख आवंटन ***तालिका 1.11*** में दर्शाई गई योजनाओं के लिए किए गए थे।

**तालिका 1.11: अनुदान प्राप्त करने वाली प्रमुख योजनाएं**

| योजना का नाम | 2023-24 राशि (₹ करोड़ में) | 2024-25 राशि (₹ करोड़ में) | पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण लचीला पूल | 293.30 | 344.86 | 17.58 |
| परिवार कल्याण प्रजनन और बाल स्वास्थ्य | 75.42 | 58.43 | (-) 22.53 |
| आगनवाड़ी सेवाएं (आईसीडीएस) | 208.06 | 232.69 | 11.84 |
| समग्र शिक्षा | 576.66 | 534.62 | (-) 7.29 |
| उभरते भारत के लिए प्रधान मंत्री स्कूल (श्री) | 23.03 | 56.10 | 143.60 |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना | 120.35 | 194.53 | 61.64 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | 6.18 | 63.87 | 933.50 |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) | 204.02 | 144.26 | (-) 29.29 |
| अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन | 151.58 | 107.76 | (-) 28.91 |
| 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन | 171.50 | 73.50 | (-)57.14 |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 51.46 | 308.85 | 500.17 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) | 206.45 | 75.59 | (-) 63.39 |
| प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पोषण) | 178.82 | 121.66 | (-) 31.97 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

इस कार्यालय ने हरियाणा में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की थी, जिसमें 2015-16 से 2022-23 तक की अवधि शामिल थी। विशेष प्रयोजन माध्यम (फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड) सरकार से प्राप्त अनुदान का लाभ नहीं उठा सके और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक और बाहरी स्रोतों (अर्थात सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऋण और भूमि मुद्रीकरण आदि) से आवश्यक निधियों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं को अन्य केंद्रीय/राज्य योजनाओं (2025 की प्रतिवेदन संख्या 3 का अनुच्छेद 10.12) के साथ विलय करने के लिए कदम उठा सकती है।

### (ii) पंद्रहवां वित्त आयोग अनुदान

स्थानीय निकायों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ), राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) और स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदानों के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग (15वां एफसी) के अंतर्गत अनुदान प्रदान किए गए थे। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण ***तालिका 1.12*** में दिया गया है।

**तालिका 1.12: 2024-25 के दौरान सहायता अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक रूप से जारी और अंतरण**

**(₹ करोड़ में)**

| अंतरण | | | 15वें वित्त आयोग की सिफारिश | भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से जारी | राज्य सरकार द्वारा जारी (भारत सरकार द्वारा जारी राशि का कुल प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|
| **(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान** | | | **1,036.00** | **1,399.70** | **1,399.70 (100)** |
| (क) निष्पादन/संबद्ध अनुदान | | | 621.60 | 982.79 | 982.79 (100) |
| (ख) असंबद्ध अनुदान | | | 414.40 | 416.91 | 416.91 (100) |
| **(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान** | | | **534.00** | **371.29** | **139.36 (38)** |
| (क) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (निष्पादन/संबद्ध अनुदान) | | | 85.00 | 21.00 | 0.00 (0) |
| (ख) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर (सामान्य मूल/असंबद्ध अनुदान) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 (0) |
| (क) दस लाख से कम आबादी वाले शहर (निष्पादन/संबद्ध अनुदान) | | | 269.40 | 246.10 | 119.54 (45) |
| (ख) दस लाख से कम आबादी वाले शहर (सामान्य मूल/असंबद्ध अनुदान) | | | 179.60 | 104.19 | 19.82 (19) |
| **(iii) स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान** | | | **642.76** | **60.54** | **69.22 (114)** |
| **स्थानीय निकायों को कुल (i+ii+iii)** | | | **2,212.76** | **1,831.53** | **1,608.28 (88)** |
| **राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)** | **राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.)** | **केंद्रीय अंश** | 455.20 | 455.20 | 455.20 (100) |
| | | **राज्य अंश** | 151.20 | 151.20 | 151.20 (100) |
| | **राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ)** | **केंद्रीय अंश** | 113.70 | 105.80 | 255.60* (242) |
| | | **राज्य अंश** | 37.90 | 35.20 | 85.20 (242) |
| **राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि को कुल** | | | **758.00** | **747.40** | **947.20 (127)** |

**स्रोत: 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट और विभागीय जानकारी।**

**पीआरआई: पंचायती राज संस्थान और यूएलबी: शहरी स्थानीय निकाय।**

* **राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) में वर्ष 2022-23 के ₹ 199.80 करोड़ (₹ 149.80 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹ 50 करोड़ का राज्य हिस्सा) शामिल हैं।**

- राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,399.70 करोड़ का समग्र अनुदान पंचायती राज संस्थाओं को जारी कर दिया है।
- स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 534 करोड़ की तुलना में, भारत सरकार ने 2024-25 के दौरान ₹ 371.29 करोड़ जारी किए। इसमें से, राज्य सरकार ने केवल ₹ 139.36 करोड़ जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 231.93 करोड़ (संबद्ध अनुदान के तहत ₹ 147.56 करोड़ और असंबद्ध अनुदान के तहत ₹ 84.37 करोड़) कम जारी किए गए। राज्य सरकार इन अनुदानों के पूर्ण उपयोग को सक्षम करने के लिए समय पर जारी करने और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करे।

## 1.2.2 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेशों से प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

***तालिका 1.13*** 2020-21 से 2024-25 तक पूंजीगत प्राप्तियों और उनके घटकों में प्रवृत्तियां प्रस्तुत करती है।

**तालिका 1.13: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संरचना में प्रवृत्तियां**

**(₹ करोड़ में)**

| राज्य की प्राप्तियों के स्रोत | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| **पूंजीगत प्राप्तियां** | **44,982.31** | **45,503.37** | **59,826.71** | **63,142.68** | **65,685.25** |
| विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 62.96 | 67.15 | 73.91 | 114.83 | 102.36 |
| ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली | 431.95 | 500.24 | 237.75 | 301.15 | 293.88 |
| **लोक ऋण प्राप्तियां** | **44,487.40** | **44,935.98** | **59,515.05** | **62,726.70** | **65,289.01** |
| *आंतरिक ऋण*[6] | *44,362.72* | *44,792.38* | *58,244.75* | *60,981.54* | *63,830.45* |
| *भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम*[7] | *124.68* | *143.60* | *1,270.30* | *1,745.16* | *1,458.56* |
| **वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (प्रतिशत में)** | | | | | |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद | (-) 1.03 | 20.10 | 11.11 | 11.36 | 11.83 |
| पूंजीगत प्राप्तियां | (-) 7.48 | 1.16 | 31.48 | 5.54 | 4.03 |
| ऋण पूंजीगत प्राप्तियां | 3.05 | 1.01 | 32.44 | 5.40 | 4.08 |
| आंतरिक ऋण | 3.01 | 0.97 | 30.03 | 4.70 | 4.67 |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 21.77 | 15.17 | 784.61 | 37.38 | (-) 16.42 |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

2020-21 से 2024-2025 की अवधि के दौरान, राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और ये मुख्य रूप से ऋण घटकों, विशेष रूप से आंतरिक ऋण द्वारा संचालित थी, जिसकी निरंतर प्रमुख हिस्सेदारी रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत प्राप्तियों (2015-25) को ***चार्ट 1.17*** में दर्शाया गया है।

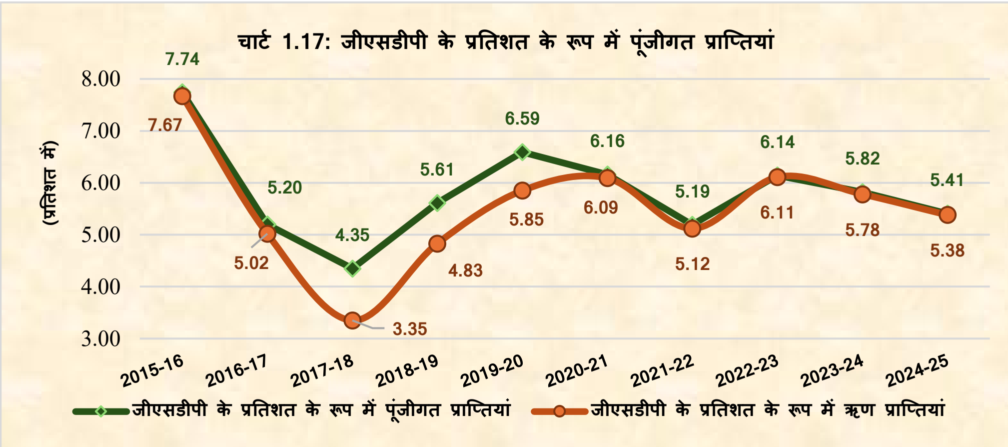


सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, पूंजीगत प्राप्तियां 2015-16 में 7.74 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2017-18 में 4.35 प्रतिशत रह गई। इसके बाद, इसमें सुधार देखा गया और यह 2019-20 में बढ़कर 6.59 प्रतिशत हो गई। हालांकि, यह 2020-21 के 6.16 प्रतिशत से 2023-24 के 5.82 प्रतिशत के दायरे में रही और 2024-25 में 5.41 प्रतिशत पर रही। ऋण प्राप्तियों ने भी इसी तरह के पैटर्न का पालन किया, जो अपने व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार पर राज्य की निरंतर निर्भरता को दर्शाता है।

### 1.2.3 वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक

15वें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित राजस्व, घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक ***तालिका 1.14*** में दिए गए हैं।

---

6 अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत सकल आंकड़ों को छोड़कर।

7 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर।

**तालिका 1.14: वास्तविक की तुलना में 15वां वित्त आयोग के अनुमान**

| विवरण | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अनुमान | वास्तविक | अनुमान | वास्तविक | अनुमान | वास्तविक | अनुमान | वास्तविक | अनुमान | वास्तविक |
| जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला - वर्तमान कीमतें) | 8,82,354 | 7,30,442 | 8,68,383 | 8,77,269 | 9,72,589 | 9,74,732 | 10,94,163 | 10,85,510 | 12,35,857 | 12,13,951 |
| स्व राजस्व प्राप्तियां | 75,182 | 48,875 | 61,892 | 60,771 | 72,055 | 71,703 | 84,382 | 80,614 | 99,340 | 85,479 |
| राज्य का स्व-कर राजस्व | 65,285 | 41,914 | 53,965 | 53,377 | 62,892 | 62,961 | 73,730 | 72,511 | 86,894 | 77,943 |
| राज्य का स्व गैर-कर राजस्व | 9,897 | 6,961 | 7,927 | 7,394 | 9,163 | 8,742 | 10,652 | 8,103 | 12,446 | 7,536 |
| संघीय करों/शुल्कों में राज्य का हिस्सा | 9,253 | 6,438 | 7,198 | 9,722 | 8,008 | 10,378 | 9,011 | 12,345 | 10,237 | 14,065 |
| जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व अधिशेष (+)/राजस्व घाटा (-) | 0.67 | (-) 3.06 | 0.02 | (-) 2.32 | 0.66 | (-) 1.77 | 1.31 | (-) 1.09 | 1.99 | (-) 1.60 |
| जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा | (-) 2.70 | (-) 4.04 | (-) 4.00 | (-) 3.62 | (-) 3.50 | (-) 3.18 | (-) 3.00 | (-) 2.90 | (-) 3.00 | (-) 2.86 |

**स्रोत: 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

## 1.2.4 व्यय

सरकारी व्यय को राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय में प्रशासनिक और स्थापना व्यय सहित विभागों के रखरखाव, मरम्मत और दिन-प्रतिदिन के कामकाज की लागत शामिल है। पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के प्रारंभिक निर्माण और परिसंपत्तियों में स्वीकृत सुधार या परिवर्धन से संबंधित है। ऋण एवं अग्रिम में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थाओं को प्रदान की गई निधियां शामिल हैं, जो समय के साथ वसूली योग्य हैं। व्यय का विवरण, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय और इसके घटकों का हिस्सा क्रमशः ***तालिका 1.15, चार्ट 1.18*** और ***चार्ट 1.19*** में दिया गया है।

**तालिका 1.15: कुल व्यय और इसकी संरचना**

**(₹ करोड़ में)**

| मानदंड | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय (टीई) | **97,542** | **1,10,437** | **1,20,533** | **1,33,172** | **1,41,490** |
| राजस्व व्यय (संशोधित अनुमान) | 89,946 | 98,425 | 1,06,406 | 1,13,196 | 1,25,849 |
| पूंजीगत व्यय (सीई) | 5,870 | 11,046 | 11,665 | 15,921 | 12,480 |
| ऋण एवं अग्रिम | 926 | 966 | 2,462 | 4,055 | 3,161 |
| आकस्मिकता निधि से विनियोग | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

**चार्ट 1.18: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय**

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

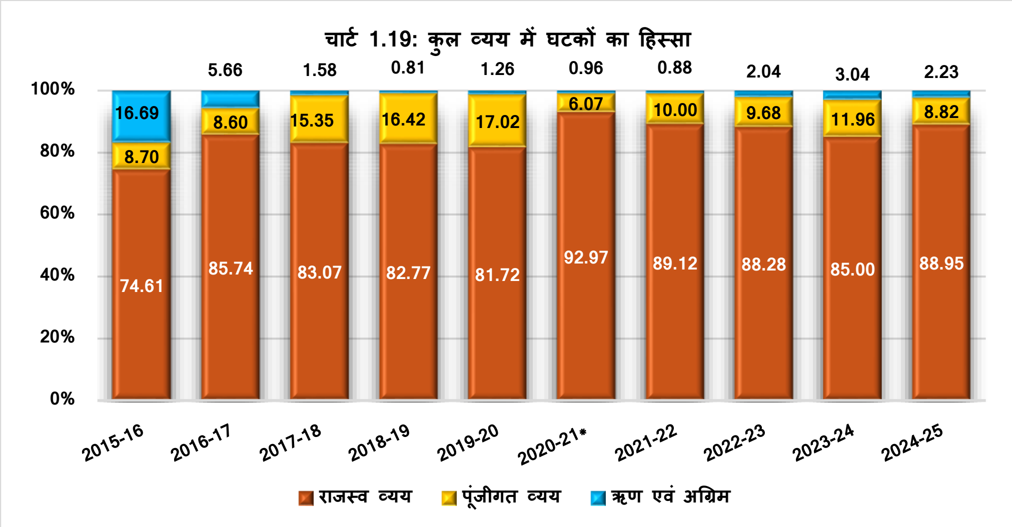


**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

राज्य का कुल व्यय 2015-16 में ₹ 79,394 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,41,490 करोड़ हो गया, जो निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। दस वर्षों की इस अवधि के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा प्रमुख रहा, जो 75 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के बीच रहा। राजस्व व्यय का अधिकार अभी भी बना हुआ है, जो प्रशासनिक और प्रतिबद्ध लागतों के एक बड़े हिस्से को दर्शाता है; यह स्थिति राजकोषीय लचीलेपन को सीमित कर सकती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत परिव्यय की बढ़ती हिस्सेदारी परिसंपत्ति निर्माण और अवसंरचना में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का संकेत देती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य द्वारा किए गए ₹ 1,41,490 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 8,295 करोड़[8] का हिस्सा वित्त आयोग अनुदान, एकल नोडल एजेंसी को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं आदि जैसी पास-थ्रू ट्रांजैक्शन से संबंधित था।

## क्षेत्रवार कुल व्यय

व्यय की क्षेत्रवार संरचना ***तालिका 1.16*** में दी गई है और कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा ***चार्ट 1.20*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.16: क्षेत्रवार कुल व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| मानदंड | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य सेवाएं | 35,122 | 38,510 | 42,622 | 46,039 | 50,688 |
| सामाजिक सेवाएं | 39,150 | 46,399 | 47,436 | 48,216 | 54,154 |
| आर्थिक सेवाएं | 21,544 | 24,562 | 28,013 | 34,862 | 33,487 |
| ऋण एवं अग्रिम | 926 | 966 | 2,462 | 4,055 | 3,161 |
| आकस्मिकता निधि का विनियोग | 800 | - | - | - | - |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

8 ₹ 8,295 करोड़ = नई पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान: ₹ 1,865 करोड़ + केंद्र सरकार से सहायता अनुदान: ₹ 6,885 करोड़ - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि: ₹ 455 करोड़।

**चार्ट 1.20: कुल व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा**

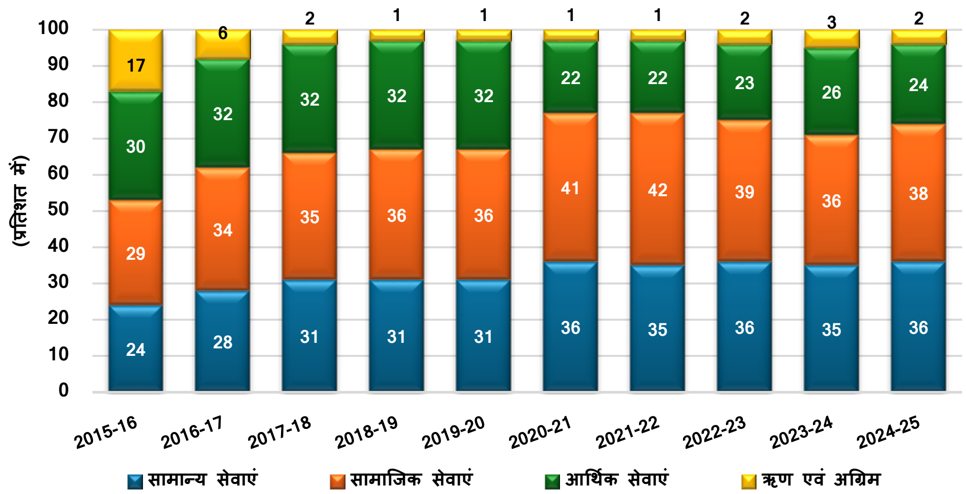


**स्रोत: वित्त लेखे।**

क्षेत्रवार समीक्षा से पता चलता है कि सामाजिक सेवाओं का कुल व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है, जो 2024-25 में लगभग 38 प्रतिशत है, इसके बाद सामान्य सेवाएं (36 प्रतिशत), आर्थिक सेवाएं (24 प्रतिशत) और ऋण एवं अग्रिम (दो प्रतिशत) हैं।

**चार्ट 1.21: सामाजिक सेवाओं पर व्यय की कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अंतर-राज्यीय तुलना (प्रतिशत में)**

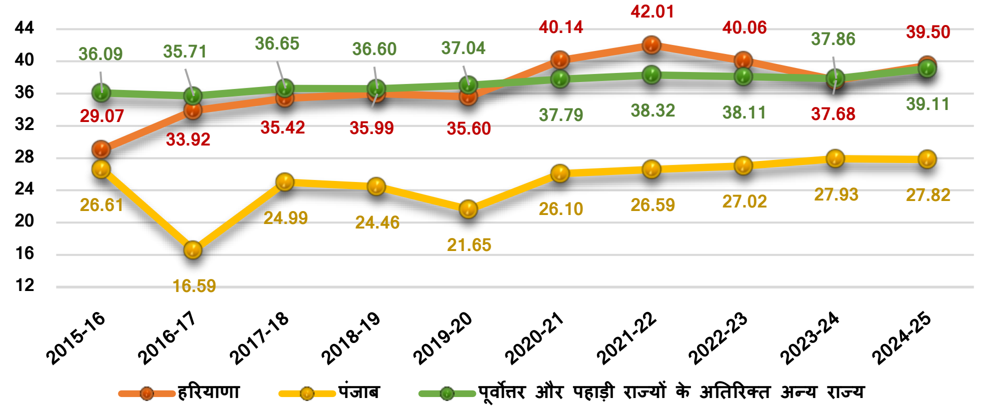


**चार्ट 1.22: आर्थिक सेवाओं पर व्यय की कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अंतर-राज्यीय तुलना (प्रतिशत में)**

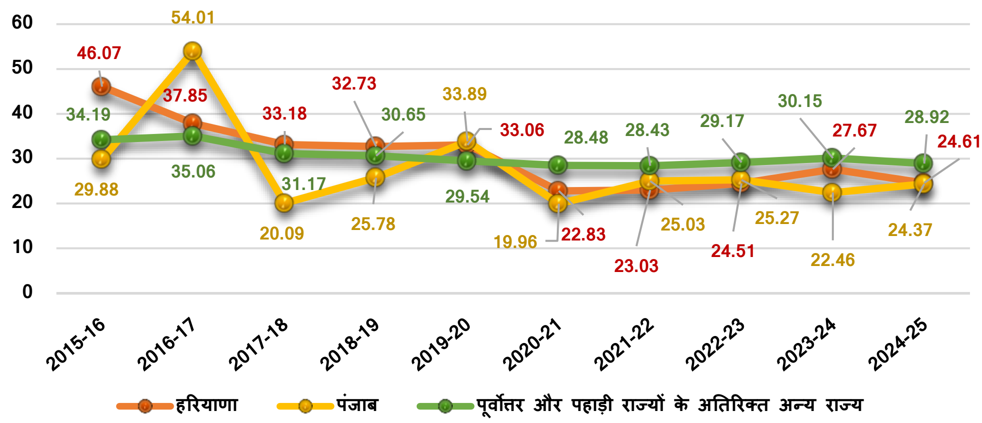

**चार्ट 1.23: सामान्य सेवाओं पर व्यय की कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अंतर-राज्यीय तुलना (प्रतिशत में)**

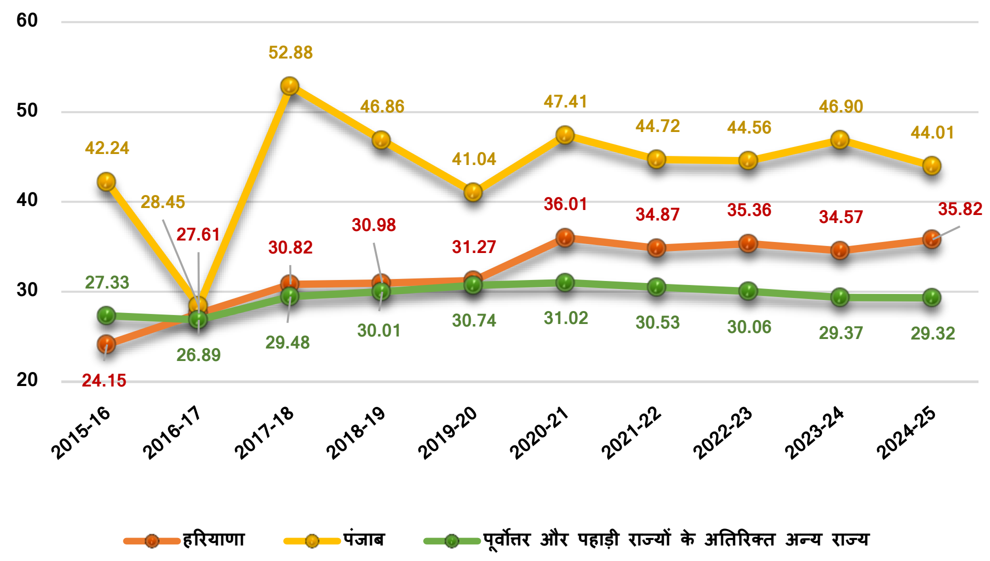


राज्य में व्यय का पैटर्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर खर्च में धीरे-धीरे वृद्धि दर्शाता है, जो कल्याणकारी अभिविन्यास और विकासात्मक फोकस का संकेत है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सामान्य सेवाओं का सतत हिस्सा प्रशासनिक व्यय में स्थिरता को दर्शाता है।

राज्य सरकार प्रशासनिक एवं नियमित व्यय को और तर्कसंगत बनाने तथा सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करते हुए विकास उन्मुख क्षेत्र अर्थात आर्थिक क्षेत्र को प्राथमिकता देकर पूंजीगत परिव्यय को स्थिर करने पर विचार करे।

### *1.2.4.1 राजस्व व्यय*

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय की वृद्धि, कुल व्यय से इसका अनुपात, सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियां ***तालिका 1.17*** में दर्शाई गई हैं।

**तालिका 1.17: राजस्व व्यय - आधारभूत मानदंड**

**(₹ करोड़ में)**

| मानदंड | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| कुल व्यय (टीई) | **97,542**[9] | **1,10,437** | **1,20,533** | **1,33,172** | **1,41,490** |
| राजस्व व्यय (संशोधित अनुमान) | 89,946 | 98,425 | 1,06,406 | 1,13,196 | 1,25,849 |
| राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय | 133.13 | 126.04 | 119.30 | 111.73 | 118.25 |
| कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय | 92.21 | 89.12 | 88.28 | 85.00 | 88.95 |
| राजस्व व्यय/जीएसडीपी (प्रतिशत) | 12.31 | 11.22 | 10.92 | 10.43 | 10.37 |
| **वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में)** | | | | | |
| राजस्व व्यय | 6.01 | 9.43 | 8.11 | 6.38 | 11.18 |
| जीएसडीपी वृद्धि | (-) 1.03 | 20.10 | 11.11 | 11.36 | 11.83 |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

9 इसमें ₹ 800 करोड़ की आकस्मिक निधि का विनियोग शामिल है।

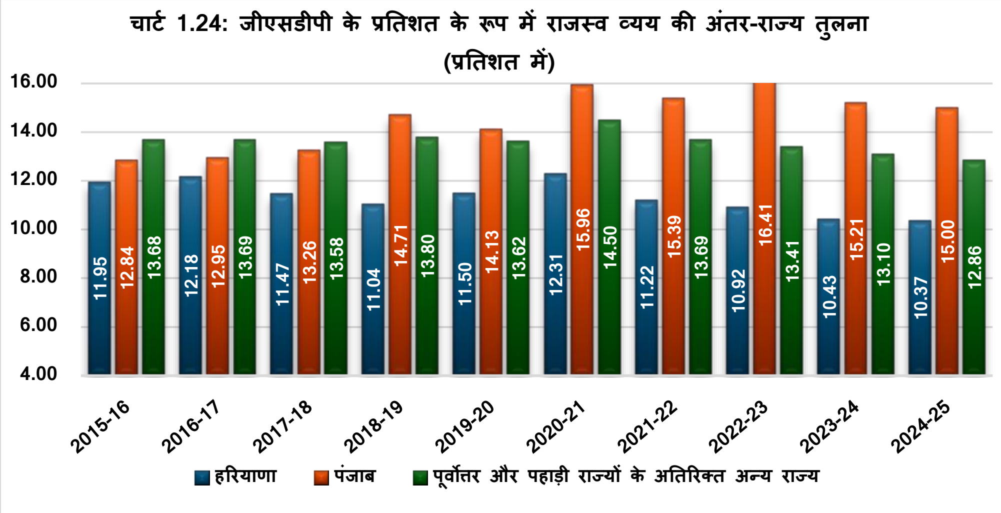


## क. क्षेत्रवार राजस्व व्यय

राजस्व व्यय की क्षेत्रवार संरचना ***तालिका 1.18*** में दी गई है और राजस्व व्यय में विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्ष हिस्सेदारी ***चार्ट 1.25*** में दर्शाई गई है। विस्तृत क्षेत्रवार व्यय ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

**तालिका 1.18: क्षेत्रवार राजस्व व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| मानदंड | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य सेवाएं | 34,734 | 37,948 | 42,069 | 45,398 | 50,060 |
| सामाजिक सेवाएं | 36,164 | 40,928 | 43,680 | 43,778 | 49,335 |
| आर्थिक सेवाएं | 19,048 | 19,549 | 20,657 | 24,020 | 26,454 |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

राज्य के राजस्व व्यय में निरंतर वृद्धि देखी गई, जो 2020-21 में ₹ 89,946 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 1,25,849 करोड़ हो गया है। इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत लगातार सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं की ओर निर्देशित किया जा रहा है।

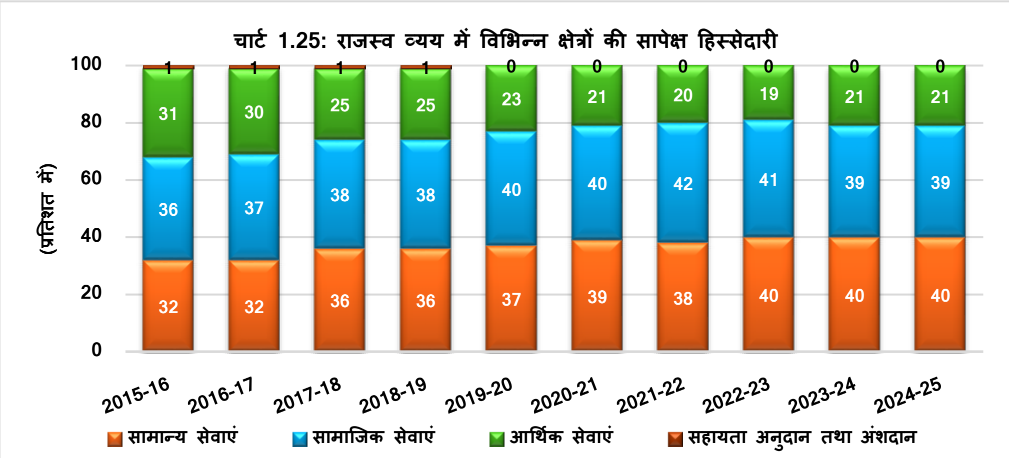


**स्रोत: वित्त लेखे।**

2024-25 में कुल राजस्व व्यय का लगभग 40 प्रतिशत सामान्य सेवाओं, लगभग 39 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं और लगभग 21 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं पर खर्च किया गया। यह दर्शाता है कि राज्य के खर्च का एक बड़ा हिस्सा परिचालन लागत, वेतन, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण योजनाओं में उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, राजस्व व्यय में होने वाली वार्षिक

वृद्धि की दर राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम रही है, लेकिन कुल व्यय में इसकी 75 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के बीच की निरंतर उच्च हिस्सेदारी यह संकेत देती है कि पूंजीगत निवेश और विकास-केंद्रित खर्च के लिए वित्तीय संभावना सीमित है। यद्यपि यह दृष्टिकोण कल्याणकारी और सामाजिक कार्यक्रमों का समर्थन करने में मदद करता है, लेकिन आगामी वर्षों में आर्थिक सेवाओं पर खर्च बढ़ाने से विकास में सुधार और लंबे समय में राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है।

## ख. प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इनका प्रथम प्रभार होता है। ये वे अनिवार्य लागतें हैं जिन्हें राज्य को हर वर्ष चुकाना ही पड़ता है, जिससे नए विकास कार्यों के लिए राजकोषीय लचीलापन सीमित हो जाता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटक ***तालिका 1.19*** में दिए गए हैं, तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और अन्य व्यय के लिए उपलब्ध शेष राजकोषीय स्थान को ***चार्ट 1.26*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक**

**(₹ करोड़ में)**

| प्रतिबद्ध व्यय के घटक | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| वेतन और मजदूरी | 22,595 | 24,236 | 26,409 | 27,878 | 30,423[10] |
| पेंशन पर व्यय | 9,713 | 10,617 | 12,404 | 13,497 | 14,561 |
| ब्याज भुगतान | 17,115 | 18,362 | 20,096 | 21,605 | 24,219 |
| **कुल** | **49,423** | **53,215** | **58,908** | **62,980** | **69,203** |
| **राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय** | **54.95** | **54.07** | **55.36** | **55.64** | **54.99** |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, राज्य का प्रतिबद्ध व्यय ₹ 49,423 करोड़ से बढ़कर (40 प्रतिशत) ₹ 69,203 करोड़ हो गया। कुल राजस्व व्यय के हिस्से के रूप में, इन वर्षों में यह 54 से 56 प्रतिशत के बीच उच्च बना रहा। इसका अर्थ यह है कि राज्य के राजस्व व्यय का आधे से अधिक निश्चित दायित्वों जैसे वेतन, पेंशन और ऋण के ब्याज पर जाता है।

**चार्ट 1.26: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और शेष राजकोषीय स्थान**

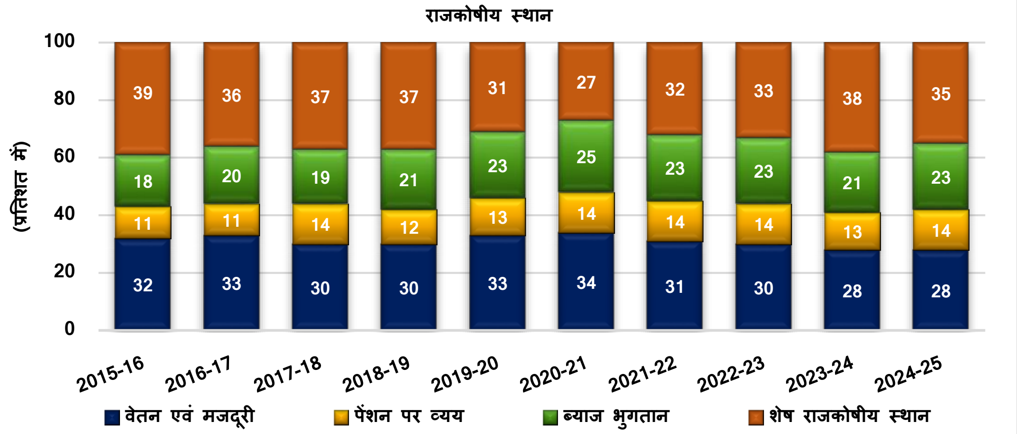


**स्रोत: वित्त लेखे।**

---

10 इसमें ₹ 736 करोड़ की मजदूरी शामिल है।

घटकों में, वेतन और मजदूरी की हिस्सेदारी सबसे अधिक है (2024-25 में राजस्व प्राप्तियों का लगभग 28 प्रतिशत), इसके बाद ब्याज भुगतान (23 प्रतिशत) और पेंशन (14 प्रतिशत) का स्थान है। इन खर्चों में लगातार वृद्धि कल्याणकारी योजनाओं, पूंजीगत परियोजनाओं और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध निधियों को कम करती है। राज्य सरकार को विकास से संबंधित व्यय में वृद्धि के लिए निधियों को जारी करने के लिए व्यय प्रबंधन, कर्मचारियों की लागत को तर्कसंगत बनाने और ऋण सेवा व्यय में सुधार की आवश्यकता है।

## ग. सब्सिडी

सब्सिडी पर खर्च एक अन्य क्षेत्र है जो राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा है। यद्यपि यह वेतन या पेंशन की तुलना में पैमाने में छोटा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सब्सिडी बढ़ी है और इसने राज्य के बजट पर दबाव डाला है। चालू वर्ष के दौरान सब्सिडी में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 921 करोड़ (8.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के तहत दी गई सब्सिडी में ₹ 1,066 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई (यह सब्सिडी मुख्य रूप से 2024-25 में नई योजनाओं के लिए प्रदान की गई अर्थात् राष्ट्रीय किसान विकास योजना (आरकेवीवाई) के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के लिए ₹ 124 करोड़ और हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के लिए ₹ 1,365 करोड़; जो कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी में ₹ 22 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में ₹ चार करोड़, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन में ₹ 66 करोड़ और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ₹ 22 करोड़ की कमी के कारण आंशिक रूप से संतुलित हो गई थी)।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए विभाग-वार प्रमुख सब्सिडी ***तालिका 1.20*** में दर्शाई गई हैं।

**तालिका 1.20: वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान विभाग-वार सब्सिडी**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | विभाग | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विद्युत | 5,783 | 7,108 | 7,066 | 7,947 | 7,795 |
| 2 | कृषि एवं किसान सशक्तिकरण | 1,198 | 1,524 | 1,419 | 1,286 | 2,352 |
| 3 | खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण | 488 | 676 | 372 | 901 | 807 |
| 4 | अन्य विभाग[11] | 181 | 227 | 503 | 584 | 685 |
| **कुल सब्सिडी** | | **7,650** | **9,535** | **9,360** | **10,718** | **11,639** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

[11] अन्य विभागों में (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, (ii) सामाजिक कल्याण और पोषण, (iii) परिवहन (iv) उद्योग एवं खनिज और (v) सहकारिता शामिल हैं।

चार्ट 1.27: सब्सिडी का प्रवृत्ति विश्लेषण

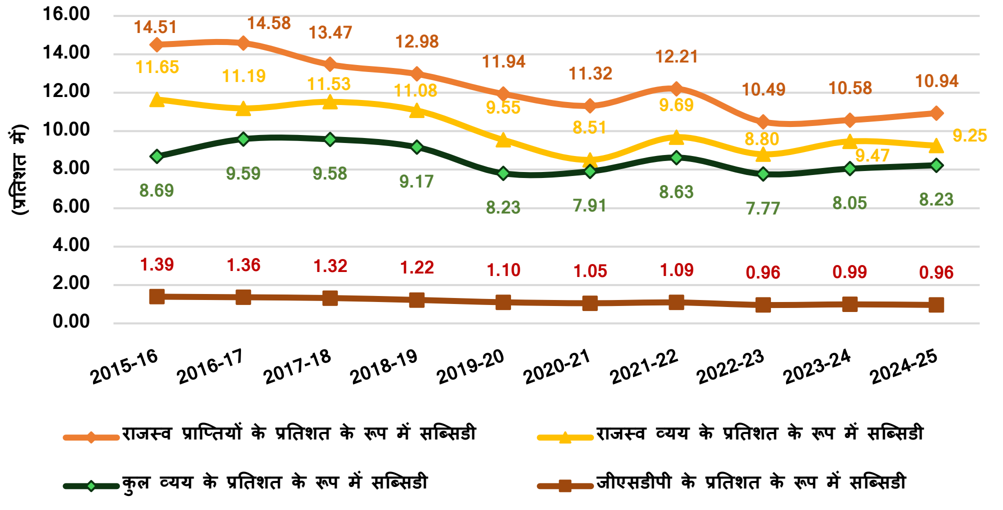


राज्य की कुल सब्सिडी 2020-21 में ₹ 7,650 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 11,639 करोड़ हो गई है, जो काफी हद तक एक स्थिर वृद्धि प्रवृत्ति दर्शाती है, जो इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 10.94 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.25 प्रतिशत और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में लगभग एक प्रतिशत थी। 2024-25 के दौरान, सब्सिडी पूंजीगत व्यय का 74.41 प्रतिशत थी। 2024-25 के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए ₹ 7,795 करोड़ (कुल सब्सिडी का 66.97 प्रतिशत) की राशि दी गई, जिसमें से ₹ 5,941 करोड़ (76 प्रतिशत) की सब्सिडी ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित थी, राज्य में कुसुम योजना के तहत सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना के लिए ₹ 1,258 करोड़ (16 प्रतिशत) और उपभोक्ताओं से ईंधन प्रभार समायोजन (एफएसए) न लेने के लिए ₹ 589 करोड़ की सब्सिडी थी। 2024-25 में कृषि क्षेत्र में सब्सिडी कुल सब्सिडी का 20 प्रतिशत थी, जबकि 2023-24 में यह 12 प्रतिशत थी। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण क्षेत्र में 2024-25 में सब्सिडी कुल सब्सिडी का सात प्रतिशत थी, जबकि 2023-24 में यह आठ प्रतिशत थी। बिजली क्षेत्र अभी भी सबसे बड़ा सब्सिडी उपभोक्ता बना हुआ है, हालांकि, कुल सब्सिडी में इसका सापेक्ष हिस्सा 2023-24 में 74 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 67 प्रतिशत हो गया है। सब्सिडी व्यय में वृद्धि महत्वपूर्ण विकास खर्चों को सीमित कर सकती है और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक बजटीय संसाधनों पर दबाव डाल सकती है।

राज्य सरकार योजनाओं की समय-समय पर सब्सिडी समीक्षा करके और पारदर्शिता में सुधार करने और राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की संभावना तलाशकर विकास व्यय के लिए आवश्यक संसाधनों पर दबाव डालने वाली अत्यधिक सब्सिडी को तर्कसंगत बना सकती है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

## घ. स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई सहायता ***तालिका 1.21*** में प्रस्तुत की गई है।

**तालिका 1.21: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता**

**(₹ करोड़ में)**

| संस्थान | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| **(क) स्थानीय निकाय** | | | | | |
| नगर निगम और नगरपालिकाएं | 2,766.64 | 3,472.10 | 2,542.27 | 2,491.07 | 4,297.84 |
| **नगर निगमों और नगरपालिकाओं को पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान** | 2,188.41 | 2,482.22 | 2,112.81 | 1,492.13 | 1,981.90 |
| जिला परिषद और अन्य पंचायती राज संस्थान | 3,235.92 | 954.97 | 1,357.53 | 3,062.72 | 3,644.23 |
| **पंचायती राज संस्थाओं को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान** | 3,104.81 | 868.35 | 854.06 | 1,919.33 | 2,578.88 |
| **कुल (क)** | **6,002.56** | **4,427.07** | **3,899.80** | **5,553.79** | **7,942.07** |
| **(ख) अन्य** | | | | | |
| शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आदि) | 2,468.29 | 2,632.82 | 2,706.57 | 1,739.15 | 1,623.12 |
| विकास प्राधिकरण | 1,104.22 | 1,072.47 | 802.91 | 483.50 | 273.59 |
| अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान | 2,107.65 | 1,686.01 | 2,542.95 | 2,101.95 | 2,678.74 |
| अन्य संस्थान | 1,329.75 | 2,627.44 | 1,721.24 | 2,260.70 | 838.27 |
| **कुल (ख)** | **7,009.91** | **8,018.74** | **7,773.67** | **6,585.30** | **5,413.72** |
| **कुल (क+ख)** | **13,012.47** | **12,445.81** | **11,673.47** | **12,139.09** | **13,355.79** |
| **पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए कुल सहायता अनुदान** | 5,709.07 | 4,145.71 | 3,780.18 | 4,499.30 | 5,230.10 |
| राजस्व व्यय | 89,946.60 | 98,425.03 | 1,06,406.21 | 1,13,195.69 | 1,25,849.29 |
| राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता | 14.47 | 12.64 | 10.97 | 10.72 | 10.61 |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,216.70 करोड़ (10.02 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से नगर निगमों और नगरपालिकाओं (₹ 1,806.77 करोड़; 72.53 प्रतिशत) तथा पंचायती राज संस्थानों (₹ 581.81 करोड़; 18.99 प्रतिशत) को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि के कारण हुई। शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों तथा अन्य धर्मार्थ संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण बनी रही, हालांकि पिछले वर्षों में इसमें उतार-चढ़ाव देखा गया।

चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की कुल मात्रा, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष के 10.72 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 10.61 प्रतिशत रह गई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने और स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की (19 फरवरी 2026)।

## राज्य वित्त आयोग

राज्य सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए छठे राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन किया। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य के अपने निवल कर राजस्व का सात प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को 55:45 के अनुपात (पंचायती राज संस्थाओं के लिए 55 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 45 प्रतिशत) में अंतरित किया जाना था।

वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में ₹ 3,816 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 1,981.16 करोड़ (सामान्य घटक के लिए ₹ 1,482.23 करोड़ और अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹ 498.93 करोड़) की राशि वितरित की गई, जो कुल बजट प्रावधान का 51.92 प्रतिशत और ₹ 3,000.79 करोड़ (राज्य के स्व-कर राजस्व का 3.85 प्रतिशत) की अनुशंसित राशि के विरूद्ध राज्य के स्व-कर राजस्व का 2.54 प्रतिशत थी।

2024-25 में, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को ₹ 3,122 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹ 2,536.49 करोड़ (₹ 1,986.49 करोड़ सामान्य घटक और ₹ 550 करोड़ अनुसूचित जाति घटक) प्राप्त हुए। यह कुल बजट प्रावधान का 81.25 प्रतिशत था और राज्य के स्व-कर राजस्व का 3.25 प्रतिशत था, जबकि इसके लिए ₹ 2,455.20 करोड़ (राज्य के स्व-कर राजस्व का 3.15 प्रतिशत) की सिफारिश की गई थी।

### 1.2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण के अधिग्रहण पर होने वाला व्यय, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) तथा अन्य पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। राज्य में पिछले 10 वर्षों, अर्थात 2015-25 के दौरान पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां ***चार्ट 1.28*** में दी गई हैं।

**चार्ट 1.28: राज्य में पूंजीगत व्यय**

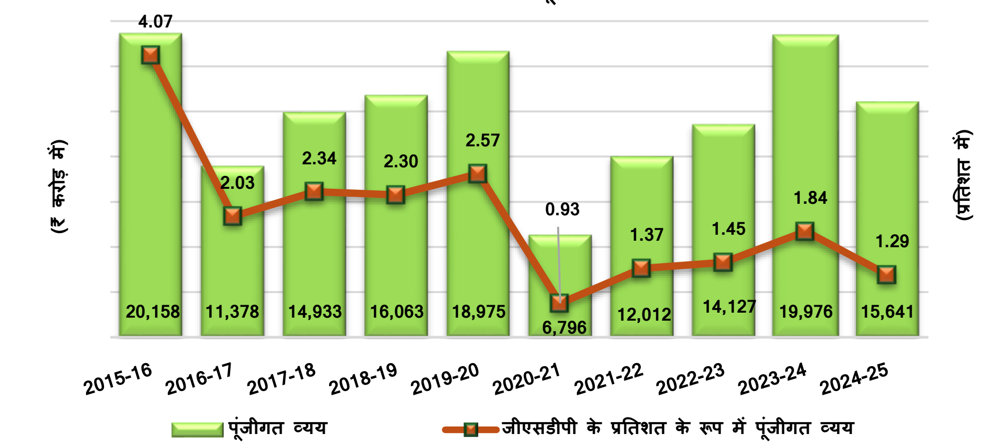


**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और वार्षिक वित्तीय विवरण।**

राज्य के पूंजीगत व्यय में 10 वर्षों की अवधि के दौरान वर्ष-दर-वर्ष बदलाव देखे गए। यह 2015-16 में ₹ 20,158 करोड़ से घटकर 2020-21 में ₹ 6,796 करोड़ रह गया, जिसमें वार्षिक उतार-चढ़ाव शामिल थे। 2020-21 से 2023-24 तक इसमें लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, लेकिन यह 2023-24 में ₹ 19,976 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 15,641 करोड़ पर आ गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी पूंजीगत व्यय में इसी तरह की प्रवृत्ति दिखाई दी; यह 2015-16 में 4.07 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 0.93 प्रतिशत रह गया, जो 2023-24 में लगातार बढ़कर 1.84 प्रतिशत तक पहुंच गया और 2024-25 में फिर से घटकर 1.29 प्रतिशत रह गया। 2024-25 के दौरान इस गिरावट का मुख्य कारण खाद्य भंडार और भंडारण के तहत पूंजीगत लेखे में होने वाली अधिक वसूली थी, जो 2023-24 में ₹ 9,951 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 13,804 करोड़ हो गई।

पूंजीगत व्यय कुल ऋण का 17.67 प्रतिशत था, जो यह दर्शाता है कि ऋणों को आनुपातिक रूप से अवसंरचना विकास में परिवर्तित नहीं किया गया था।

यह दर्शाता है कि हालांकि राज्य ने परिसंपत्ति निर्माण और अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि नहीं हुई है, विशेष रूप से कोविड के बाद के वर्षों में।

₹ 15,641 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 5,230.10 करोड़ भी अंतरित किए।

चार्ट 1.29: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की अंतर-राज्य तुलना (प्रतिशत में)

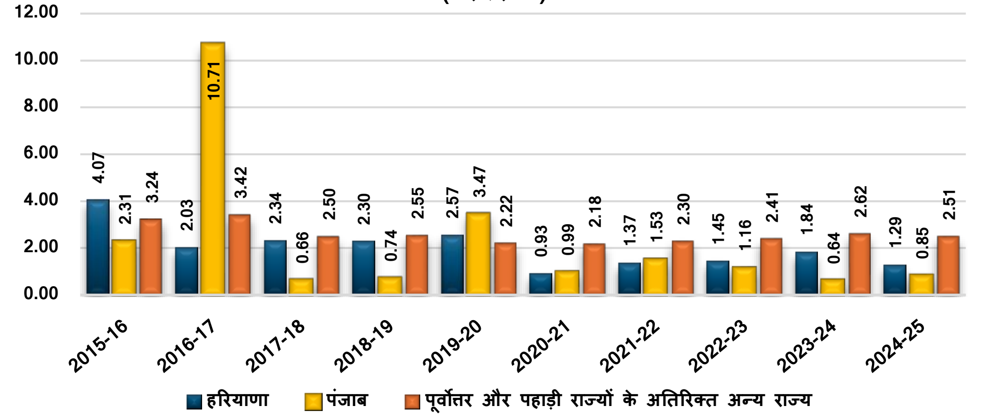


## क क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय की क्षेत्रवार संरचना ***तालिका 1.22*** में दी गई है। विस्तृत क्षेत्रवार व्यय ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

**तालिका 1.22: क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| मानदंड | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य सेवाएं | 388 | 562 | 553 | 641 | 628 |
| सामाजिक सेवाएं | 2,986 | 5,471 | 3,756 | 4,438 | 4,819 |
| आर्थिक सेवाएं | 2,496 | 5,013 | 7,356 | 10,842 | 7,033 |
| ऋण एवं अग्रिम | 926 | 966 | 2,462 | 4,055 | 3,161 |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

चार्ट 1.30: पूंजीगत व्यय में विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा

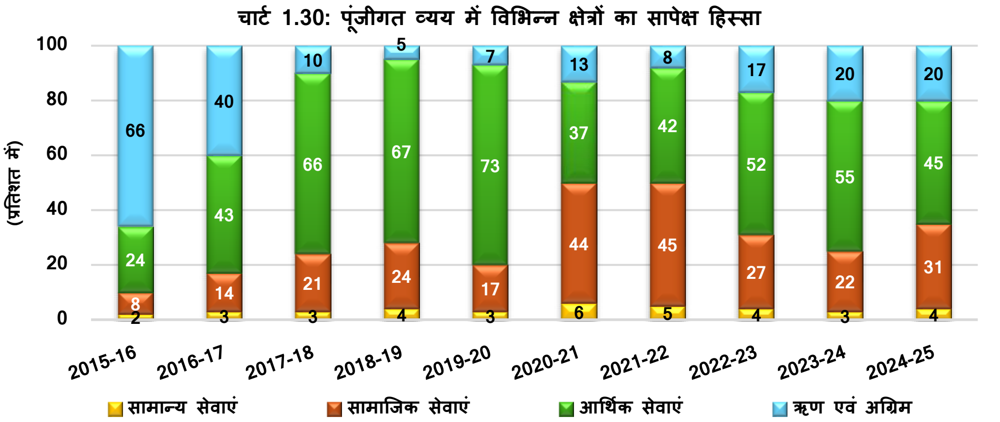


**स्रोत: वित्त लेखे।**

राज्य का पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवा क्षेत्रों में केंद्रित रहा है। सामूहिक रूप से, इन दोनों क्षेत्रों का हिस्सा 2015-16 और 2019-20 के दौरान कुल व्यय का 32 से 91 प्रतिशत था, जबकि 2020-21 से 2024-25 के दौरान यह कुल पूंजीगत व्यय का 76 से 87 प्रतिशत के बीच रहा। सामाजिक सेवाओं में सर्वाधिक व्यय शिक्षा, खेल, कला

एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य तथा जल आपूर्ति और स्वच्छता पर किया गया। आर्थिक सेवाओं में अधिकतम व्यय मुख्य और मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं तथा सड़कों एवं पुलों पर किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान, आर्थिक सेवाओं के तहत पूंजीगत व्यय का हिस्सा सबसे अधिक 45 प्रतिशत रहा, इसके बाद सामाजिक सेवाएं (31 प्रतिशत) और ऋण एवं अग्रिम (20 प्रतिशत) रहे, जबकि सामान्य सेवाओं का हिस्सा लगभग 4 प्रतिशत के छोटे से भाग के रूप में रहा।

## ख कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

31 मार्च 2025 तक, कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 38,306.53 करोड़ था, जिसमें सरकारी कंपनियां (₹ 37,273.13 करोड़), सहकारी समितियां (₹ 826.19 करोड़), वैधानिक निगम (₹ 204.93 करोड़), अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां (₹ 1.75 करोड़) और ग्रामीण बैंक (₹ 0.53 करोड़) शामिल थे।

वर्ष के अंत में कंपनियों, निगमों और सहकारी बैंकों और समितियों में निवेश की प्रवृत्ति और इस निवेश पर रिटर्न को ***चार्ट 1.31*** में दर्शाया गया है। सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर की तुलना में किए गए निवेश[12] पर रिटर्न की दर को ***चार्ट 1.32*** में दर्शाया गया है।

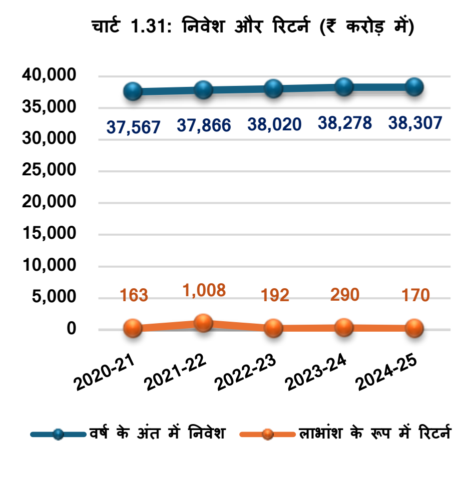


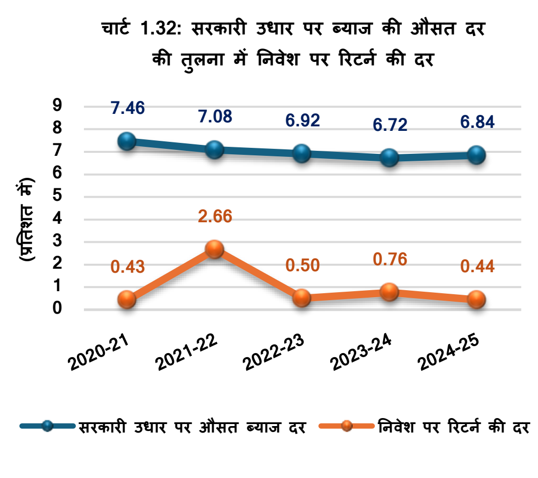


**तालिका 1.23: निवेश पर रिटर्न**

| निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में) | 37,566.55 | 37,865.68 | 38,020.05 | 38,278.21 | 38,306.53 |
| निवेश पर रिटर्न (₹ करोड़ में)* | 163.14 | 1,007.59 | 192.00 | 289.79 | 169.96 |
| निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत)* | 0.43 | 2.66 | 0.50 | 0.76 | 0.44 |
| सरकारी उधारी पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)$ | 7.46 | 7.08 | 6.92 | 6.72 | 6.84 |
| ब्याज दर और रिटर्न के बीच का अंतर (प्रतिशत में) | (-) 7.03 | (-) 4.42 | (-) 6.42 | (-) 5.96 | (-) 6.40 |
| सरकारी उधारी पर ब्याज और निवेश पर रिटर्न के बीच का अंतर (₹ करोड़ में)# | **(-) 2,640.93** | **(-) 1,673.66** | **(-) 2,440.89** | **(-) 2,281.38** | **(-) 2,451.62** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे (विवरण संख्या 19)।**

*** ऐतिहासिक लागत पर।**

**# (वर्ष के अंत में निवेश * ब्याज दर और रिटर्न के बीच का अंतर)/100**

***$ प्रभावी ब्याज दर = ब्याज भुगतान/[(ऋण का प्रारंभिक शेष + ऋण का अंतिम शेष) / 2] * 100।ऋण के प्रारंभिक और अंतिम शेष में गैर-ब्याज वाले ऋण, आरक्षित निधि और जमा राशियों को छोड़कर।***

12 निवेश पर रिटर्न की दर = वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/{निवेश का प्रारंभिक शेष + निवेश का अंतिम शेष)/2}*100

2024-25 के दौरान, निवेश पर रिटर्न ₹ 169.96 करोड़[13] (0.44 प्रतिशत) था (यह ऐतिहासिक लागत पर आधारित है, न कि निवल वर्तमान मूल्य के आधार पर)। 2020-25 की अवधि के दौरान यह रिटर्न केवल 0.43 प्रतिशत और 0.76 प्रतिशत के बीच था, 2021-22 के वर्ष को छोड़कर जब यह रिटर्न 2.66 प्रतिशत था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने उधार पर भुगतान की गई ब्याज की औसत दर 6.72 प्रतिशत और 7.46 प्रतिशत के बीच थी। पिछले पांच वर्षों में, सरकारी उधार की लागत और निवेश पर रिटर्न के बीच का अंतर लगभग ₹ 2,297.70 करोड़ था।

यह देखा गया कि 2024-25 तक 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में ₹ 37,273.13 करोड़ का निवेश किया गया था। इन 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[14] ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 159.60 करोड़ का रिटर्न दिया जो कुल निवेश का केवल 0.43 प्रतिशत था। हालांकि, सरकार ने 6.84 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर निधियां उधार ली।

यह बड़ा अंतर सार्वजनिक निधियों के अकुशल उपयोग को इंगित करता है, क्योंकि राज्य अपने निवेश पर उस राशि की तुलना में बहुत कम कमा रहा है जो वह ऋणों पर ब्याज के रूप में भुगतान कर रहा है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने और स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

### ***लाभांश की प्राप्ति न होने से राजस्व छोड़ा गया***

वर्तमान नीति (अक्तूबर 2003) के अनुसार, राज्य सरकार अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी पर न्यूनतम चार प्रतिशत के रिटर्न की अपेक्षा करती है। प्राप्त हुए नवीनतम अंतिम लेखों (सितंबर 2025) के अनुसार, 13 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 14[15] वार्षिक लेखों के संबंध में ₹ 833.94 करोड़ का लाभ दर्ज किया, लेकिन आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने लाभांश देने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित किया। इन आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल दो[16] कंपनियों ने नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान किया।

पर्याप्त लाभ अर्जित करने वाले आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कुल ₹ 170.07 करोड़ के पात्र लाभांश के विरूद्ध, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केवल ₹ 2.06 करोड़ प्राप्त हुए। शेष छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 168.01 करोड़ का पात्र लाभांश घोषित नहीं किया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लाभांश के रूप में ₹ 168.01 करोड़ की राशि प्राप्त की जा सकती थी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभांश नीति का अनुपालन करें।

---

13 सरकारी कंपनियां (₹ 159.60 करोड़); सांविधिक निगम (₹ 2.36 करोड़); और सहकारी बैंक और समितियां (₹ आठ करोड़)।

14 (i) हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पंचकुला: ₹ 152 करोड़, (ii) हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़: ₹ 0.91 करोड़, (iii) हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़: ₹ 6.66 करोड़ और (iv) हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड: ₹ 0.03 करोड़।

15 दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वर्ष 2024-25 के दौरान दो वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए, अर्थात 2023-24 और 2024-25.

16 हरियाणा राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ दो करोड़) और हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 0.06 करोड़)।

## उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय कायाकल्प के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) शुरू की (नवंबर 2015)। यह डिस्कॉम को किफायती दरों पर पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम बनाकर उन्हें वित्तीय और परिचालन रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज था। विद्युत मंत्रालय, हरियाणा सरकार और राज्य राज्य की वितरण कंपनियों {अर्थात उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल)} के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे (मार्च 2016)। उदय योजना और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार, हरियाणा में 30 सितंबर 2015 तक दोनों डिस्कॉम से संबंधित ₹ 34,600 करोड़ के कुल ऋण में से, हरियाणा सरकार ने कुल ऋण का 75 प्रतिशत अर्थात ₹ 25,950 करोड़ अपने ऊपर ले लिया। उदय योजना के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई थी जैसा कि ***तालिका 1.24*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.24: उदय योजना का कार्यान्वयन**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | लिया जाने वाला कुल ऋण | डिस्कॉम को अनुदान के रूप में अंतरण | डिस्कॉम को ऋण के रूप में अंतरण | डिस्कॉम को इक्विटी के रूप में अंतरण |
|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 17,300 | 3,892.50 | 12,110 | 1,297.50 |
| 2016-17 | 8,650 | 3,892.50 | 3,460 | 1,297.50 |
| **कुल (क)** | **25,950** | **7,785.00** | **15,570** | **2,595.00** |
| **₹ 34,600 करोड़ के कुल ऋण का प्रतिशत** | **75 प्रतिशत** | **22.50 प्रतिशत** | **45 प्रतिशत** | **7.5 प्रतिशत** |

समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को ₹ 7,785 करोड़ का अनुदान (₹ 3,892.50 करोड़ प्रति वर्ष), ₹ 2,595 करोड़ की इक्विटी (₹ 1,297.50 करोड़ प्रति वर्ष) और शेष ₹ 15,570 करोड़ ऋण के रूप में प्रदान किए। ₹ 15,570 करोड़ के इस ऋण को 2017-18 से 2019-20 के दौरान ₹ 11,677.50 करोड़ (75 प्रतिशत) के अनुदान और ₹ 3,892.50 करोड़ (25 प्रतिशत) की इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था। हालांकि, राज्य सरकार ने कुल ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया, जो कि योजना के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था, जैसा कि ***तालिका 1.25*** में दिया गया है।

**तालिका 1.25: हरियाणा राज्य में उदय योजना का कार्यान्वयन**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | कुल | अनुदान | ऋण | इक्विटी |
|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 17,300.00 | 3,892.50 | 12,110.00 | 1,297.50 |
| 2016-17 | 8,650.00 | 3,892.50 | 3,460.00 | 1,297.50 |
| **कुल** | **25,950.00** | **7,785.00** | **15,570.00** | **2,595.00** |
| 2017-18 | - | | (-) 5,190.00 | 5,190.00 |
| 2018-19 | - | (-) 7,785.00 | (-) 5,190.00 | 12,975.00 |
| 2019-20 | - | | (-) 5,190.00 | 5,190.00 |
| **कुल (31 मार्च 2020 तक)** | | | | **25,950.00** |

## उदय योजना के कार्यान्वयन के बाद दो डिस्कॉम के वित्तीय परिणाम

31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार ने राज्य डिस्कॉम में ₹ 28,695.14 करोड़ (यूएचबीवीएनएल: ₹ 15,231.33 करोड़ और डीएचबीवीएनएल: ₹ 13,463.81 करोड़) का निवेश किया था। पिछले दस वर्षों के दौरान दोनों डिस्कॉम द्वारा अर्जित किए गए लाभ/उठाई गई हानि को ***तालिका 1.26*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.26: पिछले दस वर्षों के दौरान यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल द्वारा अर्जित किया गया लाभ/उठाई गई हानि**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | यूएचबीवीएनएल | | | | | डीएचबीवीएनएल | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राजस्व | व्यय | लाभ/हानि (परिचालन) | विशिष्ट मदें | लाभ/हानि (कुल) | राजस्व | व्यय | लाभ/हानि (परिचालन) | विशिष्ट मदें | लाभ/हानि (कुल) |
| 2015-16 | 12,429.87 | 12,766.24 | (-) 336.37 | 0.00 | (-) 336.37 | 15,170.03 | 15,642.95 | (-) 472.92 | 1.34 | (-) 471.58 |
| 2016-17 | 12,894.64 | 13,099.65 | (-) 205.01 | 0.00 | (-) 205.01 | 15,628.57 | 15,445.66 | 182.91 | 170.96 | 11.95 |
| 2017-18 | 13,932.35 | 13,654.12 | 278.23 | 0.00 | 278.23 | 16,912.33 | 16,778.21 | 134.12 | 0.00 | 134.12 |
| 2018-19 | 14,484.90 | 14,299.19 | 185.71 | 0.00 | 185.71 | 18,338.45 | 18,243.22 | 95.23 | 0.00 | 95.23 |
| 2019-20 | 13,855.65 | 13,637.93 | 217.72 | 0.00 | 217.72 | 17,776.41 | 17,662.79 | 113.62 | 0.00 | 113.62 |
| 2020-21 | 12,572.50 | 12,175.43 | 397.07 | 0.00 | 397.07 | 16,102.15 | 15,862.54 | 239.61 | 0.00 | 239.61 |
| 2021-22 | 14,173.24 | 13,503.20 | 670.04 | 592.26 | 77.78 | 18,574.43 | 18,395.46 | 178.97 | 6.29 | 185.26 |
| 2022-23 | 18,405.73 | 18,141.98 | 263.75 | 152.50 | 111.25 | 25,475.90 | 24,764.78 | 711.12 | (-) 583.94 | 127.18 |
| 2023-24 | 17,091.17 | 17,382.48 | (-) 291.31 | 332.70 | 41.39 | 24,325.00 | 24,781.69 | (-) 456.69 | 579.95 | 123.26 |
| 2024-25 | 19,363.25 | 20,510.00 | (-) 1,146.75 | 1,213.92 | 67.17 | 26,859.51 | 28,143.42 | (-) 1,283.91 | 1,302.49 | 18.58 |

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि डिस्कॉम्स, जो 2015-16 और 2016-17 में घाटा उठा रहे थे, उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा ₹ 15,570 करोड़ के ऋण को इक्विटी में बदलने और इसके परिणामस्वरूप वित्त लागत में कमी आने के बाद लाभ अर्जित करने लगे।

राज्य सरकार ने 2021-22 से ₹ 19,030 करोड़ के मूलधन के रूप में पावर बॉन्ड के पुनर्भुगतान का बोझ उठाया है। 31 मार्च 2025 तक, पुनर्भुगतान के लिए शेष उदय बॉन्ड की राशि ₹ 6,920 करोड़ थी।

कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां जो वित्तीय वर्ष 2015-16 (अर्थात उदय योजना से पहले) में यूएचबीवीएन में 34.17 प्रतिशत और डीएचबीवीएन में 25.22 प्रतिशत थी, वे उदय योजना के कार्यान्वयन के बाद 2018-19 में घटकर क्रमशः 14.86 प्रतिशत और 21.12 प्रतिशत रह गई।

केंद्रीय योजनाओं और राज्य स्तरीय पहलों (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए म्हारा गांव जगमग गांव और शहरी क्षेत्रों के लिए हानि न्यूनीकरण योजना) के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य डिस्कॉम्स वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को 10.45 प्रतिशत (डीएचबीवीएनएल) और 10 प्रतिशत (यूएचबीवीएनएल) के लक्ष्य के विरूद्ध क्रमशः 10.26 प्रतिशत (डीएचबीवीएनएल) और 9.33 प्रतिशत (यूएचबीवीएनएल) पर लाने में सफल रहे।

राज्य के डिस्कॉम्स को अन्य केंद्रीय योजनाओं जैसे एकीकृत विद्युत वितरण प्रणाली (आईपीडीएस) योजना[17] (2014 से 2022 तक कार्यान्वित) और जुलाई 2021 में शुरू की गई पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना[18] (आरडीएसएस) से भी लाभ हुआ, जो 2021-22 से 2025-26 तक चलने वाला पांच वर्ष का कार्यक्रम है।

## ग राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, राज्य सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान करती रही है। ***तालिका 1.27*** में 31 मार्च 2025

[17] इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए शहरी क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना था।

[18] इस योजना का उद्देश्य बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करना है।

तक बकाया ऋणों और अग्रिमों की स्थिति और पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपने उधारों पर ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 1.27: 2020-25 के दौरान वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष | 7,390 | 7,884 | 8,350 | 10,574 | 15,203[19] |
| वर्ष के दौरान दी गई राशि | 926 | 966 | 2,462 | 4,055 | 3,161 |
| वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि | 432 | 500 | 238 | 301 | 294 |
| **बकाया ऋणों का अंतिम शेष** | **7,884** | **8,350** | **10,574** | **14,328** | **18,070** |
| निवल वृद्धि | 494 | 466 | 2,224 | 3,754 | 2,867 |
| प्राप्त ब्याज | 92 | 106 | 75 | 182 | 121 |
| सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर | 1.20 | 1.31 | 0.79 | 1.46 | 0.73 |
| सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत) | 7.46 | 7.08 | 6.92 | 6.72 | 6.84 |
| प्राप्त ब्याज दर और भुगतान किए गए ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत) | (-) 6.26 | (-) 5.77 | (-) 6.13 | (-) 5.26 | (-) 6.11 |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की बकाया राशि 2020-21 में ₹ 7,884 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2024-25 में ₹ 18,070 करोड़ हो गई, जो विभिन्न संस्थानों को ऋण वितरण में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण की वसूली बहुत कम रही, जो ₹ 238 करोड़ से ₹ 301 करोड़ के बीच रही, जो वसूली के कमजोर निष्पादन को दर्शाती है।

इन ऋणों पर प्राप्त ब्याज भी 2024-25 में न्यूनतम ₹ 121 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार के लिए लगभग 6.84 प्रतिशत की औसत उधार लागत की तुलना में केवल 0.73 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर थी। इसका अर्थ यह है राज्य ने अपने ऋणों पर ब्याज के रूप में भुगतान की तुलना में बहुत कम अर्जित किया, जिससे 2024-25 में लगभग (-) 6.11 प्रतिशत का ऋणात्मक प्रेषण हुआ। यह सरकार की ऋण/अग्रिम नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बकाया ऋणों एवं अग्रिमों में 18.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शिक्षा विभाग (₹ 927.60 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (₹ 811.20 करोड़), कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों (₹ 837.82 करोड़), सहकारी चीनी मिलों (₹ 290 करोड़) और हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (₹ 197 करोड़) को अधिक ऋण वितरित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को ₹ 290 करोड़ वितरित किए, हालांकि, 2024-25 के दौरान पिछले ऋणों के बदले कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। 2024-25 के अंत में इन सहकारी चीनी मिलों पर ₹ 5,673.26 करोड़ का ऋण बकाया था। सरकार ने इन चीनी मिलों को इस निबंधन और शर्त पर ऋण दिया था कि ऋण का भुगतान पांच वर्षों में समान किश्तों में 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ किया जाएगा। हालांकि, वर्ष 2024-25 के दौरान ऋण के मूलधन की वसूली के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं था, जो इन सहकारी चीनी मिलों से बकाया ऋण की वसूली के लिए राज्य सरकार के अपर्याप्त प्रयासों का सूचक था।

[19] 2022-23 के पूर्व अवधि समायोजन के कारण प्रारंभिक शेष में ₹ 874 करोड़ की वृद्धि हुई।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने पड़ोसी राज्यों की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

ऋण से संबंधित विभिन्न मुख्य शीर्षों के तहत विभिन्न विश्वविद्यालयों (अनुदानग्राही) को वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान के रूप में ₹ 2,566.60 करोड़[20] के ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए थे। इन मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय सहायता के रूप में दी गई राशि को मुख्य शीर्ष 6202, 6210, 6401, 6403 और 6416 में डेबिट किया गया है, जो कि महालेखा-नियंत्रक द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार ऋण शीर्षों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृतियों की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि मूलधन और ब्याज की वसूली के संबंध में निबंधनों और शर्तों का उल्लेख किए बिना इन्हें ऋण के रूप में नहीं माना जा सकता था। यह सरकारी लेखा नियमों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर और राजस्व व्यय को कम करके दिखाया गया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

वर्ष 2024-25 के आरंभ में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एचएससीएआरडीबी) के विरुद्ध ₹ 1,140.87 करोड़ का ऋण बकाया था। इसके अतिरिक्त, इस बैंक को ₹ 10 करोड़ का ऋण इस शर्त के साथ दिया गया था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार को ब्याज सहित ऋण के पुनर्भुगतान में कोई चूक न हो। हालांकि, वर्ष के दौरान कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 के अंत में बकाया राशि ₹ 1,150.87 करोड़ हो गई। इस प्रकार, पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक होने के बावजूद 2024-25 के दौरान नए ऋण स्वीकृत किए गए।

## 1.3 आकस्मिकता निधि

हरियाणा सरकार की आकस्मिकता निधि का उद्देश्य राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदन मिलने तक, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान करना है। विधानमंडल द्वारा अतिरिक्त व्यय को स्वीकृति दिए जाने के बाद इस निधि की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इस निधि का कुल कोष ₹ 1,000 करोड़ है।

2024-25 के दौरान, विभिन्न बजटीय शीर्षों जैसे 5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के तहत इस निधि से ₹ 148.93 करोड़ निकाले गए थे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक इस ₹ 148.93 करोड़ की कुल राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। 31 मार्च 2025 तक, आकस्मिकता निधि में केवल ₹ 851.07 करोड़ का शेष बचा था।

*आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय के विवरण पर अध्याय II के अनुच्छेद संख्या 2.8 में चर्चा की गई है।*

---

[20] उच्च शिक्षा विभाग (₹ 590.75 करोड़), चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (₹ 761.21 करोड़), कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (₹ 336.85 करोड़), फसल पालन (₹ 41.23 करोड़), पशुपालन (₹ 150.06 करोड़), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (₹ 636.51 करोड़) और स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग (₹ 49.99 करोड़)।

## 1.4 लोक लेखा

कुछ लेन-देनों, जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियां एवं संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत बनाए गए लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानमंडल के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि, सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध निधि होती है।

### 1.4.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा के घटक-वार निवल शेष के विवरण ***तालिका 1.28*** में दिए गए हैं।

**तालिका 1.28: लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष**

**(₹ करोड़ में)**

| क्षेत्र | उप-क्षेत्र | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लघु बचत, भविष्य निधि आदि | लघु बचत, भविष्य निधि आदि | **17,996.91** | **18,394.45** | **18,663.82** | **18,762.25** | **18,777.29** |
| आरक्षित निधि | (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 5,476.92 | 5,756.67 | 6,554.17 | 7,905.52 | 9,550.30 |
| | (ख) गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां[21] | 2,347.00 | 3,092.25 | 3,704.79 | 4,333.03 | 5,002.95 |
| | **कुल** | **7,823.92** | **8,848.92** | **10,258.96** | **12,238.55** | **14,553.25** |
| जमा और अग्रिम | (क) ब्याज वाले जमा | 451.94 | 443.53 | 442.63 | 486.14 | 544.89 |
| | (ख) गैर-ब्याज वाले जमा | 9,019.62 | 11,281.42 | 11,667.62 | 14,071.25 | 15,635.04 |
| | (ग) अग्रिम | (-) 0.74 | (-) 0.74 | (-) 0.74 | (-) 0.74 | (-) 0.74 |
| | **कुल** | **9,470.82** | **11,724.21** | **12,109.51** | **14,556.65** | **16,179.19** |
| उचंत तथा विविध | (क) उचंत | (-) 24.24 | 241.40 | 425.44 | (-) 19.66 | (-) 29.90 |
| | (ख) अन्य लेखे | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| | (ग) विदेशी सरकारों के साथ लेखे | (-) 0.06 | (-) 0.06 | (-) 0.06 | (-) 0.06 | (-) 0.06 |
| | (घ) विविध | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल** | **(-) 24.25** | **241.39** | **425.43** | **(-) 19.72** | **(-) 29.96** |
| प्रेषण | (क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण | 330.58 | 333.65 | 370.71 | 354.85 | 325.79 |
| | (ख) अंतर-राजकीय समायोजन लेखा | (-) 17.73 | (-) 19.05 | (-) 18.55 | (-) 17.86 | (-) 22.24 |
| | **कुल** | **312.85** | **314.60** | **352.16** | **336.99** | **303.55** |
| **कुल योग** | | **35,580.25** | **39,523.57** | **41,809.88** | **45,874.72** | **49,783.32** |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

**नोट: धनात्मक (+) अंक नामे शेष (डेबिट बैलेंस) दर्शाते हैं और ऋणात्मक (-) अंक जमा शेष (क्रेडिट बैलेंस) दर्शाते हैं।**

### 1.4.2 आरक्षित निधियां

राज्य सरकार के लोक लेखे के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधि बनाई जाती है। ये निधियां समेकित निधि या बाहरी एजेंसियों के अंशदान या अनुदान से पूरी की जाती हैं। इनमें ब्याज वाली आरक्षित निधियां और गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां शामिल हैं।

31 मार्च 2025 तक छ: ब्याज वाली निधियां और छ: गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां थी। 31 मार्च 2025 तक इन आरक्षित निधियों में पड़े निधि शेष ***तालिका 1.29*** में दिए गए हैं।

21 निवेश सहित।

**तालिका 1.29: मुख्य आरक्षित निधियों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | आरक्षित निधि का नाम | प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियां | ब्याज प्राप्तियां | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | 31 मार्च 2025 तक शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क** | **ब्याज वाली आरक्षित निधियां** | **7,905.52** | **1,215.55** | **655.36** | **226.13** | **9,550.30** |
| 1. | मूल्यह्रास आरक्षित निधियां - सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम | 581.59 | 50.00 | 63.97 | 75.00 | 620.56 |
| 2. | मूल्यह्रास आरक्षित निधियां - सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम | 21.15 | 0.10 | 1.53 | 0.00 | 22.78 |
| 3. | सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां | 5.72 | 0.25 | 0.63 | 0.25 | 6.35 |
| 4. | राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि | 5,737.22 | 535.90 | 536.75 | 71.88 | 6,737.99 |
| 5. | राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि | 1,559.84 | 157.50 | 52.48 | 79.00 | 1,690.82 |
| 6. | राज्य आपदा शमन निधि | 0.00 | 471.80 | 0.00 | 0.00 | 471.80 |
| **ख** | **गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां**[22] | **4,333.02** | **355.57** | **314.42** | **0.06** | **5,002.95** |
| 1. | सिंकिंग फंड | 2,124.41 | 300.00 | 161.98 | 0.00 | 2,586.39 |
| 2. | खान कल्याण कोष | 539.82 | 55.57 | 27.81 | 0.06 | 623.14 |
| 3. | उपभोक्ता कल्याण निधि | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 |
| 4. | विकास योजनाओं के लिए निधि | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
| 5. | हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण निधि | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.29 |
| 6. | गारंटी मोचन निधि | 1,662.80 | 0.00 | 124.63 | 0.00 | 1,787.43 |
| | **कुल योग** | **12,238.54** | **1,571.12** | **969.78** | **226.19** | **14,553.25** |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

राज्य आपदा मोचन निधि के गठन और प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य कार्यकारी समिति राज्य आपदा मोचन निधि के निवेश के संबंध में निर्णय लेगी। हालांकि, उक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि का निवेश नहीं किया गया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने बताया (19 फरवरी 2026) कि राज्य सरकार निवेश के बदले निधि में देय ब्याज जमा कर रही है। हालांकि, तथ्य यह है कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी इसके बावजूद कि निधि में राशि का अंशदान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में किया गया था।

राज्य सरकार ने ऋणों के परिशोधन के लिए वर्ष 2002 में समेकित सिंकिंग निधि (सीएसएफ) का गठन किया था। समेकित सिंकिंग निधि की 6 मार्च 2024 की संशोधित अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार पांच वर्षों की अवधि के भीतर समेकित सिंकिंग निधि के कॉर्पस को कुल बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण और सार्वजनिक देयता) के पांच प्रतिशत तक ले जाने का प्रयास करेगी। वर्ष 2024-25 में, राज्य सरकार ने इस निधि में ₹ 300 करोड़ का अंशदान दिया। 31 मार्च 2025 तक इस निधि में कुल संचय ₹ 2,586.39 करोड़ था, जो बकाया देयताओं का केवल 0.7 प्रतिशत है।

उपर्युक्त वर्णित मुख्य आरक्षित निधियों में से, गैर-ब्याज वाली दो आरक्षित निधियां, अर्थात् विकास योजनाओं के लिए निधि और हरिजन उत्थान के लिए ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निधि छः वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय हैं। राज्य सरकार को अभी इन निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करना है और उनके शेष (₹ 3.70 करोड़) को राज्य की समेकित निधि में अंतरित करना है।

### 1.4.3 नकद शेष

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ हुए करार के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के पास ₹ 1.14 करोड़ का न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना अनिवार्य है। यदि शेष राशि इस

22 निवेश सहित।

न्यूनतम स्तर से कम हो जाती है, तो इस कमी को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एसडब्ल्यूएमए)/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)/ओवरड्राफ्ट (ओडी) जैसे साधनों के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिनकी सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 की अवधि के दौरान ₹ 1,464 करोड़ थी, जिसे 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक संशोधित कर ₹ 1,803 करोड़ कर दिया गया। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के बदले विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमत हुआ है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा भी बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान निर्धारित न्यूनतम नकद शेष बनाए नहीं रखा और न्यूनतम शेष बनाए रखने के लिए 118 दिनों तक विशेष अर्थोपाय अग्रिम और आठ दिनों तक अर्थोपाय अग्रिम लेना पड़ा। वर्ष 2024-25 के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 9.75 करोड़ का ब्याज का भुगतान किया गया।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने बताया (19 फरवरी 2026) कि यह उपाय दीर्घावधि ऋण या बाजार ऋण से बचने के लिए अपनाया गया था, क्योंकि अर्थोपाय अग्रिम बाजार ऋण की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने न्यूनतम नकद शेष बनाए नहीं रखा था और वर्ष 2024-25 के दौरान, अर्थोपाय अग्रिम और विशेष अर्थोपाय अग्रिम के अतिरिक्त, ₹ 49,500 करोड़ के बाज़ार ऋण भी लिए थे।

राज्य सरकार भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निर्धारित आरक्षित निधियों सहित अधिशेष नकद शेष का निवेश करती है। इन निवेशों से होने वाली आय '0049-ब्याज प्राप्ति' शीर्ष के तहत जमा की जाती है।

2023-24 और 2024-25 के लिए नकद शेष और निवेश का विवरण ***तालिका 1.30*** में दिया गया है।

**तालिका 1.30: नकद शेष और उनका निवेश**

**(₹ करोड़ में)**

| | **1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष** | **31 मार्च 2025 को अंतिम शेष** |
|---|---|---|
| क. सामान्य नकद शेष | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा | 373.36 | 216.46 |
| ट्रांज़िट में प्रेषण-स्थानीय | 0.54 | 0.54 |
| "नकद शेष निवेश खाते" में रखे गए निवेश | 1,272.60 | 1,455.20 |
| **कुल (क)** | **1,646.50** | **1,672.20** |
| ख. अन्य नकद शेष और निवेश | | |
| विभागीय अधिकारियों के पास नकद, जैसे वन और लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैन्य सचिव, आदि | 4.03 | 10.98 |
| विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम | 0.11 | 0.11 |
| चिह्नित निधियों का निवेश | 3,787.38 | 4,373.99 |
| **कुल (ख)** | **3,791.52** | **4,385.08** |
| **कुल (क + ख)** | **5,438.02** | **6,057.28** |
| **प्राप्त ब्याज** | **6.19** | **3.50** |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

राज्य सरकार ने मार्च 2025 के अंत में ₹ 6,057 करोड़ का नकद शेष बनाए रखा। इसमें से ₹ 4,374 करोड़ (लगभग 72 प्रतिशत) आरक्षित और विकास निधियों जैसी चिह्नित निधियों के निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सामान्य व्यय के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान नकद शेष निवेश खाते का विवरण ***तालिका 1.31*** में दिया गया है।

**तालिका 1.31: नकद शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | प्रारंभिक शेष | अंतिम शेष | वृद्धि (+)/कमी (-) | अर्जित ब्याज |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 2,332.87 | 1,564.72 | (-) 768.15 | 29.49 |
| 2021-22 | 1,564.72 | 2,597.52 | 1,032.80 | 25.45 |
| 2022-23 | 2,597.52 | 1,310.12 | (-) 1,287.40 | 4.36 |
| 2023-24 | 1,310.12 | 1,272.60 | (-) 37.52 | 6.19 |
| 2024-25 | 1,272.60 | 1,455.20 | 182.60 | 3.50 |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

नकद शेष निवेश खाता वर्ष के आरंभ में ₹ 1,273 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत तक ₹ 1,455 करोड़ हो गया, जो बेहतर निधि प्रबंधन और अधिशेष नकदी के अल्पकालिक निवेश को दर्शाता है। हालांकि, इन निवेशों पर अर्जित ब्याज 2023-24 में ₹ 6.19 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 3.50 करोड़ रह गया, जो निष्क्रिय शेष राशि पर कम रिटर्न की ओर संकेत करता है।

31 मार्च 2025 तक, राज्य सरकार के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (₹ 6,737.99 करोड़) और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (₹ 1,690.82 करोड़) सहित विभिन्न आरक्षित निधियों के तहत ₹ 10,179.26 करोड़ की शेष राशि थी। इन आरक्षित निधियों को सरकारी ट्रेजरी बिलों में निवेश किया जाना अपेक्षित है ताकि संसाधन उन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपलब्ध रहें जिनके लिए इन निधियों का निर्माण किया गया था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई निवेश नहीं किया गया था और इस तथ्य के बावजूद कि इन निधियों में अंशदान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, राजस्व व्यय के लिए निधियों का मुख्य रूप से उपयोग किया गया था।

## 1.5 राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता सरकार की अपने राजस्व और व्यय को इस प्रकार प्रबंधित करने की क्षमता है जो यह सुनिश्चित करती है कि वह अपने वर्तमान और भविष्य की देयताओं जैसे सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और ऋण चुकौती को अत्यधिक उधार लिए बिना या अस्थिर ऋण जमा किए बिना पूरा कर सके। इसका तात्पर्य लंबी अवधि में राजस्व सृजन और व्यय के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है।

***चार्ट 1.33*** और ***चार्ट 1.34*** क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान राज्य की प्राप्तियों और व्यय को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं।

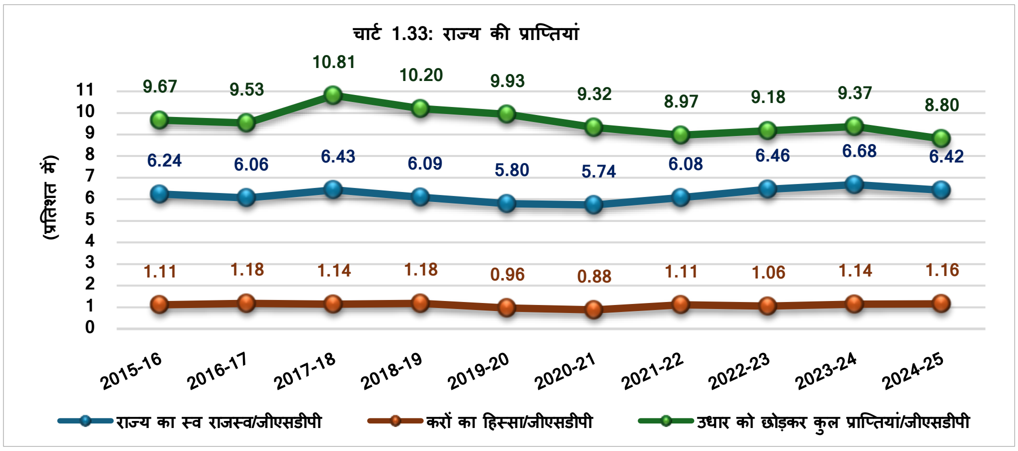


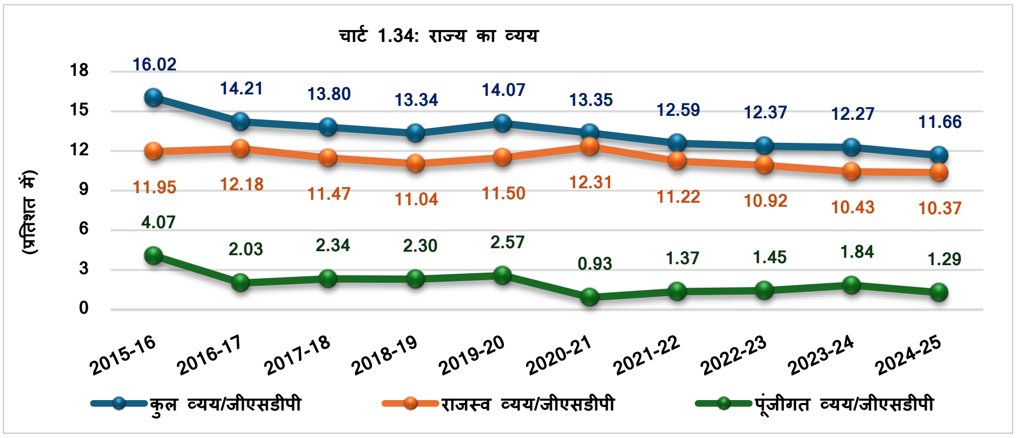


## 1.5.1 लोक देयता प्रबंधन

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य की बकाया देयताओं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ उनके प्रतिशत को ***चार्ट 1.35*** में दर्शाया गया है।

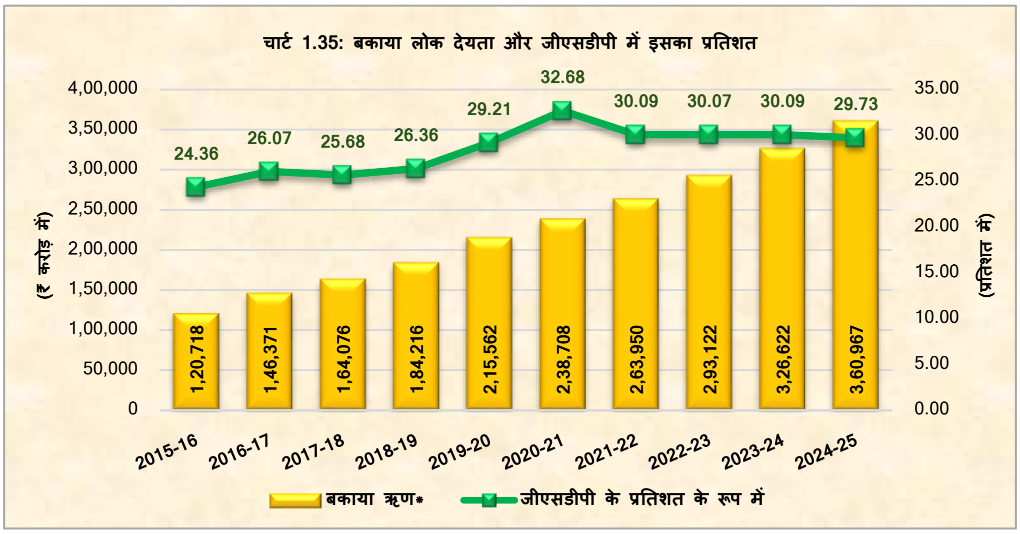


**स्रोत: वित्त लेखे।**

* **वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 8,500.19 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,176 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 6,324.19 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर, जिन्हें दिशानिर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार, किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

बकाया राजकोषीय देयताएं 2015-16 के अंत में ₹ 1,20,718 करोड़ से बढ़कर 2024-25 के अंत में ₹ 3,60,967 करोड़ हो गई। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च बना रहा, जो 24.36 प्रतिशत और 32.68 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा, जो ऋण स्थिरता पर निरंतर दबाव का संकेत देता है।

**चार्ट 1.36: बकाया ऋण की जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अंतर-राज्य तुलना**
**(प्रतिशत में)**

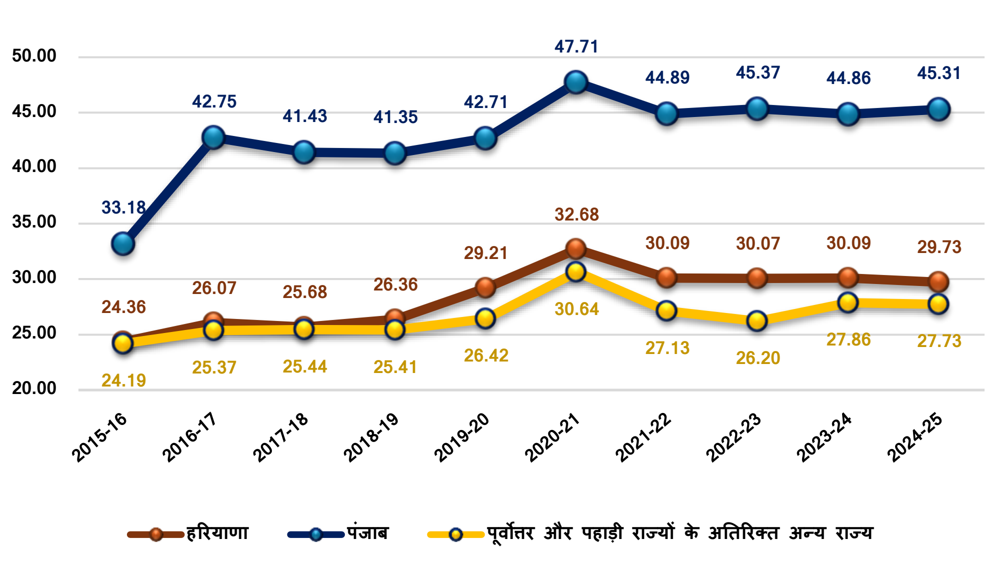


## *1.5.1.1 देयता प्रोफ़ाइल: घटक*

राज्य सरकार की कुल देयताओं में सामान्यत: राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, और लोक लेखा देयताएं शामिल होती हैं। 2020-21 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्य की घटक-वार देयता प्रवृत्तियां ***तालिका 1.32*** में प्रस्तुत की गई हैं।

**तालिका 1.32: घटक-वार देयता प्रवृत्तियां**

**(₹ करोड़ में)**

| राजकोषीय देयता के घटक | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| **बकाया कुल देयता** | **2,38,708** | **2,63,950** | **2,93,122** | **3,26,622** | **3,60,967** |
| **लोक ऋण** | **2,05,458** | **2,27,697** | **2,55,325** | **2,84,851** | **3,15,831** |
| आंतरिक ऋण | 2,03,958 | 2,26,208 | 2,52,781 | 2,80,772 | *3,10,503* |
| भारत सरकार से ऋण* | 1,500* | 1,489@ | 2,544@ | 4,079# | *5,328#* |
| **लोक लेखा देयताएं** | **33,250** | **36,253** | **37,797** | **41,771** | **45,136** |
| *लघु बचत, भविष्य निधि, आदि* | *17,997* | *18,394* | *18,664* | *18,762* | *18,777* |
| *ब्याज वाली आरक्षित निधियां* | *5,477* | *5,757* | *6,554* | *7,906* | *9,550* |
| *गैर-ब्याज वाली आरक्षित निधियां*[23] | *304* | *377* | *469* | *546* | *629* |
| *ब्याज वाले जमा* | *452* | *444* | *443* | *486* | *545* |
| *गैर-ब्याज वाले जमा* | *9,020* | *11,281* | *11,667* | *14,071* | *15,635* |
| **बकाया समग्र देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)** | **10.74** | **10.57** | **11.05** | **11.43** | **10.52** |
| **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)** | **7,30,442** | **8,77,269** | **9,74,732** | **10,85,510** | **12,13,951** |
| **बकाया कुल देयता/जीएसडीपी (प्रतिशत)** | **32.68** | **30.09** | **30.07** | **30.09** | **29.73** |

[23] निवेश को छोड़कर।

| राजकोषीय देयता के घटक | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| **उधार और अन्य देयताएं** | | | | | |
| *कुल प्राप्तियां* | *93,337* | *91,027* | *1,38,564* | *1,52,612* | *1,53,974* |
| *कुल पुनर्भुगतान* | *70,191* | *65,785* | *1,09,392* | *1,19,112* | *1,19,630* |
| *उपलब्ध निवल निधियां* | *23,146* | *25,242* | *29,172* | *33,500* | *34,344* |
| *पुनर्भुगतान/प्राप्तियां (प्रतिशत)* | *75.20* | *72.27* | *78.95* | *78.05* | *77.69* |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

*** वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

**@ वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 11,746 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ + वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 7,394 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

**# वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 8,500.19 करोड़ (वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,176 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 6,324.19 करोड़) के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर, जिन्हें दिशानिर्देशों (अगस्त 2020/दिसंबर 2021) के अनुसार, किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाना था।**

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2020-21 में ₹ 2,03,958 करोड़ से ₹ 1,06,545 करोड़ (52.24 प्रतिशत) बढ़कर 2024-25 में ₹ 3,10,503 करोड़ हो गया। वर्ष 2024-25 के दौरान आंतरिक ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 21,936.69 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया।

2024-25 के अंत में बकाया कुल देयताओं का विघटन ***चार्ट 1.37*** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 1.37: 2024-25 के अंत में बकाया कुल देयताओं का विघटन**

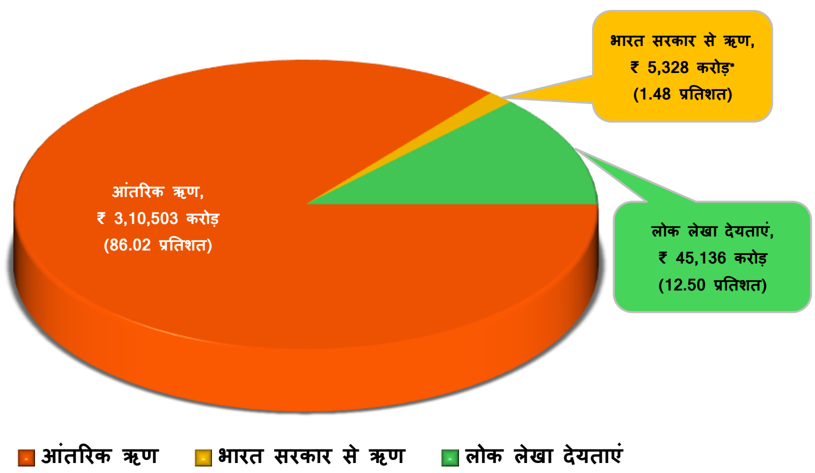


**स्रोत: वित्त लेखे।**

*** इसमें 2020-22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 8,500.19 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण शामिल नहीं हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

***चार्ट 1.38*** 10 वर्षों अर्थात 2015-25 की अवधि के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में चुकाए गए आंतरिक ऋण की मात्रा को दर्शाता है।

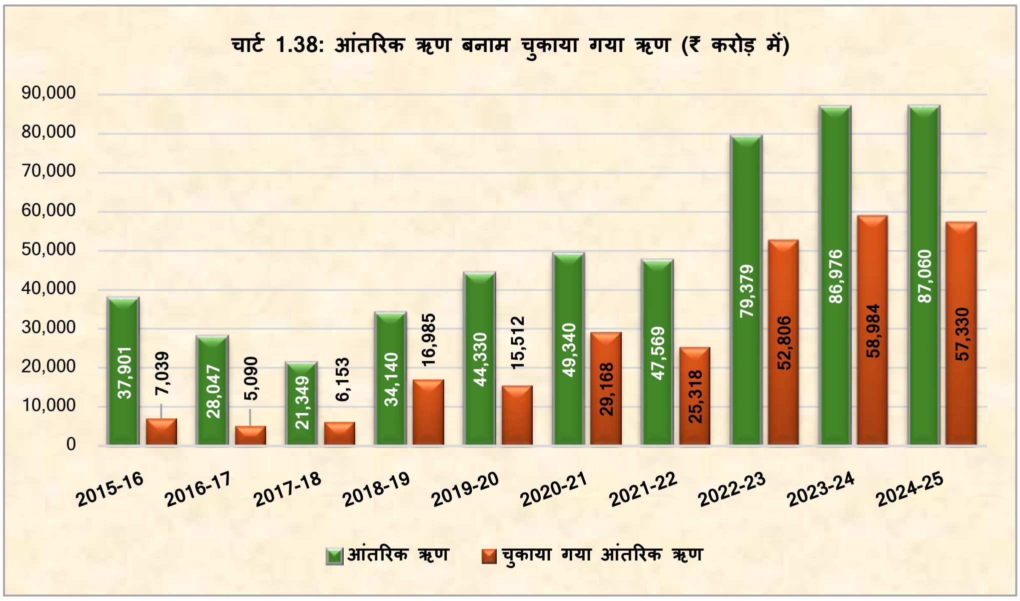


**स्रोत: वित्त लेखे।**

### ***1.5.1.2 उधार ली गई निधियों का उपयोग***

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। ***तालिका 1.33*** और ***चार्ट 1.39*** में क्रमशः 2020-25 के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग और प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

**तालिका 1.33: उधार ली गई निधियों का उपयोग**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | वर्ष | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कुल उधार | 49,465[24] | 47,712[25] | 80,649 | 88,721 | 88,519 |
| 2. | पूर्ववर्ती उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) | 29,498 | 25,473 | 53,021 | 59,194 | 57,540 |
| 3. | निवल पूंजीगत व्यय | 5,807 | 10,978 | 11,591 | 15,806 | 12,378 |
| 4. | निवल ऋण एवं अग्रिम | 494 | 466 | 2,224 | 3,754 | 2,867 |
| 5. | राजस्व व्यय का वह हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधार से वहन किया गया | 13,667 | 10,794 | 13,813 | 9,966 | 15,734 |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

[24] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 4,352 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

[25] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में ₹ 7,394 करोड़ के भारत सरकार के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

चार्ट 1.39: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

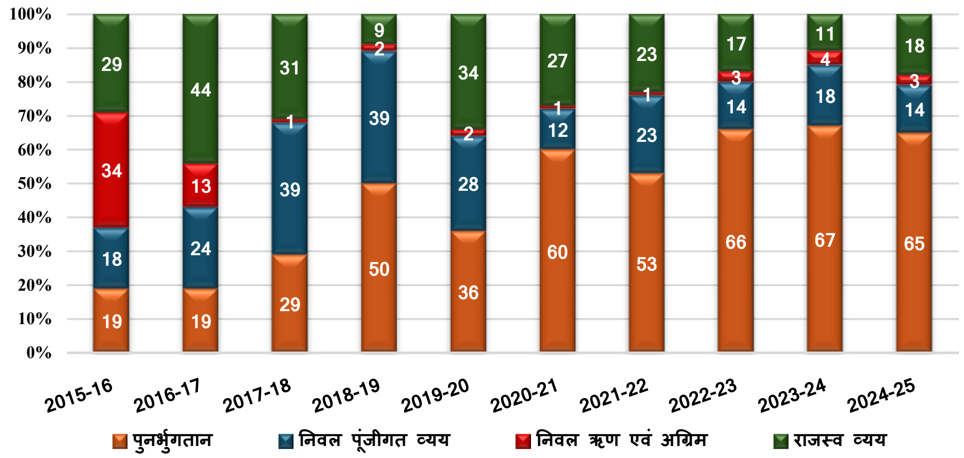


**स्रोत: वित्त लेखे।**

2020-25 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने अपने वर्तमान उधारों का 53 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक का उपयोग पूर्व के उधारों (मूलधन) के पुनर्भुगतान के लिए किया, जबकि 2015-16 से 2019-20 के दौरान यह 19 से 50 प्रतिशत के बीच था। इसके अतिरिक्त, निवल उपलब्ध उधारों से पूरा किया गया राजस्व व्यय 2020-21 से 2024-25 के दौरान 11 से 27 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि 2015-16 से 2019-20 के दौरान यह नौ से 44 प्रतिशत के बीच था। उधारों का एक बड़ा हिस्सा ऋण पुनर्भुगतान और राजस्व व्यय की ओर जाने से राजकोषीय संभावना सीमित होती है और नियमित आवश्यकताओं के लिए ऋण पर निर्भरता बढ़ती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, वर्तमान उधारों का केवल 14 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया था। इस प्रकार, उधार ली गई निधियों का उपयोग पूंजीगत व्यय के बजाय मुख्य रूप से वर्तमान खपत को पूरा करने और पूर्व के उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने बताया (19 फरवरी 2026) कि कैश क्रेडिट सीमा के उपयोग से बचने के लिए बाजार ऋण लिए गए थे, क्योंकि उन पर ब्याज दर अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, अगले वर्षों में ऐसी सीमा का लाभ उठाने के लिए पात्रता बनाए रखने हेतु उसी वित्तीय वर्ष के भीतर कैश क्रेडिट सीमा का पुनर्भुगतान अपेक्षित है। यह उत्तर इस तथ्य का समाधान नहीं करता है कि उधार ली गई निधियों का उपयोग पिछली उधारियों के पुनर्भुगतान और राजस्व व्यय के लिए किया गया था और वर्तमान उधार का केवल 14 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया था।

### *1.5.1.3 ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान*

एक केंद्रित अल्पकालिक से मध्यम अवधि की परिपक्वता प्रोफ़ाइल संभावित रोल ओवर जोखिमों को इंगित करती है। अल्पकालिक से मध्यम अवधि (0-7 वर्ष) के भीतर परिपक्व होने वाली देयताओं की उच्च सांद्रता संभावित ऋण बंचिंग को इंगित करती है, जिससे राज्य पर पुनर्वित्त और तरलता दबाव बढ़ता है।

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफ़ाइल सरकार की ओर से ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्य की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल ***चार्ट 1.40*** में दर्शाई गई है।

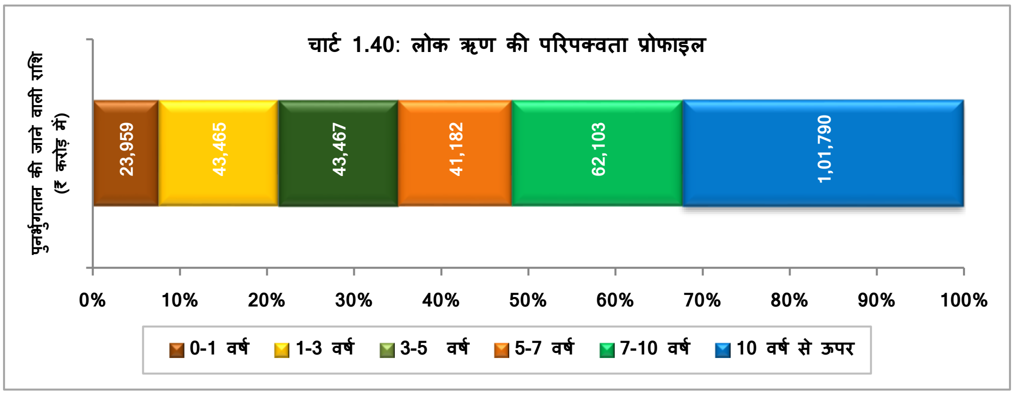


**स्रोत: वित्त लेखे।**

**नोट: वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के एवज में 2020-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 8,500.19 करोड़ के बैक-टू-बैक ऋणों को छोड़कर अगले 10 वर्षों के लिए लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल विकसित की गई है, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।**

2024-25 से 2034-35 की अवधि के लिए ₹ 3,15,966 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से, ₹ 23,959 करोड़ (7.58 प्रतिशत) 2025-26 में देय हैं, ₹ 1,28,114 करोड़ (40.55 प्रतिशत) 2026-27 से 2031-32 में देय हैं, जबकि शेष 51.87 प्रतिशत (₹ 1,63,893 करोड़) का भुगतान सात वर्ष से अधिक समय बाद किया जाना है। इस ऋण के ब्याज भुगतान के अलावा, अगले सात वर्षों के दौरान 2031-32 तक लोक ऋण पुनर्भुगतान के रूप में वार्षिक व्यय लगभग ₹ 21,725 करोड़ होगा। संसाधन अंतर को दूर करने के लिए राज्य की ऋण आवश्यकता में वृद्धि के साथ बकाया लोक ऋण के पुनर्भुगतान के कारण होने वाला व्यय ब्याज सहित और बढ़ सकता है।

### *1.5.1.4 राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति*

***तालिका 1.34*** वर्ष 2020-25 के दौरान राजकोषीय घाटे की वित्तपोषण पद्धति को दर्शाती है।

**तालिका 1.34: राजकोषीय घाटे के घटक और इसकी वित्त पोषण पद्धति**

**(₹ करोड़ में)**

| | विवरण | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राजकोषीय घाटे की संरचना** | | **(-) 29,486** | **(-) 31,778** | **(-) 31,027** | **(-) 31,441** | **(-) 34,665** |
| 1 | राजस्व घाटा | (-) 22,385 | (-) 20,333 | (-) 17,212 | (-) 11,881 | (-) 19,420 |
| 2 | निवल पूंजीगत व्यय | (-) 5,807 | (-) 10,978 | (-) 11,591 | (-) 15,806 | (-) 12,378 |
| 3 | निवल ऋण एवं अग्रिम | (-) 494 | (-) 466 | (-) 2,224 | (-) 3,754 | (-) 2,867 |
| 4 | आकस्मिक निधि का विनियोग | (-) 800 | - | - | - | - |
| **राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति** | | | | | | |
| 1 | बाजार उधार | 25,550 | 24,141 | 33,828 | 33,554 | 36,900 |
| 2 | भारत सरकार से ऋण | 4,147 | 7,383 | 1,055 | 1,535 | 1,249 |
| 3 | राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां | (-) 1,004 | (-) 1,000 | (-) 1,004 | (-) 1,004 | (-) 1,004 |
| 4 | बॉण्ड | 0 | (-) 3,460 | (-) 5,190 | (-) 5,190 | (-) 5,190 |
| 5 | वित्तीय संस्थाओं से ऋण | (-) 4,373 | 2,569 | (-) 1,061 | 632 | (-) 976 |
| 6 | आकस्मिकता निधि | - | - | - | (-) 546 | 397 |
| 7 | लघु बचत, भविष्य निधि आदि | 1,034 | 397 | 269 | 98 | 15 |
| 8 | आरक्षित निधि | (-) 671 | 1,025 | 1,410 | 1,980 | 2,315 |
| 9 | जमा एवं अग्रिम | 1,550 | 2,253 | 385 | 2,447 | 1,623 |
| 10 | उचंत एवं विविध | 1,563 | 266 | 184 | (-) 445 | (-) 11 |
| 11 | प्रेषण | 39 | 2 | 38 | (-) 15 | (-) 34 |
| 12 | आकस्मिकता निधि का विनियोग | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **समग्र घाटा** | **28,635** | **33,576** | **29,914** | **33,046** | **35,284** |
| 14 | रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी | 851 | (-) 1,798 | 1,113 | (-) 1,605 | (-) 619 |
| **15** | **सकल राजकोषीय घाटा** | **29,486** | **31,778** | **31,027** | **31,441** | **34,665** |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

हालांकि राजकोषीय घाटा 2020-21 में ₹ 29,486 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹ 34,665 करोड़ हो गया, यह 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.86 प्रतिशत बना रहा, जो तीन प्रतिशत की राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन सीमा के भीतर था। इस बीच, बाजार उधार राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है।

### 1.5.2 लेखापरीक्षा के बाद के घाटे के संकेतक

राज्य के वित्त लेखों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का राजस्व घाटा ₹ 19,419.88 करोड़ था (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.60 प्रतिशत), राजकोषीय घाटा ₹ 34,665.15 करोड़ था (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.86 प्रतिशत), जबकि प्राथमिक घाटा ₹ 10,445.91 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.86 प्रतिशत) था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि, 2024-25 के दौरान, राजस्व प्रकृति के ₹ 2,566.60 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था *(इसका विस्तृत विवरण अध्याय-2 के अनुच्छेद संख्या 2.5.5 में दिया गया है)*। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे में उस सीमा तक कमी दर्शाई गई और लेखापरीक्षा के बाद राजस्व घाटा ₹ 21,986.48 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.81 प्रतिशत) रहा।

### 1.5.3 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

हरियाणा में, राजकोषीय सुधारों और समेकन को 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 06 जुलाई 2005 को राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम लागू करके सामने लाया गया, जिसका उद्देश्य निर्धारित सीमा के भीतर राजस्व घाटे को समाप्त करना और राजकोषीय घाटे को कम करना था। राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवार्ड अवधि के लिए अनुमोदित प्रचलित राजकोषीय मापदंडों के साथ संरेखित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा 30 मार्च 2022 को हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन किया गया। हरियाणा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी का भी पालन करता है और राजकोषीय संकेतकों - रोलिंग लक्ष्यों को प्रकट करता है।

***तालिका 1.35*** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के संबंध में प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

**तालिका 1.35: लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति का विवरण**

| राजकोषीय मापदंड | | मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्ति | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| राजस्व घाटा (-)/सरप्लस (+) (₹ करोड़ में) | लक्ष्य | 5,953 | (-) 132 | 6,444 | 14,312 | 24,600 |
| | प्राप्ति | (-) 22,385 | (-) 20,333 | (-) 17,212 | (-) 11,881 | (-) 19,420 |
| राजकोषीय घाटा (-)/सरप्लस (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में) | लक्ष्य | (-) 4.00 | (-) 4.00 | (-) 3.50 | (-) 3.00 | (-) 3.00 |
| | प्राप्ति | (-) 4.04 | (-) 3.62 | (-) 3.18 | (-) 2.90 | (-) 2.86 |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया देयता का अनुपात (प्रतिशत में) | लक्ष्य | 21.14 | 31.20 | 31.40 | 30.90 | 30.40 |
| | प्राप्ति | 32.68 | 30.09 | 30.07 | 30.09 | 29.73 |
| राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान | लक्ष्य | 20.16 | 22.54 | 19.73 | 19.47 | 21.61 |
| | प्राप्ति | 25.33 | 23.51 | 22.53 | 21.32 | 22.76 |

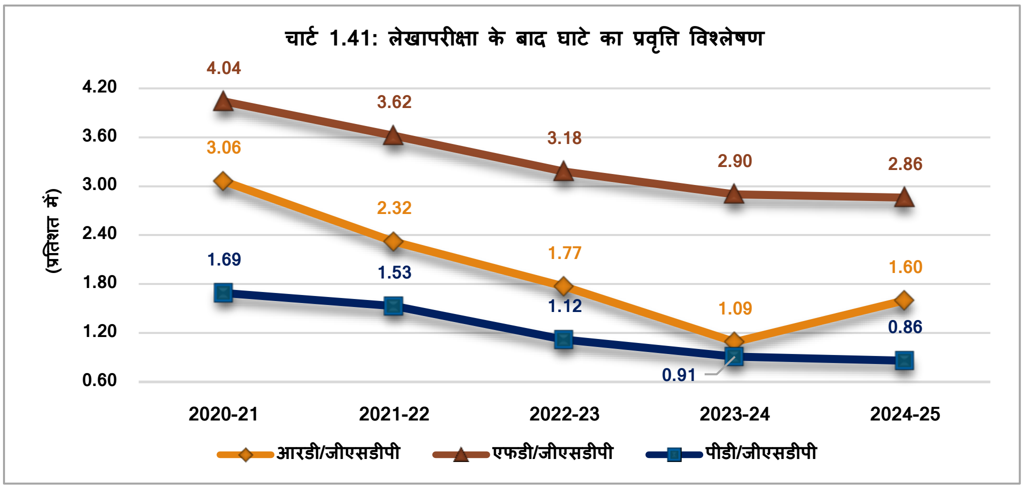


15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय योगों के संबंध में प्राप्ति को ***चार्ट 1.42, चार्ट 1.43*** और ***चार्ट 1.44*** में दिया गया है।

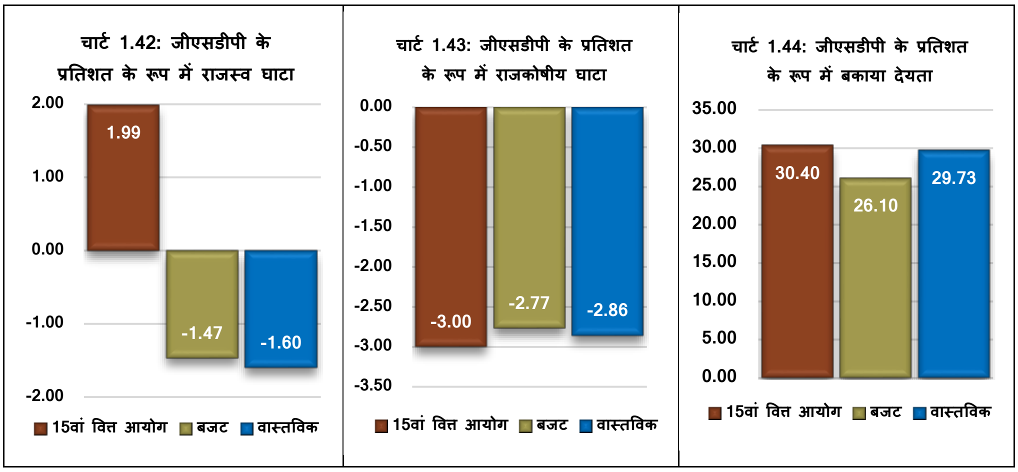


**स्रोत: वित्त लेखे और बजट दस्तावेज।**

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार राजस्व घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तरों और बजट अनुमानों में प्रस्तावित स्तरों के भीतर रखने में असमर्थ रही। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद और कुल बकाया ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बजट में लगाए गए अनुमानों के अनुसार प्राप्त नहीं किए जा सके, लेकिन ये 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रहे।

निरंतर घाटे के कारणों में 2020-25 की अवधि के दौरान उच्च प्रतिबद्ध व्यय है, जो राजस्व व्यय का 54.07 से 55.64 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 62.16 से 73.15 प्रतिशत के बीच रहा। सब्सिडी पर होने वाला व्यय भी एक अन्य कारक है, जो कुल व्यय का 8.23 प्रतिशत है। राजस्व व्यय (11.18 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की कम वृद्धि दर (5.05 प्रतिशत) ने 2024-25 में घाटों को और अधिक बढ़ा दिया।

## गत 10 वर्षों के दौरान राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटा

**राजस्व घाटा:** 2015-25 की अवधि के दौरान राजस्व घाटे में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई, जो ₹ 10,562 करोड़ और ₹ 22,385 करोड़ ***(परिशिष्ट 1.1)*** के बीच रहा। इसी अवधि के दौरान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 1.09 प्रतिशत और 3.06 प्रतिशत के बीच रहा, जो यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्तियां निरंतर आधार पर राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। निरंतर बना रहने वाला राजस्व घाटा राज्य के वित्त में संरचनात्मक असंतुलन की उपस्थिति की ओर संकेत करता है।

**राजकोषीय और प्राथमिक घाटा:** राजकोषीय घाटा 2015-16 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 6.35 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 2.86 प्रतिशत रह गया, जो हाल के वर्षों में क्रमिक राजकोषीय समेकन को दर्शाता है। इसी प्रकार, इस दशक के दौरान प्राथमिक घाटे में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, जो 2015-16 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.68 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.86 प्रतिशत रह गया जो गैर-ब्याज वाले व्यय पर नियंत्रण में कुछ सुधार को दर्शाता है।

अन्य राज्यों के साथ राजस्व/राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की तुलना ***चार्ट 1.45*** और ***चार्ट 1.46*** में दी गई है।

**चार्ट 1.45: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे की अंतर-राज्य तुलना (प्रतिशत में)**

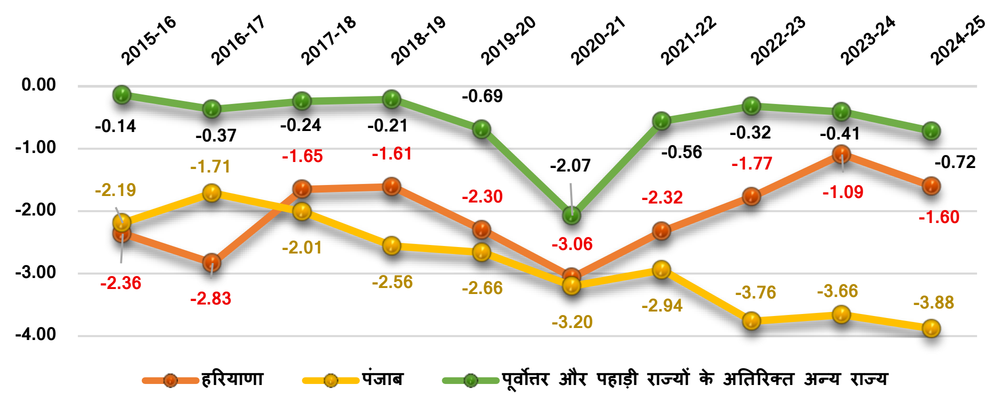


**चार्ट 1.46: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे की अंतर-राज्य तुलना (प्रतिशत में)**

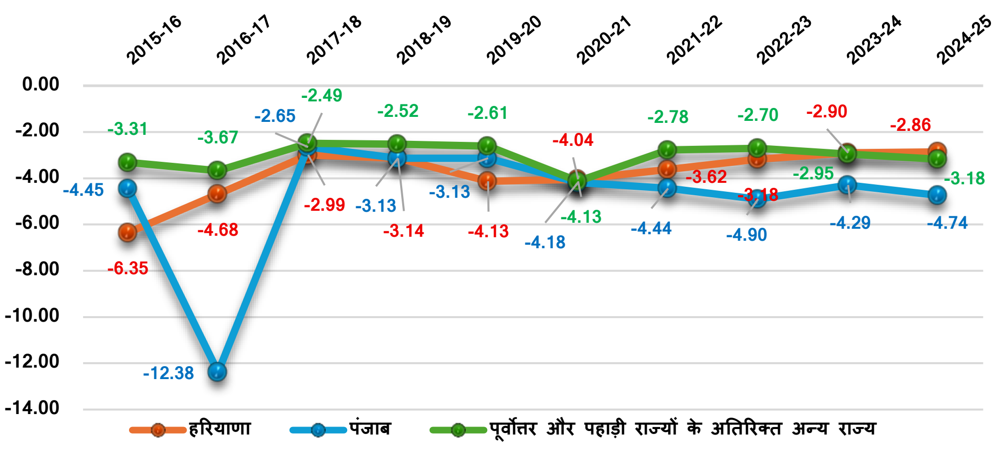


## 1.5.4 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता से तात्पर्य राज्य की वर्तमान और भविष्य में अपने ऋण दायित्व को पूरा करने की क्षमता से है। ऋण स्थिरता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण ***तालिका 1.36*** में दिया गया है।

**तालिका 1.36: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियां**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | ऋण स्थिरता संकेतक | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | समग्र देयताएं या समग्र ऋण[26] | 2,38,708 | 2,63,951 | 2,93,122 | 3,26,622[27] | 3,60,967[28] |
| 2 | समग्र ऋण की वृद्धि की दर (प्रतिशत) | 10.74 | 10.57 | 11.05 | 11.43 | 10.52 |
| 3 | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (नाममात्र शर्तों पर) | 7,30,442 | 8,77,269 | 9,74,732 | 10,85,510 | 12,13,951 |
| 4 | नाममात्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत) | (-) 1.03 | 20.10 | 11.11 | 11.36 | 11.83 |
| 5 | समग्र देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत) | 32.68 | 30.09 | 30.07 | 30.09 | 29.73 |
| 6 | सकल उधारी का पुनर्भुगतान (प्रतिशत) | 71.85 | 66.84 | 78.95 | 78.05 | 77.69 |
| 7 | सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार | 28.15 | 33.16 | 21.05 | 21.95 | 22.31 |
| 8 | समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान | 17,114.67 | 18,361.60 | 20,095.57 | 21,604.97 | 24,219.24 |
| 9 | समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)[29] | 7.83 | 7.63 | 7.56 | 7.34 | 7.47 |
| 10 | राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत) | 25.33 | 23.51 | 22.53 | 21.32 | 22.76 |
| 11 | राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) | (-) 22,385.59 | (-) 20,333.34 | (-) 17,211.52 | (-) 11,880.86 | (-) 19,419.88 |
| 12 | प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी)[30] | (-) 5,270.92 | (-) 1,971.78 | 2,884.05 | 9,724.11 | 4,799.49 |
| 13 | प्राथमिक शेष (पीबी)[31] | (-) 12,371.41 | (-) 13,416.21 | (-) 10,931.31 | (-) 9,836.07 | (-) 10,445.91 |
| 14 | प्राथमिक शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत) | (-) 1.69 | (-) 1.53 | (-) 1.12 | (-) 0.91 | (-) 0.86 |
| 15 | ब्याज दर[32] और समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के बीच अंतर | (-) 6.63 | (-) 6.32 | (-) 6.77 | (-) 5.88 | (-) 6.74 |
| 16 | तरलता प्रबंधन (भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन दस्तावेजों का उपयोग) (अवसरों की संख्या में) | 4,977.33 (42) | 2,775.83 (19) | 21,134.24 (188) | 25,994.12 (163) | 23,230.03 (126) |
| 17 | ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम प्रसार[33] + प्राथमिक शेष) | (-) 32,686.77 | 18,016.42 | (-) 1,009.32 | 2,578.11 | 4,380.24 |
| **18** | **डोमर गैप** | | | | | |
| क | सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थाई शर्तों पर) | 4,99,643 | 5,59,922 | 5,84,171 | 6,29,491 | 6,77,033 |
| ख | वास्तविक वृद्धि (स्थाई शर्तों पर) | (-) 8.34 | 12.06 | 4.33 | 7.76 | 7.55 |
| ग | सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत) | 5.11 | 6.24 | 7.50 | 6.60 | 5.23 |
| घ | प्रभावी ब्याज दर | 7.83 | 7.63 | 7.56 | 7.34 | 7.47 |
| ङ | वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति) | 2.72 | 1.39 | 0.06 | 0.74 | 2.24 |
| च | वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) | (-) 11.06 | 10.68 | 4.27 | 7.01 | 5.31 |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

26 बकाया समग्र ऋण शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण, 6004-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है।

27 बकाया समग्र ऋण में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 4,352 करोड़ और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 11,745.79 करोड़ (₹ 4,352 करोड़ और ₹ 7,393.79 करोड़) शामिल नहीं हैं, जो वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में लिए गए हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

28 केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए बैक टू बैक ऋण के पुनर्भुगतान के कारण प्रोफार्मा सुधार के परिणामस्वरूप, कुल बकाया ऋण में ₹ 3,245.60 करोड़ की कमी आई।

29 कुल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर की गणना आरक्षित निधियों, गैर-ब्याज जमा राशियों और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दी जाने वाली 50 वर्षों की ब्याज मुक्त केंद्रीय सहायता को समायोजित करते हुए की गई है। {ब्याज भुगतान /[(पिछले और चालू वित्तीय वर्ष का औसत बकाया ऋण (गैर-ब्याज देयताओं को छोड़कर)]}

30 प्राथमिक राजस्व शेष: राजस्व प्राप्तियां-राजस्व व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष प्राथमिक घाटा दर्शाता है!

31 प्राथमिक शेष: कुल प्राप्तियां (निवल उधार) - कुल व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष प्राथमिक घाटा दर्शाता है।

32 प्रभावी ब्याज प्राप्तियों की दर के रूप में मापा गया निवेश पर रिटर्न (आरओआई) (प्राप्त ब्याज/{( बकाया ऋण एवं अग्रिमों का आरंभिक शेष + बकाया ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2} *100)

33 क्वांटम प्रसार = ब्याज प्रसार x ऋण (गैर-ब्याज देयताओं को छोड़कर)।

- समग्र ऋण की वृद्धि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुरूप होना चाहिए। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात राज्य के वित्तीय उत्तोलन अर्थात अपने ऋण को चुकाने की क्षमता को मापता है। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात का कम मूल्य इंगित करता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था आगे ऋण लिए बिना ऋण का भुगतान करने के लिए जीवंत है। महामारी वाले वर्ष 2020-21 को छोड़कर, 2020-25 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल देयताओं के अनुपात के रूप में राज्य का ऋण भार लगभग स्थिर रहा है और इसमें मामूली गिरावट देखी गई है, जो कि 2024-25 में 29.73 प्रतिशत पर रहा। राज्य में ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में किए गए अनुमान के अंदर है।
- अवशिष्ट परिपक्वता प्रोफाइल राज्य के ऋण पर पुनर्भुगतान के दबाव को दर्शाता है; परिपक्वता अवधि जितनी लंबी होगी, निकट भविष्य में पुनर्भुगतान का दबाव उतना ही कम होगा। राज्य के ऋण के लिए लंबी औसत परिपक्वता अवधि, मूलधन के पुनर्भुगतान की एक बड़ी राशि देय होने से पहले के समय को बढ़ा देती है, जिससे पुनर्भुगतान का बोझ लंबी अवधि में वितरित हो जाता है। राज्य को अगले दस वर्षों में अपने कुल बकाया लोक ऋण का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा चुकाना है, जो भविष्य में पुनर्भुगतान के बढ़ते दबाव को दर्शाता है।
- ऋण प्राप्तियों के लिए ऋण चुकौती का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उत्पादक रूप से ऋण सेवा के लिए उपयोग किए जाने वाले ऋण का अनुपात उतना ही अधिक होगा। कम निवल उधारी उपलब्धता सीमित राजकोषीय संभावना की ओर संकेत करती है। 2020-25 के दौरान सकल उधार का 66.84 प्रतिशत और 78.95 प्रतिशत के बीच पुनर्भुगतान किया गया, जो दर्शाता है कि राज्य पर ऋण सेवा का बोझ अधिक है और राज्य सरकार को उत्पादक उपयोग के लिए अपने उधारों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए।
- राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान समय के साथ कम हो जाना चाहिए ताकि अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए अधिक संसाधन बचे रहें। इस अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति स्थायी ऋण का संकेत है जबकि बढ़ती प्रवृत्ति एक अस्थिर ऋण प्रवृत्ति को इंगित करती है। जबकि पांच वर्षों की अवधि के दौरान यह अनुपात औसतन 23 प्रतिशत रहा, जो अस्थिर ऋण प्रवृत्ति का संकेत है।
- आर्थिक विकास और ब्याज के बीच धनात्मक अंतर स्थिरता का समर्थन करता है, जबकि ऋणात्मक अंतर चिंता का संकेत देता है। ऋण स्थिरीकरण की शर्त में कहा गया है कि यदि प्राथमिक शेष राशि के साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक संतुलन ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह धनात्मक है, तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिर जाएगा। प्राथमिक शेष और ऋण स्थिरीकरण अर्थात क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष 2020-21 और 2022-23 में ऋणात्मक था, जो बाद में धनात्मक प्रवृत्ति में बदल गया। जैसा कि ***तालिका 1.36*** में दर्शाया गया है,

राज्य ने वास्तविक प्रभावी ब्याज दर में वृद्धि बनाए रखी है जो स्थिरता को इंगित करता है बशर्ते विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए।

- अल्पकालिक वित्त पोषण अंतराल का प्रबंधन करने के लिए राज्य द्वारा विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए), कमी और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा का सहारा लेने की संख्या उनकी तरलता की स्थिति को दर्शाती है। बड़ी मात्रा में अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट सुविधा का सतत उपयोग कमजोर तरलता प्रबंधन को इंगित करता है, जो कमजोर राजकोषीय प्रबंधन की पुष्टि करता है और अल्पकालिक ऋण स्थिरता में बाधा डालता है। राज्य ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थोपाय अग्रिम सुविधा का सहारा लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने 118 दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम अग्रिम और आठ दिनों के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेकर न्यूनतम शेष राशि बनाए रखी है। भारतीय रिज़र्व बैंक की इन तरलता सुविधाओं का बार-बार उपयोग कमजोर नकदी प्रबंधन को दर्शाता है।

### 1.5.5 गारंटियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं

ऋण लेने वालों द्वारा चूक के मामले में गारंटी समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं होती हैं। राज्य सांविधिक निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थानों जैसी संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करता है। हरियाणा राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटियों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया है जिसमें यह निर्धारित किया गया हो कि सरकार किस सीमा के भीतर राज्य की समेकित निधि की सुरक्षा पर गारंटी दे सकती है। पिछले पांच वर्षों के लिए गारंटियों का विवरण और कुल प्राप्तियों की तुलना में बकाया गारंटियों की स्थिति ***तालिका 1.37*** में दी गई है।

**तालिका 1.37: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी**

**(₹ करोड़ में)**

| गारंटी | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| गारंटी की बकाया राशि पर लागू होने वाली सीमा | राज्य सरकार द्वारा कोई सीमा तय नहीं की गई है। | | | | |
| वर्ष के आरंभ में गारंटी की बकाया राशि | 20,738 | 23,053 | 24,343 | 23,058 | 24,215 |
| वर्ष के अंत में बकाया गारंटी | 23,053 | 24,343 | 23,058 | 24,215 | 23,932 |

**स्रोत: वित्त लेखे और वार्षिक वित्तीय विवरण।**

31 मार्च 2025 तक ₹ 23,932 करोड़ की बकाया गारंटी बिजली (₹ 15,390 करोड़), सहकारिता (₹ 309 करोड़), शहरी विकास एवं आवास (₹ 5,828 करोड़) और अन्य अवसंरचना (₹ 2,405 करोड़) के संबंध में थी।

चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने तीन[34] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 3,880.48 करोड़ की गारंटी दी थी, जिनकी निवल संपत्ति (उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार) उनकी बकाया गारंटियों से कम है, इसलिए यदि ये उपक्रम ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो उनके ऋणों के पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर होगा।

[34] (i) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, (ii) दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और (iii) हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने बताया (19 फरवरी 2026) कि राज्य सरकार की गारंटियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार, आगामी बजट सत्र 2026-27 में गारंटियों की सीमा तय करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

**गारंटी मोचन निधि**

राज्य सरकार ने वर्ष 2002-03 में गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) की स्थापना की थी। राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन, जो वर्ष 2024-25 से प्रभावी है, यह निर्धारित करता है कि सरकार को निधि के गठन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर गारंटी मोचन निधि के कॉर्पस को कुल बकाया गारंटियों के पांच प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। 31 मार्च 2025 तक, इस निधि का अंतिम शेष ₹ 1,787.43 करोड़ है, जो कुल बकाया गारंटियों का 7.47 प्रतिशत है।

### 1.5.6 राजकोषीय स्थिरता के मार्ग

राजस्व में वृद्धि और व्यय को तर्कसंगत बनाकर घाटे को कम किया जा सकता है। इसमें कर अनुपालन को सुदृढ़ करना, कर आधार को व्यापक बनाना, उपयोगकर्ता प्रभारों में संशोधन करना और सरकार की निष्क्रिय परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना शामिल है। व्यय के पक्ष में, सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण, वेतन और पेंशन वृद्धि को नियंत्रित करना तथा व्यय का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करना प्रमुख कारक हैं। उत्पादक पूंजी निवेश को प्राथमिकता देना और पारदर्शी एवं कुशल ऋण प्रक्रिया के माध्यम से ऋण प्रबंधन में सुधार करना राजकोषीय दबाव को और कम कर सकता है। ये उपाय सामूहिक रूप से राजकोषीय स्थान बनाते हैं और राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे को स्थायी रूप से कम करने में मदद करते हैं। अनुवर्ती अनुच्छेदों में इन पर विस्तार से चर्चा की गई है।

#### *1.5.6.1 राज्य के राजस्व में सुधार*

राजस्व की अप्रयुक्त क्षमता, यदि प्रभावी ढंग से उपयोग की जाए, तो राजकोषीय स्थान में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है और ऋण पर निर्भरता कम कर सकती है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टांप शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे प्रमुख कर स्रोतों के आकलन में अक्षमता, कम मूल्यांकन और सीमित प्रवर्तन तंत्र के कारण राजस्व वृद्धि धीमी रहेगी। कम उपयोगकर्ता शुल्क, खराब लागत वसूली और सार्वजनिक परिसंपत्तियों और निवेशों पर उप-इष्टतम रिटर्न के साथ कम प्राप्त गैर-कर राजस्व भी राजकोषीय स्थान को बाधित करते हैं। लंबित बकाया राशि (कर और गैर-कर) की समय पर वसूली राजकोषीय स्थान को बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

**क. राजस्व का बकाया**

31 मार्च 2025 तक, राजस्व के मुख्य शीर्षों के संबंध में राजस्व का बकाया ₹ 30,456.87 करोड़ था, जिसमें से ₹ 23,102.62 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि ***तालिका 1.38*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.38: राजस्व का बकाया**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2025 तक बकाया राशि | 31 मार्च 2025 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/वैट | 28,940.05 | 22,262.74 |
| 2. | बिजली शुल्क | 477.78 | 152.57 |
| 3. | राज्य उत्पाद शुल्क | 685.32 | 431.93 |
| 4. | मनोरंजन कर | 11.11 | 11.11 |
| 5. | स्थानीय क्षेत्र विकास कर | 203.38 | 203.38 |
| 6. | पुलिस | 139.23 | 40.89 |
| **कुल** | | **30,456.87** | **23,102.62** |

**स्रोत: विभागीय जानकारी।**

## ख निर्धारण में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या, निर्धारण के लिए देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या, जैसा कि बिक्री कर/वैट के संबंध में आबकारी विभाग एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ***तालिका 1.39*** में दर्शाई गई है।

**तालिका 1.39: निर्धारण का बकाया**

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 2024-25 के आरंभ में लंबित मामले | 2024-25 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले | निर्धारण हेतु देय कुल मामले | 2024-25 के दौरान निपटाए गए मामले | वर्ष के अंत में शेष | निपटान का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/वैट | 7,373 | 3,891 | 11,264 | 4,187 | 7,077 | 37.17 |

**स्रोत: विभागीय जानकारी।**

2020-2025 की अवधि के दौरान, संबंधित वर्षों के अंत में लंबित मामलों की संख्या क्रमशः 5,036 (2020-21); 6,180 (2021-22); 7,077 (2022-23); और 7,373 (2023-24) थी, जबकि 2024-25 के अंत में यह 7,077 मामले थी। इस अवधि के दौरान मामलों के निपटान की दर 32.73 प्रतिशत से 37.17 प्रतिशत के बीच रही।

## ग विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन, रिफंड मामलों आदि का विवरण

कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप से निपटाए गए मामले और अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांग, राज्य सरकार के राजस्व संग्रह प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामलों, अंतिम रूप दिए गए मामलों और अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा बताया गया, ***तालिका 1.40*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 1.40: पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले**

| क्र. सं. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2024 तक लंबित मामले | 2024-25 के दौरान पता चले मामले | कुल | उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ जांच पूर्ण हो गई है और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग की गई है। | | 31 मार्च 2025 तक अंतिम निर्णय हेतु लंबित मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | मामलों की संख्या | मांग की राशि (₹ करोड़ में) | |
| 1. | राज्य उत्पाद शुल्क | 35 | 288 | 323 | 288 | 4.48 | 35 |
| **कुल** | | **35** | **288** | **323** | **288** | **4.48** | **35** |

**स्रोत: विभागीय जानकारी।**

### *1.5.6.2 व्यय पक्ष से संबंधित मामले*

#### क प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी से उत्पन्न राजकोषीय दबाव

***चार्ट 1.47*** और ***चार्ट 1.48*** क्रमशः वित्तीय वर्ष 2020-25 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी को दर्शाते हैं।

**चार्ट 1.47: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी**

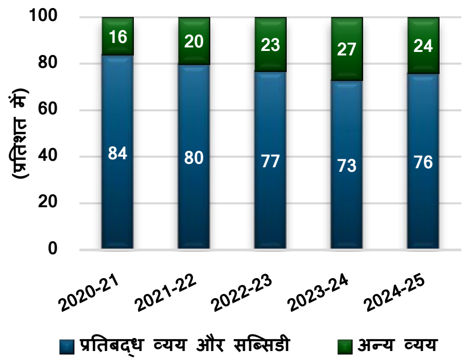


**चार्ट 1.48: राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय और सब्सिडी**

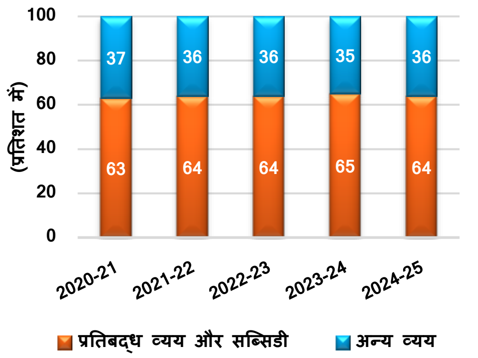


2024-25 में, राज्य का प्रतिबद्ध व्यय ₹ 69,203 करोड़ था, जिसमें वेतन एवं मजदूरी (₹ 30,423 करोड़), पेंशन (₹ 14,561 करोड़) और ब्याज भुगतान (₹ 24,219 करोड़) शामिल थे, जो राजस्व प्राप्तियों का लगभग 65.02 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी की राशि ₹ 11,639 करोड़ रही, जिससे कुल अपरिवर्तनीय व्यय ₹ 80,842 करोड़ हो गया, जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 75.96 प्रतिशत था। इस प्रकार के व्यय की उच्च और अनम्य प्रकृति राजकोषीय स्थान को महत्वपूर्ण रूप से कम कर देती है, जिससे पूंजीगत निवेश और विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए संसाधनों को आवंटित करने की राज्य की क्षमता सीमित हो जाती है। यह संरचनात्मक असंतुलन लगातार राजस्व घाटे के जोखिम को बढ़ाता है, दीर्घकालिक राजकोषीय समेकन को बाधित करता है और उभरती सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की सरकार की क्षमता को कम करता है।

#### ख अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देगा। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों को अवरुद्ध करने से व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और राज्य को लंबे समय तक परियोजनाओं के इच्छित लाभों से वंचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियों से ऋण और ब्याज देयताओं की अदायगी के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी (वित्त लेखा 2024-25 का ***परिशिष्ट-IX***) के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं (₹ पांच करोड़ से अधिक की लागत वाली) का विवरण ***तालिका 1.41*** में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.41: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी**

**(₹ करोड़ में)**

| 31 मार्च 2025 तक अपूर्ण परियोजनाओं का आयु विवरण | | | | 31 मार्च 2025 तक अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या | अनुमानित लागत | किया गया व्यय | विभाग | अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या | अनुमानित लागत (किया गया व्यय) |
| 2020-21 | 3 | 111.61 | 40.94 | भवन एवं सड़कें | 16 | 400.48 (171.95) |
| 2022-23 | 1 | 59.09 | 51.26 | | | |
| 2023-24 | 4 | 146.39 | 29.25 | | | |
| 2024-25 | 8 | 83.39 | 50.51 | | | |
| **कुल** | **16** | **400.48** | **171.95** | | | |

**स्रोत: विभागीय जानकारी।**

₹ 400.48 करोड़ की अनुमानित लागत में से ₹ 171.95 करोड़ इन 16 अपूर्ण परियोजनाओं पर 2024-25 तक खर्च किए गए थे। इसलिए, इन 16 परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण, ₹ 171.95 करोड़ का पूंजीगत व्यय अवरुद्ध रहा।

## ग राजकोषीय स्थान पर निर्वहन न की गई देयताएं

यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य के विकासात्मक और अवसंरचना के खर्च के लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थान कम हो जाएगा और स्थायी तरीके से संसाधन जुटाने की राज्य की क्षमता को बाधित करेगा, जिससे समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य और दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई निर्वहन न की गई देयताएं संचित की हैं, जिनका राजकोषीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग (एसएफसी/सीएफसी) के अनुदानों का अंतरण न करना, कुल मिलाकर ₹ 1,170.27 करोड़ (₹ 231.93 करोड़, केंद्रीय वित्त आयोग और ₹ 938.34 करोड़, राज्य वित्त आयोग)।
- ₹ 827.54 करोड़ की राशि के लंबित रिफंड मामले।
- ₹ 146.53 करोड़ की राशि के ऋण स्टॉक में ऑफ-बजट उधार शामिल नहीं हैं।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में राज्य सरकार के अंशदान का ₹ 77.02 करोड़ का कम अंतरण/गैर-अंतरण।
- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) और ₹ 14.58 करोड़ की समेकित सिंकिंग निधि (सीएसएफ) जैसी सांविधिक निधियों/उपकरों का अंतरण न करना।
- कुल ₹ 1.89 करोड़ की निर्वहन न की गई ब्याज देयताएं।
- विभिन्न विभागों के विरूद्ध डिस्कॉम की निर्वहन न की गई ₹ 253.82 करोड़ की ऊर्जा प्रभार देयताएं।

इन निर्वहन न की गई देयताओं का संचयी मूल्य ₹ 2,491.65 करोड़ था, जो कि वर्ष 2024-25 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.21 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे के 7.19 प्रतिशत के बराबर है।

लेखापरीक्षा यह सिफारिश करती है कि राज्य सरकार सभी निर्वहन न की गई देयताओं को पारदर्शी रूप से प्रकट करे और उनका समाधान करे, तथा भविष्य के राजकोषीय दबाव से बचने के लिए इन दायित्वों के समय पर निर्वहन हेतु प्रावधान करे।

## 1.6 निष्कर्ष

1. पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 62 से 73 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि इसी अवधि में गैर-कर राजस्व में कमी की प्रवृत्ति देखी गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राज्य की अपनी राजस्व उत्पलावकता में 2020-21 से 2024-25 के दौरान कमी देखी गई, जो कर आधार को व्यापक बनाने और गैर-कर राजस्व में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

2. 2020-21 से 2024-25 के दौरान राजस्व घाटे में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई, हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। प्रतिबद्ध व्यय लगातार राजस्व व्यय का लगभग 54 से 55 प्रतिशत रहा है, और 2021-25 के दौरान सब्सिडी का हिस्सा 8.51 से 9.25 प्रतिशत के बीच रहा। इन खर्चों की उच्च हिस्सेदारी विकासात्मक कार्यों के लिए राज्य के राजकोषीय स्थान को कम करती है और ऋण पर निर्भरता बढ़ाती है।

3. पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 21.61 प्रतिशत की कमी आई है। इसमें आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक 45 प्रतिशत रही, इसके बाद सामाजिक सेवाएं (31 प्रतिशत) और ऋण एवं अग्रिम (20 प्रतिशत) रहे, जबकि सामान्य सेवाओं का हिस्सा लगभग चार प्रतिशत का एक छोटा भाग था।

4. राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बजट में अनुमानित स्तरों से अधिक हो गया। यह पूंजीगत व्यय के लिए संसाधन आवंटित करने की राज्य की क्षमता को सीमित करता है, क्योंकि उधारी का एक बड़ा हिस्सा परिसंपत्ति निर्माण के बजाय राजस्व व्यय को पूरा करने में उपयोग किया जाता है। निरंतर राजकोषीय घाटा दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के लिए भी जोखिम पैदा करता है।

5. राज्य की कुल देयताएं पिछले पांच वर्षों के दौरान बढ़ती रही हैं और पिछले वर्ष की तुलना में इनमें 10.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, वर्ष 2024-25 के दौरान यह 29.73 प्रतिशत रही। उच्च बकाया देयताएं भविष्य के पुनर्भुगतान और ब्याज दायित्वों को बढ़ाती हैं, जिससे मध्यम अवधि में राजकोषीय लचीलापन और अधिक सीमित हो जाता है।

6. सार्वजनिक निवेश पर रिटर्न चिंताजनक रूप से कम था; वित्त वर्ष 2024-25 तक 35 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 37,273.13 करोड़ का निवेश किया गया था, जिनमें से केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2024-25 के दौरान ₹ 159.60 करोड़ का रिटर्न दिया, जो कुल निवेश का मात्र 0.43 प्रतिशत था।

7. कुल ₹ 2,491.65 करोड़ के संचयी मूल्य वाली निर्वहन न की गई देयताएं पाई गई, जो वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.21 प्रतिशत और राजकोषीय घाटे के 7.19 प्रतिशत के बराबर है।

8. वर्ष 2024-25 के दौरान बकाया गारंटियां राजस्व प्राप्तियों का 22.49 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 19.01 प्रतिशत थी। आकस्मिक देयताओं का इतना उच्च स्तर राजकोषीय जोखिम पैदा करता है, विशेष रूप से यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य संस्थाएं अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती हैं। ये गारंटियां राज्य के लिए प्रत्यक्ष देयताओं में बदल सकती हैं और राजकोषीय कमियों को बढ़ा सकती हैं।

9. बकाया ऋणों की बढ़ती प्रवृत्ति, खराब वसूली निष्पादन, और सरकार की उधार लागत से बहुत कम ब्याज आय, राज्य के ऋण पोर्टफोलियो के अकुशल प्रबंधन को दर्शाती है। चूककर्ता संस्थाओं-विशेष रूप से सहकारी चीनी मिलों को निरंतर ऋण देने और वसूली की स्पष्ट शर्तों के बिना विश्वविद्यालयों को बड़ी मात्रा में राशि के वितरण ने बकाया शेष राशि को और बढ़ा दिया।

## 1.7 सिफारिशें

सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

1. कर अनुपालन में सुधार करके और विशेष रूप से लाभांश, खनन और ब्याज प्राप्तियों के लिए एक स्पष्ट गैर-कर राजस्व नीति लागू करके राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करना;
2. राजस्व व्यय और प्रतिबद्ध देयताओं को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी को बेहतर ढंग से लक्षित करना और विकासात्मक व्यय के लिए राजकोषीय स्थान बनाने के लिए ब्याज भुगतान को नियंत्रित करना;
3. अवसंरचना क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाकर पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता और प्राथमिकता को बेहतर बनाना, व्यय के गलत वर्गीकरण से बचना और पूंजीगत परिव्यय का आर्थिक विकास के साथ समन्वय सुनिश्चित करना; तथा
4. लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लाभांश नीति लागू करके, तथा वित्तीय अनुशासन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए ऋणों एवं अग्रिमों की निगरानी बढ़ाकर सार्वजनिक निवेश पर रिटर्न में सुधार करना।

# अध्याय 2

# बजटीय प्रबंधन

## अध्याय 2: बजटीय प्रबंधन

*यह अध्याय हरियाणा की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा करता है, जिसमें बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर का पता चलता है, जिसमें अतिरिक्त खर्च, सतत बचत और अंतिम समय में निधि के सरेंडर जैसे मामले शामिल हैं। यह वित्तीय योजना, नियंत्रण और अनुपालन में कमजोरियों पर प्रकाश डालता है, वास्तविक बजट और समय पर निधि के उपयोग की आवश्यकता पर बल देता है।*

### 2.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। व्यय के अनुमान 'प्रभारित' और 'दत्तमत' मदों[1] के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

हरियाणा द्वारा अपनाई गई पंजाब बजट नियमावली के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों के परामर्श पर तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग इन अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों की मांग' कहते हैं। राज्य बजट में मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होते हैं।

- ✓ वार्षिक वित्तीय विवरण
- ✓ अनुदान की मांग
- ✓ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
- ✓ राजस्व प्राप्तियों के लिए विस्तृत अनुमान
- ✓ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
- ✓ राजकोषीय नीति का अवलोकन
- ✓ पूंजीगत व्यय के विस्तृत अनुमान
- ✓ राजस्व व्यय के विस्तृत अनुमान
- ✓ अन्य

### 2.2 बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

संसाधनों के इष्टतम उपयोग, योजना कार्यान्वयन और निगरानी क्षमता को सुदृढ़ करने तथा राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। राज्य विधानमंडल से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचत का विवरण ***तालिका 2.1*** में संक्षेप में दिया गया है।

[1] **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की समेकित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

**तालिका 2.1: वर्ष 2024-25 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| व्यय की प्रकृति | | मूल अनुदान/ विनियोग | अनुपूरक अनुदान/ विनियोग | कुल | वास्तविक व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) | 2024-25 के दौरान अभ्यर्पित | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | राशि | प्रतिशतता |
| दत्तमत | I राजस्व | 1,11,063.73 | 6,879.82 | 1,17,943.55 | 1,03,039.09 | (-) 14,904.46 | 31,884.47 | (-) 213.93 |
| | II पूंजीगत | 31,920.94 | 1,822.45 | 33,743.39 | 26,384.74 | (-) 7,358.65 | 9,029.56 | (-) 122.71 |
| | III ऋण एवं अग्रिम | 5,095.11 | 240.01 | 5,335.12 | 3,161.48 | (-) 2,173.64 | 2,173.82 | (-) 100.01 |
| **कुल दत्तमत** | | **1,48,079.78** | **8,942.28** | **1,57,022.06** | **1,32,585.31** | **(-) 24,436.75** | **43,087.85** | **(-) 176.32** |
| प्रभारित | IV राजस्व | 25,489.89 | 0.21 | 25,490.10 | 24,515.32 | (-) 974.78 | 3,035.05 | (-) 311.36 |
| | V पूंजीगत | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 83.88 | (-) 16.12 | 19.51 | (-) 121.03 |
| | VI लोक ऋण पुनर्भुगतान | 64,044.20 | 0.00 | 64,044.20 | 57,540.25 | (-) 6,503.95 | 0 | 0.00 |
| **कुल प्रभारित** | | **89,634.09** | **0.21** | **89,634.30** | **82,139.45** | **(-) 7,494.85** | **3,054.56** | **(-) 40.76** |
| **कुल योग** | | **2,37,713.87** | **8,942.49** | **2,46,656.36** | **2,14,724.76** | **(-) 31,931.60** | **46,142.41** | **(-) 144.50** |

**स्रोत:** **वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे।**

**नोटः** **ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियां राजस्व शीर्ष (₹ 1,705.12 करोड़) और पूंजीगत शीर्ष (₹ 13,988.58 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।**

बड़ी मात्रा में सरेंडर यह दर्शाते हैं कि नियंत्रण अधिकारी अंतिम सरेंडर से पहले वास्तविक व्यय के आंकड़ों की निगरानी या मिलान नहीं कर रहे हैं और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का संकेत है।

2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय में प्रवृत्तियां ***तालिका 2.2*** में दी गई हैं।

**तालिका 2.2: 2020-25 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| **मूल बजट** | 1,59,777.68 | 1,73,901.32 | 1,95,429.94 | 2,20,376.90 | 2,37,713.87 |
| **अनुपूरक बजट** | 20,227.16 | 21,788.12 | 25,680.13 | 16,183.17 | 8,942.49 |
| **कुल बजट (टीबी)** | 1,80,004.84 | 1,95,689.44 | 2,21,110.07 | 2,36,560.07 | 2,46,656.36 |
| **संशोधित अनुमान (आरई)** | 1,55,707.22 | 1,67,830.96 | 1,98,919.83 | 2,11,727.65 | 2,26,230.00 |
| **वास्तविक व्यय (एई)** | 1,42,409.10 | 1,50,162.15 | 1,85,288.25 | 2,03,089.28 | 2,14,724.75 |
| **बचत** | (-) 37,595.74 | (-) 45,527.29 | (-) 35,821.82 | (-) 33,470.79 | (-) 31,931.61 |
| **मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता** | 12.66 | 12.53 | 13.14 | 7.34 | 3.76 |
| **समग्र बचत/समग्र प्रावधान से अधिक की प्रतिशतता** | (-) 20.89 | (-) 23.27 | (-) 16.20 | (-) 14.15 | (-) 12.95 |
| **कुल बजट - संशोधित अनुमान** | 24,297.62 | 27,858.48 | 22,190.24 | 24,832.42 | 20,426.36 |
| **संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय** | 13,298.12 | 17,668.81 | 13,631.58 | 8,638.37 | 11,505.25 |
| **(कुल बजट - संशोधित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में** | 13.50 | 14.24 | 10.04 | 10.50 | 8.28 |
| **(संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में** | 7.39 | 9.03 | 6.17 | 3.65 | 4.66 |

**स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे।**

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 8,942.49 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 3.76 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 7.34 प्रतिशत था। यह दर्शाता है कि 2024-25 में अनुपूरक प्रावधान पर निर्भरता कम हुई है। इसी प्रकार, बचत में भी गिरावट देखी गई, जो कि 2020-21 में ₹ 37,595.74 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 31,931.61 करोड़ रह गई।

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में राजस्व, पूंजीगत, और ऋण एवं अग्रिमों के लिए ₹ 2,46,656.36 करोड़ (मूल बजट ₹ 2,37,713.87 करोड़ + अनुपूरक बजट ₹ 8,942.49 करोड़) का कुल बजट तैयार किया, जिसे संशोधित कर ₹ 2,26,230 करोड़ कर दिया गया और

वास्तविक व्यय ₹ 2,14,724.75 करोड़ हुआ। मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की प्रवृत्ति ***चार्ट 2.1*** में दर्शाई गई है।

**चार्ट 2.1: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय दर्शाने वाली प्रवृत्ति**

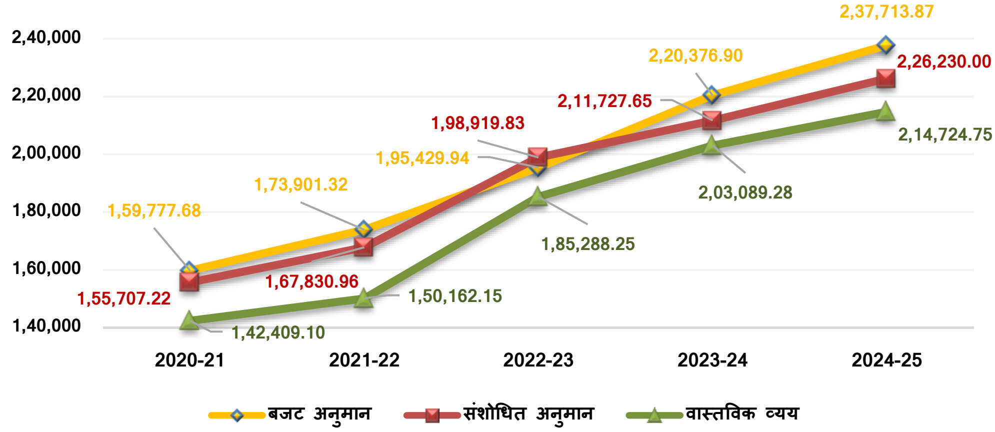


2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान, संशोधित अनुमान कुल बजट से लगातार कम रहे जो बजट निर्माण के दौरान राजस्व या संसाधनों की उपलब्धता के अत्यधिक अनुमान का संकेत है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि मूल और अनुपूरक विनियोगों के माध्यम से विधायिका से प्राप्त कुल बजट और संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक व्यय के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है।

यह इंगित करता है कि बजटीय आवंटन उन प्रस्तावों पर आधारित थे जो पूरी तरह से वास्तविक नहीं थे, क्योंकि राज्य के बजट अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

### 2.2.1 बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक/सेवा-वार विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट और व्यय का घटक-वार विश्लेषण ***तालिका 2.3*** में संक्षेप में दिया गया है। विनियोग लेखा में भिन्नता के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों का सारांश ***चार्ट 2.2*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.3: वर्ष 2024-25 के लिए घटकवार बजट और व्यय**

| घटक | कुल बजट | कुल व्यय | कुल बजट का प्रतिशत | कुल व्यय का प्रतिशत | कुल बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3/2*100 |
| प्रतिबद्ध व्यय | 71,366.16 | 69,203.52 | 36.58 | 50.03 | 96.97 |
| राज्य योजना (एसएस) | 1,85,218.20 | 1,32,747.41 | 94.93 | 95.96 | 71.67 |
| केंद्र साझाकरण योजनाएं (सीएसएस) (केंद्रीय हिस्सेदारी) | 9,896.11 | 5,581.91 | 5.07 | 4.04 | 56.41 |
| ईएपी-बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं | 90.37 | 90.37 | 0.05 | 0.07 | 100.00 |

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ₹ 1,95,114[2] करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में ₹ 1,38,329[3] करोड़ (70.90 प्रतिशत) का व्यय हुआ। प्रतिबद्ध व्यय ने 96.97 प्रतिशत का

[2] **₹ 1,95,114 करोड़** = ₹ 1,85,218 करोड़ (राज्य योजना) + ₹ 9,896 करोड़ (केंद्र साझाकरण योजनाएं)।

[3] **₹ 1,38,329 करोड़** = ₹ 1,32,747 करोड़ (राज्य योजना) + ₹ 5,582 करोड़ (केंद्र साझाकरण योजनाएं)।

उच्च उपयोग दर्शाया। इसी प्रकार, राज्य योजनाओं (केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य के हिस्से सहित), जो बजट का प्रमुख हिस्सा बनाती हैं, ने 95.96 प्रतिशत उपयोगिता दर्ज की, और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं ने पूर्ण उपयोगिता (100 प्रतिशत) प्राप्त की। समग्र उपयोगिता राज्य योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत यथोचित संतोषजनक खर्च और बचत का संकेत देती है।

**चार्ट 2.2: विनियोग लेखा में भिन्नता के स्पष्टीकरण का सारांश**

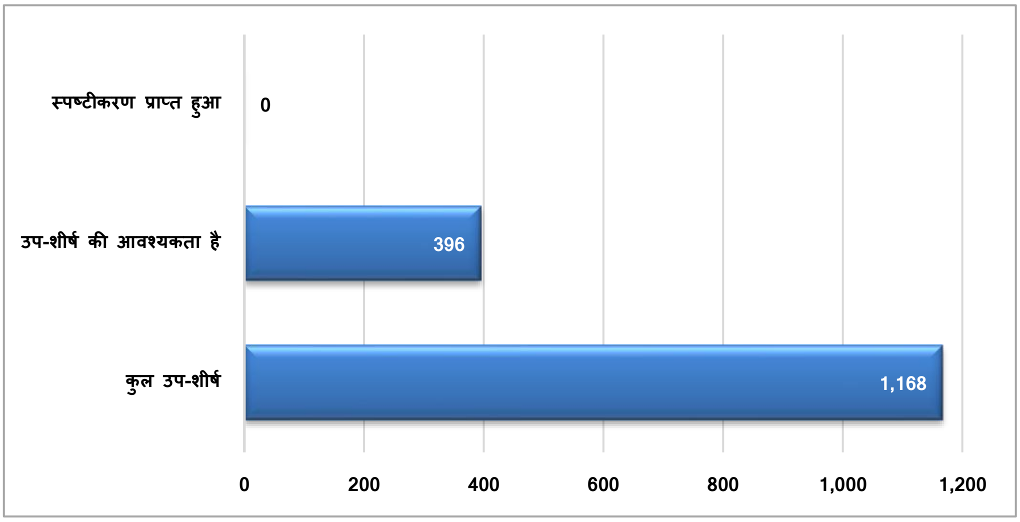


**स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी।**

## 2.3 बजट मार्क्समैनशिप

व्यय संरचना परिणाम यह मापता है कि बजट के निष्पादन के दौरान मुख्य श्रेणियों के बीच किए गए पुन: आवंटन ने व्यय संरचना के विचलन में किस सीमा तक योगदान दिया है।

अनुदानों, आधिक्यों और बचतों का वर्ष-वार विश्लेषण राज्य द्वारा बजट निष्पादन और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे ***चार्ट 2.3*** में दर्शाया गया है।

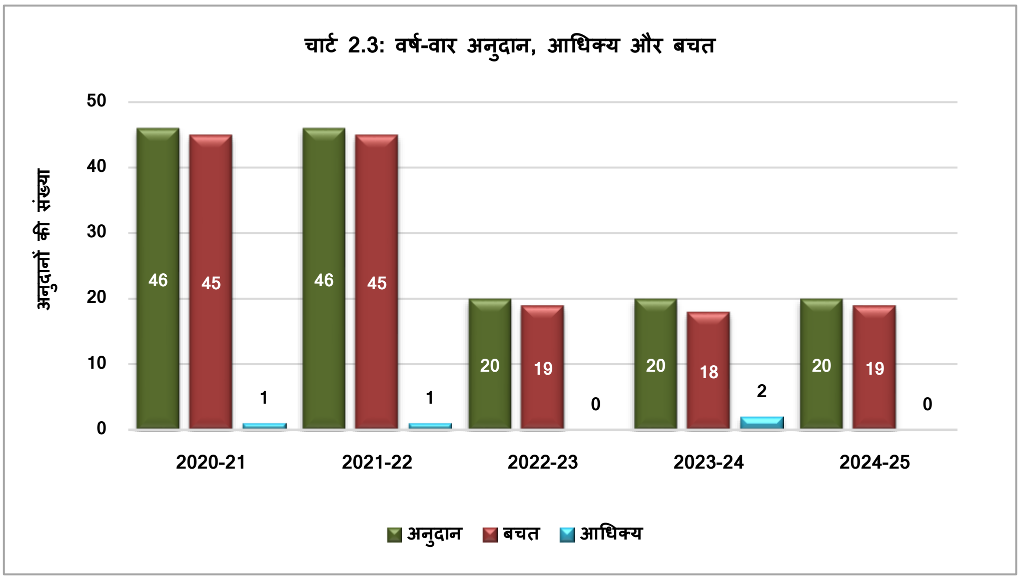


**स्रोत: विनियोग लेखा।**

पिछले तीन वर्षों में वर्ष के अंत में बचत वाले अनुदानों की संख्या लगभग स्थिर रही है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी भी अनुदान में प्राधिकार से अधिक व्यय नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय संरचना परिणाम ***तालिका 2.4*** में दिया गया है।

**तालिका 2.4: व्यय संरचना का कुल विचलन, वित्तीय वर्ष 2024-25**

| सेक्शन | कुल विचलन (प्रतिशत) | विचलन की सीमा (प्रतिशत) | अनुदानों की संख्या |
|---|---|---|---|
| राजस्व (दत्तमत) | (-) 12.64 | 0 से ± 25 | 12[4] |
| | | ± 25 से ± 50 | 5[5] |
| | | ± 50 से ± 100 | 0 |
| पूंजीगत (दत्तमत) | (-) 24.39 | 0 से ± 25 | 4[6] |
| | | ± 25 से ± 50 | 6[7] |
| | | ± 50 से ± 100 | 7[8] |
| राजस्व (भारित) | (-) 3.75 | 0 से ± 25 | 5[9] |
| | (-) 39.77 | ± 25 से ± 50 | 2[10] |
| | (-) 65.72 | ± 50 से ± 100 | 4[11] |
| पूंजीगत (भारित) | (-) 10.15 | 0 से ± 25 | 2[12] |
| | (-) 45.00 | ± 25 से ± 50 | 1[13] |
| | 0 | ± 50 से ± 100 | 0 |
| हालांकि, राजस्व दत्तमत के तीन अनुदानों (अनुदान संख्या 7, 8, 9) और पूंजीगत सेक्शन के तीन अनुदानों (अनुदान संख्या 2, 8, 9) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। | | | |

समग्र व्यय में राजस्व (दत्तमत) में 12.64 प्रतिशत और पूंजीगत (दत्तमत) में 24.39 प्रतिशत की कमी देखी गई, जिसमें कई अनुदान ±25 प्रतिशत से अधिक विचलित हुए, जो कमजोर अनुमान और प्राथमिकता निर्धारण का संकेत है। राजस्व (भारित) में 3.75 प्रतिशत का मध्यम विचलन दर्ज किया गया, हालांकि कुछ अनुदानों में 71.61 प्रतिशत तक का बड़ा अंतर देखा गया। पूंजीगत (भारित) ने 45 प्रतिशत का विचलन दर्शाया, जो पूर्वानुमान में कमियों को दर्शाता है।

## 2.4 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए प्रभारित और दत्तमत विनियोग अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, सरेंडर और सकल आधार पर पुनर्विनियोग की तुलना में वास्तविक व्यय को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

[4] अनुदान संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 19.

[5] अनुदान संख्या 3, 10, 11, 13 और 20.

[6] अनुदान संख्या 11, 14, 19 और 20.

[7] अनुदान संख्या 5, 6, 10, 12, 17 और 18.

[8] अनुदान संख्या 1, 3, 4, 7, 13, 15 और 16.

[9] अनुदान संख्या 2, 5, 6, 11 और 20.

[10] अनुदान संख्या 3 और 18.

[11] अनुदान संख्या 1, 10, 14 और 17.

[12] अनुदान संख्या 8 और 17.

[13] अनुदान संख्या 19.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न अनुदानों के तहत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुसार है, और यह कि संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत जो व्यय भारित होना चाहिए, उसे तदनुसार ही भारित किया गया है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

## 2.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया

लेखापरीक्षा ने समीक्षा के लिए अनुदान संख्या 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्चतर, तकनीकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास से पांच विभागों[14] और अनुदान संख्या 17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन से दो विभागों[15] का चयन किया। इन दो चयनित अनुदानों के बजट और व्यय की समीक्षा के परिणामों पर क्रमशः अनुच्छेद संख्या 2.5.2 से 2.5.4 और अनुच्छेद संख्या 2.5.6 एवं 2.5.7 में चर्चा की गई है।

### 2.5.1 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, राज्य की समेकित निधि से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जाएगी, जब तक कि उक्त अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा विनियोग न किया गया हो। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए प्राधिकार से अधिक हुए व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित कराना अनिवार्य है। यद्यपि इस अनुच्छेद के तहत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा पूरी होने के बाद किया जाना होता है।

### क. चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी अनुदान या विनियोग के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्राधिकार से अधिक कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया था।

### ख. पिछले वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण

राज्य विधानमंडल से नियमितीकरण के लंबित पिछले वर्षों से संबंधित अतिरिक्त संवितरण ***तालिका 2.5*** में दर्शाए गए हैं।

---

14 (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग।

15 (i) परिवहन विभाग और (ii) लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)।

**तालिका 2.5: पिछले वर्ष (2023-24) से संबंधित अतिरिक्त व्यय का विवरण जिसमें नियमितीकरण की आवश्यकता है**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | मुख्य शीर्ष | मुख्य शीर्ष विवरण | कुल प्रावधान | व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **अनुदान संख्या 8- लोक ऋण (पूंजीगत-भारित)** | | | | |
| | 6003 | राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | 57,607.43 | 58,984.20 | 1,376.77 |
| | 6004 | केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 251.94 | 210.00 | (-) 41.94 |
| | **कुल** | | **57,859.37** | **59,194.20** | **1,334.83** |
| **2** | **अनुदान संख्या 18-सूचना और प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण और लेखन-सामग्री (राजस्व-भारित)** | | | | |
| | 2058 | लेखन-सामग्री और मुद्रण | 0.32 | 0.73 | 0.41 |
| | **कुल** | | **0.32** | **0.73** | **0.41** |
| | **कुल योग** | | **57,859.69** | **59,194.93** | **1,335.24** |

**स्रोत: विनियोग लेखा।**

राज्य की समेकित निधि से होने वाले व्यय पर विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, इन अतिरिक्त व्ययों को यथाशीघ्र नियमित किए जाने की आवश्यकता है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के अतिरिक्त व्यय की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।

राज्य सरकार ने 2021-22 तक के अतिरिक्त व्यय को नियमित कर दिया है।

## 2.5.2 अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध होना

संविधान का अनुच्छेद 205 मूल प्रावधानों से अधिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की आवश्यकता निर्धारित करता है।

यह देखा गया कि 20 मामलों में ***(परिशिष्ट 2.1)*** यद्यपि ₹ 5,671.41 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे, लेकिन व्यय वर्ष 2024-25 के दौरान मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया। इसी प्रकार, तीन मामलों में ₹ 3,268.85 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ ***(परिशिष्ट 2.2)*** क्योंकि अनुपूरक प्रावधानों की पूरी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

**अनुदान संख्या 12 के तहत चयनित विभागों[16] के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा**

अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदानों का विवरण ***तालिका 2.6*** में दिया गया है।

[16] (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग।

**तालिका 2.6: अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदानों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | योजना का वर्गीकरण और नाम | मूल | अनुपूरक | कुल | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| | **अनावश्यक अनुपूरक अनुदान** | | | | |
| 1 | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) - सरकारी माध्यमिक विद्यालय (2202-02-109-86) | 500.00 | 91.13 | 591.13 | 426.69 |
| 2 | चाइल्ड हेल्पलाइन (2235-02-102-62) | 0.00 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
| 3 | एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी) (2235-02-102-92) | 780.00 | 15.00 | 795.00 | 774.79 |
| 4 | पोषण अभियान के लिए योजना (2236-80-102-99) | 26.40 | 27.02 | 53.42 | 0.00 |
| 5 | आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण- राज्य का योगदान (4235-02-102-99-98) | 35.00 | 3.00 | 38.00 | 9.99 |
| | **कुल** | **1,341.40** | **151.03** | **1,492.43** | **1,211.47** |
| | **अत्यधिक अनुपूरक अनुदान** | | | | |
| 6 | सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99) | 550.00 | 115.80 | 665.80 | 593.89 |
| 7 | अनुसूचित जाति घटक के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-793-98) | 89.24 | 24.37 | 113.61 | 113.57 |
| 8 | मातृ एवं शिशु कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम योजना (2236-02-101-87) | 150.00 | 40.00 | 190.00 | 150.63 |
| 9 | पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-101-95) | 111.30 | 84.48 | 195.78 | 170.50 |
| | **कुल** | **900.54** | **264.65** | **1,165.19** | **1,028.59** |
| | **अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान** | | | | |
| 10 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-793-99) | 140.00 | 35.65 | 175.65 | 181.68 |
| 11 | मुख्यालय (डब्ल्यूसीडी) के लिए स्टाफ - स्थापना व्यय (2235-02-001-97-98) | 13.33 | 1.86 | 15.19 | 18.09 |
| 12 | अनुसूचित जातियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-789-98-51) | 50.00 | 10.00 | 60.00 | 140.16 |
| | **कुल** | **203.33** | **47.51** | **250.84** | **339.93** |

पांच मामलों में ₹ 151.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया। चार मामलों में, ₹ 264.65 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह कुल आवश्यकता से अधिक था। दूसरी ओर, तीन मामलों में ₹ 47.51 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि वर्ष 2023-24 के दौरान आकस्मिकता निधि से दी गई राशि को केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के मिलान हिस्से के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया था। प्राथमिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागों से उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2025)।

**अनुदान संख्या 17 के तहत चयनित विभागों[17] के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा**

अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदानों का विवरण ***तालिका 2.7*** में दिया गया है।

[17] लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) और परिवहन विभाग।

**तालिका 2.7: अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदानों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | योजना का वर्गीकरण और नाम | मूल | अनुपूरक | कुल | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| | **अनावश्यक अनुपूरक अनुदान** | | | | |
| 1 | हरियाणा रोडवेज के तहत बस संचालन (3055-201-98) | 2,312.81 | 57.70 | 2,370.51 | 2,278.77 |
| | **कुल** | **2,312.81** | **57.70** | **2,370.51** | **2,278.77** |
| | **अत्यधिक अनुपूरक अनुदान** | | | | |
| 2 | राज्य राजमार्गों के तहत सड़क कार्य (3054-03-337-51) | 40.00 | 50.00 | 90.00 | 67.76 |
| 3 | गुरुग्राम में पचगांव से जमालपुर होते हुए फरुखनगर तक 2-लेन सड़क का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण द्वारा निर्माण (5054-04-337-48-98) | 0.00 | 8.41 | 8.41 | 8.22 |
| 4 | गुरुग्राम में किलोमीटर 0 से 11.50 किलोमीटर तक (एमईएस) चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढ़ीकरण और आईपीबी (आईपीबी - इंटरलॉकिंग पेविंग ब्लॉक) कार्य (5054-04-337-48-99) | 0.00 | 9.19 | 9.19 | 4.67 |
| | **कुल** | **40.00** | **67.60** | **107.60** | **80.65** |
| | **अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान** | | | | |
| 5 | सड़क निर्माण के तहत ग्रामीण सड़कें (3054-04-337-98) | 400.00 | 310.00 | 710.00 | 841.23 |
| 6 | सड़क निर्माण के तहत जिला सड़कें (3054-04-337-99) | 40.00 | 60.00 | 100.00 | 112.76 |
| | **कुल** | **440.00** | **370.00** | **810.00** | **953.99** |

एक मामले में ₹ 57.70 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया। तीन मामलों में, ₹ 67.60 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता से अधिक था। दूसरी ओर, दो मामलों में ₹ 370 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह दर्शाता है कि अनुपूरक प्रावधान किसी वास्तविक आकलन के बिना किए गए थे, जो कि निम्न-स्तरीय बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

### 2.5.3 निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है। 2024-25 के दौरान, 20 अनुदानों ***(परिशिष्ट 2.3)*** के तहत ₹ 46,142.41 करोड़ के पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए थे। सभी पुनर्विनियोग आदेश 31 मार्च 2025 को जारी किए गए थे, जो स्पष्ट रूप से व्यय की सक्रिय निगरानी के अभाव को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 37 योजनाओं[18] ***(परिशिष्ट 2.4)*** में, पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधानों में की गई कटौती (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ से अधिक) अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि इन योजनाओं में अतिरिक्त व्यय हुआ था। छ: योजनाओं[19] में, प्रावधानों में की गई कटौती भी अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि पांच योजनाओं[20] में, प्रावधानों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि व्यय या तो मूल बजट प्रावधान के बराबर था या उस स्तर तक भी नहीं

[18] ***परिशिष्ट 2.4*** की क्रम संख्या 2 से 19, 22 से 30, 32, 35 से 40, 42, 44, 45 और 47

[19] ***परिशिष्ट 2.4*** की क्रम संख्या 33, 38, 48, 49, 52 और 55

[20] ***परिशिष्ट 2.4*** की क्रम संख्या 1, 20, 21, 43 और 50

पहुंच पाया। इसी प्रकार, आठ योजनाओं[21] में, प्रावधानों में की गई वृद्धि अपर्याप्त सिद्ध हुई, क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधियों से अधिक था।

**अनुदान संख्या 12 के तहत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा**

चयनित विभागों[22] की योजना-वार बजट और व्यय की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 12 योजनाओं ***(परिशिष्ट 2.5)*** में, पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधानों में की गई कटौती (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ से अधिक) अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इन मामलों में अतिरिक्त व्यय हुआ था। इसके अतिरिक्त, दो योजनाओं ***(परिशिष्ट 2.5)*** में, प्रावधानों में की गई वृद्धि अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया।

**अनुदान संख्या 17 के तहत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा**

चयनित विभागों (लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) और परिवहन विभाग) की योजना-वार बजट और व्यय की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 13 योजनाओं ***(परिशिष्ट 2.6)*** में, पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधानों में की गई कटौती (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ से अधिक) अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इन मामलों में अतिरिक्त व्यय हुआ था। पांच योजनाओं में प्रावधानों में कटौती अपर्याप्त सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं आया। तीन योजनाओं ***(परिशिष्ट 2.6)*** में, प्रावधानों में की गई वृद्धि अपर्याप्त सिद्ध हुई क्योंकि क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था।

इस प्रकार के उदाहरण निधियों की आवश्यकताओं का आकलन करने और बजटीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में कमजोर वित्तीय योजना और अपर्याप्त निगरानी को दर्शाते हैं।

### 2.5.4 अप्रयुक्त राशि और सरेंडर किए गए विनियोग और/अथवा बड़ी बचतें/सरेंडर

बजट प्रस्तावों को व्यय की गुणवत्ता को संतुलित करने और बजटीय निधियों के कम उपयोग को कम करने के लिए उचित व्यय स्तरों के लिए अनुमानित व्यय को अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए। खर्च करने वाली इकाइयों द्वारा समय पर सरेंडर, अनुमोदित बजट के भीतर इष्टतम पुनर्आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

अनुदानों और विनियोगों के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत दत्तमत सेक्शन के तहत एक अनुदान (अनुदान संख्या 20-नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) में बचत (₹ 161.77 करोड़) (सरेंडर को छोड़कर) ₹ 100 करोड़ से अधिक थी।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान 15 अनुदानों के तहत 26 मामलों में, प्रत्येक मामले ***(परिशिष्ट 2.7)*** में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई।

[21] ***परिशिष्ट 2.4*** की क्रम संख्या 31, 34, 41, 46, 51, 53, 54 और 56

[22] (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग।

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बचत के साथ-साथ उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों का विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** और ***चार्ट 2.4*** में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.4: कुल बचत के साथ-साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण**

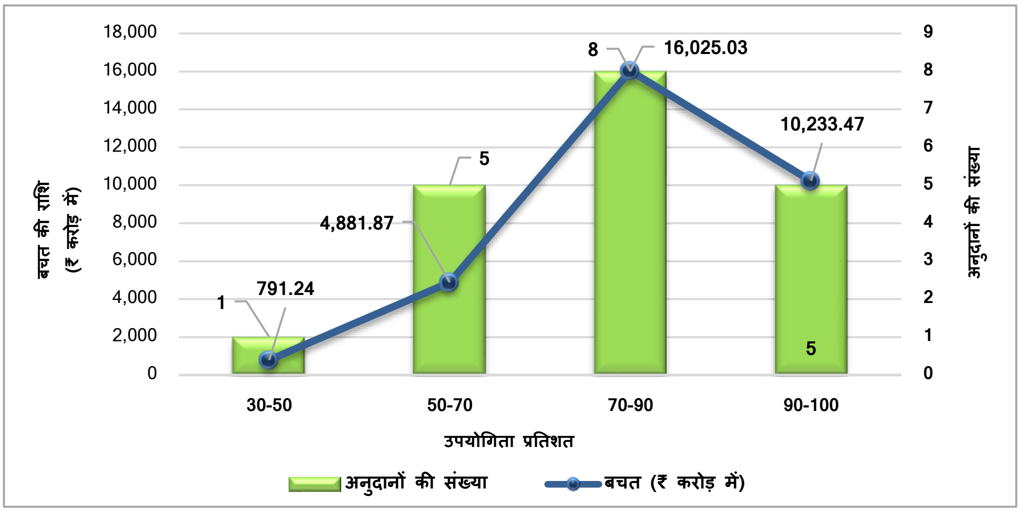


**स्रोत: विनियोग लेखा।**

05 अनुदानों और 02 विनियोगों के तहत ₹ 6,676.69 करोड़ की राशि की बचत ***(परिशिष्ट 2.9)*** को पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं किया गया। मार्च 2025 के अंतिम दिन सरेंडर की गई बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में दिया गया है।

**चार्ट 2.5: वर्ष 2024-25 के लिए बचत और सरेंडर**

**(₹ करोड़ में)**

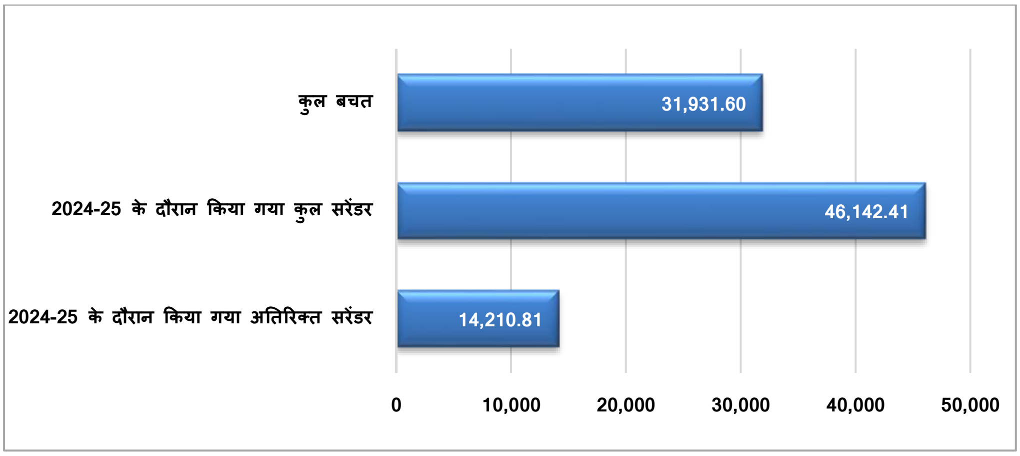


**स्रोत: विनियोग लेखा।**

₹ 31,931.60 करोड़ की वास्तविक बचत के विरुद्ध, पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से ₹ 46,142.41 करोड़ की राशि सरेंडर कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14,210.81 करोड़ (144.50 प्रतिशत) का अतिरिक्त सरेंडर हुआ। यह दर्शाता है कि नियंत्रण अधिकारी अंतिम सरेंडर से पहले वास्तविक व्यय के आंकड़ों की निगरानी या मिलान नहीं कर रहे हैं। यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने और आगामी बजट निर्माण/तैयारी में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

**अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा**

वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा 2024-25 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए पत्र संख्या 2/5/2023-1बीएंडसी दिनांक 30 अक्तूबर 2023 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार, योजना-वार बजट प्रस्ताव वास्तविक होने चाहिए और विभाग की संभावित न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

चयनित विभागों[23] की 45 योजनाओं में, कुल प्रावधान की 12 से 100 प्रतिशत के बीच निरंतर बचत देखी गई, जो वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान अनुमानित वित्तीय परिव्यय को प्राप्त न करने, अकुशल योजना और अवास्तविक अनुमान का सूचक थी; इसका विवरण ***परिशिष्ट 2.11*** में दिया गया है।

## 2.5.5 राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

सरकारी लेखा नियम, 1990 के नियम 30 के अनुसार, वह व्यय जिसके परिणामस्वरूप केवल मूर्त, भौतिक और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, उसे पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने छः अनुदानों के तहत ₹ 2,566.60 करोड़ को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया था। लेखापरीक्षा ने इस दर्ज राशि से संबंधित स्वीकृति आदेशों और व्यय वाउचरों की जांच की। यह देखा गया कि ₹ 2,566.60 करोड़ की राशि ***(परिशिष्ट 2.12)*** विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिए गए सहायता अनुदान/वित्तीय सहायता थी, जिसे ऋण के रूप में दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, मूलधन और ब्याज की वसूली के संबंध में बिना किसी नियम और शर्तों के, इन्हें ऋण नहीं माना जा सकता था। सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 30(1) के नीचे दिए गए नोट के अनुसार, इस राशि को पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए, ₹ 2,566.60 करोड़ की राजस्व प्रकृति के व्यय को पूंजीगत व्यय के तहत दर्ज किया गया था।

इस प्रकार, ₹ 2,566.60 करोड़ का गलत वर्गीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटे को कम करके आंका गया।

## 2.5.6 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय ***तालिका 2.8*** में दिए गए हैं, जिसमें यह स्पष्ट है कि ₹ 18,420.86 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध, 2024-25 के दौरान इन योजनाओं पर ₹ 15,402.91 करोड़ (83.62 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,067.95 करोड़ की कुल बचत हुई। इसके अतिरिक्त, कुल 31 योजनाओं में से 16 योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था, जबकि चार योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान से 10 प्रतिशत से अधिक रहा।

[23] (i) प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग: 28 और (ii) महिला एवं बाल विकास विभाग: 17

**तालिका 2.8: बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम और वर्गीकरण | मूल अनुमान | वास्तविक व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत हैफेड को बाजार शुल्क और जीएसटी की प्रतिपूर्ति (2401-51-108-79-51) | 300.00 | 75.00 | (-) 225.00 |
| 2 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (2401-51-109-80) | 120.00 | 0.98 | (-) 119.02 |
| 3 | फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योजना (2401-51-108-83)) | 200.00 | 38.19 | (-) 161.81 |
| 4 | दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99) | 100.00 | 5.60 | (-) 94.40 |
| 5 | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छता के लिए योजना - सामान्य योजना (2515-51-102-93-99)) | 100.00 | 17.83 | (-) 82.17 |
| 6 | गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना (2403-51-102-69-51) | 425.00 | 0.68 | (-) 424.32 |
| 7 | हिसार में स्वर्ण जयंती एकीकृत विमानन हब (5053-60-102-98-51) | 450.00 | 411.96 | (-) 38.04 |
| 8 | पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-101-95) | 195.78 | 170.50 | (-) 25.28 |
| 9 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2401-51-111-90) | 700.00 | 510.49 | (-) 189.51 |
| 10 | हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (4515-51-101-97) | 624.00 | 499.93 | (-) 124.07 |
| 11 | गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के लिए योजना (2401-51-108-81) | 200.00 | 39.16 | (-) 160.84 |
| 12 | कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (2401-51-109-78) | 100.00 | 0.00 | (-) 100.00 |
| 13 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - सामान्य योजना (2505-02-101-99-99) | 400.00 | 223.80 | (-) 176.20 |
| 14 | एनआरडीडब्ल्यूपी- कवरेज केंद्रीय (4215-01-102-98-99) | 526.00 | 213.27 | (-) 312.73 |
| 15 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन- प्रति बूंद अधिक फसल (2705-51-190-94-51) | 237.00 | 97.51 | (-) 139.49 |
| 16 | हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को ऋण (6416-51-190-99-51) | 672.00 | 636.51 | (-) 35.49 |
| 17 | नहरों और नालों पर पुलों एवं संरचनाओं का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण (4700-80-800-97) | 200.00 | 122.91 | (-) 77.09 |
| 18 | सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99) | 665.80 | 593.89 | (-) 71.91 |
| 19 | प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (2202-01-112-99) | 608.05 | 437.66 | (-) 170.39 |
| 20 | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-109-86-51) | 591.13 | 426.69 | (-) 164.44 |
| 21 | प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी सामान्य) (2216-02-192-99) | 150.00 | 1.04 | (-) 148.96 |
| 22 | सहकारी चीनी मिलों में बिजली सह-उत्पादन और इथेनॉल संयंत्र की स्थापना (6860-04-101-95-51) | 200.00 | 0.00 | (-) 200.00 |
| 23 | ताजे पानी के मत्स्य पालन का विकास - पुन: नामित 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) (2405-51-101-72-51) | 166.06 | 33.08 | (-) 132.98 |
| 24 | जल आपूर्ति हेतु अमृत-II का कार्यान्वयन (4215-01-101-93-51) | 656.00 | 172.09 | (-) 483.91 |
| 25 | सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) के तहत सूक्ष्म सिंचाई के दायरे के विस्तार हेतु संसाधनों का जुटाना (2705-51-188-99-51) | 100.00 | 25.00 | (-) 75.00 |
| 26 | आरकेवीवाई का फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) घटक (2401-51-109-74-51) | 300.00 | 124.95 | (-) 175.05 |
| | **कुल** | **8,986.82** | **4,878.72** | **(-) 4,108.10** |
| 1 | हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण- राज्य योजना के लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण और सुधार (5054-03-337-88-99) | 350.00 | 406.08 | 56.08 |
| 2 | राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना (2810-51-101-98) | 1,000.00 | 1,257.50 | 257.50 |
| 3 | पशु चिकित्सा संस्थानों को खोलना/उन्नयन और सुदृढ़ीकरण (2403-51-101-62-51) | 114.00 | 126.30 | 12.30 |
| 4 | वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना (2235-60-102-98) | 5,288.84 | 6,026.61 | 737.77 |
| 5 | बेसहारा महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता (2235-60-102-96) | 2,681.20 | 2,707.70 | 26.50 |
| | **कुल** | **9,434.04** | **10,524.19** | **1,090.15** |
| | **कुल योग** | **18,420.86** | **15,402.91** | **(-) 3,017.95** |

**नोट: ओई: मूल अनुमान (मूल + अनुपूरक), एई: वास्तविक व्यय, एस: बचत और ई: आधिक्य**

₹ 3,017.95 करोड़ की पर्याप्त बचत के कारण, राज्य सरकार बजट में कई सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित प्रमुख नीतिगत घोषणाओं के लिए निर्धारित निधियां खर्च करने में असमर्थ रही। संबंधित विभागों द्वारा बचत/आधिक्य के मुख्य कारण दावे/मांग की कम/अप्राप्ति, भारत सरकार से निधियों/केंद्रीय हिस्से की कम/गैर-प्राप्ति, बिलों को अंतिम रूप न देना, नए कार्यों की स्वीकृति एवं अधिक लाभार्थियों का नामांकन आदि थे।

इसके अतिरिक्त, 68 योजनाओं के तहत, ***परिशिष्ट 2.13*** में दिए गए विवरण के अनुसार, संशोधित परिव्यय में ₹ 4,248.33 करोड़ का बजट प्रावधान (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक) पूरी तरह से वापस ले लिया गया था।

**अनुदान संख्या 12 के तहत चयनित विभागों[24] के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा।**

अनुदान संख्या 12 की समीक्षा से पता चला कि 18 योजनाओं के तहत किया गया ₹ 273.32 करोड़ का बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ से अधिक) वर्ष (2024-25) के अंत तक अप्रयुक्त रह गया, जिसका विस्तृत विवरण ***तालिका 2.9*** में दिया गया है।

**तालिका 2.9: अनुदान संख्या 12 के तहत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण बजट प्रावधान का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | योजना का नाम | बजट प्रावधान |
|---|---|---|
| 1. | 2202-01-101-95-51-एन-वी- कक्षा VI-VIII (पूर्णकालिक) की सुविधाओं का विस्तार | 20.00 |
| 2. | 2202-01-199-99-51-एन-वी- पीएम श्री (भारत के उदय के लिए पीएम स्कूल) योजना | 64.65 |
| 3. | 2202-01-789-93 पीएम श्री (भारत के उदय के लिए पीएम स्कूल) योजना | 7.50 |
| 4. | 2202-02-110-98-51 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान) | 3.00 |
| 5. | 2202-04-200-97-51 साक्षर भारत योजना का नाम बदलकर पढ़ना-लिखना अभियान, जिसका नाम फिर से न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) रखा गया | 10.00 |
| 6. | 2203-51-105-55-51-एन-वी- पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास | 1.20 |
| 7. | 2203-51-105-82-51-एन-वी- वर्तमान पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण | 1.00 |
| 8. | 2203-51-105-89-51-एन-वी- राज्य में नए सरकारी पॉलिटेक्निक की स्थापना | 2.00 |
| 9. | 2203-51-112-92-51-एन-वी- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकुला की स्थापना | 10.00 |
| 10. | 2235-02-102-69-51-एन-वी- राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्रेच योजना | 20.00 |
| 11. | 2235-02-102-73-51-एन-वी- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया | 55.00 |
| 12. | किशोरियों के लिए योजना [2236-02-101-89] | 2.05 |
| 13. | पोषण अभियान के लिए योजना [पी-02-12-2236-80-102-99-51] | 26.40 |
| 14. | 4202-01-202-97-51 नाबार्ड के तहत सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल भवनों का निर्माण | 40.00 |
| 15. | 4235-02-102-96-51-एन-वी- जेजेबी और सीडब्ल्यूसी (एसएपी) का निर्माण | 5.50 |
| 16. | 4235-02-102-99-99-एन-वी- आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण - नाबार्ड योगदान | 1.00 |
| 17. | 4235-02-103-95-51-एन-वी- ऑनर किलिंग का मुकाबला करने के लिए संरक्षण गृहों (सुरक्षा गृह) का निर्माण | 3.00 |
| 18. | 4235-02-103-96-51-एन-वी- महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित करने हेतु भवन का निर्माण योजना | 1.02 |
| | **कुल** | **273.32** |

इन योजनाओं के संपूर्ण बजटीय प्रावधान को पुनर्वियोजित कर दिया गया और इन योजनाओं के तहत कोई भी व्यय नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि उपर्युक्त

[24] (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग।

18 योजनाओं में से चार योजनाएं[25] पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान लागू नहीं की गई और तीन योजनाएं[26] 2023-24 और 2024-25 के दौरान भी लागू नहीं हुई। संबंधित विभागों द्वारा गैर-उपयोग के मुख्य कारण इन योजनाओं के तहत दावों/मांगों की अप्राप्ति, भारत सरकार से अनुदान/हिस्सा प्राप्त न होना आदि बताए गए। चूंकि इनमें से कई योजनाओं में सामाजिक क्षेत्र का प्रमुख घटक शामिल है, इसलिए यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार लक्षित राशि का आवंटन और उसकी स्वीकृति/उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए।

**अनुदान संख्या 17 के तहत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा**

अनुदान संख्या 17 के तहत चयनित विभागों (लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) और परिवहन विभाग) की समीक्षा से पता चला है कि पांच योजनाओं के तहत किया गया ₹ 182.50 करोड़ का बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ से अधिक) वर्ष (2024-25) के अंत तक अप्रयुक्त रह गया, जिसका विवरण ***तालिका 2.10*** में दिया गया है।

**तालिका 2.10: अनुदान संख्या 17 के तहत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण प्रावधान का विवरण**

**(₹ लाख में)**

| क्र.सं. | योजना का नाम | बजट प्रावधान |
|---|---|---|
| 1. | 3055-201-96 एफ-अन्य व्यय | 125.50 |
| 2. | 5054-04-101-84-97 नाबार्ड योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण | 15.00 |
| 3. | 5054-04-337-47 राष्ट्रीय आवास बैंक की शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ)) के अंतर्गत शहरी अवसंरचना का सृजन | 10.00 |
| 4. | 5054-04-337-49-99 पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के अंतर्गत अंबाला सकल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन | 22.00 |
| 5. | 5054-80-190-99 हरियाणा रेल अवसंरचना विकास के लिए इक्विटी पूंजी | 10.00 |
| | **कुल** | **182.50** |

इन योजनाओं के संपूर्ण बजटीय प्रावधान को पुनर्वियोजित कर दिया गया और इन योजनाओं के तहत कोई भी व्यय नहीं किया गया। संबंधित विभागों द्वारा निधियों के उपयोग न होने के मुख्य कारण परियोजनाओं की कम स्वीकृति/अस्वीकृति, भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुसार मांग प्राप्तियों की प्राप्ति न होना/व्यय न होना आदि बताए गए।

यह इंगित करता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे और अवसंरचना के निर्माण/रखरखाव पर प्रस्तावित व्यय से मिलने वाले इच्छित लाभों से वंचित कर दिया।

### 2.5.7 त्रैमासिक व्यय सीमा का अनुपालन न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 62(3) में प्रावधान है कि विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की तीव्रता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए।

व्यय की स्थिर गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को रोकता है। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए

[25] क्रम संख्या 6, 7, 8, 14.

[26] क्रम संख्या 9, 10, 16.

तिमाही-वार प्रतिशत (पहली तिमाही-25 प्रतिशत; दूसरी तिमाही-20 प्रतिशत; तीसरी तिमाही-25 प्रतिशत; चौथी तिमाही-30 प्रतिशत) निर्धारित किया है।

नीचे दी गई ***तालिका 2.11*** और ***चार्ट 2.7*** के विश्लेषण से पता चलता है कि चौथी तिमाही के दौरान राज्य सरकार का व्यय 28.96 प्रतिशत रहा, जो कि 30 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर था।

**तालिका 2.11: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय की तीव्रता**

| | राशि (₹ करोड़ में) | वर्ष में कुल व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|
| वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025) | 40,061 | 28.96 |
| वर्ष का अंतिम महीना (मार्च 2025) | 17.988 | 13.00 |

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मासिक प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां और नकदी शेष) और व्यय की प्रवृत्ति ***चार्ट 2.6*** और ***चार्ट 2.7*** में दर्शाई गई है।

**चार्ट 2.6: प्राप्तियों का प्रवृत्ति विश्लेषण (माह-वार)**

**(₹ करोड़ में)**

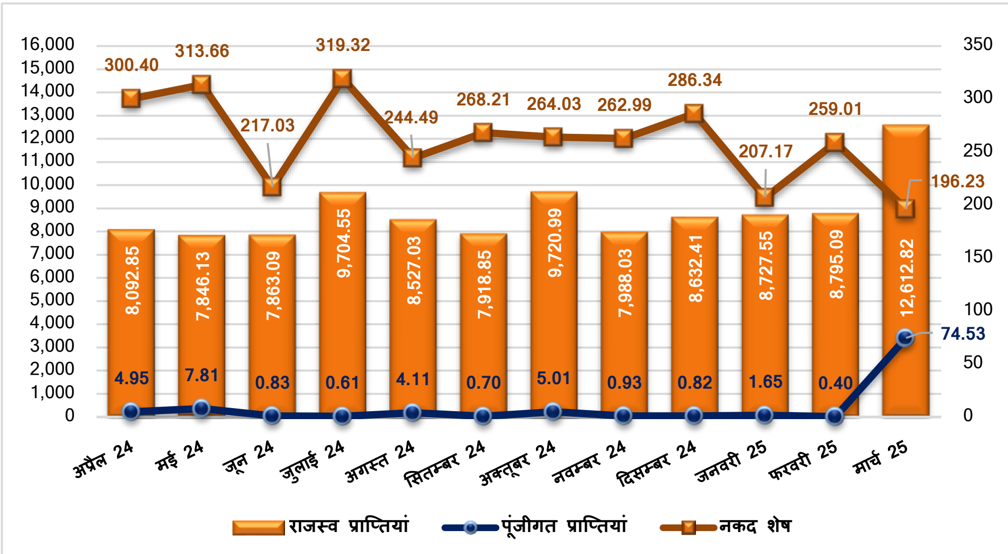


**चार्ट 2.7: व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण (माह-वार)**

**(₹ करोड़ में)**

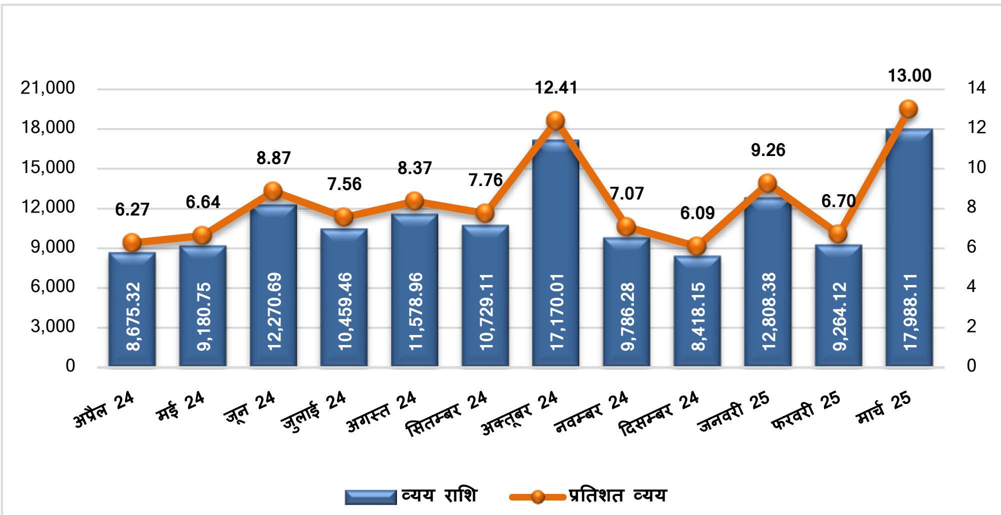

वित्तीय विश्लेषण ₹ 1,38,329.34 करोड़ के कुल व्यय को दर्शाता है, जिसमें महत्वपूर्ण मासिक भिन्नताएं देखी गई हैं। यह व्यय अप्रैल 2024 में ₹ 8,765 करोड़ से मार्च 2025 में ₹ 17,988 करोड़ के चरम स्तर तक रहा। खर्च का यह पैटर्न पूरे वर्ष काफी अस्थिरता को दर्शाता है, जिसमें औसत मासिक व्यय ₹ 11,527 करोड़ रहा। विशेष रूप से, मार्च 2025 में हुआ खर्च कुल वार्षिक व्यय का 13 प्रतिशत है, जो किसी भी एक महीने में होने वाला सर्वाधिक व्यय है। इसके अतिरिक्त, चार्ट सामयिक प्रवृत्तियों को भी दर्शाता है, जिसमें अक्तूबर 2024 में ₹ 17,170 करोड़ (12.41 प्रतिशत) का एक और असामान्य उछाल देखा गया, जो व्यय व्यवहार में संभावित चक्रीय पैटर्न का संकेत देता है।

20 अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-वार व्यय की आगे की जांच से पता चला है कि वर्ष की चौथी तिमाही के लिए 30 प्रतिशत की निर्धारित सीमा की तुलना में, व्यय 31.10 प्रतिशत और 100 प्रतिशत (16 अनुदानों के लिए 46 मुख्य शीर्षों के तहत) के बीच था, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.14*** में बताया गया है। इन मामलों में, वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए ₹ 26,275.87 करोड़ के व्यय में से ₹ 7,698.44 करोड़ (29.30 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2025 के महीने के दौरान किया गया था। इस प्रकार, अंतिम तिमाही के लिए 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध, केवल एक महीने में 29.30 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में कुल 45.63 प्रतिशत व्यय किया गया।

इससे पता चलता है कि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा सभी तिमाहियों में व्यय के समान प्रवाह के संबंध में वित्त विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

**अनुदान संख्या 12 के तहत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा**

चयनित चार[27] विभागों में 26 योजनाओं के तहत ₹ 3,541.80 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 2,004.54 करोड़ (57 प्रतिशत) और महिला एवं बाल विकास विभाग की 16 योजनाओं के तहत ₹ 464.52 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 301.39 करोड़ (65 प्रतिशत) का व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया (जो ₹ दो करोड़ से अधिक और 30 प्रतिशत से ऊपर है)। इसके अतिरिक्त, चार[28] विभागों में ₹ 1,350.17 करोड़ (38 प्रतिशत) और महिला एवं बाल विकास विभाग में ₹ 237.86 करोड़ (51 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2025 के महीने के दौरान किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.15*** में विस्तृत विवरण दिया गया है। अंतिम तिमाही में विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय करना, अपर्याप्त बजटीय निगरानी और नियंत्रण को इंगित करता है।

मामले को संबंधित विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई 2025)। शिक्षा विभाग (प्राथमिक) ने बताया (जुलाई 2025) कि वर्ष की चौथी तिमाही में व्यय की अधिकता वित्त विभाग द्वारा फरवरी 2025 में कैपिंग सीमा में ढील देने और सत्र 2024-25 के लिए चौथी तिमाही में दूसरी और तीसरी किस्तें जारी करने के कारण थी। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्तूबर 2025)।

[27] (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग और (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग।

[28] (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग और (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग।

**अनुदान संख्या 17 के तहत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा**

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) की पांच योजनाओं के तहत ₹ 238.11 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 123.84 करोड़ (52 प्रतिशत) और परिवहन विभाग की दो योजनाओं के तहत ₹ 242.34 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 215.18 करोड़ (89 प्रतिशत) का व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया (जो ₹ दो करोड़ से अधिक और 30 प्रतिशत से अधिक है)। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) में ₹ 28.96 करोड़ (12 प्रतिशत) और परिवहन विभाग में ₹ 127.17 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2025 के महीने के दौरान किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.16*** में विवरण दिया गया है। अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय करना, कमजोर बजटीय निगरानी और नियंत्रण को दर्शाता है।

**चार्ट 2.8: मुख्य शीर्ष 3054-सड़क एवं पुल के अंतर्गत माह-वार व्यय (₹ करोड़ में)**

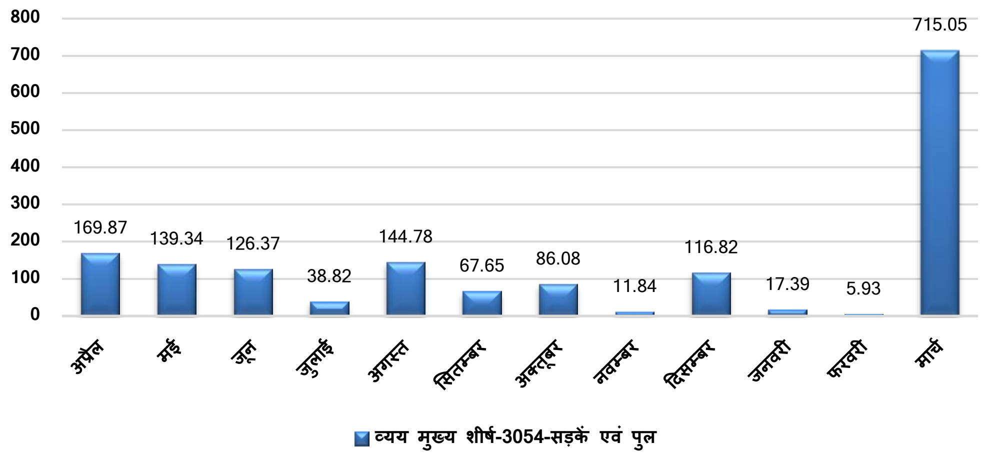


**स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा का कार्यालय**

## 2.6 एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनिवार्य रूप से निधियां जारी करने और उनके उपयोग की निगरानी करने का आदेश दिया (मार्च 2021)। प्रत्येक एकल नोडल एजेंसी का एक अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक समर्पित बैंक खाता होना अनिवार्य है। राज्य सरकार को प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में अंतरित करना अपेक्षित है।

राज्य सरकार के अनुसार, वर्ष के दौरान उसके ट्रेजरी खाते में केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,372.74 करोड़ प्राप्त हुए थे। 31 मार्च 2025 तक, राज्य सरकार ने ₹ 2,254.81 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹ 4,175.71 करोड़ का राज्य का हिस्सा एकल नोडल एजेंसियों को अंतरित कर दिया था। ₹ 6,430.52 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से ₹ 20.84 करोड़ सार आकस्मिक बिलों' के माध्यम से, ₹ 3,262.64 करोड़ सहायता अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 3,147.04 करोड़ पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए थे। तथापि, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को संबंधित एकल नोडल एजेंसियों

से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे, जिनके अभाव में लेखापरीक्षा में उपयोग की सीमा की जांच नहीं की जा सकी।

केंद्रीय हिस्सा ₹ 2,372.74 करोड़ की तुलना में, अंतरण ₹ 2,254.81 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 117.93 करोड़ का कम अंतरण हुआ और इस प्रकार इस सीमा तक नकद शेष को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। हालांकि, पीएफएमएस-एसएनए पोर्टल की एसएनए 01 रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने एकल नोडल एजेंसियों को ₹ 1,878.51 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹ 1,687.43 करोड़ का राज्य अंश अंतरित किया। राज्य सरकार द्वारा सूचित आंकड़ों और पीएफएमएस-एसएनए की एसएनए-01 रिपोर्ट के बीच के अंतर का मिलान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया और एसएनए की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक एकल नोडल एजेंसियों के बैंक खातों में ₹ 1,006.30 करोड़ खर्च किए बिना पड़े थे।

## 2.7 एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकारों को एसएनए-स्पर्श मॉडल के तहत एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में निधियों के केंद्र और राज्य दोनों हिस्से को अंतरित करना अपेक्षित है। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य अभी भी अंतरण के लिए विभिन्न तरीके अपना रहा है, जैसे कि सहायता अनुदान (जीआईए) बिल, सार आकस्मिक (एसी) बिल और पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक बिल। इसके अतिरिक्त, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को एसएनए से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे।

एसएनए-स्पर्श मॉडल के तहत, प्रत्येक राज्य को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अनुरूप प्रत्येक राज्य-संबद्ध योजना के कार्यान्वयन के लिए एक एसएनए नामित करना आवश्यक है और सभी निधियां विशेष रूप से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से जारी की जानी चाहिए। ऑनबोर्ड होने पर, वर्तमान एसएनए खातों को बंद कर दिया जाना चाहिए और अव्ययित शेष राशि में से केंद्रीय हिस्से को भारत की समेकित निधि में तथा राज्य के अंश को संबंधित राज्य की समेकित निधि में वापस कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी एसएनए और कार्यान्वयन एजेंसियों का राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) में पंजीकृत होना अनिवार्य है और नकदी प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, निधियों को व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों या अन्य मध्यस्थ खातों के माध्यम से भेजे बिना, सीधे लाभार्थियों या विक्रेताओं को आवश्यकतानुसार तत्काल आधार पर जारी किया जाना है।

हरियाणा में, 31 मार्च 2025 तक एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग के लिए कुल 33 सीएसएस {72 राज्य से जुड़ी योजनाओं (एसएलएस) के साथ} की पहचान की गई है। इनमें से 16 सीएसएस (47 एसएलएस) को पहले ही सफलतापूर्वक शामिल किया जा चुका है, जो माइग्रेशन प्रक्रिया में पर्याप्त प्रगति का संकेत देता है।

हालांकि, 31 मार्च 2025 तक 11 सीएसएस (14 एसएलएस) को अभी तक शामिल नहीं किया गया है और वे विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर लंबित हैं, जो राज्य के विभागों और संबंधित

मंत्रालयों के बीच निरंतर समन्वय की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 तक ऐसे छः सीएसएस (11 एसएलएस) की पहचान की गई है जो एसएनए-स्पर्श मॉडल के दायरे से बाहर हैं।

मंत्रालय के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने और एसएनए-स्पर्श के तहत निर्बाध निधि प्रवाह प्रबंधन प्राप्त करने के लिए शेष योजनाओं को शीघ्र माइग्रेशन के लिए प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

## 2.8 चयनित अनुदानों की विस्तृत समीक्षा में पाए गए अन्य मामले

### 2.8.1 अनुदान संख्या 12 की समीक्षा

अनुदान संख्या 12 के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के तहत समग्र बजटीय प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत ***तालिका 2.12*** में दी गई है।

**तालिका 2.12: अनुदान संख्या 12 के तहत बजट और व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| व्यय की प्रकृति | | मूल प्रावधान | अनुपूरक | कुल | वास्तविक व्यय | बचत (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | दत्तमत | 21,277.08 | 460.22 | 21,737.30 | 19,815.56 | (-) 1,921.74 (9) |
| पूंजीगत[29] | दत्तमत | 1,780.70 | 3.00 | 1,783.70 | 1,162.29 | (-) 621.41 (35) |
| **कुल योग** | | **23,057.78** | **463.22** | **23,521.00** | **20,977.85** | **(-) 2,543.15 (11)** |

**स्रोत: विनियोग लेखा।**

अनुदान संख्या 12 के तहत, चार[30] मुख्य शीर्ष शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी) से संबंधित हैं, जबकि तीन[31] मुख्य शीर्ष महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित हैं।

***इन चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:***

**लेखापरीक्षा निष्कर्ष**

***(i) बजट और व्यय***

पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के लिए चयनित विभागों[32]/शीर्षों के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के तहत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति ***तालिका 2.13*** में दी गई है।

---

29 मुख्य शीर्ष 6202 के तहत शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण शामिल हैं।

30 2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 4202-शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय और 6202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण।

31 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।

32 (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग।

**तालिका 2.13: चयनित विभागों का बजट और व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | व्यय की प्रकृति | मूल | अनुपूरक | कुल | व्यय | आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में) | सरेंडर की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग** | | | | | | | |
| **2022-23** | राजस्व (दत्तमत) | 18,462.72 | 1,705.60 | 20,168.32 | 17,652.59 | (-) 2,515.73 (12) | 2,733.05 |
| | पूंजीगत[33] (दत्तमत) | 1,698.32 | 30.00 | 1,728.32 | 937.13 | (-) 791.19 (46) | 890.97 |
| **2023-24** | राजस्व (दत्तमत) | 19,151.37 | 129.09 | 19,280.46 | 16,450.37 | (-) 2,830.09 (15) | 2,760.05 |
| | पूंजीगत[33] (दत्तमत) | 1,200.40 | 942.36 | 2,142.76 | 1,651.28 | (-) 491.48 (23) | 485.88 |
| **2024-25** | राजस्व (दत्तमत) | 19,428.84 | 266.95 | 19,695.79 | 18,203.80 | (-) 1,491.99 (8) | 1,759.17 |
| | पूंजीगत[33] (दत्तमत) | 1,560.18 | 0 | 1,560.18 | 1,100.56 | (-) 459.62 (29) | 523.01 |
| **महिला एवं बाल विकास विभाग** | | | | | | | |
| **2022-23** | राजस्व (दत्तमत) | 1,867.38 | 60.46 | 1,927.84 | 1,394.39 | (-) 533.45 (28) | 411.63 |
| | पूंजीगत (दत्तमत) | 151.86 | 0 | 151.86 | 70.12 | (-) 81.74 (54) | 83.57 |
| **2023-24** | राजस्व (दत्तमत) | 1,923.75 | 67.89 | 1,991.64 | 1,388.68 | (-) 602.96 (30) | 547.11 |
| | पूंजीगत (दत्तमत) | 123.00 | 24.73 | 147.73 | 37.61 | (-) 110.12 (75) | 120.64 |
| **2024-25** | राजस्व (दत्तमत) | 1,813.22 | 193.27 | 2,006.49 | 1,599.46 | (-) 407.03 (20) | 200.72 |
| | पूंजीगत (दत्तमत) | 125.52 | 3.00 | 128.52 | 61.73 | (-) 66.79 (52) | 77.88 |

चयनित विभागों के बजट और व्यय के विश्लेषण से पता चला कि:

- 2022-23 से 2024-25 के दौरान, चयनित शिक्षा विभागों[34] (मुख्य शीर्ष 2202 और 2203) ने ₹ 1,491.99 करोड़ (8 प्रतिशत) और ₹ 2,830.09 करोड़ (15 प्रतिशत) के बीच अप्रयुक्त बजट प्रावधान/बचत दर्ज की। इसी प्रकार, महिला एवं बाल विकास विभाग (मुख्य शीर्ष 2235 और 2236) ने इसी अवधि के लिए ₹ 407.03 करोड़ (20 प्रतिशत) और ₹ 602.96 करोड़ (30 प्रतिशत) के बीच बचत की सूचना दी।

- राजस्व सेक्शन के तहत, कुल बचत में से, चयनित विभागों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी शिक्षा मुख्य शीर्ष 2202 और 2203) के तहत में ₹ 70.04 करोड़ (2023-24) और महिला एवं बाल विकास विभाग (मुख्य शीर्ष 2235 और 2236) में ₹ 121.82 करोड़ (2022-23), ₹ 55.85 करोड़ (2023-24), ₹ 206.31 करोड़ (2024-25) की राशि बिना सरेंडर किए रह गई। इसके अतिरिक्त, चयनित विभागों (मुख्य शीर्ष 4202 और 6202 के तहत प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी शिक्षा) ने 2022-23 में ₹ 217.32 करोड़ और 2024-25 में ₹ 267.18 करोड़ की राशि उपलब्ध बचत से अधिक सरेंडर की।

- 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान, राजस्व सेक्शन के तहत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक हो गए, क्योंकि दोनों चयनित विभागों में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंच पाया।

- पूंजीगत सेक्शन में, 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान चयनित विभागों (मुख्य शीर्ष 4202 और 6202 के तहत प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी शिक्षा) ने ₹ 459.62 करोड़ और ₹ 791.19 करोड़ के बीच बचत दर्ज की, जबकि महिला एवं

---

[33] इसमें अनुदान संख्या 12 के मुख्य शीर्ष 6202 के तहत केवल शिक्षा विभाग के लिए ऋण शामिल हैं।

[34] प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग।

बाल विकास विभाग (मुख्य शीर्ष 4235) ने ₹ 66.79 करोड़ और ₹ 110.12 करोड़ के बीच बचत दर्ज की।

संबंधित विभागों द्वारा बचत के लिए बताए गए प्राथमिक कारण रिक्त पदों को न भरना, मांग/दावों की अप्राप्ति या कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, प्रस्तावों को अंतिम रूप न देना, सामान की कम खरीद, आदि थे।

### *(ii) आवंटन की तुलना में बचत*

वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा 2024-25 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए पत्र संख्या 2/5/2023-1बीएंडसी दिनांक 30 अक्तूबर 2023 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार, योजना-वार बजट प्रस्ताव वास्तविक होने चाहिए और विभाग की संभावित न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

चयनित विभागों[35] के योजना बजट और व्यय की समीक्षा से पता चला कि 31 योजनाओं में, ₹ 1,352.29 करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में ₹ 368.17 करोड़ (27 प्रतिशत) का व्यय किया गया था, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने ₹ 648.25 करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में 19 योजनाओं में ₹ 167.56 करोड़ (26 प्रतिशत) खर्च किए ***(परिशिष्ट 2.17)***। इसके अतिरिक्त, इन 50 योजनाओं में से 37 योजनाओं में उनके आवंटित बजट की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की बचत दर्ज की गई।

विभागों ने इन बचतों के लिए कई कारकों को उत्तरदायी ठहराया, जिनमें कार्यों को अंतिम रूप न देना, कम मांग, भारत सरकार से अनुदान में कटौती/अनुदान की अप्राप्ति, विभागीय प्रस्तावों को स्वीकृति न मिलना, नई शुरू की गई योजनाओं के तहत कम मांग, क्षेत्रीय कार्यालयों से पिछले वर्ष के उपयोग प्रमाण पत्र लंबित होना, निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी आदि शामिल हैं।

विभागों ने न केवल पंजाब बजट मैनुअल और वित्त विभाग द्वारा निर्धारित बजटीय नियंत्रणों की अनदेखी की, बल्कि राज्य के बजट पर समग्र निगरानी और वित्तीय नियंत्रण रखने में भी विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकास उद्देश्यों के लिए निधियों से वंचित होना पड़ा।

### *(iii) वर्ष के अंत में निधियां जारी होने से उनका उपयोग न हो पाना*

पंजाब वित्तीय नियमावली खंड-I का नियम 2.10 (ख) 5 यह प्रावधान करता है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तब तक सरकारी खजाने से कोई पैसा न निकाला जाए जब तक कि वह तत्काल संवितरण के लिए आवश्यक न हो या स्थायी अग्रिम से पहले ही भुगतान न किया जा चुका हो। सरकारी खजाने से ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए अग्रिम राशि आहरित करना अनुमत नहीं है, जिनके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना हो।

अनुदान संख्या 12 के तहत शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और विविध निर्माण कार्यों के

[35] प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग।

लिए ₹ 108.47 करोड़ की राशि (जुलाई 2024 से फरवरी 2025 के दौरान) स्वीकृत की गई थी। यह राशि वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत (दिनांक 30/31 मार्च 2025) में खजाने से आहरित की गई और राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी), हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) को अंतरित कर दी गई।

प्राथमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर दिया कि बिल समय पर जमा कर दिए गए थे, लेकिन खजाने द्वारा मार्च 2025 के अंत में जारी किए गए। हालांकि, खजाने द्वारा बिलों को रोकने के कारण नहीं बताए गए। वर्ष के अंत में निधियां जारी करने से निधियों के समय पर उपयोग का उद्देश्य विफल हो जाता है।

### *(iv) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना बैंक खाते संचालित करना*

वित्त विभाग[36] द्वारा मई 2024 में जारी निर्देशों के अनुसार, विभागाध्यक्ष द्वारा उनके (पदनाम) या विभाग में कार्यरत किसी अन्य अधिकारी के नाम (पदनाम) से संचालित किए जा रहे सभी बैंक खातों को तत्काल बंद करना था और उक्त बैंक खाते में पड़ी राशि को राज्य के खजाने में जमा करना था, जब तक कि 1 अप्रैल 2014 के बाद वित्त विभाग द्वारा इसके लिए विशेष अनुमति न दी गई हो।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना एक बैंक खाता संचालित किया जा रहा है, जो वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है, जैसा कि ***तालिका 2.14*** में विवरण दिया गया है।

**तालिका 2.14: बैंक खाते का विवरण**

| क्र.सं. | बैंक का नाम | बैंक खाता नंबर | योजना का नाम | खाते की प्रकृति | 31 मार्च 2025 को शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एचडीएफसी | 50100467147689 | किशोर न्याय निधि | बचत | 3,06,86,541 |

मामला विभाग को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था (जुलाई 2025)। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2025)।

### *(v) निधियों को रखना*

अनुदान संख्या 12-महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि 31 मार्च 2025 तक निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के 17 एसएनए/बैंक खातों में ₹ 169.50 करोड़ की राशि पड़ी थी ***(परिशिष्ट 2.18)***।

मामले को विभाग के संज्ञान में उनकी टिप्पणियों के लिए लाया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2025)।

### *(vi) एकल नोडल खाता खोलने में विलंब*

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत निधियां जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में कार्यालय ज्ञापन, फाइल संख्या 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 1 जुलाई 2021

[36] वित्त विभाग, हरियाणा सरकार का पत्र संख्या 28/21/2012-5बी एंड सी दिनांक 29-05-2014

से प्रभावी हुए। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पुनः निर्देश जारी किए थे (मार्च 2022), जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का अनुदान जारी करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 31 मार्च 2022 तक राज्य को जारी की गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निधि के केंद्रीय हिस्से का पूरा अनुदान एकल नोडल खाते (एसएनए) में अंतरित कर दिया गया है और उसके समानुपाती राज्य के पूर्ण हिस्से को भी एकल नोडल खाते में जमा कर दिया गया है। एकल नोडल खाते में अर्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया गया है। एकल नोडल खाते के बैंक खातों में उपलब्ध निधियां, 2022-23 में किसी राज्य को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी किए जाने वाली राशि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 10 सरकारी पॉलिटेक्निक के लिए पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी) घटक के तहत हरियाणा राज्य (तकनीकी शिक्षा विभाग) को सीएसएस अनुदान के रूप में ₹ एक करोड़ स्वीकृत किए (जून 2021)। आगामी वर्षों के लिए आवर्ती वित्तीय सहायता पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद देय थी। यह देखा गया कि विभाग द्वारा एकल नोडल खाता 28 फरवरी 2024 को खोला गया था, जबकि अनुदान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ही जारी कर दिया गया था। अनुदान की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ₹ एक करोड़ में से, ₹ 70.93 लाख (73.93 प्रतिशत) की अव्ययित राशि विभाग द्वारा फरवरी 2024 और मार्च 2025 के बीच एकल नोडल खाते में जमा की गई थी। निधियों के इस कम उपयोग के कारण, विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद सीडीटीपी योजना के तहत कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एसएनए खाते में पर्याप्त अव्ययित राशि शेष रह गई।

### *(vii) अनुदान पर अर्जित ब्याज को सरकारी खातों में जमा न करना*

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया (मार्च 2022) कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 230(8) के अनुसार आनुपातिक आधार पर संबंधित समेकित निधियों में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए।

11 जुलाई 2025 तक 16 एकल नोडल खातों में ₹ 18.09 करोड़ की ब्याज राशि प्राप्त हुई है। ₹ 18.09 करोड़ में से, सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज का केवल ₹ 7.49 करोड़ विभाग द्वारा संबंधित समेकित निधि में प्रेषित किया गया था, जैसा कि ***तालिका 2.15*** में विवरण दिया गया है।

**तालिका 2.15: सरकारी खाते में क्रेडिट किए गए और जमा किए गए ब्याज का विवरण**

| क्र. सं. | योजना का नाम | (11 जुलाई 2025 तक) (₹ लाख में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | एसएनए में जमा कुल ब्याज | केंद्रीय हिस्से के रूप में जमा ब्याज | ब्याज की शेष राशि |
| 1. | आंगनबाड़ी केंद्र का उन्नयन/निर्माण | 76.44 | 17.76 | 58.68 |
| 2. | आंगनवाड़ी सेवाएं | 445.52 | 184.33 | 261.19 |
| 3. | अनुसूचित जाति की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को वित्तीय सहायता | 30.99 | 18.45 | 12.54 |
| 4. | पूरक पोषण कार्यक्रम | 371.71 | 101.93 | 269.78 |
| 5. | अनुसूचित जातियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम | 27.06 | 13.29 | 13.77 |
| 6. | किशोरियों के लिए योजना | 5.11 | 1.01 | 4.10 |
| 7. | पोषण अभियान के लिए योजना | 134.07 | 70.04 | 64.03 |
| 8. | एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया | 253.54 | 105.12 | 148.42 |
| 9. | गैर-संस्थागत/देखभाल प्रायोजन/पालक देखभाल/पश्चातवर्ती देखभाल | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 10. | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना | 17.73 | 0.79 | 16.94 |
| 11. | महिला हेल्पलाइन | 1.36 | 0.55 | 0.81 |
| 12. | महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर | 8.02 | 2.97 | 5.05 |
| 13. | महिला शक्ति केंद्र का नाम बदलकर महिला सशक्तिकरण केंद्र किया गया | 44.42 | 28.65 | 15.77 |
| 14. | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | 348.73 | 203.76 | 144.97 |
| 15. | हरियाणा राज्य क्रेच योजना (पालना) | 39.95 | 0.00 | 39.95 |
| 16. | आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह (पालना) | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
| | **कुल** | **1,808.90** | **748.65** | **1,060.25** |

मामले को विभाग के संज्ञान में उनकी टिप्पणियों के लिए लाया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2025)।

## 2.8.2 अनुदान संख्या 17 की समीक्षा

अनुदान संख्या 17 के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के तहत समग्र बजटीय प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत ***तालिका 2.16*** में दी गई है।

**तालिका 2.16: अनुदान संख्या 17 के तहत बजट और व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| व्यय की प्रकृति | | मूल प्रावधान | अनुपूरक | कुल | वास्तविक व्यय | बचत (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व | दत्तमत | 5,336.17 | 787.70 | 6,123.87 | 5,750.69 | (-) 373.18 (6) |
| | भारित | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | (-) 0.05 (100) |
| पूंजीगत[37] | दत्तमत | 5,191.56 | 22.60 | 5214.16 | 3,287.61 | (-) 1,926.55 (37) |
| | भारित | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 72.88 | (-) 7.12 (9) |
| **कुल योग** | | **10,607.78** | **810.30** | **11,418.08** | **9,111.18** | **(-) 2,306.90 (20)** |

**स्रोत: विनियोग लेखा।**

अनुदान संख्या 17 के तहत, दो[38] मुख्य शीर्ष लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) से संबंधित हैं, जबकि दो[39] मुख्य शीर्ष परिवहन विभाग से संबंधित हैं।

[37] इसमें मुख्य शीर्ष 6202 के तहत शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण शामिल हैं।

[38] 3054-सड़कें और पुल, 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय।

[39] 3055-सड़क परिवहन, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।

***इन दो चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:***

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### *(i) बजट और व्यय*

पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के लिए दो चयनित विभागों के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के तहत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति ***तालिका 2.17*** में दी गई है।

**तालिका 2.17: चयनित विभागों का बजट और व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | व्यय की प्रकृति | मूल | अनुपूरक | कुल | व्यय | आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में) | सरेंडर की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)** | | | | | | | |
| 2022-23 | राजस्व (दत्तमत) | 1,033.01 | 43.00 | 1,076.01 | 650.37 | (-) 425.64 (40) | 107.83 |
| | पूंजीगत (दत्तमत) | 2,040.37 | 0.00 | 2,040.37 | 3,657.38 | (+) 1,617.01 (179) | 0.00 |
| | पूंजीगत (भारित) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 28.70 | (-) 21.30 (43) | 20.15 |
| 2023-24 | राजस्व (दत्तमत) | 1,530.81 | 500.00 | 2,030.81 | 1,346.26 | (-) 684.55 (34) | 626.63 |
| | पूंजीगत (दत्तमत) | 2,505.00 | 693.28 | 3,198.28 | 2,610.92 | (-) 587.36 (18) | 586.11 |
| | पूंजीगत (भारित) | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 133.55 | (-) 16.45 (11) | 15.29 |
| 2024-25 | राजस्व (दत्तमत) | 1,133.91 | 420.00 | 1,553.91 | 1,639.94 | (+) 86.03 (106)) | (आर) 91.79 |
| | पूंजीगत (दत्तमत) | 2,987.00 | 17.60 | 3,004.60 | 2,347.01 | (-) 657.59 (22) | 687.66 |
| | पूंजीगत (भारित) | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 72.88 | (-) 7.12 (9) | 9.83 |
| **परिवहन विभाग** | | | | | | | |
| 2022-23 | राजस्व (दत्तमत) | 2,470.55 | 318.66 | 2,789.21 | 2,412.77 | (-) 376.44 (13) | 485.74 |
| | पूंजीगत (दत्तमत) | 281.56 | 350.00 | 631.56 | 447.19 | (-) 184.37 (29) | 251.32 |
| 2023-24 | राजस्व (दत्तमत) | 2,978.71 | 0.00 | 2,978.71 | 2,574.54 | (-) 404.17 (14) | 497.23 |
| | पूंजीगत (दत्तमत) | 402.55 | 0.00 | 402.55 | 371.94 | (-) 30.61 (8) | 30.61 |
| 2024-25 | राजस्व (दत्तमत) | 2,925.36 | 87.70 | 3,013.06 | 2,827.47 | (-) 185.59 (6) | 345.63 |
| | पूंजीगत (दत्तमत) | 401.55 | 0.00 | 401.55 | 136.65 | (-) 264.90 (66) | 362.54 |

दो चयनित विभागों के बजट और व्यय के विश्लेषण से पता चला कि:

- राजस्व सेक्शन के तहत, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने 2022-23 में ₹ 425.64 करोड़ और 2023-24 में ₹ 684.55 करोड़ के अप्रयुक्त बजट प्रावधान/बचत दर्ज किए, लेकिन 2024-25 के दौरान ₹ 86.03 करोड़ से अधिक का व्यय किया गया। परिवहन विभाग ने 2022-25 की अवधि के दौरान ₹ 185.59 करोड़ (छः प्रतिशत) और ₹ 404.17 करोड़ (14 प्रतिशत) के बीच बचत की सूचना दी।

- राजस्व सेक्शन के तहत, कुल बचत में से लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) में ₹ 317.81 करोड़ (2022-23), ₹ 57.92 करोड़ (2023-24) की राशि बिना सरेंडर किए रह गई। हालांकि, परिवहन विभाग ने 2022-25 के दौरान उपलब्ध बचत से अधिक ₹ 93.06 करोड़ से ₹ 160.04 करोड़ के बीच की राशि सरेंडर कर दी।

- राजस्व सेक्शन के तहत, दोनों विभागों में वर्ष 2022-23 के दौरान, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) में वर्ष 2023-24 के दौरान और परिवहन विभाग में वर्ष 2024-25 के दौरान पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि दोनों चयनित विभागों में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंच पाया। दूसरी ओर,

वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹ 420 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान पर्याप्त नहीं था।

- पूंजीगत सेक्शन में, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा वर्ष 2022-23 में ₹ 1,617.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया और वर्ष 2023-24 में ₹ 587.36 करोड़ और ₹ 657.59 करोड़ की बचत दर्ज की गई। परिवहन विभाग ने 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान ₹ 30.61 करोड़ से ₹ 264.90 करोड़ के बीच बचत दर्ज की।

इसके अतिरिक्त, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के कार्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि चार योजनाओं[40] में बजट आवंटन के लिए कोई प्रारंभिक मांग प्रस्तुत नहीं की गई थी, लेकिन वित्त विभाग द्वारा बजट 2024-25 में ₹ 92 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी; ₹ 92 करोड़ के बजट प्रावधान का स्पष्टीकरण करने वाला कोई भी सहायक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। संयोगवश, ₹ 92 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध केवल ₹ 1.27 करोड़ ही खर्च किए गए।

योजनाओं की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि ***तालिका 2.18*** (क्रम संख्या 1 से 4) में दी गई चार योजनाओं में ₹ 1,720 करोड़ के विभागीय प्रस्ताव के विरूद्ध, वित्त विभाग ने केवल ₹ 1,210 करोड़ आवंटित किए, जबकि वास्तविक व्यय ₹ 1,453.92 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, तीन योजनाओं (क्रम संख्या 5 से 7) में विभागीय प्रस्ताव वास्तविक नहीं था, क्योंकि ₹ 90.65 करोड़ के बजट प्रस्ताव के विरूद्ध वास्तविक व्यय केवल ₹ 13.88 करोड़ ही हुआ।

**तालिका 2.18: विभागीय बजट प्रस्तावों के विरुद्ध आवंटित बजट**

| क्र. सं. | योजना का नाम | विभागीय बजट प्रस्ताव | वित्त विभाग द्वारा आवंटित बजट | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|
| **विभागीय बजट प्रस्तावों को कम किया गया लेकिन आवंटित बजट से अधिक खर्च किया गया** | | | | |
| 1. | 3054-04-337-98 ग्रामीण सड़कें | 900.00 | 710.00[41] | 841.23 |
| 2 | 3054-04-337-99 जिला सड़कें | 300.00 | 100.00[42] | 112.76 |
| 3 | 5055-03-101-81-99 राज्य योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण | 80.00 | 50.00 | 93.85 |
| 4. | 5055-03-337-88-99 राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण और सुधार | 440.00 | 350.00 | 406.08 |
| | **कुल** | **1,720.00** | **1,210.00** | **1,453.92** |
| **विभागीय बजट प्रस्तावों को कम किया गया लेकिन आवंटित बजट के एक कम हिस्से का उपयोग किया गया** | | | | |
| 5. | 3054-01-337-98 हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल प्रभारों में राहत | 0.20 | 0.10 | शून्य |
| 6. | 3054-01-337-99 राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का रखरखाव और मरम्मत | 0.45 | 0.30 | 0.02 |
| 7. | 5054-04-789-99-99 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत के तहत राज्य का अंशदान | 90.00 | 70.00 | 13.86 |
| | **कुल** | **90.65** | **70.40** | **13.88** |

40 (i) हरियाणा में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए राज्य का हिस्सा, (ii) अंबाला सर्कल सीएफसी (एसएफसी) में ग्रामीण सड़कों का रखरखाव और उन्नयन (iii) हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम को निवेश इक्विटी पूंजी, (iv) राष्ट्रीय आवास बैंक के शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत शहरी अवसंरचना का निर्माण।

41 मूल बजट: ₹ 400 करोड़ + अनुपूरक: ₹ 310 करोड़।

42 मूल बजट: ₹ 40 करोड़ + अनुपूरक: ₹ 60 करोड़।

### *(ii) आवंटन की तुलना में बचत*

चयनित विभागों के बजट और व्यय की समीक्षा से पता चला कि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने ₹ 1,166.19 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध 15 योजनाओं में ₹ 523.53 करोड़ (45 प्रतिशत) का व्यय किया, जबकि परिवहन विभाग ने ₹ 655.69 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध चार योजनाओं में ₹ 339.78 करोड़ (52 प्रतिशत) खर्च किए ***(परिशिष्ट 2.19)***। इसके अतिरिक्त, इन 19 योजनाओं में से आठ योजनाओं में उनके आवंटित बजट के विरूद्ध 50 प्रतिशत से अधिक की बचत दर्ज की गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि बजट का आवंटन अवास्तविक था।

### *(iii) सतत बचत*

छः योजनाओं (लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें): 4 और परिवहन विभाग: 2) में, कुल प्रावधान के 16 से 100 प्रतिशत के बीच निरंतर बचत हुई, जो 2022-23 से 2024-25 के दौरान संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अकुशल योजना और अवास्तविक अनुमान का संकेत था; इसका विवरण ***परिशिष्ट 2.20*** में दिया गया है।

### *(iv) पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में और राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करना*

सरकारी लेखा नियम, 1990 के नियम 30 के अनुसार, वह व्यय जिसके परिणामस्वरूप केवल मूर्त, भौतिक और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, उसे पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) और प्रांतीय मंडल, भिवानी के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सुधार पर किए गए ₹ 62.91 करोड़[43] के व्यय को पूंजीगत सेक्शन 5054 के बजाय गलत तरीके से राजस्व सेक्शन 3054 के तहत दर्ज किया गया था। ऐसे कार्य सामान्यत: स्थाई सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण या विस्तार का परिणाम होते हैं और इसलिए पूंजीगत व्यय के मानदंडों को पूरा करते हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि पंचकुला में पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव के लिए अप्रैल 2024 में पूंजीगत शीर्ष 5054 से पीएमजीएसवाई एसएनए खाते में ₹ पांच करोड़ अंतरित किए गए थे, जो कि राजस्व व्यय है और इसलिए इसे मुख्य शीर्ष 3054 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

### *(v) दत्तमत व्यय का भारित व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार, किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णयों, डिक्रियों या मध्यस्थों के भुगतान के लिए आवश्यक कोई भी राशि राज्य की समेकित

[43] लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख अभियंता (ईआईसी) का कार्यालय: ₹ 42.60 करोड़ और प्रांतीय मंडल (पीडी) भिवानी: ₹ 20.31 करोड़।

निधि पर भारित होगी। हालांकि, आकस्मिक व्यय जैसे कि कानूनी खर्च या मध्यस्थता के लिए कानूनी फीस 'दत्तमत' प्रकृति के होते हैं न कि 'भारित' प्रकृति के।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान, मध्यस्थता फीस, कानूनी व्यय, परामर्श फीस और संबंधित भुगतानों के लिए मुख्य शीर्ष 5054-80-800-99-51 अनुसंधान एवं विकास (भारित) के तहत ₹ 2.97 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। अतः, दत्तमत व्यय को भारित के रूप में दर्ज करना नियम के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया था कि विभिन्न जिलों में अस्पताल भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, लोक निर्माण विभाग विश्राम गृहों, स्टाफ क्वार्टरों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य भवन अवसंरचना जैसे विभिन्न भवन-संबंधी कार्यों से संबंधित ₹ 2.97 करोड़ में से ₹ 1.19 करोड़ की मध्यस्थता फीस, उपयुक्त भवन-संबंधी मुख्य शीर्षों के बजाय गलत तरीके से मुख्य शीर्ष 5054 (भारित) के तहत दर्ज की गई थी।

## 2.9 आकस्मिकता निधि

हरियाणा सरकार की आकस्मिकता निधि की स्थापना हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1966 के तहत की गई थी, और राज्य सरकार ने अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की आकस्मिकता निधि में धन जमा करने और उससे धन निकालने की अभिरक्षा से जुड़े या उससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने के लिए हरियाणा आकस्मिकता निधि नियम, 1967 बनाए। जब राज्य विधानमंडल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करता है, तब इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस निधि का कॉर्पस ₹ 1,000 करोड़ है।

### 2.9.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए ही दिए जाने चाहिए, जिसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किए जाने तक स्थगित करना अवांछनीय होगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा राज्य की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और सुधार तथा पुलों/रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के संबंध में आकस्मिकता निधि से ₹ 148.93 करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में निकाली गई थी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.21*** में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक इस राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय का मुख्य शीर्ष विवरण ***तालिका 2.19*** में दिया गया है।

**तालिका 2.19: आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय का मुख्य शीर्ष-वार विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | मुख्य शीर्ष | राशि |
|---|---|---|
| 1 | 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय | 148.93 |
| **कुल** | | **148.93** |

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लिए गए अग्रिम अनियमित, परिहार्य तथा कमजोर वित्तीय प्रबंधन का संकेत देते हैं, क्योंकि दो योजनाओं में पर्याप्त बजट प्रावधान मौजूद था और व्यय न तो अप्रत्याशित था और न ही आकस्मिक प्रकृति का। गैर-आकस्मिक उद्देश्यों के लिए

आकस्मिकता निधि से निधियों का आहरण और वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी प्रतिपूर्ति न करना, हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

## 2.10 निष्कर्ष

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल अनुदान और विनियोग के विरूद्ध बजट प्रावधानों का कुल उपयोग 87.05 प्रतिशत रहा। अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं किए गए थे, क्योंकि 23 मामलों में अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक पाए गए। पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से 37 योजनाओं में प्रावधानों में की गई कटौती (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ से अधिक) अनुचित सिद्ध हुई, क्योंकि इन योजनाओं में अधिक व्यय हुआ। हालांकि, 2024-25 के दौरान प्राधिकार से अधिक कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹ 1,335.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण के लिए लंबित है।

## 2.11 सिफारिशें

1. सरकार बड़ी बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय की क्षमता के सही आकलन के साथ वास्तविक बजट अनुमान तैयार करे।

2. सरकार अनुपूरक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन पर विचार करे और अवास्तविक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करे।

# अध्याय 3

# वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

## अध्याय 3: वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

*यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर विस्तृत आधार प्रदान करता है।*

वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की पूर्णता, समयबद्धता और गुणवत्ता वित्तीय रिपोर्टों में प्रस्तुत जानकारी की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

### लेखों की पूर्णता से संबंधित मामले

### 3.1 राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजटेतर उधार

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 में यह रेखांकित किया गया है कि राज्य सरकार जनहित में अपने राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी, इसके तहत उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष दस्तावेजों के माध्यम से लिए गए बजटेतर (ऑफ बजट) उधारों से उत्पन्न वास्तविक देयताओं को प्रकट किया जाएगा, जिनके पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटनों पर होता है। इसके अतिरिक्त, बजट दस्तावेजों के साथ विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और कुल बकाया ऋण[1] के संबंध में तीन वर्षों के रोलिंग लक्ष्य शामिल होंगे।

वर्ष 2024-25 के लिए, एमटीएफआरपी और एफआरबीएम अधिनियम के तहत ऋण स्टॉक का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 26.15 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के लिए ₹ 35,985 करोड़ (जीएसडीपी का तीन प्रतिशत) की उधार सीमा तय की थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एचपीएचसीएल) ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से ₹ 550 करोड़ (अक्तूबर 2015) और ₹ 300 करोड़ (जनवरी 2011) के दो ऋण लिए थे। इन ऋण गारंटियों की स्वीकृति हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की सहमति से गृह विभाग द्वारा जारी की गई थी। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, मूलधन और ब्याज का भुगतान ऋण करार के अनुसार किया जाएगा। इन शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार हुडको को पुनर्भुगतान करने के लिए ऋण करार में निर्धारित राशि और ब्याज के बराबर बजट में वार्षिक निधि का आवंटन करेगी। तदनुसार, वित्त विभाग

[1] जैसा कि राज्य एफआरबीएम अधिनियम में परिभाषित किया गया है, राज्य के कुल बकाया ऋण में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधियां और जमा राशियां शामिल हैं।

मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को आवश्यक निधियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः, ये ऋण 'बजटेतर उधार' की प्रकृति के थे।

इसके अतिरिक्त, गृह विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों के अनुसार, ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए जारी की गई राशि को हरियाणा एफआरबीएम अधिनियम, 2005 का उल्लंघन करते हुए बजट और खातों में सहायता अनुदान के रूप में दर्शाया गया था। हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड द्वारा लेन-देन किए गए ऋण (₹ 845.35 करोड़) के पुनर्भुगतान के लिए राज्य सरकार की देयता को खातों में हरियाणा सरकार के ऋण के रूप में नहीं दर्शाया गया था। 31 मार्च 2025 तक हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड के खातों में हुडको की ₹ 146.53 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। वित्त लेखों में इन ऋणों को न दर्शाने के परिणामस्वरूप उधार की राशि उस सीमा तक कम दर्शाई गई।

राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेज़ में बजटेतर उधारों का विवरण प्रदान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2025 तक दी गई जानकारी के अनुसार, बकाया बजटेतर उधार ₹ 146.53 करोड़ था, जिसमें 2024-25 के दौरान उधार ली गई ₹ शून्य करोड़ की राशि शामिल थी, जैसा कि ***तालिका 3.1*** में विवरण दिया गया है।

**तालिका 3.1: 31 मार्च 2025 तक बजटेतर उधारों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| सरकार की ओर से उधार लेने वाली संस्था | स्वीकृत ऋण | वितरित ऋण | ऋण का उद्देश्य | 31 मार्च 2025 तक बकाया ऋण |
|---|---|---|---|---|
| हरियाणा पुलिस आवास निगम | 550.00 | 545.35 | हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर 3060 पुलिस स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता | 146.53 |

**स्रोत: राज्य वित्त विभाग द्वारा प्रदान किए गए बजट दस्तावेज/जानकारी।**

इन उधारों का भुगतान राज्य सरकार के बजट से किया गया था। ₹ 545.35 करोड़ के कुल बजटेतर उधारों में से ₹ 398.82 करोड़ के उधार का पुनर्भुगतान संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया। इसमें 2024-25 के दौरान ₹ 55 करोड़ के बजटेतर उधार और ₹ 14.91 करोड़ के ब्याज का पुनर्भुगतान शामिल है, जैसा कि ***तालिका 3.2*** में विवरण दिया गया है।

**तालिका 3.2: 2024-25 के दौरान ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सहायता का विवरण**

| क्र. सं. | संस्था का नाम | ब्याज राशि के भुगतान के लिए सहायता | मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए सहायता |
|---|---|---|---|
| | | (₹ करोड़ में) | |
| 1 | हरियाणा पुलिस आवास निगम | 14.91 | 55.00 |
| **कुल** | | **14.91** | **55.00** |

**स्रोत: संबंधित संस्था द्वारा प्रदान की गई जानकारी।**

## 3.2 सरकार की निर्वहन न की गई देयताएं

निर्वहन न की गई देयताओं, जैसे कि एकत्रित उपकर को निर्दिष्ट निकायों में अंतरित न करना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में कम प्रेषण आदि के गंभीर दीर्घकालिक राजकोषीय और शासन निहितार्थ हो सकते हैं। ये अदत्त देयता समय के साथ जमा होते जाते हैं, जिससे छिपी हुई देयताएं उत्पन्न होती हैं जो राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति को विकृत करती हैं। इसके अतिरिक्त, उपकर अंतरण में देरी से इच्छित विकास या कल्याणकारी परिणाम बाधित होते हैं, जिससे उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती जिनके लिए ऐसे उपकर लगाए गए थे। इसी प्रकार, एनपीएस में कम अंतरण न केवल वैधानिक प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं बल्कि कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा से भी समझौता करते हैं। इन वर्षों में, ऐसी प्रथाएं विश्वास को कम कर सकती हैं, कानूनी देयताओं को उत्पन्न कर सकती हैं और भविष्य की व्यय देयताओं को बढ़ा सकती हैं, जिससे राजकोषीय स्थान सीमित हो जाता है और राजकोषीय स्थिरता कमजोर होती है। ऐसे मामलों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 3.2.1 निर्वहन न की गई ब्याज देयता

ब्याज वाले जमा/आरक्षित निधियों में जमा राशियों पर ब्याज प्रदान करने और उनका भुगतान करने का उत्तरदायित्व सरकार का है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 अप्रैल 2024 तक ब्याज वाले जमाओं/आरक्षित निधियों के तहत जमा ₹ 26.59 करोड़ की शेष राशि पर ₹ 1.89 करोड़ का ब्याज भुगतान किया जाना अपेक्षित था, जैसा कि ***तालिका 3.3*** में दर्शाया गया है। ब्याज देयता का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटे को कम दर्शाया गया है**।**

**तालिका 3.3: ब्याज वाले जमाओं/आरक्षित निधियों के संबंध में निर्वहन न की गई ब्याज देयता का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | ब्याज वाले जमा का नाम/शीर्ष | 1 अप्रैल 2024 को प्रारंभिक शेष | ब्याज की गणना का आधार | ब्याज की राशि का प्रावधान नहीं किया गया |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना | 26.59 | सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज (7.10 प्रतिशत) के अभाव में, सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर के अनुसार गणना किया गया ब्याज। | 1.89 |
| | **कुल** | **26.59** | | **1.89** |

**स्रोत: वित्त लेखा 2024-25**

### 3.2.2 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम अंशदान

राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की, जिसमें कर्मचारी द्वारा 10 प्रतिशत और नियोक्ता द्वारा 14 प्रतिशत का मासिक अंशदान दिया जाता है। इस पूरी राशि को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट फंड मैनेजर को अंतरित करना होता है।

2024-25 में, ₹ 1,339.41 करोड़ (कर्मचारी का हिस्सा) और ₹ 1,865.42 करोड़ (नियोक्ता का हिस्सा) दर्ज किए गए थे, लेकिन सार्वजनिक खाते में ₹ 3,204.83 करोड़ की शेष राशि के विरूद्ध, केवल ₹ 3,164.16 करोड़ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड/ट्रस्टी बैंक को अंतरित किए गए थे, जिससे ₹ 67.26 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 26.59 करोड़ सहित) अंतरित किए बिना रह गए। इससे नियोक्ता के हिस्से में ₹ 40.67 करोड़ का कम अंतरण हुआ, जिससे राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम करके दर्शाया गया। राज्य सरकार द्वारा ₹ 9.75 करोड़[2] का कम अंशदान भी किया गया था।

वर्ष 2008-25 के बीच, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 18,102.27 करोड़[3] (कर्मचारी का हिस्सा: ₹ 8,559.40 करोड़, नियोक्ता का हिस्सा: ₹ 9,542.85 करोड़) थी, जबकि पेंशन निधि में केवल ₹ 18,035.01 करोड़ ही अंतरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 67.26 करोड़ का संचयी कम अंतरण हुआ। कर्मचारियों के हिस्से की प्राप्तियों, सरकार के अंशदान, उस पर अर्जित ब्याज और पेंशन निधि में निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, अंशदान और निधि अंतरण में देरी के कारण, राज्य सरकार पर ₹ 15.55 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार पड़ा, जिससे कर्मचारियों के रिटर्न पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और एक आस्थगित देयता उत्पन्न हुई।

### 3.2.3 राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9सी के तहत की गई थी। इस अधिनियम की धारा 9सी (4) के अनुसार, खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक को ट्रस्ट में भुगतान की गई रॉयल्टी का दो प्रतिशत अंशदान देना अपेक्षित है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियमों के अनुसार, राज्य सरकार इन अंशदानों को एकत्र करने, उन्हें मुख्य शीर्ष '8449-123-एनएमईटी जमा' के तहत सार्वजनिक खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 0853-102-प्रमुख खनिज रियायतें, फीस, किराया और रॉयल्टी के तहत ₹ 728.91 करोड़ एकत्र किए; राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के लिए दो प्रतिशत हिस्सा ₹ 14.58 करोड़ था। सरकार ने न तो मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-123-राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट जमा के तहत कोई राशि जमा की और न ही राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को कोई राशि अंतरित की। राज्य सरकार ने सूचित किया कि राज्य में कोई प्रमुख खनिज नहीं है। हालांकि, यह वर्गीकरण इस सीमा तक गलत है कि गौण खनिजों से संबंधित प्राप्तियों को लघु शीर्ष-102 प्रमुख खनिज रियायत, फीस, किराया और रॉयल्टी के तहत दर्ज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य के लिए चार प्रमुख खनिजों[4] को 20 फरवरी 2025 से अधिसूचित किया गया है।

---

2 देय ₹ 1,875.17 करोड़।

3 ₹ 0.02 करोड़ के प्रारंभिक शेष को मिलाकर।

4 बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज।

### 3.2.4 राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट/राज्य खनिज विकास निधि

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने 19 नवंबर 2024 के अपने पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 की उप-धारा (1ए) के खंड (जी) के तहत अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की तर्ज पर एक राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एसएमईटी) स्थापित करने की सलाह दी।

खान एवं भूविज्ञान विभाग, हरियाणा द्वारा अक्तूबर 2025 में दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा एसएमईटी का गठन प्रक्रियाधीन है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने सूचित किया (19 फरवरी 2026) कि मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के अंतर्गत निधि का सृजन कर दिया गया है।

### 3.2.5 रिफंड मामलों की लंबित स्थिति

रिफंड मामलों के निपटान में तत्परता, संबंधित विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। कर संग्रह करने वाले चार विभागों में से तीन ने रिफंड मामलों की लंबित स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान की।

वर्ष 2024-25 के दौरान, संबंधित विभागों द्वारा रिपोर्ट किए गए रिफंड मामलों का विवरण ***तालिका 3.4*** में दिया गया है।

**तालिका 3.4: रिफंड मामलों का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | विवरण | जीएसटी | | बिक्री कर/वैट | | राज्य उत्पाद शुल्क | | वाहनों पर कर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| 1. | वर्ष की आरंभ में बकाया दावे | 888 | 508.19 | 95 | 163.81 | 33 | 2.29 | सूचना अभी भी प्रतीक्षित है। | |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त दावे | 12,164 | 5,732.95 | 108 | 69.63 | 45 | 5.15 | | |
| 3. | वर्ष के दौरान किए गए रिफंड | 9,532 | 3,699.07 | 75 | 71.67 | 39 | 4.42 | | |
| 4. | वर्ष के दौरान अस्वीकृत रिफंड | 2,377 | 1,739.62 | 20 | 13.90 | 2 | 0.01 | | |
| 5. | वर्ष के अंत में बकाया | 948* | 676.66 | 108 | 147.87 | 37 | 3.01 | | |

**स्रोत: विभागीय जानकारी।**

* ***वर्ष के अंत में बकाया दावों की गणना उन मामलों को समायोजित करने के बाद की जाती है जिनमें आवेदकों ने वर्ष के दौरान अपने रिफंड दावों को वापस ले लिया था।***

### 3.2.6 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

राज्य सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर एकत्र करती है। इस एकत्रित उपकर को निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाना होता है। इस उद्देश्य के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक बोर्ड के पास कुल ₹ 3,839.68 करोड़ की निधियां उपलब्ध थी। इस बीच, वर्ष 2023-24 के दौरान कॉर्पस निधि में योगदान/वृद्धि ₹ 652.31 करोड़ रही और इस वर्ष के दौरान निवल व्यय ₹ 112.22 करोड़ (आय से अधिक)

था। 31 मार्च 2024 तक, बोर्ड के पास ₹ 4,379.77 करोड़ की निधियां उपलब्ध थी। हालांकि, वर्ष 2024-25 के वार्षिक खाते अभी तक (अक्तूबर 2025) प्राप्त नहीं हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग के मासिक लेखों (फॉर्म 34-जमा की अनुसूची) की केंद्रीय लेखापरीक्षा की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 31 मार्च 2025 तक उपकर के संबंध में ₹ 19.99 करोड़ की राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जमा नहीं की गई थी (सितंबर 2025)।

## 3.3 सरकारी खातों से बाहर निधियां

भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1), अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों को जारी करके उस सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों की अदायगी में उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन मिलकर एक समेकित निधि का निर्माण करेंगे, जिसे 'राज्य की समेकित निधि' कहा जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2) यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, राज्य के लोक लेखे में जमा किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो।

### 3.3.1 हरियाणा ग्रामीण विकास निधि

राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने और इसके विपणन तथा बिक्री में सुधार के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 के तहत हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड का गठन किया। इस अधिनियम की धारा 5(1) के तहत, अधिसूचित बाजार क्षेत्र में खरीदी या बेची गई अथवा प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज की बिक्री राशि पर दो प्रतिशत की दर से मूल्य-अनुसार फीस (उपकर) लगाई जाती है। इस प्रकार एकत्र की गई राशि को बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से सड़कों के विकास, औषधालयों की स्थापना, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता की व्यवस्था करने और गोदामों के निर्माण के संबंध में खर्च किया जाता है। वर्ष 2011-24 के दौरान निधि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 7,351.42 करोड़ थी और ₹ 5,621.27 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों के अनुसार, इस वर्ष निधि के तहत प्राप्तियां ₹ 328.88 करोड़ थी और ₹ 1,262.90 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में निधि में ₹ 990.87 करोड़ का अंतिम शेष रहा।

### 3.3.2 हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड

राज्य सरकार ने हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3एए के तहत हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड (एचआईडीबी) का गठन किया ताकि हरियाणा राज्य के लाभ के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के प्रयासों का समन्वय किया जा सके, जिसमें निजी भागीदारी और राज्य बजट द्वारा प्रदान किए गए स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से वित्त पोषण शामिल है।

हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी भी कॉलोनाइज़र के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर राज्य अवसंरचना

विकास शुल्क जमा करना अनिवार्य है। कॉलोनाइज़र द्वारा जमा किए गए अवसंरचना शुल्क की राशि से एक निधि का गठन किया जाएगा, जिसका संग्रहण और प्रबंधन निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा किया जाएगा और आगे के उपयोग के लिए इसे हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड को अंतरित कर दिया जाएगा। कॉलोनाइजरों द्वारा जमा किए गए राज्य अवसंरचना विकास प्रभारों और अवसंरचना संवर्धन प्रभारों की राशि, केंद्र/राज्य सरकार, या स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त ऋण और अनुदान, या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण और अनुदान और ऐसे स्रोत से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जो राज्य सरकार तय करे, इस निधि में जमा की जाएगी। इस निधि का उपयोग राज्य की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निधि के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह धनराशि निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा सीधे बैंक खातों में प्राप्त की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड की प्राप्तियां ₹ 20.80 करोड़ थी और व्यय ₹ 7.82 करोड़ था। वर्ष 2023-24 के अंत में इस निधि की कुल संचित राशि ₹ 2,564.01 करोड़ थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों को अभी तक (अक्तूबर 2025) अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

### 3.3.3 हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड

नगरपालिकाओं की शहरी अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान, उनके उन्नयन और संबंधित गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने हेतु हरियाणा नगरपालिका (एचएम) अधिनियम, 1973 में संशोधन करके अप्रैल 2002 में हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड (एचयूआईडीबी) का गठन किया गया था। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 एल के अनुसार, हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड ने एक निधि[5] का गठन किया है जिसमें राज्य नगरपालिका अधिनियमों के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निजी डेवलपरों को लाइसेंस प्रदान करने और भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति के लिए प्राप्त लाइसेंस फीस, स्क्रूटनी फीस, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रभार, कंपोजिशन फीस, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान, ऋण और वित्तीय सहायता तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य फीस/प्रभार शामिल हैं।

हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की प्राप्तियां ₹ 47.85 करोड़ थी और व्यय ₹ 18.29 करोड़ था। वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लेखा प्रक्रियाधीन है और उन्हें अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है (अक्तूबर 2025)। 31 मार्च 2025 को निधि की स्थिति के अनुसार, बचत खातों में ₹ 188.72 करोड़ की राशि शेष थी और विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के रूप में ₹ 638.15 करोड़ की राशि थी।

चूंकि ये निधियां राज्य की समेकित निधि या राज्य के लोक लेखे से बाहर हैं, इसलिए इन निधियों में धन के संग्रहण और उपयोग पर कोई विधायी निगरानी नहीं है। हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड और हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास

[5] हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास निधि।

बोर्ड के प्रावधानों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। तेरहवें वित्त आयोग ने भी सार्वजनिक व्यय को बजट से हटाकर उन नामित निधियों में डालने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की थी, जो विधायिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर संचालित होती हैं और जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं की जाती है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026) कि सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए मामले की जांच की जाएगी।

### 3.3.4 हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग निधि

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) का गठन विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत किया गया था। इस अधिनियम की धारा 103 राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के निर्माण का प्रावधान करती है, जिसमें आयोग की प्राप्तियां जमा की जाती हैं और इसी में से व्यय किए जाते हैं। राज्य सरकार ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (निधि) नियम, 2014 को अधिनियमित किया और नियम 3 के अनुसार, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को ऐसी प्राप्तियों को समायोजित करने और उससे खर्च करने के लिए एक बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गई थी। उपर्युक्त नियम को ध्यान में रखते हुए, निधियों को एक बैंक खाते में रखा गया और मार्च 2024 तक इस बैंक खाते में ₹ 50.25 करोड़ शेष थे।

## पारदर्शिता से संबंधित मामले

## 3.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

पंजाब वित्तीय नियमावली, खंड-1 के नियम 8.14 (बी) (हरियाणा राज्य में यथा लागू) के अनुसार, अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), अनुदान की स्वीकृति वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर, उस प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसने इसे स्वीकृत किया था। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर यह जोखिम रहता है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाई थी। उन मामलों में जिनमें व्यय के विशेष उद्देश्यों के विनिर्देश के रूप में अनुदान के उपयोग की शर्तें जुड़ी हुई हैं या वह समय जिसके भीतर धन को खर्च किया जाना चाहिए या अन्यथा, विभागीय अधिकारी, जिनके हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर पर सहायता अनुदान बिल तैयार किया गया था, को महालेखाकार को अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूर्ति को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होना चाहिए।

वर्ष 2024-25 के दौरान, ₹ 24,041.85 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष सहित) के 2,662 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए देय हो गए (मार्च 2024 तक आहरित सहायता अनुदान बिल)। इस वर्ष के दौरान, ₹ 5,355.85 करोड़ की राशि के 527 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का निपटान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2025 तक ₹ 18,686 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया रह गए, जैसा कि ***तालिका 3.5*** में विवरण दिया गया है।

**तालिका 3.5: उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अवधि-वार लंबित स्थिति**

**(₹ करोड़ में)**

| उपयोगिता प्रमाण पत्र देय वर्ष[6] | लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या (31 मार्च 2025 तक) | राशि |
|---|---|---|
| 2019-20 से पहले | 887 | 4,438.20 |
| 2019-20 | 295 | 2,861.38 |
| 2020-21 | 66 | 550.29 |
| 2021-22 | 204 | 3,619.51 |
| 2022-23 | 256 | 2,185.90 |
| 2023-24 (मार्च 2024 तक स्वीकृत) | 427 | 5,030.72 |
| **कुल** | **2,135** | **18,686.00** |

**स्रोत: वित्त लेखे 2024-25 और कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा।**

**चार्ट 3.1: 31 मार्च 2025 तक पांच प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र (₹ करोड़ में)**

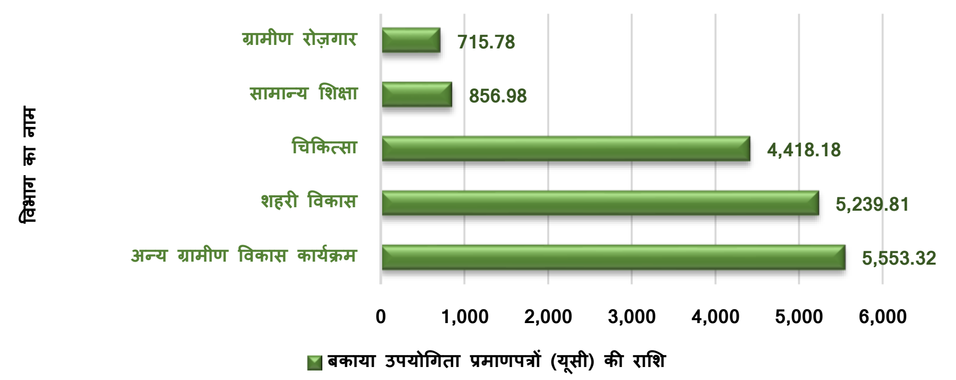


**स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा।**

कुल 2,135 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से, ₹ 13,655.28 करोड़ के अनुदान के लिए 1,708 उपयोगिता प्रमाण पत्र 2009-10 से 2022-23 की अवधि से संबंधित हैं, और ₹ 5,030.72 करोड़ (26.92 प्रतिशत) के अनुदान के लिए 427 उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं। ₹ 18,686 करोड़ की कुल राशि, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे, में से 81.40 प्रतिशत राशि तीन विभागों अर्थात ग्रामीण विकास विभाग: ₹ 5,553.32 करोड़ (29.72 प्रतिशत), शहरी विकास विभाग: ₹ 5,239.81 करोड़ (28.04 प्रतिशत) और चिकित्सा विभाग: ₹ 4,418.18 करोड़ (23.64 प्रतिशत) से संबंधित है, जैसा कि ***चार्ट 3.1*** में दर्शाया गया है।

निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र यह संकेत देते हैं कि अनुदान का इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया है, और लेखों में दर्शाए गए व्यय को उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता है। चूंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने से दुरुपयोग का जोखिम होता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार इस पहलू की बारीकी से निगरानी करे और संबंधित व्यक्तियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करने के लिए उत्तरदायी ठहराए।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026) कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

---

6 ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है, अर्थात, वास्तविक आहरण के 12 महीने के बाद।

## 3.5 सार आकस्मिक बिल

वित्तीय नियम [पंजाब वित्तीय नियमावली खंड-I (हरियाणा राज्य पर लागू) का नियम 2.10 (बी) (5)] यह निर्धारित करता है कि सरकारी खजाने से तब तक कोई धनराशि नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए उसकी आवश्यकता न हो। आपातकालीन परिस्थितियों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सार आकस्मिक (एसी) बिलों के माध्यम से धनराशि निकालने के लिए अधिकृत किया गया है। पंजाब ट्रेजरी नियमावली (हरियाणा राज्य में लागू) के नियम 4.49 के नीचे दिए गए नोट 5 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल एक महीने के भीतर प्रस्तुत करें।

31 मार्च 2025 तक समायोजन के लिए लंबित सार आकस्मिक बिलों का विवरण ***तालिका 3.6*** में दिया गया है।

**तालिका 3.6: सार आकस्मिक बिलों का अवधि-वार लंबित समायोजन**

**(₹ करोड़ में)**

| देय वर्ष | सार आकस्मिक बिलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|
| 2018-19 | 2 | 0.14 |
| 2019-20 | 15 | 3.72 |
| 2020-21 | 4 | 0.35 |
| 2021-22 | 6 | 0.74 |
| 2022-23 | 8 | 0.52 |
| 2023-24 | 15 | 148.26 |
| 2024-25 | 167 | 265.48 |
| **कुल** | **217** | **419.21** |

**स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा से प्राप्त जानकारी।**

यह देखा गया कि मार्च 2025 में ₹ 396.84 करोड़ (24.93 प्रतिशत) की राशि के 249 सार आकस्मिक बिल आहरित किए गए थे, जिनमें से ₹ 17.61 करोड़ की राशि के 100 सार आकस्मिक बिल 31 मार्च 2025 तक समायोजित किए गए थे।

**चार्ट 3.2: पांच प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डीसी बिल (₹ करोड़ में)**

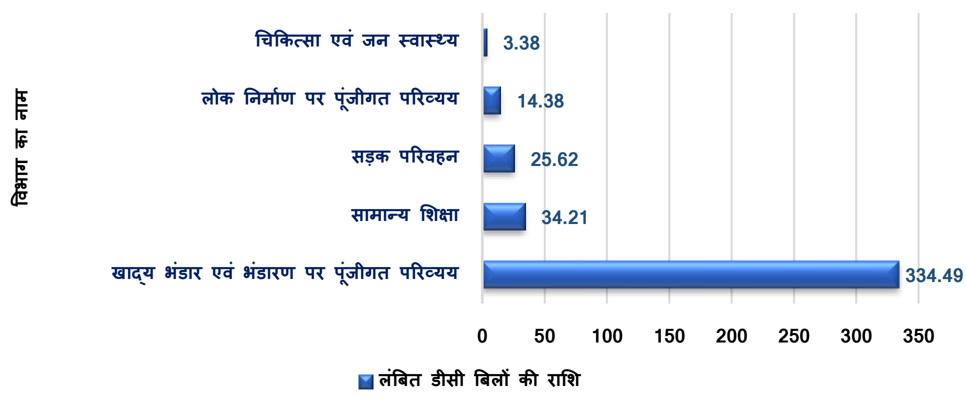


**स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा।**

₹ 419.21 करोड़ की कुल राशि, जिसके लिए विस्तृत आकस्मिक बिल लंबित थे, में से ₹ 334.49 करोड़ (79.79 प्रतिशत) खाद्य भंडार एवं भंडारण विभाग पर पूंजीगत परिव्यय से संबंधित हैं जैसा कि ***चार्ट 3.2*** में दर्शाया गया है।

चूंकि लंबे समय तक अग्रिमों का गैर-समायोजन दुर्विनियोग के जोखिम से भरा होता है, इसलिए विस्तृत आकस्मिक बिलों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा इसकी कड़ी निगरानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत आकस्मिक बिलों की गैर-प्राप्ति की सीमा तक, वित्त लेखों में दर्शाया गया व्यय सही या अंतिम नहीं माना जा सकता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले में आवश्यक निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

## 3.6 लघु शीर्ष-800 का संचालन

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 के तहत बड़ी मात्रा राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं तथा व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 31 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 3,632.30 करोड़, जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय (₹ 1,38,329.32 करोड़) का 2.63 प्रतिशत था, को लेखों में लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया था। इनमें से पांच मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 226.21 करोड़ को लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि ***तालिका 3.7*** में विवरण दिया गया है।

**तालिका 3.7: लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत दर्ज किया गया व्यय**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्गीकरण का विवरण जिसके तहत दर्ज किया गया था | राशि | व्यय की प्रकृति | बुकिंग के लिए उपलब्ध वर्गीकरण |
|---|---|---|---|
| 2070-51-800-अन्य व्यय | 15.29 | प्रशासनिक व्यय | 2070-51-001-निदेशन एवं प्रशासन |
| 3475-51-800-अन्य व्यय | 0.46 | | 3475-51-001- निदेशन एवं प्रशासन |
| 2202-01-800-अन्य व्यय | 100.95 | | 2202-01-001- निदेशन एवं प्रशासन |
| 2204-800-अन्य व्यय | 1.55 | सहायता अनुदान | 2204-102-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम या 103-गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम या 104-खेल और क्रीड़ा या 199-अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता भारत स्काउट और गाइड्स को सहायता अनुदान |
| 2055-800-अन्य व्यय | 107.96 | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता | 2055-190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता |
| **कुल** | **226.21** | | |

**स्रोत: वित्त लेखा और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा अनुरक्षित वीएलसी डेटा।**

इसी प्रकार, 52 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,822.25 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,06,429.41 करोड़) का 2.65 प्रतिशत है, को लेखों में 800-अन्य प्राप्तियों के तहत वर्गीकृत किया गया था।

राज्य सरकार को, अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता लाने के लिए, बजट में प्रभावी बजटीय नियंत्रण हेतु बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के बजाय उचित लघु शीर्षों के तहत प्रावधान करने की आवश्यकता है। लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी/अस्पष्ट बनाता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने उन मामलों की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026) जिनके लिए उचित वर्गीकरण उपलब्ध है और यह सुनिश्चित किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

## माप से संबंधित मामले

## 3.7 मुख्य उचंत और ऋण, जमा एवं प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत बकाया शेष

वित्त लेखे, उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष की गणना विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को अलग-अलग संकलित करके की जाती है। पिछले तीन वर्षों के महत्वपूर्ण उचंत मदों के शेष ***तालिका 3.8*** में दर्शाए गए हैं।

**तालिका 3.8: उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत शेष**

**(₹ करोड़ में)**

| लेखा शीर्ष | | 2022-23 | | 2023-24 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | डेबिट | क्रेडिट | डेबिट | क्रेडिट | डेबिट | क्रेडिट |
| **8658** | **उचंत लेखा** | | | | | | |
| 101 | वेतन और लेखा कार्यालय-सस्पेंस | 29.50 | - | 25.15 | - | 30.28 | - |
| | **निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)** | **29.50 (डेबिट)** | | **25.15 (डेबिट)** | | **30.28 (डेबिट)** | |
| 102 | उचंत लेखा-(सिविल) | 15.89 | - | 15.77 | - | 14.98 | 4.43 |
| | **निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)** | **15.89 (डेबिट)** | | **15.77 (डेबिट)** | | **10.55 (डेबिट)** | |
| 107 | नकद निपटान उचंत लेखा | 18.69 | | 19.38 | - | 23.88 | - |
| | **निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)** | **18.69 (डेबिट)** | | **19.38 (डेबिट)** | | **23.88 (डेबिट)** | |
| 109 | रिज़र्व बैंक उचंत-(मुख्यालय) | (-) 31.64 | (-)1.18 | - | (-) 12.84 | (-) 3.84 | (-)1.07 |
| | **निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)** | **30.46 (क्रेडिट)** | | **12.84 (डेबिट)** | | **2.77 (क्रेडिट)** | |
| 110 | रिज़र्व बैंक उचंत-(केंद्रीय लेखा कार्यालय) | 12.02 | - | 10.46 | - | 11.98 | - |
| | **निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)** | **12.02 (डेबिट)** | | **10.46 (डेबिट)** | | **11.98 (डेबिट)** | |
| 112 | स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत | - | 471.09 | - | 63.96 | - | 44.05 |
| | **निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)** | **471.09 (क्रेडिट)** | | **63.96 (क्रेडिट)** | | **44.05 (क्रेडिट)** | |
| 123 | अखिल भारतीस सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.03 | - |
| | **निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)** | **0.01 (डेबिट)** | | **0.01 (डेबिट)** | | **0.03 (डेबिट)** | |
| **8782** | **नकद प्रेषण और एक ही लेखा अधिकारी को खाता सौंपने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन** | | | | | | |
| 102 | लोक निर्माण प्रेषण | - | 364.63 | - | 348.48 | - | 318.62 |
| | **निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)** | **364.63 (क्रेडिट)** | | **348.48 (क्रेडिट)** | | **318.62 (क्रेडिट)** | |
| 103 | वन प्रेषण | - | 5.65 | - | 5.93 | - | 6.74 |
| | **निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)** | **5.65 (क्रेडिट)** | | **5.93 (क्रेडिट)** | | **6.74 (क्रेडिट)** | |
| **8793** | **अंतर-राज्यीय उचंत लेखा** | **18.55** | **-** | **17.86** | **-** | **22.24** | **-** |
| | **निवल डेबिट (डेबिट)/क्रेडिट (क्रेडिट)** | **18.55 (डेबिट)** | | **17.86 (डेबिट)** | | **22.24 (डेबिट)** | |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष का निपटान न होने से, राज्य सरकार के प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत शेष राशियों (जिन्हें प्रतिवर्ष अग्रेनीत किया जाता है) की शुद्धता प्रभावित होती है।

## 3.8 विभागीय आंकड़ों का मिलान

राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियंत्रण रखने और लेखों में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य वित्तीय नियमों में निर्धारित किया गया है कि मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (सीसीओ)/नियंत्रण अधिकारियों (सीओ) को प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों के साथ अपनी बहियों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना अपेक्षित है।

नियंत्रक अधिकारियों द्वारा आंकड़ों के मिलान की स्थिति ***तालिका 3.9*** और ***चार्ट 3.3*** में दी गई है।

**तालिका 3.9: नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति**

| वर्ष | नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या | प्राप्तियों/व्यय का मिलान करने वाले नियंत्रण अधिकारियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पूर्ण मिलान किया गया | आंशिक मिलान किया गया | मिलान नहीं किया गया |
| **प्राप्तियां** | | | | |
| 2022-23 | 77 | 77 | - | - |
| 2023-24 | 74 | 72 | - | 2 |
| 2024-25 | 74 | 72 | - | 2 |
| **व्यय** | | | | |
| 2022-23 | 122 | 122 | - | - |
| 2023-24 | 122 | 112 | - | 10 |
| 2024-25 | 122 | 102 | - | 20 |

**स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा अनुरक्षित जानकारी।**

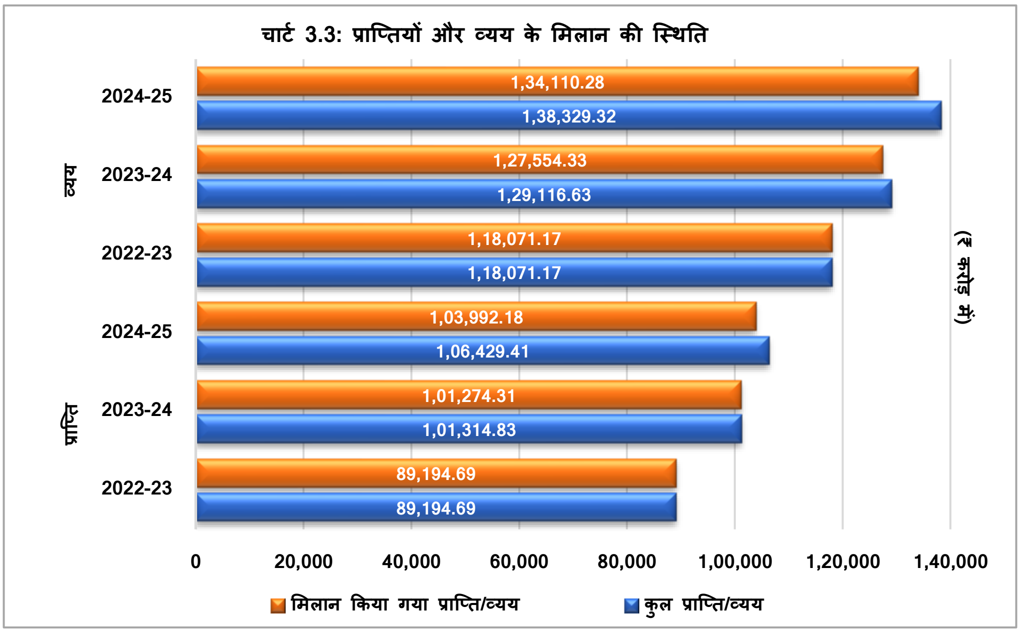


**स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा अनुरक्षित जानकारी।**

लेखों की सटीकता सुनिश्चित करने और प्रभावी विभागीय नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए, सभी प्राप्तियों और व्यय के संबंध में मिलान के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्रता से की जानी अपेक्षित है।

## 3.9 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार का नकद शेष ₹ 216.46 करोड़ (डेबिट) था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

इसे ₹ 20.23 करोड़ (क्रेडिट) के रूप में रिपोर्ट किया गया था। इस प्रकार, ₹ 196.23 करोड़ का एक बेमेल अंतर था, जिसका मिलान ट्रेजरी/भारतीय रिजर्व बैंक/एजेंसी बैंक और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा के बीच किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने खजानों के माध्यम से भुगतान के लिए ई-कुबेर प्रणाली लागू की है। वर्ष 2024-25 में, ई-कुबेर विफल लेनदेन के कारण ₹ 4.88 करोड़ (क्रेडिट) की राशि को उचंत खाते में डाला गया था।

## 3.10 मंडलीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित राशि

राज्य सरकार ने सभी विभागों को बैंक खातों में/सरकारी खातों के बाहर पड़ी निधियों को राज्य के खजाने में जमा करने का निर्देश दिया (7 जुलाई 2014)।

विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक, ₹ 45.59 करोड़ की राशि 97 लोक निर्माण मंडल अधिकारियों के बैंक खातों में पड़ी थी। मंडल अधिकारियों द्वारा संचालित बैंक खातों में पड़ी राशियों का विभाग-वार विवरण ***तालिका 3.10*** में दिया गया है।

**तालिका 3.10: मंडल अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित राशि को दर्शाने वाला विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | विभाग का नाम | बैंक खातों का संचालन करने वाले मंडल अधिकारियों की संख्या | बैंक खातों में पड़ी राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें मंडल) | 21 | 24.77 |
| 2. | जन स्वास्थ्य | 19 | 9.51 |
| 3. | सिंचाई | 57 | 11.31 |
| **कुल** | | **97** | **45.59** |

**स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा प्रदान की गई जानकारी।**

कुल 203 लोक निर्माण मंडलों में से 119 मंडलों ने अव्ययित राशि के बारे में जानकारी प्रदान की; इनमें से 22 लोक निर्माण मंडलों के बैंक खातों में शून्य राशि थी और 97 लोक निर्माण मंडलों के बैंक खातों में ₹ 45.59 करोड़ की राशि पड़ी थी। बैंक खाते में पड़ी राशि का बड़ा हिस्सा, अर्थात ₹ 24.77 करोड़ (54.33 प्रतिशत) लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें मंडल) से संबंधित है।

## प्रकटीकरण से संबंधित मामले

## 3.11 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखों के प्रारूप को निर्धारित कर सकते हैं। सीएजी की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएएस) को अधिसूचित किया है। 2024-25 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इन लेखांकन मानकों के अनुपालन के साथ-साथ उनमें कमियों का विवरण ***तालिका 3.11*** में दिया गया है।

**तालिका 3.11: लेखांकन मानकों का अनुपालन**

| क्र. सं. | लेखांकन मानक | राज्य सरकार द्वारा अनुपालन | कमी |
|---|---|---|---|
| 1. | **आईजीएएस-1:** *सरकार द्वारा दी गई गारंटी - प्रकटीकरण आवश्यकताएं* | पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया (वित्त खातों के विवरण 9 और 20) | आईजीएएस-1 के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया है क्योंकि स्वचालित डेबिट तंत्र और संरचित भुगतान व्यवस्था के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।<br>गारंटी के लिए ट्रैकिंग यूनिट से संबंधित मामला भी अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।<br>सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का अनुपालन नहीं करती है और प्रतिबद्धताओं को न तो दर्ज किया जाता है और न ही खातों में प्रतिबद्धता के विरुद्ध देयता को मान्यता दी जाती है। |
| 2. | **आईजीएएस -2:** *सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण* | अनुपालन किया गया (वित्त खातों का विवरण 10) | (i) ₹ 5,230.10 करोड़ के सहायता अनुदान को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित के रूप में दर्शाया गया है।<br>(ii) राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के संबंध में सूचना प्रस्तुत कर दी गई है। |
| 3. | **आईजीएएस-3:** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम* | अनुपालन नहीं किया गया (वित्त खातों का विवरण 18) | 31 मार्च 2025 तक वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 में दर्शाए गए अंतिम शेष का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया जाना बाकी था। ऋणी संस्थाओं के बकायों में पुनर्भुगतान की विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की गई है। |
| 4 | **आईजीएएस-4:** पूर्व अवधि समायोजन | अनुपालन किया गया | 2024-25 के दौरान ₹ 4,119.60 करोड़ का पूर्व अवधि समायोजन किया गया है। |

**स्रोत: वित्त लेखे।**

## 3.12 स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

31 मार्च 2025 तक कुल 41 स्वायत्त निकाय हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, 30 सितंबर 2025 तक 40 स्वायत्त निकायों (एबी) के संबंध में 82 लेखे लंबित थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.2*** में विवरण दिया गया है। लेखों में बकाया का आयु-वार विश्लेषण ***तालिका 3.12*** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.12: 2024-25 तक स्वायत्त निकायों के लेखों का वर्षवार बकाया**

| क्र.सं. | बकाया लेखे | कंपनियों/निगमों की संख्या | लेखों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | एक वर्ष के लिए (2024-25) | 28 | 28 |
| 2. | एक से तीन वर्ष के बीच (2022-23 से 2024-25) | 6 | 14 |
| 3. | तीन वर्ष से अधिक (2022-23 से पहले) | 6 | 40 |
| **कुल** | | **40** | **82** |

इस प्रकार, 12 स्वायत्त निकाय ऐसे थे जिनके 54 लेखे एक वर्ष से अधिक और उससे अधिक समय से बकाया थे। इनमें से छः निकायों का कुल बकाया में लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा था, जो तीन से 12 वर्षों के बीच लंबित थे। इसका कारण वार्षिक आम बैठक का न होना, अध्यक्ष का पद रिक्त होना जिसके कारण लेखाओं को अनुमोदित नहीं किया जा सका, नए लेखांकन सॉफ्टवेयर की शुरुआत, कर्मचारियों की कमी, और लेखाओं के प्रारूप से संबंधित मामले आदि बताए गए। लेखाओं को देरी से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप पारदर्शिता में कमी आती है, वित्तीय निगरानी में बाधा उत्पन्न होती है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

छः स्वायत्त निकायों, जिनके लेखे तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, के आगे के विश्लेषण से पता चला कि राज्य सरकार की इनमें से दो स्वायत्त निकायों में इक्विटी/ऋण/अनुदान या सब्सिडी के रूप में वित्तीय हिस्सेदारी थी, जैसा कि ***तालिका 3.13*** में वर्णित है।

**तालिका 3.13: तीन वर्षों से अधिक समय से लगातार बकाया का विवरण**

| क्र. सं. | कंपनी/निगम का नाम | जिस वर्ष तक के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए | बकाया लेखों की संख्या | इक्विटी | ऋण (₹ लाख में) (31 मार्च 2025 तक) | सहायता अनुदान (₹ लाख में) (वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग | 2013-14 से 2024-25 | 12 | - | - | 118.75 (2024-25)<br>87.50 (2023-24)<br>125.00 (2022-23) |
| 2. | हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, पंचकुला | 2021-22 से 2024-25 | 4 | - | 143.64[7] | - |

**स्रोत: वित्त लेखों से जानकारी/इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी।**

चूंकि उपर्युक्त संस्थाओं में सरकार की वित्तीय हिस्सेदारी है, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि लेखों को समय पर प्रस्तुत किया जाए, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियमित निगरानी की जाए, इन निकायों के भीतर क्षमता की कमी को दूर किया जाए ताकि सूचित निर्णय लेने और विधायी जांच के लिए महत्वपूर्ण सटीक और अद्यतित वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु मामले की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

## अन्य मामले

## 3.13 दुर्विनियोग, हानि, चोरी, आदि

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.33, हरियाणा में यथा लागू, यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए किसी भी नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उस सीमा तक उत्तरदायी ठहराया जाएगा कि उसने अपने स्वयं के कार्य या लापरवाही से नुकसान में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 2.34 के अनुसार, गबन और हानि के मामलों की रिपोर्ट प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को दी जानी अपेक्षित है।

31 मार्च 2025 तक, ₹ 71.37 लाख के दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के 51 मामले लंबित थे। लंबित मामलों का विभागवार विघटन ***तालिका 3.14*** में दिया गया है।

---

[7] इकाई ने 'शून्य' जानकारी प्रदान की। डेटा वित्त लेखा 2024-25 से लिया गया है। पिछले वर्षों के वित्त लेखों (2022-23 और 2023-24) में भी यही आंकड़ा मौजूद था।

**तालिका 3.14: दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों का विवरण**

**(₹ लाख में)**

| क्र. सं. | विभाग का नाम | सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग/हानि/ चोरी के मामले | | दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के लंबित मामलों के अंतिम निपटान में विलंब के कारण | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | विभागीय जांच प्रतीक्षित है या न्यायालय में लंबित है | | विभागीय कार्रवाई शुरू हुई लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया | | वसूली या बट्टे खाते में डालने के आदेश प्रतीक्षित हैं | |
| | | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| 1 | विकास एवं पंचायत | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| 2 | शिक्षा | 19 | 39.75 | 1 | 0.09 | 17 | 39.66 | 1 | 0 |
| 3 | श्रम एवं रोजगार | 2 | 0.28 | 0 | 0 | 2 | 0.28 | 0 | 0 |
| 4 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 3 | 8.63 | 0 | 0 | 2 | 5.93 | 1 | 2.70 |
| 5 | महिला एवं बाल विकास | 3 | 10.52 | 1 | 10.52 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | सिंचाई | 19 | 2.07 | 0 | 0 | 17 | 1.85 | 2 | 0.22 |
| 7 | जन स्वास्थ्य | 2 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 0.65 | 0 | 0 |
| 8 | हरियाणा कौशल विकास और उद्योग प्रशिक्षण | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 1.18 | 0 | 0 |
| 9 | सूचना, जन संपर्क और भाषा विभाग | 1 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.79 |
| | **कुल** | **51** | **71.37** | **2** | **10.61** | **44** | **56.05** | **5** | **4.71** |

**स्रोत: विभागीय डेटा/जानकारी।**

कुल 51 लंबित मामलों में से, 44 मामलों (₹ 56.05 लाख) के संबंध में, विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जबकि दो मामलों (₹ 10.61 लाख) में विभागीय कार्यवाही लंबित थी और पांच मामलों (₹ 4.71 लाख) में कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन वसूली/बट्टे खाते में डालने का आदेश लंबित था।

लंबित मामलों की आयु-प्रोफाइल और चोरी तथा सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग/हानि की प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या को ***तालिका 3.15*** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 3.15: दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि की प्रोफाइल**

**(₹ लाख में)**

| लंबित मामलों की आयु-प्रोफाइल | | | लंबित मामलों की प्रकृति | मामलों की संख्या | शामिल राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्षों में सीमा | मामलों की संख्या | शामिल राशि | | | |
| 0-5 | 6 | 2.44 | चोरी | 47 | 60.63 |
| 5-10 | 20 | 56.04 | | | |
| 10-15 | 2 | 3.12 | | | |
| 15-20 | 5 | 7.60 | सामग्री का दुर्विनियोग/हानि | 4 | 10.74 |
| 20-25 | 6 | 1.35 | | | |
| 26 और उससे अधिक | 12 | 0.82 | | | |
| **कुल** | **51** | **71.37** | **कुल** | **51** | **71.37** |

**स्रोत: विभागीय डेटा/जानकारी।**

कुल मामलों में से ₹ 60.63 लाख के 47 मामले सरकारी धन/स्टोर की चोरी से संबंधित थे, जबकि सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग/हानि से संबंधित ₹ 10.74 लाख के चार मामले पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई हेतु इन मामलों (जो लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे) की जांच करने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

## 3.14 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी किए गए और जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी अनुच्छेदों और समीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई आरंभ करनी थी। प्रशासनिक विभागों से यह भी अपेक्षित था कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानमंडल में प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर विधायी समितियों को की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां भी प्रस्तुत करेंगे, जिनमें उनके द्वारा की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का उल्लेख हो। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के अधीन हैं (अक्तूबर 2025)।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 27 अगस्त 2025 को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

## 3.15 निष्कर्ष

₹ 18,686 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (2,135 यूसी) बकाया थे, जो प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी और पिछले अनुदानों के उचित उपयोग का पता लगाए बिना नए अनुदान वितरित करने की सरकार की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी प्रकार, ₹ 419.21 करोड़ की राशि के सार आकस्मिक बिल (217 एसी बिल) प्रतीक्षित थे। 30 सितंबर 2025 तक 40 स्वायत्त निकायों के संबंध में 82 लेखों का प्रस्तुतीकरण लंबित था।

इसके अतिरिक्त, चोरी, दुर्विनियोग, सरकारी सामग्री की हानि और धोखाधड़ी के 51 मामलों (₹ 71.37 लाख की राशि) में विभागीय कार्रवाई लंबे समय से लंबित थी।

## 3.16 सिफारिशें

1. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी किए गए अनुदानों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत किए जाएं।

2. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियमों के तहत आवश्यक निर्धारित अवधि के भीतर सार आकस्मिक बिलों का समायोजन किया जाए।

3. सरकार को दुर्विनियोग, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक समयबद्ध ढांचा तैयार करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए।

**(आशुतोष शर्मा)**
**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

**चंडीगढ़**
**दिनांक: 25 मार्च 2026**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(के. संजय मूर्ति)**
**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

**नई दिल्ली**
**दिनांक: 06 अप्रैल 2026**

# परिशिष्ट

## परिशिष्ट 1.1

## (संदर्भः अनुच्छेद 1.1.3; पृष्ठ 5)

## राज्य सरकार के वित्त पर समय क्रम डेटा

(₹ करोड़ में)

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **भाग क प्राप्तियां** | | | | | | | | | | |
| **1. राजस्व प्राप्तियां** | **47,557** | **52,497** | **62,695** | **65,885** | **67,858** | **67,561** | **78,092** | **89,194** | **1,01,315** | **1,06,429** |
| **(i) स्व-कर राजस्व** | **30,929** | **34,026** | **41,099** | **42,581** | **42,825** | **41,914** | **53,377** | **62,961** | **72,511** | **77,943** |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) | 0 | 0 | 10,833 | 18,613 | 18,873 | 18,236 | 22,922 | 28,577 | 33,960 | 37,739 |
| कृषि आय पर कर | | | | | | | | | | |
| बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर | 21,060 | 23,488 | 15,609 | 8,998 | 8,398 | 8,660 | 11,221 | 11,262 | 11,331 | 11,517 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 4,371 | 4,613 | 4,966 | 6,042 | 6,323 | 6,864 | 7,934 | 9,673 | 11,326 | 12,701 |
| वाहनों पर कर | 1,401 | 1,583 | 2,778 | 2,908 | 2,916 | 2,495 | 3,265 | 4,231 | 4,904 | 5,268 |
| स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस | 3,191 | 3,283 | 4,193 | 5,636 | 6,013 | 5,157 | 7,598 | 8,607 | 10,529 | 10,492 |
| भू-राजस्व | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| माल एवं यात्रियों पर कर | 554 | 595 | 2,317 | 21 | 16 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| अन्य कर | 337 | 448 | 385 | 344 | 266 | 481 | 410 | 585 | 432 | 202 |
| **(ii) गैर-कर राजस्व** | **4,753** | **6,196** | **9,113** | **7,976** | **7,400** | **6,961** | **7,394** | **8,742** | **8,103** | **7,536** |
| **(iii) संघीय करों एवं शुल्को में राज्य का अंश** | **5,496** | **6,597** | **7,298** | **8,255** | **7,111** | **6,438** | **9,722** | **10,378** | **12,345** | **14,065** |
| **(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान** | **6,379** | **5,678** | **5,185** | **7,073** | **10,522** | **12,248** | **7,599** | **7,113** | **8,356** | **6,885** |
| **2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां** | **30** | **26** | **40** | **49** | **54** | **63** | **67** | **74** | **115** | **102** |
| **3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली** | **328** | **973** | **6,341** | **5,372** | **5,393** | **432** | **500** | **238** | **301** | **294** |
| **4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)** | **47,915** | **53,496** | **69,076** | **71,306** | **73,305** | **68,056** | **78,659** | **89,506** | **1,01,731** | **1,06,826** |
| **5. लोक ऋण प्राप्तियां** | **37,998** | **28,170** | **21,490** | **34,265** | **44,432** | **53,817** | **55,106** | **80,649** | **88,721** | **88,519** |
| आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित) | 37,901 | 28,047 | 21,270 | 33,635 | 43,068 | 44,363 | 44,793 | 58,245 | 60,982 | 63,830 |
| अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | 0 | 0 | 79 | 505 | 1,262 | 4,977 | 2,776 | 21,134 | 25,994 | 23,230 |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 97 | 123 | 141(1) | 125 | 102 | 4,477 | 7,537 | 1,270 | 1,745 | 1,459 |
| **6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)** | **85,913** | **81,666** | **90,566** | **1,05,571** | **1,17,737** | **1,21,873** | **1,33,765** | **1,70,155** | **1,90,452** | **1,95,344** |
| **7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां** | **63** | **80** | **27** | **12** | **0** | **800** | **900** | **0** | **0** | **546** |
| **8. लोक लेखा प्राप्तियां** | **29,056** | **32,108** | **33,894** | **40,785** | **45,047** | **53,761** | **55,671** | **70,111** | **78,102** | **80,161** |
| **9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)** | **1,15,032** | **1,13,854** | **1,24,487** | **1,46,368** | **1,62,784** | **1,76,434** | **1,90,336** | **2,40,266** | **2,68,554** | **2,76,051** |
| **भाग ख. व्यय/संवितरण** | | | | | | | | | | |
| **10. राजस्व व्यय** | **59,236** | **68,403** | **73,257** | **77,155** | **84,848** | **89,946** | **98,425** | **1,06,406** | **1,13,196** | **1,25,849** |

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित) | 18,713 | 21,631 | 26,699 | 28,169 | 31,884 | 34,734 | 37,948 | 42,069 | 45,398 | 50,060 |
| सामाजिक सेवाएं | 21,539 | 25,473 | 28,061 | 29,743 | 33,726 | 36,164 | 40,928 | 43,680 | 43,778 | 49,335 |
| आर्थिक सेवाएं | 18,691 | 20,875 | 18,107 | 19,021 | 19,238 | 19,048 | 19,549 | 20,657 | 24,020 | 26,454 |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 293 | 424(1) | 390(1) | 222(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11. पूंजीगत व्यय** | **6,908** | **6,863** | **13,538** | **15,307** | **17,666** | **5,870** | **11,046** | **11,665** | **15,921** | **12,480** |
| सामान्य सेवाएं | 460 | 399 | 481 | 715 | 586 | 388 | 562 | 553 | 641 | 628 |
| सामाजिक सेवाएं | 1,540 | 1,587 | 3,173 | 3,805 | 3,234 | 2,986 | 5,471 | 3,756 | 4,438 | 4,819 |
| आर्थिक सेवाएं | 4,908 | 4,877 | 9,884 | 10,787 | 13,846 | 2,496 | 5,013 | 7,356 | 10,842 | 7,033 |
| **12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण** | **13,250** | **4,515** | **1,395** | **756** | **1,309** | **926** | **966** | **2,462** | **4,055** | **3,161** |
| **13. कुल व्यय (10+11+12+15)** | **79,394** | **79,781** | **88,190** | **93,218** | **1,03,823** | **97,542** | **1,10,437** | **1,20,533** | **1,33,172** | **1,41,490** |
| **14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान** | **7,215** | **5,276** | **6,339** | **17,184** | **15,776** | **29,498** | **25,473** | **53,021** | **59,194** | **57,540** |
| आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट रहित) | 7,039 | 5,090 | 6,074 | 16,480 | 14,250 | 24,191 | 22,542 | 31,672 | 32,990 | 34,100 |
| अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन | - | - | 79 | 505 | 1,262 | 4,977 | 2,776 | 21,134 | 25,994 | 23,230 |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 176 | 186 | 186 | 199 | 264 | 330 | 155 | 215 | 210 | 210 |
| **15. आकस्मिक निधि के विनियोजन** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)** | **86,609** | **85,057** | **94,529** | **1,10,402** | **1,19,599** | **1,27,840** | **1,35,910** | **1,73,554** | **1,92,366** | **1,99,030** |
| **17. आकस्मिक निधि संवितरण** | **63** | **80** | **27** | **12** | **0** | **0** | **900** | **0** | **546** | **149** |
| **18. लोक लेखा संवितरण** | **28,650** | **29,276** | **31,171** | **37,386** | **42,171** | **50,245** | **51,728** | **67,825** | **74,037** | **76,253** |
| **19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)** | **1,15,322** | **1,14,413** | **1,25,727** | **1,47,800** | **1,61,770** | **1,78,085** | **1,88,538** | **2,41,379** | **2,66,949** | **2,75,432** |
| ***भाग ग. घाटा/आधिक्य*** | | | | | | | | | | |
| **20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)(1-10)** | (-) 11,679 | (-) 15,906 | (-) 10,562 | (-) 11,270 | (-) 16,990 | (-) 22,385 | (-) 20,333 | (-) 17,212 | (-) 11,881 | (-) 19,420 |
| **21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)** | (-) 31,479 | (-) 26,285 | (-) 19,114 | (-) 21,912 | (-) 30,518 | (-) 29,486 | (-) 31,778 | (-) 31,027 | (-) 31,441 | (-) 34,665 |
| **22. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)** | (-) 23,195 | (-) 15,743 | (-) 7,153 | (-) 8,361 | (-) 14,930 | (-) 12,371 | (-) 13,416 | (-) 10,931 | (-) 9,836 | (-) 10,446 |
| ***भाग-घ अन्य डेटा*** | | | | | | | | | | |
| **23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)** | **8,284** | **10,542** | **11,961** | **13,551** | **15,588** | **17,115** | **18,362** | **20,096** | **21,605** | **24,219** |
| **24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता** | **10,766** | **12,647** | **9,844** | **10,078** | **11,337** | **13,012** | **12,446** | **11,673** | **12,139** | **13,356** |
| **25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट से प्राप्त लाभ** | **0** | **0** | **79(2)** | **505(4)** | **1,262(11)** | **4,977(42)** | **2,776(19)** | **21,134(188)** | **25,994(163)** | **23,230(126)** |
| अर्थोपाय अग्रिम से प्राप्त लाभ (दिनों में) | (0) | (0) | (2) | (4) | (11) | (42) | (18) | (184) | (163) | (126) |
| ओवरड्राफ्ट से प्राप्त लाभ (दिनों में) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (4) | (0) | (0) |
| **26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज** | **0** | **0** | **0.02** | **0.29** | **0.42** | **1.31** | **0.29** | **10.36** | **9.03** | 9.75 |
| **27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)** | **4,95,504** | **5,61,424** | **6,38,832** | **6,98,940** | **7,38,052** | **7,30,442** | **8,77,269** | **9,74,732** | **10,85,510** | **12,13,951** |
| **28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत में)** | **1,20,718** | **1,46,371** | **1,64,076** | **1,84,216** | **2,15,562** | **2,38,708** | **2,63,950** | **2,93,122** | **3,26,622** | **3,60,967** |
| **29. बकाया गारंटियां (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)** | **16,886** | **8,260** | **14,187** | **18,273** | **20,770** | **23,053** | **24,343** | **23,058** | **24,215** | **23,932** |
| **30. अधिकतम गारंटीकृत राशि (वर्ष के अंत में)** | **32,177** | **17,911** | **19,000** | **20,654** | **22,560** | **25,492** | **30,579** | **30,926** | **50,850** | **35,531** |

| | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **भाग ड.: राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक (प्रतिशत में)** | | | | | | | | | | |
| **I संसाधन संग्रहण** | | | | | | | | | | |
| स्व-कर राजस्व/स.रा.घ.उ. | 6.24 | 6.06 | 6.43 | 6.09 | 5.80 | 5.74 | 6.08 | 6.46 | 6.68 | 6.42 |
| स्व-गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ. | 0.96 | 1.10 | 1.43 | 1.14 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 0.90 | 0.75 | 0.62 |
| स्व राजस्व/स.रा.घ.उ. | 7.20 | 7.16 | 7.86 | 7.23 | 6.81 | 6.69 | 6.93 | 7.36 | 7.43 | 7.04 |
| स्व राजस्व/कुल व्यय | 44.94 | 50.42 | 56.94 | 54.24 | 48.38 | 50.11 | 55.03 | 59.49 | 60.53 | 60.41 |
| **II व्यय प्रबंधन** | | | | | | | | | | |
| कुल व्यय/स.रा.घ.उ. | 16.02 | 14.21 | 13.80 | 13.34 | 14.07 | 13.35 | 12.59 | 12.37 | 12.27 | 11.66 |
| कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां | 166.94 | 151.97 | 140.67 | 141.49 | 153.00 | 144.38 | 141.42 | 135.14 | 131.44 | 132.94 |
| राजस्व व्यय/कुल व्यय | 74.61 | 85.74 | 83.07 | 82.77 | 81.72 | 92.21 | 89.12 | 88.28 | 85.00 | 88.95 |
| सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय | 58.79 | 66.20 | 67.16 | 67.97 | 67.46 | 62.22 | 64.25 | 62.60 | 62.38 | 61.94 |
| पूंजीगत व्यय/कुल व्यय | 8.70 | 8.60 | 15.35 | 16.42 | 17.02 | 6.02 | 10.00 | 9.68 | 11.96 | 8.82 |
| पूंजीगत व्यय/स.रा.घ.उ. | 1.39 | 1.22 | 2.12 | 2.19 | 2.39 | 0.80 | 1.26 | 1.20 | 1.47 | 1.03 |
| **III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन** | | | | | | | | | | |
| राजस्व घाटा स.रा.घ.उ. | (-) 2.36 | (-) 2.83 | (-) 1.65 | (-) 1.61 | (-) 2.30 | (-) 3.06 | (-) 2.32 | (-) 1.77 | (-) 1.09 | (-) 1.60 |
| राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/ स.रा.घ.उ. | (-) 6.35 | (-) 4.68 | (-) 2.99 | (-) 3.14 | (-) 4.13 | (-) 4.04 | (-) 3.62 | (-) 3.18 | (-) 2.90 | (-) 2.86 |
| प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ. | (-) 4.68 | (-) 2.80 | (-) 1.12 | (-) 1.20 | (-) 2.02 | (-) 1.69 | (-) 1.53 | (-) 1.12 | (-) 0.91 | (-) 0.86 |
| **IV ऋण स्थिरता** | | | | | | | | | | |
| बकाया देयताएं/स.रा.घ.उ. | 24.36 | 26.07 | 25.68 | 26.36 | 29.21 | 32.68 | 30.09 | 30.07 | 30.09 | 29.73 |
| ब्याज भुगतान /राजस्व प्राप्तियां | 17.42 | 20.08 | 19.08 | 20.57 | 22.97 | 25.33 | 23.51 | 22.53 | 21.32 | 22.76 |

## परिशिष्ट 1.2

### (संदर्भः अनुच्छेद 1.1.4; पृष्ठ 6)

### वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

**(₹ करोड़ में)**

| 2023-24 | प्राप्तियां | 2024-25 | 2023-24 | संवितरण | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| **भाग कः राजस्व** | | | | | |
| **1,01,314.84** | **I. राजस्व प्राप्तियां** | **1,06,429.41** | **1,13,195.69** | **I. राजस्व व्यय** | **1,25,849.29** |
| 72,511.12 | कर राजस्व | 77,942.68 | **45,398.26** | **सामान्य सेवाएं** | **50,060.70** |
| 8,103.00 | गैर-कर राजस्व | 7,536.20 | **43,777.53** | **सामाजिक सेवाएं** | **49,334.76** |
| 12,345.35 | संघीय करों में राज्यांश | 14,065.65 | 16,816.61 | शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति | **18,582.71** |
| | गैर-योजना अनुदान | | 6,086.42 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 7,268.49 |
| | राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान | | 6,427.66 | जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास | 6,124.82 |
| | केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान | | 333.57 | सूचना एवं प्रसारण | 372.58 |
| 2,768.56 | केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान | 2,853.99 | 626.12 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 553.07 |
| 1,973.33 | वित्त आयोग अनुदान | 2,392.53 | 866.44 | श्रम एवं श्रमिक कल्याण | 940.10 |
| 3,613.48 | राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान | 1,638.36 | 12,607.06 | सामाजिक कल्याण एवं पोषण | 15,481.87 |
| | | | 13.65 | अन्य | 11.12 |
| | | | **24,019.90** | **आर्थिक सेवाएं-** | **26,453.83** |
| | | | 4,909.65 | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 6,062.65 |
| | | | 3,658.13 | ग्रामीण विकास | 4,535.26 |
| | | | | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | |
| | | | 2,615.02 | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण | 2,420.93 |
| | | | 7,953.07 | ऊर्जा | 7,838.60 |
| | | | 797.29 | उद्योग एवं खनिज | 977.65 |
| | | | 3,929.15 | परिवहन | 4,474.05 |
| | | | 37.57 | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण | 30.20 |
| | | | 120.03 | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 114.49 |
| | | | | **सहयतानुदान और अंशदान -** | |
| **11,880.86** | **II. अगले वर्ष ले जाया गया राजस्व घाटा** | **19,419.88** | | **II. अगले वर्ष ले जाया गया राजस्व अधिशेष** | |
| **भाग खः पूंजीगत** | | | | | |
| **3,833.55** | **III. स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष** | **5,438.02** | | **III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट** | |
| **114.83** | **IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां** | **102.36** | **15,920.94** | **IV. पूंजीगत परिव्यय-** | **12,480.03** |
| | | | **640.61** | **सामान्य सेवाएं-** | **627.75** |
| | | | **4,437.93** | **सामाजिक सेवाएं-** | **4,819.37** |
| | | | 574.52 | शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति | 428.18 |
| | | | 1,154.36 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 1,339.49 |
| | | | 2,589.44 | जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास | 2,864.62 |
| | | | 60.49 | सूचना एवं प्रसारण | 90.00 |
| | | | 6.23 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 4.15 |
| | | | 37.61 | सामाजिक कल्याण और पोषण | 61.73 |
| | | | 15.28 | अन्य | 31.20 |

| 2023-24 | प्राप्तियां | 2024-25 | 2023-24 | संवितरण | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **10,842.40** | **आर्थिक सेवाएं-** | **7,032.90** |
| | | | 2,997.71 | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | (-) 41.64 |
| | | | 1,232.16 | ग्रामीण विकास | 672.62 |
| | | | | विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | |
| | | | 2,623.65 | सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण | 3,080.84 |
| | | | 234.04 | ऊर्जा | 125.56 |
| | | | 183.19 | उद्योग एवं खनिज | 0.21 |
| | | | 3,355.46 | परिवहन | 2,885.28 |
| | | | 216.19 | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 310.03 |
| **301.15** | **V ऋण एवं अग्रिम राशि की वसूली-** | **293.88** | **4,055.22** | **V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम-** | **3,161.48** |
| 101.75 | विद्युत परियोजनाओं से | 82.41 | 0.00 | बिजली परियोजनाओं हेतु | 0.00 |
| 74.93 | सरकारी कर्मचारियों से | 88.00 | 97.17 | सरकारी कर्मचारियों को | 94.52 |
| 124.47 | अन्य से | 123.47 | 3,958.05 | अन्य को | 3,066.96 |
| | **VI. राजस्व अधिशेष में कमी लाई गई** | | | **VI. राजस्व घाटा कम हुआ** | |
| **88,720.82** | **VII. लोक ऋण प्राप्तियां-** | **88,519.04** | **59,194.20** | **VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान-** | **57,540.25** |
| | बाह्य ऋण | | | बाह्य ऋण | |
| 60,981.54 | अर्थोपाय के अलावा आंतरिक ऋण अग्रिम और ओवरड्राफ्ट | 63,830.45 | 32,990.08 | अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण | 34,099.94 |
| 25,994.12 | अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन | 23,230.03 | 25,994.12 | अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन | 23,230.03 |
| | ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन | | | ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन | |
| 1,745.16 | केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 1,458.56 | 210.00 | केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान | 210.28 |
| | **VIII. आकस्मिक निधि के लिए विनियोग** | | | **VIII. आकस्मिक निधि का विनियोग** | |
| | **IX. आकस्मिक निधि से अंतरित राशि** | **545.95** | **545.95** | **IX. आकस्मिक निधि से व्यय** | **148.93** |
| **78,101.78** | **X. लोक लेखा प्राप्तियां-** | **80,161.44** | **74,036.94** | **X. लोक लेखा संवितरण-** | **76,252.83** |
| 3,484.04 | लघु बचत एवं भविष्य निधि | 3,518.89 | 3,385.61 | लघु बचत एवं भविष्य निधि | 3,503.85 |
| 2,523.27 | आरक्षित निधियां | 2,540.90 | 543.67 | आरक्षित निधियां | 226.20 |
| 1,849.07 | उचंत एवं विविध | 2,110.62 | 2,294.23 | उचंत एवं विविध | 2,120.86 |
| 12,361.36 | प्रेषण | 12,595.19 | 12,376.53 | प्रेषण | 12,628.62 |
| 57,884.04 | जमा और अग्रिम | 59,395.84 | 55,436.90 | जमा एवं अग्रिम | 57,773.30 |
| | **XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट** | | **5,438.02** | **XI. अंतिम रोकड़ शेष** | **6,057.28** |
| | | | 0.54 | खजानों तथा स्थानीय प्रेषणों में रोकड़ | 0.54 |
| | | | 373.36 | रिजर्व बैंक में जमा | 216.46 |
| | | | 4.14 | स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष | 11.09 |
| | | | 1,272.60 | रोकड़ शेष निवेश | 1,455.20 |
| | | | 3,787.38 | चिह्नित निवेश | 4,373.99 |
| | | | **0.00** | **पूर्णांकन के कारण अंतर** | **0.01** |
| **1,71,072.13** | **कुल** | **1,75,060.69** | **1,71,072.13** | **कुल** | **1,75,060.69** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, हरियाणा सरकार**

## परिशिष्ट 1.3

### (संदर्भः अनुच्छेद 1.1.5; पृष्ठ 6)

### 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति

**(₹ करोड़ में)**

| 31 मार्च 2024 को | | | 31 मार्च 2025 को |
|---|---|---|---|
| | **देयताएं** | | |
| **2,80,772.24** | **आंतरिक ऋण** | | **3,10,502.75** |
| 2,52,739.35 | ब्याज युक्त बाजार ऋण | 2,89,639.35 | |
| 0.02 | ब्याज रहित बाजार ऋण | 0.02 | |
| 5,352.10 | केंद्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 4,347.71 | |
| 22,680.77 | अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण | 16,515.67 | |
| - | अर्थोपाय अग्रिम | | - |
| - | भारतीय रिज़र्व बैंक से ओवरड्राफ्ट | | - |
| **15,285.21** | **केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम -** | | **13,827.90** |
| | 1984-85 से पूर्व के ऋण | | |
| 4.41 | योजनेत्तर ऋण | 2.86 | |
| 456.43 | राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण | 247.71 | |
| 15,364.37 | विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अन्य योजनाओं के लिए ऋण | 13,577.33 | |
| **1,000.00** | **आकस्मिक निधि** | | **1,000.00** |
| **18,762.25** | **लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि** | | **18,777.29** |
| **14,557.39** | **जमा** | | **16,179.92** |
| **12,238.55** | **आरक्षित निधियां** | | **14,553.25** |
| **-** | **उचंत तथा विविध शेष** | | **-** |
| **336.99** | **प्रेषण शेष** | | **303.55** |
| **-** | **व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य** | | **-** |
| **3,43,492.63** | **कुल** | | **3,75,144.66** |
| | **परिसंपत्तियां** | | |
| **1,56,410.71** | **अचल परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय** | | **1,67,914.39** |
| 38,278.21 | कंपनियों, निगमों, इत्यादि के शेयरों में निवेश | 38,306.53 | |
| 1,18,132.50 | अन्य पूंजीगत परिव्यय | 1,29,607.86 | |
| **14,328.46** | **ऋण एवं अग्रिम** | | **18,070.05** |
| 730.49 | बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण | 648.08 | |
| 13,440.68 | अन्य विकास ऋण | 17,258.16 | |
| 157.29 | सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण | 163.81 | |
| **0.74** | **अग्रिम** | | **0.74** |
| **-** | **प्रेषण शेष** | - | **-** |
| **19.72** | **उचन्त एवं विविध शेष** | | **29.96** |

| 31 मार्च 2024 को | | | 31 मार्च 2025 को |
|---|---|---|---|
| **5,438.02** | **रोकड़** | | **6,057.28** |
| 0.54 | खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण | 0.54 | |
| 373.36 | रिजर्व बैंक में जमा | 216.46 | |
| 4.03<br>0.11 | विभागीय रोकड़ शेष<br>स्थाई अग्रिम | 10.98<br>0.11 | |
| | प्रतिभूति जमा | - | |
| 3,787.38 | चिन्हित निधियों का निवेश | 4,373.99 | |
| 1,272.60 | रोकड़ शेष निवेश | 1,455.20 | |
| **1,66,749.02** | **सरकारी लेखों पर घाटा -** | | **1,82,923.30*** |
| 11,880.86 | (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा | 19,419.88 | |
| - | (ii) आकस्मिक निधि का विनियोग | - | |
| 1,54,868.16 | (iii) वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा | 1,66,749.02 | |
| | **घटा:** केंद्र सरकार द्वारा बैक टू बैक ऋण के कारण प्रोफार्मा सुधार | 3,245.60 | |
| **0.01** | **पूर्णांकन के कारण अंतर** | | **0.01** |
| **545.95** | **आकस्मिक निधि** | | **148.93** |
| **3,43,492.63** | **कुल** | | **3,75,144.66** |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, हरियाणा सरकार।**

**व्याख्यात्मक नोट:**

**उपर्युक्त विवरणों में दिए गए संक्षिप्त लेखाओं को वित्त लेखों में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ पढ़ा जाए। सरकारी लेखे मुख्य रूप से रोकड़ आधार पर होने के कारण, परिशिष्ट 1.2 में दर्शाया गया सरकारी लेखे का घाटा, रोकड़ आधार पर स्थिति को इंगित करता है, जो कि वाणिज्यिक लेखांकन के प्रोद्भवन आधार के विपरीत है।**

* **केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बैक-टू-बैक ऋणों के कारण प्रोफार्मा सुधार द्वारा घटाया गया।**

## परिशिष्ट 2.1

### (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 65)

### ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान का नाम | मूल | अनुपूरक | व्यय | मूल प्रावधान से बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| | **राजस्व दत्तमत** | | | | |
| 1 | 2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद | 186.15 | 15.00 | 181.32 | (-) 4.83 |
| 2 | 3-सामान्य प्रशासन/चुनाव | 1,277.53 | 64.66 | 858.19 | (-) 419.34 |
| 3 | 4-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान | 2,874.97 | 279.25 | 2,614.48 | (-) 260.49 |
| 4 | 5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण) | 7,751.55 | 537.25 | 7,713.09 | (-) 38.46 |
| 5 | 6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए) | 16,496.52 | 7.56 | 15,929.52 | (-) 567.00 |
| 6 | 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव | 6,115.43 | 1,000.02 | 4,804.88 | (-) 1,310.55 |
| 7 | 11-सहभागिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | 1,994.06 | 389.84 | 1,568.19 | (-) 425.87 |
| 8 | 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास | 21,277.08 | 460.22 | 19,815.57 | (-) 1,461.51 |
| 9 | 13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन) | 595.08 | 30.35 | 418.68 | (-) 176.40 |
| 10 | 14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन | 8,262.52 | 482.80 | 7,268.38 | (-) 994.14 |
| 11 | 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले) | 1,178.74 | 30.00 | 942.97 | (-) 235.77 |
| 12 | 20-नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/ विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 14,394.75 | 314.02 | 10,171.21 | (-) 4,223.54 |
| | **कुल** | **82,404.38** | **3,610.97** | **72,286.48** | **(-) 10,117.90** |
| | **पूंजीगत दत्तमत** | | | | |
| 13 | 5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण) | 410.01 | 130.00 | 386.65 | (-) 23.36 |
| 14 | 7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम | 1,069.12 | 120.00 | 397.88 | (-) 671.24 |
| 15 | 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास | 1,780.70 | 3.00 | 1,162.29 | (-) 618.41 |
| 16 | 13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन) | 298.50 | 241.14 | 255.95 | (-) 42.55 |
| 17 | 14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन | 2,175.03 | 604.70 | 2,158.19 | (-) 16.84 |
| 18 | 17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन | 5,191.56 | 22.60 | 3,287.61 | (-) 1,903.95 |
| 19 | 19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन | 3,499.52 | 50.00 | 3,061.44 | (-) 438.08 |
| 20 | 20-नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 3,679.10 | 889.00 | 3,595.15 | (-) 83.95 |
| | **कुल** | **18,103.54** | **2,060.44** | **14,305.16** | **(-) 3,798.38** |
| | **कुल योग** | **1,00,507.92** | **5,671.41** | **86,591.64** | **(-) 13,916.28** |

## परिशिष्ट 2.2

### (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.2; पृष्ठ 65)

### ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान का नाम | मूल | अनुपूरक | कुल | व्यय | अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (बचत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **राजस्व दत्तमत** | | | | | |
| 1 | 16-सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण | 12,061.98 | 1,121.68 | 13,183.66 | 12,702.29 | (-) 481.37 |
| 2 | 17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/ परिवहन/नागरिक उड्डयन | 5,336.17 | 787.71 | 6,123.88 | 5,750.69 | (-) 373.19 |
| 3 | 19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन | 10,705.13 | 1,359.46 | 12,064.59 | 11,814.23 | (-) 250.36 |
| | **कुल** | **28,103.28** | **3,268.85** | **31,372.13** | **30,267.21** | **(-) 1,104.92** |

## परिशिष्ट 2.3

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 67)

## 20 अनुदानों के अंतर्गत बजट, व्यय एवं बचत का विवरण

**(₹ करोड़ में)**

| अनुदान संख्या एवं अनुदान का नाम | | मूल बजट | अनुपूरक | कुल बजट | वास्तविक व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) | अभ्यर्पित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विधान सभा | 148.89 | 0.00 | 148.89 | 81.65 | (-) 67.24 | 68.08 |
| 2 | राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद | 209.81 | 15.00 | 224.81 | 200.64 | (-) 24.17 | 25.25 |
| 3 | सामान्य प्रशासन/चुनाव | 1,400.80 | 64.66 | 1,465.46 | 890.33 | (-) 575.13 | 582.71 |
| 4 | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/ अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान | 3,324.97 | 279.25 | 3,604.22 | 2,790.31 | (-) 813.91 | 1,242.21 |
| 5 | गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण) | 8,438.42 | 667.25 | 9,105.67 | 8,348.27 | (-) 757.40 | 781.13 |
| 6 | वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए) | 42,130.45 | 9.57 | 42,140.02 | 40,438.32 | (-) 1,701.70 | 18,321.83 |
| 7 | राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम | 1,069.12 | 120.00 | 1,189.12 | 397.88 | (-) 791.24 | 791.42 |
| 8 | लोक ऋण | 64,044.20 | 0.00 | 64,044.20 | 57,540.25 | (-) 6,503.95 | 0.00 |
| 9 | आकस्मिक निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव | 8,176.41 | 1,000.04 | 9,176.45 | 5,877.68 | (-) 3,298.77 | 3,293.77 |
| 11 | सहभागिता/नागरिक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | 17,307.67 | 389.84 | 17,697.51 | 15,086.28 | (-) 2,611.23 | 3,115.76 |
| 12 | शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास | 23,057.78 | 463.22 | 23,521.00 | 20,977.86 | (-) 2,543.14 | 2,678.51 |
| 13 | खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन) | 893.58 | 271.49 | 1,165.07 | 674.63 | (-) 490.44 | 602.37 |
| 14 | स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन | 10,437.80 | 1,087.50 | 11,525.30 | 9,426.68 | (-) 2,098.62 | 2,400.28 |
| 15 | श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले) | 1,444.52 | 30.00 | 1,474.52 | 1,024.24 | (-) 450.28 | 449.02 |
| 16 | सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण | 12,111.49 | 1,121.68 | 13,233.17 | 12,710.19 | (-) 522.98 | 527.06 |
| 17 | लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन | 10,607.78 | 810.31 | 11,418.09 | 9,111.18 | (-) 2,306.91 | 3,131.20 |
| 18 | सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 611.38 | 0.00 | 611.38 | 494.85 | (-) 116.53 | 137.53 |
| 19 | ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन | 14,224.65 | 1,409.46 | 15,634.11 | 14,886.67 | (-) 747.44 | 2,000.89 |
| 20 | नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 18,074.15 | 1,203.22 | 19,277.37 | 13,766.85 | (-) 5,510.52 | 5,993.39 |
| | **कुल** | **2,37,713.87** | **8,942.49** | **2,46,656.36** | **2,14,724.76** | **(-) 31,931.60** | **46,142.41** |

# परिशिष्ट 2.4

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 67)

## प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक की निधियों का अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | मूल बजट | अनुपूरक | पुनर्विनियोग | कुल | वास्तविक | अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **अनुदान संख्या 4- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/उत्पाद शुल्क एवं कराधान** | | | | | | |
| 1 | 2043-101-51 2043-101-51 संग्रहण प्रभार | 0.70 | 0.00 | 30.44 | 31.14 | 0.00 | (-) 31.14 |
| 2 | 2053-093-99 2053-093-99 जिला स्थापना | 315.38 | 0.00 | (-) 94.46 | 220.92 | 264.45 | 43.53 |
| 3 | 2053-094-99 उप-मंडल स्थापना | 36.59 | 0.00 | (-) 12.92 | 23.67 | 36.87 | 13.20 |
| 4 | 2053-101-99 स्थापना | 21.92 | 230.00 | (-) 37.50 | 214.42 | 217.77 | 3.35 |
| 5 | 2245-02-101-97 बीज, उर्वरक एवं कृषि उपकरणों की आपूर्ति | 160.00 | 0.00 | (-) 153.68 | 6.32 | 47.08 | 40.76 |
| 6 | 2245-05-101-99 आरक्षित निधि एवं जमा खातों में अंतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि | 758.00 | 0.00 | (-) 404.25 | 353.75 | 606.40 | 252.65 |
| 7 | 4059-60-051-97 आबकारी एवं कराधान | 200.00 | 0.00 | (-) 158.14 | 41.86 | 51.96 | 10.10 |
| 8 | 4216-01-116-98 जिला प्रशासन | 50.00 | 0.00 | (-) 10.29 | 39.71 | 42.82 | 3.11 |
| | **अनुदान संख्या 5- गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण)** | | | | | | |
| 9 | 2014-114-99-98 स्थापना व्यय | 72.70 | 0.00 | (-) 17.53 | 55.17 | 58.93 | 3.76 |
| 10 | 4059-60-051-96 जेल | 150.00 | 130.00 | (-) 39.84 | 240.16 | 255.92 | 15.76 |
| | **अनुदान संख्या 6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए)** | | | | | | |
| 11 | 2049-01-101-99 ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज | 20,375.00 | 0.00 | (-) 737.80 | 19,637.20 | 20,063.14 | 425.94 |
| 12 | 2049-04-101-99 ब्लॉक ऋण | 38.00 | 0.00 | (-) 37.95 | 0.05 | 95.06 | 95.01 |
| | **अनुदान संख्या 10 - कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव** | | | | | | |
| 13 | 2406-02-800-98 चिड़ियाघर एवं हिरण पार्क का विस्तार | 8.00 | 0.00 | (-) 4.51 | 3.49 | 7.29 | 3.80 |
| 14 | 2406-04-103-96 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य | 108.00 | 0.00 | (-) 99.22 | 8.78 | 38.35 | 29.57 |
| 15 | 4403-101-99-99 राज्य सहायता | 86.00 | 0.00 | (-) 57.94 | 28.06 | 31.16 | 3.10 |
| | **अनुदान संख्या 12 - शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास** | | | | | | |
| 16 | 2202-01-111-99 सर्व शिक्षा अभियान | 550.00 | 115.80 | (-) 187.70 | 478.10 | 593.88 | 115.78 |
| 17 | 2202-01-793-99 सर्व शिक्षा अभियान | 140.00 | 35.65 | (-) 29.62 | 146.03 | 181.68 | 35.65 |
| 18 | 2202-02-109-86 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) | 500.00 | 91.13 | (-) 255.58 | 335.55 | 426.68 | 91.13 |
| 19 | 2202-02-793-98 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) | 89.24 | 24.37 | (-) 24.41 | 89.20 | 113.57 | 24.37 |
| 20 | 2202-03-103-99 संस्थान | 972.78 | 0.00 | 3.76 | 976.54 | 969.85 | (-) 6.69 |
| 21 | 2235-02-102-92 एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी) | 780.00 | 15.00 | 186.43 | 981.43 | 774.79 | (-) 206.64 |
| 22 | 4235-02-102-99-98 राज्य का अंशदान | 35.00 | 3.00 | (-) 37.94 | 0.06 | 9.98 | 9.92 |
| | **अनुदान संख्या 13 - खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन)** | | | | | | |
| 23 | 2205-103-96 प्राचीन स्मारकों के स्थलों का संरक्षण/परिरक्षण विकास | 20.00 | 0.00 | (-) 13.19 | 6.81 | 13.03 | 6.22 |
| 24 | 4202-03-102-99 खेल अवसंरचना योजना | 80.00 | 0.00 | (-) 22.16 | 57.84 | 63.76 | 5.92 |
| 25 | 4202-04-106-99 भवन (पुरातत्व) | 15.00 | 241.14 | (-) 214.26 | 41.88 | 137.39 | 95.51 |

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | मूल बजट | अनुपूरक | पुनर्विनियोग | कुल | वास्तविक | अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **अनुदान संख्या 14 - स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन** | | | | | | |
| 26 | 2210-01-110-49 शहरी अस्पतालों एवं औषधालयों का सुदृढ़ीकरण | 1,202.91 | 0.00 | (-) 15.51 | 1,187.40 | 1,220.04 | 32.64 |
| 27 | 2210-01-110-96 अस्पताल के सुधार एवं विस्तार का नाम बदलकर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के सुधार एवं विस्तार के रूप में किया गया है | 150.00 | 0.00 | (-) 47.60 | 102.40 | 112.99 | 10.59 |
| 28 | 2210-03-103-84 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सहायता अनुदान | 892.00 | 0.00 | (-) 176.20 | 715.80 | 721.27 | 5.47 |
| 29 | 4210-01-110-99 भवन का नाम बदलकर अवसंरचना/प्रशासनिक व्यय कर दिया गया है | 300.00 | 201.59 | (-) 223.56 | 278.03 | 478.55 | 200.52 |
| 30 | 4210-03-105-88 महेंद्रगढ़ (नारनौल में) स्थित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल | 130.00 | 0.00 | (-) 110.00 | 20.00 | 65.70 | 45.70 |
| | **अनुदान संख्या 17 - लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन** | | | | | | |
| 31 | 3054-04-337-98 ग्रामीण सड़कें | 400.00 | 310.00 | 102.94 | 812.94 | 841.23 | 28.29 |
| 32 | 3055-201-98 बी-संचालन | 2,312.81 | 57.70 | (-) 123.01 | 2,247.50 | 2,278.77 | 31.27 |
| 33 | 5054-03-337-87 सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन | 150.00 | 0.00 | (-) 36.64 | 113.36 | 110.00 | (-) 3.36 |
| 34 | 5054-03-337-88-99 राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार | 350.00 | 0.00 | 50.74 | 400.74 | 406.08 | 5.34 |
| 35 | 5054-04-101-84-99 राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण | 200.00 | 0.00 | (-) 34.85 | 165.15 | 171.09 | 5.94 |
| 36 | 5054-04-337-98-99 राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण | 1,200.00 | 0.00 | (-) 68.41 | 1,131.59 | 1,152.25 | 20.66 |
| 37 | 5054-04-337-99-98 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण | 130.00 | 0.00 | (-) 56.79 | 73.21 | 78.30 | 5.09 |
| 38 | 5054-04-337-99-99 राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार | 70.00 | 0.00 | (-) 6.00 | 64.00 | 58.49 | (-) 5.51 |
| 39 | 5055-050-78 विनियामक विंग के लिए भूमि की खरीद एवं भवन का निर्माण | 200.00 | 0.00 | (-) 180.79 | 19.21 | 116.84 | 97.63 |
| | **अनुदान संख्या 18 - सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण एवं लेखन सामग्री** | | | | | | |
| 40 | 2220-60-003-99 अनुसंधान एवं संदर्भ अनुभाग | 50.00 | 0.00 | (-) 30.90 | 19.10 | 28.88 | 9.78 |
| 41 | 2220-60-101-9 विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार | 30.00 | 0.00 | 5.73 | 35.73 | 44.97 | 9.24 |
| | **अनुदान संख्या 19 - ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन** | | | | | | |
| 42 | 2705-188-99 सूक्ष्म सिंचाई निधि के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज के विस्तार के लिए संसाधनों का संग्रहण | 100.00 | 0.00 | (-) 81.39 | 18.61 | 25.00 | 6.39 |
| 43 | 4700-13-789-99 नहर नेटवर्क का पुनर्वास राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी में जलमार्गों के पुनर्वास में सुधार | 150.00 | 0.00 | 139.88 | 289.88 | 107.84 | (-) 182.04 |
| 44 | 4701-07-800-98 नाबार्ड-नहर का निर्माण | 200.00 | 0.00 | (-) 180.19 | 19.81 | 214.92 | 195.11 |
| | **अनुदान संख्या 20 - नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी** | | | | | | |
| 45 | 2215-01-101-99-97 नहर जल प्रभार | 3.00 | 30.00 | (-) 24.18 | 8.82 | 14.26 | 5.44 |
| 46 | 2215-01-101-99-98 रखरखाव प्रभार | 100.00 | 20.00 | 42.96 | 162.96 | 169.77 | 6.81 |
| 47 | 2215-01-102-97 ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम | 704.60 | 160.00 | (-) 613.83 | 250.77 | 893.28 | 642.51 |
| 48 | 4215-01-101-93 जल आपूर्ति के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन | 656.00 | 0.00 | (-) 397.87 | 258.13 | 172.09 | (-) 86.04 |
| 49 | 4215-01-101-99-99 जल आपूर्ति में वृद्धि | 60.00 | 50.00 | (-) 21.03 | 88.97 | 83.97 | (-) 5.00 |
| 50 | 4215-01-102-93-90 ग्राम में पेयजल आपूर्ति को अद्यतन करने के लिए महाग्राम योजना | 25.00 | 10.00 | 7.71 | 42.71 | 31.94 | (-) 10.77 |
| 51 | 4215-01-102-93-94 जल आपूर्ति में वृद्धि | 160.00 | 150.00 | 207.33 | 517.33 | 608.16 | 90.83 |
| 52 | 4215-01-102-98-99 एनआरडीडब्ल्यूपी-कवरेज केंद्रीय का नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम) -कवरेज कर दिया गया है | 526.00 | 0.00 | (-) 263.00 | 263.00 | 213.27 | (-) 49.73 |
| 53 | 4215-01-789-96 ग्रामीण जल आपूर्ति में वृद्धि के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 40.00 | 50.00 | 36.10 | 126.10 | 147.07 | 20.97 |
| 54 | 4215-01-789-97 नाबार्ड के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 50.00 | 0.00 | 22.04 | 72.04 | 87.45 | 15.41 |
| 55 | 4215-02-101-89 सीवरेज के लिए अमृत-II का कार्यान्वयन | 144.00 | 0.00 | (-) 72.55 | 71.45 | 53.59 | (-) 17.86 |
| 56 | 4711-01-201-98 शहरी स्टार्मवाटर ड्रेनेज कार्य | 40.00 | 20.00 | 64.85 | 124.85 | 133.96 | 9.11 |

# परिशिष्ट 2.5

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 68)

## अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | योजना का नाम (योजना का वर्गीकरण) | बजट | पुनर्विनियोग | कुल | व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधान में कटौती, जो कि अत्यधिक व्यय के कारण की गई** | | | | | |
| 1 | सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99-51) | 665.80 | (-) 187.70 | 478.10 | 593.89 | 115.79 |
| 2 | सरकारी माध्यमिक विद्यालय (109) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-109-86-51) | 591.13 | (-) 255.58 | 335.55 | 426.69 | 91.14 |
| 3 | अनुसूचित जाति घटक योजना (793) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (2202-02-793-98-51) | 113.61 | (-) 24.41 | 89.20 | 113.57 | 24.37 |
| 4 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-793-99-51) | 175.65 | (-) 29.62 | 146.03 | 181.68 | 35.65 |
| 5 | माध्यमिक विद्यालय भवन (4202-01-202-99-51) | 150.00 | (-) 57.70 | 92.30 | 93.70 | 1.40 |
| 6 | कॉलेज भवन (4202-01-203-99-51) | 50.00 | (-) 50.00 | 0.00 | 47.34 | 47.34 |
| 7 | पॉलिटेक्निक भवन (4202-02-104-99-51) | 20.00 | (-) 20.00 | 0.00 | 12.56 | 12.56 |
| 8 | भवन (इंजीनियरिंग कॉलेज) (4202-02-105-99-51) | 5.00 | (-) 5.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |
| 9 | पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण (4202-02-789-99-51) | 7.00 | (-) 7.00 | 0.00 | 1.96 | 1.96 |
| 10 | आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण- राज्य का अंशदान (4235-02-102-99-98) | 38.00 | (-) 37.94 | 0.06 | 9.99 | 9.93 |
| 11 | युवा लड़कियों/महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं के लिए घर-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र (4235-02-103-99-51) | 31.00 | (-) 30.81 | 0.19 | 0.32 | 0.13 |
| 12 | आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण (4235-02-789-99-51) | 8.00 | (-) 8.00 | 0.00 | 1.04 | 1.04 |
| | **प्रावधान में वृद्धि अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई** | | | | | |
| 1 | संस्थान (2202-03-103-99-51) | 972.78 | 3.76 | 976.54 | 969.85 | (-) 6.69 |
| 2 | एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी) (2235-02-102-92-51) | 795.00 | 186.43 | 981.43 | 774.79 | (-) 206.64 |

## परिशिष्ट 2.6

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 68)

## अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम (योजना का वर्गीकरण) | बजट | पुनर्विनियोग | कुल | व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधान में कटौती, जो कि अतिरिक्त व्यय के कारण की गई** | | | | | |
| 1 | केंद्रीय कार्यालयों के अंतर्गत स्थापना व्यय (पी-01-3055-001-99-98) | 64.59 | (-) 12.04 | 52.55 | 52.71 | 0.16 |
| 2 | एफ-हरियाणा राज्य परिवहन के अंतर्गत अन्य व्यय (पी-01-3055-201-96) | 125.50 | (-) 125.50 | 0.00 | 125.50 | 125.50 |
| 3 | सी-हरियाणा राज्य परिवहन के अंतर्गत मरम्मत एवं रखरखाव (पी-01-3055-201-97) | 255.69 | (-) 54.18 | 201.51 | 204.28 | 2.77 |
| 4 | हरियाणा राज्य परिवहन के अंतर्गत बी-परिचालन (पी-01-3055-201-98) | 2,370.51 | (-) 123.01 | 2,247.50 | 2,278.77 | 31.27 |
| 5 | सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (पी-01-5054-04-101-84-99) | 200.00 | (-) 34.85 | 165.15 | 171.09 | 5.94 |
| 6 | पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के अंतर्गत अंबाला सर्कल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन (पी-01-5054-04-337-49-99) | 138.00 | (-) 137.62 | 0.38 | 0.85 | 0.47 |
| 7 | पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के अंतर्गत नाबार्ड योजना के लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण (पी-01-5054-04-337-98-97) | 170.00 | (-) 63.98 | 106.02 | 107.76 | 1.74 |
| 8 | ग्रामीण सड़क के अंतर्गत राज्य योजना के लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण (पी-01-5054-04-337-98-99) | 1,200.00 | (-) 68.41 | 1,131.59 | 1,152.25 | 20.66 |
| 9 | जिला सड़कों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ा करना (पी-01-5054-04-337-99-98) | 130.00 | (-) 56.79 | 73.21 | 78.30 | 5.09 |
| 10 | अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत के अंतर्गत राज्य का अंशदान (पी-01-5054-04-789-99-99) | 70.00 | (-) 57.01 | 12.99 | 13.86 | 0.87 |
| 11 | अन्य व्यय के अंतर्गत हरियाणा राज्य में नई रेल लाइनों का निर्माण (पी-01-5054-80-800-98) | 50.00 | (-) 49.26 | 0.74 | 1.27 | 0.53 |
| 12 | अन्य व्यय के अंतर्गत अनुसंधान (पी-01-5054-80-800-99) | 80.00 | (-) 9.83 | 70.17 | 72.88 | 2.71 |
| 13 | भूमि एवं भवन के अंतर्गत हरियाणा राज्य परिवहन डिपो (पी-01-5055-050-78) | 200.00 | (-) 180.79 | 19.21 | 116.40 | 97.19 |
| | **कुल** | **5,054.29** | **(-) 973.27** | **4,081.02** | **4,375.92** | **294.90** |
| | **पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधान में कटौती अनावश्यक सिद्ध हुई** | | | | | |
| 1 | राज्य राजमार्गों के अंतर्गत सड़क निर्माण (पी-01-3054-03-337-51) | 90.00 | (-) 20.67 | 69.33 | 67.76 | (-) 1.57 |
| 2 | सड़क कार्यों के अंतर्गत सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन (पी-01-5054-03-337-87) | 150.00 | (-) 36.64 | 113.36 | 110.00 | (-) 3.36 |
| 3 | गुरुग्राम एवं नूंह जिले में सड़क कार्यों के अंतर्गत किलोमीटर 0 से 11.50 मीटर तक (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढ़ीकरण एवं आईपीबी (पी-01-5054-04-337-48-99) | 9.19 | (-) 4.47 | 4.72 | 4.66 | (-) 0.06 |
| 4 | जिला सड़कों के अंतर्गत राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार (पी-01-5054-04-337-99-99) | 70.00 | (-) 6.00 | 64.00 | 58.49 | (-) 5.51 |
| 5 | अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत के अंतर्गत नाबार्ड का अंशदान (पी-01-5054-04-789-99-98) | 55.00 | (-) 20.02 | 34.98 | 32.86 | (-) 2.12 |

| क्र. सं. | योजना का नाम (योजना का वर्गीकरण) | बजट | पुनर्विनियोग | कुल | व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **कुल** | **374.19** | **(-) 87.80** | **286.39** | **273.77** | **(-) 12.62** |
| | **प्रावधान में वृद्धि अपर्याप्त सिद्ध हुई** | | | | | |
| 1 | सड़क कार्यों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें (पी-01-3054-04-337-98) | 710.00 | 102.94 | 812.94 | 841.23 | 28.29 |
| 2 | हरियाणा राज्य में पुलों के निर्माण के अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (पी-01-5054-03-101-81-99) | 50.00 | 41.48 | 91.48 | 93.85 | 2.37 |
| 3 | हरियाणा राज्य में सड़कों के निर्माण के अंतर्गत राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार (पी-01-5054-03-337-88-99) | 350.00 | 50.74 | 400.74 | 406.08 | 5.34 |
| | **कुल** | **1,110.00** | **195.16** | **1,305.16** | **1,341.16** | **36.00** |

# परिशिष्ट 2.7

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 68)

## 2022-25 के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान

| क्र.सं. | अनुदान का नाम | बचत (₹ करोड़ में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
| | **राजस्व दत्तमत** | | | |
| 1. | 3-सामान्य प्रशासन/चुनाव | 353.66 | 575.31 | 484.00 |
| 2. | 4-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान | 607.29 | 1,337.03 | 539.74 |
| 3. | 5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण) | 1,471.27 | 570.23 | 575.71 |
| 4. | 6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए) | 689.37 | 839.06 | 574.56 |
| 5. | 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव | 1,418.12 | 2,832.57 | 2,310.57 |
| 6. | 11-सहकारी/नागरिक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | 1,036.60 | 269.30 | 815.71 |
| 7. | 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास | 3,049.17 | 3,453.04 | 1,921.73 |
| 8. | 13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन) | 185.00 | 166.68 | 206.75 |
| 9. | 14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन | 1,057.42 | 618.63 | 1,476.94 |
| 10. | 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले) | 826.20 | 796.07 | 265.77 |
| 11. | 16-सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण | 957.29 | 979.53 | 481.37 |
| 12. | 17- लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन | 1,035.69 | 1,341.72 | 373.19 |
| 13. | 19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन | 530.00 | 2,041.22 | 250.36 |
| 14. | 20- नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 2,480.46 | 4,463.34 | 4,537.56 |
| | **राजस्व भारित** | | | |
| 15. | 6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए) | 1,066.91 | 644.94 | 922.46 |
| | **पूंजीगत दत्तमत** | | | |
| 16. | 5- गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण) | 150.05 | 182.51 | 153.36 |
| 17. | 6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए) | 325.05 | 220.28 | 204.68 |
| 18. | 7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम | 251.89 | 740.24 | 791.24 |
| 19. | 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव | 646.65 | 1,165.09 | 987.09 |
| 20. | 11-सहकारी/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | 5,410.49 | 2,495.59 | 1,795.48 |
| 21. | 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास | 872.92 | 676.60 | 621.41 |
| 22. | 14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन | 533.90 | 839.71 | 621.54 |
| 23. | 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले) | 36.01 | 267.75 | 184.51 |
| 24. | 17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन | 503.68 | 1,516.40 | 1,926.55 |
| 25. | 19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन | 2,132.29 | 1,315.68 | 488.08 |
| 26. | 20- नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 7,070.00 | 3,638.50 | 972.95 |

# परिशिष्ट 2.8

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 69)

## 2024-25 के दौरान बजट एवं बचत के उपयोग की अनुदान-वार प्रतिशतता

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या एवं नाम | कुल बजट | कुल व्यय | बचत | उपयोग प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|---|
| | **उपयोग की सीमा 30 से 50 प्रतिशत** | | | | |
| 1 | 7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम | 1,189.12 | 397.88 | (-) 791.24 | 33 |
| | **कुल** | **1,189.12** | **397.88** | **(-) 791.24** | |
| | **उपयोग की सीमा 50 से 70 प्रतिशत** | | | | |
| 1 | 1-विधान सभा | 148.89 | 81.65 | (-) 67.24 | 55 |
| 2 | 3-सामान्य प्रशासन/चुनाव | 1,465.46 | 890.32 | (-) 575.14 | 61 |
| 3 | 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव | 9,176.45 | 5,877.68 | (-) 3,298.77 | 64 |
| 4 | 13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन) | 1,165.07 | 674.63 | (-) 490.44 | 58 |
| 5 | 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले) | 1,474.52 | 1,024.24 | (-) 450.28 | 69 |
| | **कुल** | **13,430.39** | **8,548.52** | **(-) 4,881.87** | |
| | **उपयोग की सीमा 70 से 90 प्रतिशत** | | | | |
| 1 | 2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद | 224.81 | 200.64 | (-) 24.17 | 89 |
| 2 | 4-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान | 3,604.22 | 2,790.31 | (-) 813.91 | 77 |
| 3 | 11-सहकारी/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | 17,697.51 | 15,086.28 | (-) 2,611.23 | 85 |
| 4 | 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास | 23,521.00 | 20,977.86 | (-) 2,543.14 | 89 |
| 5 | 14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन | 11,525.30 | 9,426.68 | (-) 2,098.62 | 82 |
| 6 | 17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन | 11,418.09 | 9,111.18 | (-) 2,306.91 | 80 |
| 7 | 18-सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 611.38 | 494.85 | (-) 116.53 | 81 |
| 8 | 20- नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 19,277.37 | 13,766.85 | (-) 5,510.52 | 71 |
| | **कुल** | **87,879.68** | **71,854.65** | **(-) 16,025.03** | |
| | **उपयोग की सीमा 90 से 100 प्रतिशत** | | | | |
| 1 | 5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण) | 9,105.67 | 8,348.27 | (-) 757.40 | 92 |
| 2 | 6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए) | 42,140.02 | 40,438.32 | (-) 1,701.70 | 96 |
| 3 | 8-लोक ऋण | 64,044.20 | 57,540.25 | (-) 6,503.95 | 90 |
| 4 | 16-सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण | 13,233.17 | 12,710.19 | (-) 522.98 | 96 |
| 5 | 19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन | 15,634.11 | 14,886.67 | (-) 747.44 | 95 |
| | **कुल** | **1,44,157.17** | **1,33,923.70** | **(-) 10,233.47** | |

## परिशिष्ट 2.9

**(संदर्भः अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 69)**

**बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई**

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या एवं नाम | मूल बजट | अनुपूरक बजट | कुल | वास्तविक व्यय | बचत | राशि अभ्यर्पित नहीं की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **राजस्व दत्तमत** | | | | | | |
| 1. | 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव | 6,115.43 | 1,000.02 | 7,115.45 | 4,804.88 | (-) 2,310.57 | (-) 8.60 |
| 2. | 11-सहभागिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | 1,994.06 | 389.84 | 2,383.90 | 1,568.19 | (-) 815.71 | (-) 0.56 |
| | **राजस्व भारित** | | | | | | |
| 3 | 14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.11 | (-) 0.14 | (-) 0.14 |
| | **पूंजीगत दत्तमत** | | | | | | |
| 4 | 3-सामान्य प्रशासन/चुनाव | 80.11 | 0 | 80.11 | 6.18 | (-) 73.93 | (-) 0.04 |
| 5 | 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले) | 265.78 | 0 | 265.78 | 81.27 | (-) 184.51 | (-) 1.63 |
| 6 | 20- नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 3,679.10 | 889 | 4,568.10 | 3,595.15 | (-) 972.95 | (-) 161.77 |
| | **पूंजीगत भारित** | | | | | | |
| 7 | 8-लोक ऋण | 64,044.20 | 0 | 64,044.20 | 57,540.25 | -6,503.95 | (-) 6,503.95 |
| | **कुल** | **76,178.93** | **2,278.86** | **78,457.79** | **67,596.03** | **(-) 10,861.76** | **(-) 6,676.69** |

# परिशिष्ट 2.10

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 69)

## वास्तविक बचत के सापेक्ष अनुदान-वार अभ्यर्पित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या एवं नाम | मूल बजट | अनुपूरक | कुल बजट | वास्तविक | बचत | 31 मार्च 2025 तक अभ्यर्पित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1-विधान सभा | 148.89 | 0.00 | 148.89 | 81.65 | 67.24 | 68.08 |
| 2. | 2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद | 209.81 | 15.00 | 224.81 | 200.64 | 24.17 | 25.25 |
| 3. | 3-सामान्य प्रशासन/चुनाव | 1,400.80 | 64.66 | 1,465.46 | 890.33 | 575.13 | 582.71 |
| 4. | 4-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान | 3,324.97 | 279.25 | 3,604.22 | 2,790.31 | 813.91 | 1,242.21 |
| 5. | 5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण) | 8,438.42 | 667.25 | 9,105.67 | 8,348.27 | 757.40 | 781.13 |
| 6. | 6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए) | 42,130.45 | 9.57 | 42,140.02 | 40,438.32 | 1,701.70 | 18,321.83 |
| 7. | 7-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम | 1,069.12 | 120.00 | 1,189.12 | 397.88 | 791.24 | 791.42 |
| 8. | 8-लोक ऋण | 64,044.20 | 0.00 | 64,044.20 | 57,540.25 | 6,503.95 | 0.00 |
| 9. | 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव | 8,176.41 | 1,000.04 | 9,176.45 | 5,877.68 | 3,298.77 | 3,293.77 |
| 10. | 11-सहभागिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | 17,307.67 | 389.84 | 17,697.51 | 15,086.28 | 2,611.23 | 3,115.76 |
| 11. | 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास | 23,057.78 | 463.22 | 23,521.00 | 20,977.86 | 2,543.14 | 2,678.51 |
| 12. | 13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन) | 893.58 | 271.49 | 1,165.07 | 674.63 | 490.44 | 602.37 |
| 13. | 14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन | 10,437.80 | 1,087.50 | 11,525.30 | 9,426.68 | 2,098.62 | 2,400.28 |
| 14. | 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले) | 1,444.52 | 30.00 | 1,474.52 | 1,024.24 | 450.28 | 449.02 |
| 15. | 16-सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण | 12,111.49 | 1,121.68 | 13,233.17 | 12,710.19 | 522.98 | 527.06 |
| 16. | 17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन | 10,607.78 | 810.31 | 11,418.09 | 9,111.18 | 2,306.91 | 3,131.20 |
| 17. | 18-सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 611.38 | 0.00 | 611.38 | 494.85 | 116.53 | 137.53 |
| 18. | 19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन | 14,224.65 | 1,409.46 | 15,634.11 | 14,886.67 | 747.44 | 2,000.89 |
| 19. | 20-नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 18,074.15 | 1,203.22 | 19,277.37 | 13,766.85 | 5,510.52 | 5,993.39 |
| | | **2,37,713.87** | **8,942.49** | **2,46,656.36** | **2,14,724.76** | **31,931.60** | **46,142.41** |

## परिशिष्ट 2.11

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 70)

## अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2022-25 के दौरान सतत बचत

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | योजना | वर्ष | कुल | वास्तविक व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| | **शिक्षा विभाग** | | | | |
| 1. | 11 वर्ष और 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन (2202-01-101-87-51) | 2022-23 | 2.00 | 0.26 | 1.74 (87) |
| | | 2023-24 | 4.00 | 0.83 | 3.17 (79) |
| | | 2024-25 | 3.00 | 1.71 | 1.29 (43) |
| 2. | पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन एवं पठन सामग्री तैयार करना (2202-01-108-99-51) | 2022-23 | 1.10 | 0.85 | 0.25 (23) |
| | | 2023-24 | 1.07 | 0.76 | 0.31 (29) |
| | | 2024-25 | 1.08 | 0.70 | 0.38 (35) |
| 3. | राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम मेरिट आधारित छात्रवृत्ति योजना (2202-01-109-83-51) | 2022-23 | 1.60 | 0.00 | 1.60 (100) |
| | | 2023-24 | 1.60 | 0.00 | 1.60 (100) |
| | | 2024-25 | 1.60 | 0.41 | 1.19 (74) |
| 4. | शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2202-01-800-93-51) | 2022-23 | 270.00 | 198.43 | 71.57 (27) |
| | | 2023-24 | 212.00 | 80.05 | 131.95 (62) |
| | | 2024-25 | 170.00 | 95.33 | 74.67 (44) |
| 5. | स्वच्छ प्रांगण (2202-01-800-91-99) | 2022-23 | 20.00 | 10.62 | 9.38 (47) |
| | | 2023-24 | 10.00 | 4.54 | 5.46 (55) |
| | | 2024-25 | 7.00 | 4.20 | 2.80 (40) |
| 6. | मुख्यालय स्थापना (मुख्यालय) (2202-02-001-99-99) | 2022-23 | 65.58 | 51.00 | 14.58 (22) |
| | | 2023-24 | 64.58 | 53.77 | 10.81 (17) |
| | | 2024-25 | 64.43 | 51.71 | 12.72 (20) |
| 7. | राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गुरुग्राम की स्थापना (2202-02-004-99-51) | 2022-23 | 108.33 | 16.61 | 91.72 (85) |
| | | 2023-24 | 33.47 | 18.97 | 14.50 (43) |
| | | 2024-25 | 28.51 | 16.70 | 11.81 (41) |
| 8. | राजकीय विद्यालयों में परिवर्धन एवं परिवर्तन (2202-02-053-99-51) | 2022-23 | 100.00 | 75.04 | 24.96 (25) |
| | | 2023-24 | 95.00 | 62.98 | 32.02 (34) |
| | | 2024-25 | 105.00 | 9.94 | 95.06 (91) |
| 9. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना (2202-02-105-92-51) | 2022-23 | 87.41 | 50.00 | 37.41 (43) |
| | | 2023-24 | 100.00 | 29.80 | 70.20 (70) |
| | | 2024-25 | 60.00 | 21.11 | 38.89 (65) |
| 10. | छात्रवृत्ति (माध्यमिक विद्यालय) (2202-02-107-99-51) | 2022-23 | 1.60 | 0.91 | 0.69 (43) |
| | | 2023-24 | 1.60 | 1.00 | 0.60 (38) |
| | | 2024-25 | 1.60 | 0.97 | 0.63 (39) |
| 11. | हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति, माध्यमिक चरण (2202-02-107-84-51) | 2022-23 | 2.40 | 0.00 | 2.40 (100) |
| | | 2023-24 | 2.40 | 0.35 | 2.05 (85) |
| | | 2024-25 | 1.45 | 0.45 | 1.00 (69) |
| 12. | गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान) (2202-02-110-98-51) | 2022-23 | 105.00 | 5.35 | 99.65 (95) |
| | | 2023-24 | 10.00 | 2.01 | 7.99 (80) |
| | | 2024-25 | 3.00 | 0.00 | 3.00 (100) |
| 13. | कक्षा 9वीं एवं 11वीं (2202-02-789-99-51) में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना | 2022-23 | 6.00 | 4.00 | 2.00 (33) |
| | | 2023-24 | 4.00 | 0.00 | 4.00 (100) |
| | | 2024-25 | 10.00 | 1.00 | 9.00 (90) |
| 14. | स्वच्छ प्रांगण (2202-02-800-97-99) | 2022-23 | 7.00 | 3.99 | 3.01 (43) |
| | | 2023-24 | 4.00 | 2.26 | 1.74 (44) |
| | | 2024-25 | 4.00 | 0.12 | 3.88 (97) |

| क्र.सं. | योजना | वर्ष | कुल | वास्तविक व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | सु-संस्कार-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) (2202-02-800-97-97) | 2022-23 | 20.00 | 8.91 | 11.09 (55) |
| | | 2023-24 | 10.00 | 5.74 | 4.26 (43) |
| | | 2024-25 | 7.00 | 4.12 | 2.88 (41) |
| 16. | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) (2202-03-103-97-51) | 2022-23 | 24.00 | 0.00 | 24.00 (100) |
| | | 2023-24 | 1.00 | 0.00 | 1.00 (100) |
| | | 2024-25 | 60.00 | 0.00 | 60.00 (100) |
| 17. | राजकीय महाविद्यालयों और मुख्यालय में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं सहायक कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास (2202-03-105-92-51) | 2022-23 | 3.00 | 2.16 | 0.84 (28) |
| | | 2023-24 | 3.50 | 0.91 | 2.59 (74) |
| | | 2024-25 | 3.50 | 2.16 | 1.34 (38) |
| 18. | साक्षर भारत योजना (2202-04-200-97-51) | 2022-23 | 10.00 | 0.00 | 10.00 (100) |
| | | 2023-24 | 10.00 | 2.84 | 7.16 (72) |
| | | 2024-25 | 10.00 | 0.00 | 10.00 (100) |
| 19. | प्रौद्योगिकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय स्टाफ) (2203-51-001-93-51) | 2022-23 | 16.54 | 10.69 | 5.85 (35) |
| | | 2023-24 | 13.47 | 9.67 | 3.80 (28) |
| | | 2024-25 | 11.74 | 9.67 | 2.07 (18) |
| 20. | राज्य में नए राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना (2203-51-105-89-51) | 2022-23 | 2.00 | 0.00 | 2.00 (100) |
| | | 2023-24 | 2.00 | 0.00 | 2.00 (100) |
| | | 2024-25 | 2.00 | 0.00 | 2.00 (100) |
| 21. | विद्यमान पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण (2203-51-105-82-51) | 2022-23 | 1.00 | 0.00 | 1.00 (100) |
| | | 2023-24 | 1.00 | 0.00 | 1.00 (100) |
| | | 2024-25 | 1.00 | 0.00 | 1.00 (100) |
| 22. | पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (2203-51-105-55) | 2022-23 | 1.20 | 0.00 | 1.20 (100) |
| | | 2023-24 | 1.20 | 0.00 | 1.20 (100) |
| | | 2024-25 | 1.20 | 0.00 | 1.20 (100) |
| 23. | राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, रेवाड़ी की स्थापना (2203-51-12-94-51) | 2022-23 | 3.50 | 2.42 | 1.08 (31) |
| | | 2023-24 | 4.70 | 2.31 | 2.39 (51) |
| | | 2024-25 | 8.00 | 4.86 | 3.14 (39) |
| 24. | राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकुला की स्थापना (2203-51-112-92-51) | 2022-23 | 10.00 | 7.75 | 2.25 (23) |
| | | 2023-24 | 10.00 | 0.00 | 10.00 (100) |
| | | 2024-25 | 10.00 | 0.00 | 10.00 (100) |
| 25. | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना (2203-51-12-91-51) | 2022-23 | 7.00 | 5.80 | 1.20 (17) |
| | | 2023-24 | 7.00 | 5.80 | 1.20 (17) |
| | | 2024-25 | 7.00 | 3.50 | 3.50 (50) |
| 26. | नाबार्ड के अंतर्गत उच्च माध्यमिक एवं हाई स्कूल भवनों का निर्माण (4202-01-202-97-51) | 2022-23 | 150.00 | 0.00 | 150.00 (100) |
| | | 2023-24 | 45.00 | 0.00 | 45.00 (100) |
| | | 2024-25 | 40.00 | 0.00 | 40.00 (100) |
| 27. | पॉलिटेक्निक भवन (4202-02-104-99-51) | 2022-23 | 15.00 | 12.70 | 2.30 (15) |
| | | 2023-24 | 20.00 | 14.10 | 5.90 (30) |
| | | 2024-25 | 20.00 | 12.56 | 7.44 (37) |
| 28. | पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण (4202-02-789-99-51) | 2022-23 | 1.00 | 0.00 | 1.00 (100) |
| | | 2023-24 | 10.00 | 1.01 | 8.99 (90) |
| | | 2024-25 | 7.00 | 1.96 | 5.04 (72) |
| | **महिला एवं बाल विकास विभाग** | | | | |
| 1. | अपनी बेटियां अपना धन का नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) कर दिया गया है (2235-02-102-78-51) | 2022-23 | 160.00 | 86.10 | 73.90 (46) |
| | | 2023-24 | 130.00 | 70.67 | 59.33 (46) |
| | | 2024-25 | 95.00 | 77.31 | 17.69 (19) |
| 2. | आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के लिए भविष्य सुरक्षा बीमा योजना (2235-02-102-76-51) | 2022-23 | 5.00 | 2.34 | 2.66 (53) |
| | | 2023-24 | 5.00 | 2.63 | 2.37 (47) |
| | | 2024-25 | 3.00 | 1.19 | 1.81 (60) |

| क्र.सं. | योजना | वर्ष | कुल | वास्तविक व्यय | बचत |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्रेच योजना कर दिया गया है (2235-02-102-69-51) | 2022-23 | 30.00 | 7.48 | 22.52 (75) |
| | | 2023-24 | 20.00 | 0.00 | 20.00 (100) |
| | | 2024-25 | 20.00 | 0.00 | 20.00 (100) |
| 4. | लिंग संवेदीकरण (2235-02-103-79-51) | 2022-23 | 40.00 | 1.12 | 38.88 (97) |
| | | 2023-24 | 30.00 | 0.09 | 29.91 (99) |
| | | 2024-25 | 20.00 | 13.60 | 6.40 (32) |
| 5. | घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (प्रकोष्ठ की स्थापना) (2235-02-103-76-51) | 2022-23 | 2.50 | 1.79 | 0.71 (28) |
| | | 2023-24 | 2.50 | 1.58 | 0.92 (37) |
| | | 2024-25 | 2.20 | 1.80 | 0.40 (18) |
| 6. | अपनी बेटियां अपना धन का नाम बदलकर आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता (2235-02-789-99-51) | 2022-23 | 160.00 | 83.41 | 76.59 (48) |
| | | 2023-24 | 140.00 | 64.46 | 75.54 (54) |
| | | 2024-25 | 120.00 | 61.77 | 58.23 (49) |
| 7. | आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता (2235-02-789-98-51) | 2022-23 | 2.50 | 0.96 | 1.54 (62) |
| | | 2023-24 | 2.50 | 1.10 | 1.40 (56) |
| | | 2024-25 | 2.00 | 0.51 | 1.49 (75) |
| 8. | अनुसूचित जाति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को वित्तीय सहायता (2235-02-789-90-51) | 2022-23 | 60.00 | 25.68 | 34.32 (57) |
| | | 2023-24 | 60.00 | 39.80 | 20.20 (34) |
| | | 2024-25 | 60.00 | 26.01 | 33.99 (57) |
| 9. | जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन-रिमांड/संप्रेक्षण गृह (2235-02-800-81-98) | 2022-23 | 3.62 | 3.18 | 0.44 (12) |
| | | 2023-24 | 4.15 | 3.46 | 0.69 (17) |
| | | 2024-25 | 4.72 | 2.71 | 2.01 (43) |
| 10. | पंजिरी प्लांट घरौंडा (2236-02-101-97-51) | 2022-23 | 1.99 | 1.73 | 0.26 (13) |
| | | 2023-24 | 2.34 | 1.53 | 0.81 (35) |
| | | 2024-25 | 2.05 | 1.51 | 0.54 (26) |
| 11. | मातृ एवं बाल अल्प-पोषण के समाधान हेतु बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम योजना (2236-02-101-87-51) | 2022-23 | 200.00 | 96.54 | 103.46 (52) |
| | | 2023-24 | 150.00 | 128.29 | 21.71 (14) |
| | | 2024-25 | 190.00 | 150.63 | 39.37 (20) |
| 12. | पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-101-95-51) | 2022-23 | 120.00 | 89.01 | 30.99 (26) |
| | | 2023-24 | 110.00 | 81.67 | 28.33 (26) |
| | | 2024-25 | 195.78 | 170.50 | 25.28 (13) |
| 13. | आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण- नाबार्ड अंशदान (4235-02-102-99-99) | 2022-23 | 20.00 | 1.40 | 18.60 (93) |
| | | 2023-24 | 1.00 | 0.00 | 1.00 (100) |
| | | 2024-25 | 1.00 | 0.00 | 1.00 (100) |
| 14. | आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण- राज्य अंशदान (4235-02-102-99-98) | 2022-23 | 50.00 | 0.39 | 49.61 (99) |
| | | 2023-24 | 50.00 | 7.74 | 42.26 (85) |
| | | 2024-25 | 38.00 | 9.99 | 28.01 (74) |
| 15. | जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन-रिमांड/संप्रेक्षण गृह (4235-02-102-97-99) | 2022-23 | 50.00 | 19.76 | 30.24 (60) |
| | | 2023-24 | 50.00 | 14.15 | 35.85 (72) |
| | | 2024-25 | 40.00 | 14.06 | 25.94 (65) |
| 16. | ऑनर किलिंग की रोकथाम हेतु सुरक्षा गृहों का निर्माण (4235-02-103-95-51) | 2022-23 | 5.00 | 0.00 | 5.00 (100) |
| | | 2023-24 | 5.00 | 0.00 | 5.00 (100) |
| | | 2024-25 | 3.00 | 0.00 | 3.00 (100) |
| 17. | आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण (4235-02-789-99-51) | 2022-23 | 10.00 | 0.00 | 10.00 (100) |
| | | 2023-24 | 10.00 | 1.59 | 8.41 (84) |
| | | 2024-25 | 8.00 | 1.04 | 6.96 (87) |

# परिशिष्ट 2.12

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 70)

## वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या एवं नाम (विभाग) | स्वीकृति आदेश संख्या | गलत वर्गीकृत राशि (₹ करोड़ में) | मुख्य शीर्ष | लेखापरीक्षा टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास (शिक्षा विभाग) | 68 | 877.60 | 6202 | ऋण के रूप में दर्ज किया गया सहायता अनुदान |
| 2 | 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार, युवा मामले) (तकनीकी शिक्षा) | - | 50.00 | 6202 | |
| 3 | 14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग) | 11 | 811.20 | 6210 | |
| 4 | 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव (फसल पालन विभाग) | 02 | 41.23 | 6401 | |
| 5 | 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव (पशुपालन विभाग) | 05 | 150.06 | 6403 | |
| 6 | 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव (कृषि विभाग) | 12 | 636.51 | 6416 | |
| | **कुल** | | **2,566.60** | | |

## परिशिष्ट 2.13

### (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.6; पृष्ठ 72)

**उन योजनाओं का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से बजटीय प्रावधान को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | योजना का नाम एवं वर्गीकरण | बजट प्रावधान |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4059-01-051-57 हरियाणा विधानसभा के लिए भूमि की खरीद/भवन निर्माण | 50.00 |
| 2 | 3 | 4059-01-051-69 राज्य सतर्कता ब्यूरो के लिए कार्यालय भवन का निर्माण | 10.00 |
| 3 | 4 | 2217-80-192-98 अग्निशमन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण | 250.00 |
| 4 | 4 | 4059-01-051-64 अग्निशमन सेवा निदेशालय (पंचकुला), हरियाणा के लिए भूमि की खरीद एवं भवन निर्माण | 30.00 |
| 5 | 5 | 2014-105-92 जघन्य अपराधों आदि के मामले में त्वरित न्याय प्रदान करना - केंद्रीय वित्त आयोग | 60.00 |
| 6 | 5 | 2014-105-95 जिला एवं सत्र न्यायालय-फास्ट ट्रैक कोर्ट | 14.00 |
| 7 | 5 | 2055-115-99 उपकरण खरीद का नाम बदलकर सीसीटीएनएस कर दिया गया है | 20.00 |
| 8 | 5 | 4059-01-201-99 कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद (होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा) | 75.00 |
| 9 | 6 | 2049-04-109-99 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर समेकित राज्य योजना ऋण पर ब्याज | 27.00 |
| 10 | 7 | 6401-190-97 भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार गन्नौर, सोनीपत की स्थापना के लिए एचआईएचएमसी, पंचकुला को ऋण प्रदान करने के लिए योजना | 140.00 |
| 11 | 7 | 6401-190-99 हरियाणा कृषि उद्योग निगम को ऋण के लिए योजना | 35.00 |
| 12 | 7 | 6501-190-99 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) को ऋण | 41.11 |
| 13 | 7 | 6860-04-101-95 सहकारी चीनी मिलों में विद्युत सह-उत्पादन और इथेनॉल संयंत्र की स्थापना | 200.00 |
| 14 | 7 | 7610-201-95 न्यायिक अधिकारियों को गृह ऋण अग्रिम | 100.00 |
| 15 | 7 | 7610-202-96 न्यायिक अधिकारियों को सॉफ्ट कार ऋण अग्रिम | 20.00 |
| 16 | 10 | 2401-109-77 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 39.60 |
| 17 | 10 | 2401-109-77-98 तिलहन एवं पाम तेल | 10.80 |
| 18 | 10 | 2401-109-78 कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन | 100.00 |
| 19 | 10 | 2401-789-85 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | 11.00 |
| 20 | 10 | 2401-789-89 किसानों एवं अनुसूचित जाति के किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण/मशीनरी प्रदान करने के लिए योजना | 20.05 |
| 21 | 10 | 2401-789-90 अनुसूचित जाति के किसानों के लिए विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता | 10.00 |
| 22 | 10 | 2401-789-97 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना | 20.00 |
| 23 | 10 | 4401-113-95 केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर कृषि विकास से संबंधित अवसंरचना एवं गतिविधियां | 424.00 |
| 24 | 11 | 4425-107-97 हरको बैंक की शेयर पूंजीगत में सरकार का अंशदान | 50.00 |
| 25 | 11 | 4425-107-99 केंद्रीय सहकारी बैंकों को शेयर पूंजीगत | 50.00 |
| 26 | 12 | 2202-01-101-95 सुविधाओं का विस्तारण कक्षा VI-VIII (पूर्णकालिक) | 20.00 |
| 27 | 12 | 2202-01-199-99 पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग) भारत योजना | 64.65 |
| 28 | 12 | 2202-04-200-97 साक्षर भारत योजना/इसका नाम बदलकर पढना लिखना अभियान कर दिया गया जिसका नाम बदलकर नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) कर दिया गया है | 10.00 |
| 29 | 12 | 2235-02-102-73 एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया है | 55.00 |
| 30 | 12 | 2236-80-102-99 पोषण अभियान के लिए योजना | 53.42 |
| 31 | 12 | 5425-600-98 अंबाला कैंट में विज्ञान केंद्र की स्थापना- जिसका नाम बदलकर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र अंबाला की स्थापना कर दिया गया है | 25.00 |
| 32 | 12 | 5425-600-99 सोनीपत में विज्ञान सिटी की स्थापना- जिसका नाम बदलकर हरियाणा की राष्ट्रीय विज्ञान सिटी की स्थापना कर दिया गया है | 70.00 |
| 33 | 13 | 2204-190-99 हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, राई, सोनीपत | 50.00 |
| 34 | 13 | 2205-105-86 केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास एवं उन्नयन | 30.00 |
| 35 | 13 | 5452-80-104-99 स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा में वन्य जीव पर्यटन का विकास | 50.00 |
| 36 | 13 | 6202-01-203-98 हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, राई, सोनीपत को ऋण | 50.00 |
| 37 | 14 | 2210-01-110-43 एनपीसीडीसी (कैंसर एवं स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) एवं एनपीसीई (वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) का कार्यान्वयन | 15.00 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | योजना का नाम एवं वर्गीकरण | बजट प्रावधान |
|---|---|---|---|
| 38 | 15 | 2230-03-003-61 औद्योगिक मूल्य वृद्धि के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (एसटीआरवीई) | 20.00 |
| 39 | 15 | 2230-03-190-96 ठेकेदार सक्षम युवा योजना | 30.00 |
| 40 | 15 | 2230-03-190-97 गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना | 10.00 |
| 41 | 16 | 2235-60-102-96 निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता | 21.20 |
| 42 | 16 | 2235-60-200-78 सैनिक कल्याण परिसरों, युद्ध स्मारकों एवं संबद्ध भवनों/परियोजनाओं का निर्माण | 11.40 |
| 43 | 16 | 4235-02-101-93 निदेशालय (स्वर्ण जयंती) के निर्माण के लिए संस्थागत भूखंड की खरीद | 20.00 |
| 44 | 16 | 4235-02-104-99 वृद्धजन एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आश्रम रेवाड़ी (स्वर्ण जयंती परियोजना) का नाम बदलकर वृद्धाश्रम कर दिया गया है | 10.00 |
| 45 | 17 | 2216-02-192-98 मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना | 127.05 |
| 46 | 17 | 2216-02-789-99 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एससी) | 100.00 |
| 47 | 17 | 5054-04-337-47 राष्ट्रीय आवास बैंक के शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत शहरी अवसंरचना का निर्माण | 10.00 |
| 48 | 18 | 4220-60-101-97 पंचकुला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित भूखंड का भुगतान | 10.00 |
| 49 | 18 | 4220-60-101-99 स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नंदा की स्मृति में कुरुक्षेत्र में स्मारक का निर्माण | 6.00 |
| 50 | 19 | 2705-188-97 पीडीएमसी-आरकेवीवाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र को कवर करने के लिए सभी श्रेणियों के किसानों को अतिरिक्त टॉप अप सब्सिडी में राज्य का हिस्सा | 150.00 |
| 51 | 19 | 2852-07-202-87 हरियाणा स्टार्टअप, डेटा सेंटर एवं आईटी एवं ईएसडीएम नीति के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के लिए सब्सिडी/प्रोत्साहन | 67.80 |
| 52 | 19 | 4701-06-800-95 विद्यमान नहर नेटवर्क का पुनर्वास, जलधाराओं की रीमॉडलिंग एवं पुनर्वास | 87.50 |
| 53 | 19 | 4851-102-92 लघु उद्योग क्लस्टर विकास के लिए योजना | 15.00 |
| 54 | 19 | 4851-102-95 फील्ड कार्यालयों/निदेशालय कार्यालय परिसर का आधुनिकीकरण | 10.00 |
| 55 | 20 | 2217-80-190-99 फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 100.00 |
| 56 | 20 | 2217-80-192-90 किसी भी आपदा के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान के मुआवजे के लिए योजना | 10.00 |
| 57 | 20 | 2217-80-789-90 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | 13.75 |
| 58 | 20 | 2217-80-789-94 दीन दयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान | 30.00 |
| 59 | 20 | 2501-06-101-96 स्टार्ट अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम एसवीईपी) | 10.00 |
| 60 | 20 | 2505-01-702-88-99 स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना-सामान्य योजना | 50.00 |
| 61 | 20 | 2505-01-789-99 स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना | 10.00 |
| 62 | 20 | 2515-102-90 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की योजना सहायता | 30.00 |
| 63 | 20 | 2515-102-96-99 स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना- सामान्य योजना | 10.00 |
| 64 | 20 | 2515-106-96 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अंतर्गत अल्पसंख्यक विकास के लिए योजना | 60.00 |
| 65 | 20 | 2515-198-96 राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना विकास | 848.00 |
| 66 | 20 | 2515-789-91 हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की सहायता के लिए योजना | 10.00 |
| 67 | 20 | 2515-789-99 अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) | 10.00 |
| 68 | 20 | 4215-02-101-88 राष्ट्रीय आवास बैंक के शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत शहरी अवसंरचना का निर्माण | 50.00 |
| | | **कुल** | **4,248.33** |

# परिशिष्ट 2.14

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 75)

## वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाला विवरण, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ तथा कुल व्यय के 30 प्रतिशत और उससे अधिक है

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | लेखा शीर्ष | वर्ष के दौरान कुल व्यय | वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय | | मार्च 2025 के दौरान व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राशि | कुल व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल व्यय का प्रतिशत |
| 1. | 1-विधान सभा | 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल | 81.66 | 32.49 | 39.79 | 14.79 | 18.11 |
| 2. | 2-राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद | 2013-मंत्रिपरिषद | 181.32 | 93.36 | 51.49 | 68.37 | 37.71 |
| 3. | 3-सामान्य प्रशासन/चुनाव | 2852-उद्योग | 115.38 | 51.94 | 45.02 | 0.62 | 0.54 |
| 4. | | 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 96.42 | 36.40 | 37.75 | 13.66 | 14.17 |
| 5. | 4-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान | 2053-जिला प्रशासन | 520.92 | 175.87 | 33.76 | 52.48 | 10.07 |
| 6. | | 2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण | 79.67 | 68.15 | 85.54 | 41.16 | 51.66 |
| 7. | | 2705-कमांड विकास क्षेत्र | 25.21 | 25.21 | 100.00 | 25.21 | 100.00 |
| 8. | | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 42.82 | 14.49 | 33.84 | 11.38 | 26.58 |
| 9. | 5-गृह (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा)/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/विधिक सेवा प्राधिकरण) | 2014-न्याय प्रशासन | 1,202.60 | 492.29 | 40.94 | 283.47 | 23.57 |
| 10. | | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 25.97 | 15.97 | 61.49 | 0.79 | 3.04 |
| 11. | | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय | 255.92 | 149.79 | 58.53 | 0.83 | 0.32 |
| 12. | | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 104.76 | 37.64 | 35.93 | 5.27 | 5.03 |
| 13. | | 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 36.96 | 14.04 | 37.99 | 3.17 | 8.58 |
| 14. | 6-वित्त एवं संस्थागत वित्त एवं ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/योजना एवं सांख्यिकी (डीईएसए) | 2075-विविध सामान्य सेवाएं | 259.42 | 258.85 | 99.78 | 153.85 | 59.31 |
| 15. | | 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 259.32 | 214.44 | 82.69 | 157.68 | 60.81 |
| 16. | 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन एवं डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव | 2405-मत्स्य पालन | 83.55 | 49.76 | 59.56 | 36.26 | 43.40 |
| 17. | | 4401-फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय | 193.10 | 192.42 | 99.65 | 180.00 | 93.22 |
| 18. | | 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | 48.52 | 15.20 | 31.33 | 3.05 | 6.29 |
| 19. | | 2853-नॉन-फेरस माइनिंग एवं मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज | 90.08 | 58.73 | 65.20 | 40.29 | 44.73 |
| 20. | | 2403-पशुपालन | 1,055.54 | 352.39 | 33.38 | 117.43 | 11.13 |
| 21. | 11-सहभागिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | 2408-खाद्य भंडारण एवं गोदाम | 969.95 | 314.68 | 32.44 | 203.17 | 20.95 |
| 22. | 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च, तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास | 4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 222.96 | 140.61 | 63.07 | 81.54 | 36.57 |
| 23. | | 4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 61.73 | 42.15 | 68.28 | 38.58 | 62.50 |
| 24. | | 2235-पोषण | 550.38 | 243.54 | 44.25 | 198.99 | 36.16 |
| 25. | | 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 12.30 | 10.69 | 86.91 | 0.14 | 1.14 |

| क्र. सं. | अनुदान संख्या | लेखा शीर्ष | वर्ष के दौरान कुल व्यय | वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय | | मार्च 2025 के दौरान व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राशि | कुल व्यय का प्रतिशत | राशि | कुल व्यय का प्रतिशत |
| 26. | 13-खेल/विरासत एवं पर्यटन (पुरातत्व, संग्रहालय, पर्यटन) | 4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 205.24 | 151.51 | 73.82 | 70.11 | 34.16 |
| 27. | | 3452-पर्यटन | 45.61 | 24.52 | 53.76 | 15.06 | 33.02 |
| 28. | 14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन | 4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 1,339.49 | 501.13 | 37.41 | 357.88 | 26.72 |
| 29. | | 2211-परिवार कल्याण | 323.15 | 123.72 | 38.29 | 79.81 | 24.70 |
| 30. | 16-सामाजिक न्याय, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण/कल्याण एवं अंत्योदय (एसईडब्ल्यूए)/पूर्व सैनिकों का कल्याण | 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण | 553.07 | 281.22 | 50.85 | 98.19 | 17.75 |
| 31. | 17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन | 5054-सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय (योजना) | 2,309.89 | 1,340.13 | 58.02 | 914.46 | 39.59 |
| 32. | | 2216-आवास | 435.74 | 378.97 | 86.97 | 367.60 | 84.36 |
| 33. | | 3054-सड़कें एवं पुल | 1,639.94 | 738.38 | 45.02 | 715.05 | 43.60 |
| 34. | 18-सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 4220-सूचना एवं प्रकाशन पर पूंजीगत परिव्यय | 90.00 | 45.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | 19-ऊर्जा विभाग (बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन | 2705-कमांड विकास क्षेत्र | 375.29 | 116.70 | 31.10 | 101.70 | 27.10 |
| 36. | | 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 1,015.47 | 521.18 | 51.32 | 326.47 | 32.15 |
| 37. | | 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग | 717.23 | 230.74 | 32.17 | 66.24 | 9.24 |
| 38. | | 2701-मध्यम सिंचाई | 210.54 | 190.97 | 90.70 | 184.56 | 87.66 |
| 39. | | 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 908.73 | 347.22 | 38.21 | 275.54 | 30.32 |
| 40. | | 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय | 1,016.14 | 449.95 | 44.28 | 375.64 | 36.97 |
| 41. | | 2700-मुख्य सिंचाई | 1,803.26 | 683.43 | 37.90 | 424.73 | 23.55 |
| 42. | | 2810-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा | 1,265.60 | 575.96 | 45.51 | 362.44 | 28.64 |
| 43. | 20-नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी | 4215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय | 1,956.60 | 853.40 | 43.62 | 530.89 | 27.13 |
| 44. | | 2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता | 2,536.72 | 836.05 | 32.96 | 277.71 | 10.95 |
| 45. | | 2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 119.74 | 90.38 | 75.48 | 14.70 | 12.28 |
| 46. | | 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 831.96 | 407.48 | 48.98 | 407.48 | 48.98 |
| | | **कुल** | **26,275.87** | **11,989.14** | **45.63** | **7,698.44** | **29.30** |

## परिशिष्ट 2.15

### (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 75)

**व्यय की अधिकता का योजनावार विवरण (अंतिम तिमाही के दौरान ₹ दो करोड़ से अधिक का व्यय और कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक का व्यय)**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम | व्यय (₹ करोड़ में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कुल | अंतिम तिमाही के दौरान (प्रतिशत में) | मार्च 2025 के दौरान (प्रतिशत में) |
| **शिक्षा विभाग** | | | | |
| 1. | शिक्षक प्रशिक्षण (105) ब्लॉक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (बीआईईटी) की स्थापना (2202-02-105-91-51) | 2.87 | 2.87 (100) | 0.79 (28) |
| 2. | शिक्षक प्रशिक्षण (105) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना (2202-02-105-92-51) | 21.11 | 19.68 (93) | 13.83 (66) |
| 3. | छात्रवृतियां (107), पुस्तक बैंक/पुस्तकालय (2202-02-107-83-51) | 79.21 | 44.31 (56) | 22.09 (28) |
| 4. | छात्रवृति (107), कक्षा IX-XII में बीपीएल छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-87-51) | 4.97 | 2.36 (47) | 0.72 (14) |
| 5. | छात्रवृति (107), कक्षा IX-XII में बीसी-ए छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-107-86-51) | 29.57 | 22.11 (75) | 14.62 (49) |
| 6. | राजकीय माध्यमिक विद्यालय (109), प्रतिभा खोज योजना (2202-02-109-80-51) | 17.95 | 6.13 (34) | 2.33 (13) |
| 7. | शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलना (2202-02-109-85) | 70.00 | 70.00 (100) | 0.00 (0) |
| 8. | राजकीय माध्यमिक विद्यालय (109) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-109-86-51) | 426.69 | 272.22 (64) | 272.22 (64) |
| 9. | अन्य गैर-सरकारी संस्थानों को सहायता (199) पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना (2202-02-199-99-51) | 80.78 | 80.78 (100) | 63.21 (78) |
| 10. | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (789), पीएम श्री (पी.एम. स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना (2202-02-789-94-51) | 19.99 | 19.99 (100) | 10.24 (51) |
| 11. | अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (789) कक्षा 9 एवं 12 में सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को मासिक वजीफा (2202-02-789-96-51) | 69.70 | 29.67 (43) | 29.67 (43) |
| 12. | अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (793) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-793-98-51) (शेयर केंद्रीय योजना) | 113.57 | 72.79 (64) | 72.79 (64) |
| 13. | अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (200), अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (2202-04-200-98-51) | 2.95 | 2.69 (91) | 1.61 (55) |
| 14. | प्रशासनिक कर्मचारी - मुख्यालय कर्मचारी स्थापना (2202-03-001-99-99) | 34.76 | 10.78 (31) | 0.84 (2) |
| 15. | संस्थान (2202-03-103-99-51) | 969.85 | 296.00 (31) | 84.59 (9) |
| 16. | राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों का रखरखाव (2202-01-053-96-51) | 39.87 | 22.26 (56) | 6.61 (17) |
| 17. | कक्षा I-VIII में बीसी-ए छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-84-51) | 47.75 | 33.10 (69) | 0.00 (0) |
| 18. | कक्षा I-VIII में बीपीएल छात्रों को मासिक वजीफा (2202-01-109-85-51) | 3.49 | 2.41 (69) | 0.00 (0) |
| 19. | सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99-51) | 593.89 | 400.14 (67) | 400.14 (67) |
| 20. | प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन (2202-01-112-99-51) | 437.66 | 230.79 (53) | 118.81 (27) |
| 21. | मध्याह्न भोजन विद्यालयों का राष्ट्रीय कार्यक्रम (2202-01-793-98-51) | 49.13 | 33.97 (59) | 18.81 (38) |
| 22. | सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-793-99-51) | 181.68 | 123.19 (68) | 123.19 (68) |
| 23. | शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2202-01-800-93-51) | 95.33 | 76.67 (80) | 10.35 (11) |
| 24. | स्कूल भवनों का निर्माण (4202-01-201-99-51) | 24.90 | 24.90 (100) | 24.90 (100) |
| 25. | माध्यमिक शिक्षा की पूंजीगत परिव्यय परिसंपत्ति के निर्माण/खरीद के लिए योजना (4202-01-202-95-51) | 30.44 | 27.77 (91) | 0.83 (3) |
| 26. | माध्यमिक विद्यालय भवन (4202-01-202-99-51) | 93.69 | 76.96 (82) | 56.98 (61) |
| | **कुल** | **3,541.80** | **2,004.54 (57)** | **1,350.17 (38)** |
| | **महिला एवं बाल विकास विभाग** | | | |
| 1. | लिंग संवेदीकरण (2235-02-103-79-51) | 13.60 | 12.64 (93) | 2.55 (19) |
| 2. | सरकारी सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहायता अनुदान, जिसमें बाल कल्याण परिषद, भारतीय ग्रामीण महिला संघ और अन्य सरकारी संगठन (जीओ) शामिल हैं (2235-02-103-99) | 30.00 | 16.50 (55) | 9.00 (30) |
| 3. | मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता (2236-02-101-86-51) | 12.65 | 4.64 (37) | 2.55 (20) |
| 4. | मातृ एवं बाल अल्प-पोषण के समाधान हेतु बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम योजना (2236-02-101-87-51) | 150.63 | 71.16 (47) | 30.30 (20) |
| 5. | प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (2236-02-101-88-51) | 46.77 | 45.15 (97) | 45.15 (97) |
| 6. | अनुसूचित जाति की महिलाओं को वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना) (2236-02-789-96-51) | 10.35 | 10.35 (100) | 10.35 (100) |
| 7. | अनुसूचित जातियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-789-98-51) | 140.16 | 99.75 (71) | 99.75 (71) |
| 8. | जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन - रिमांड/संप्रेक्षण गृह (4235-02-102-97-99) | 14.06 | 13.47 (96) | 13.47 (96) |
| 9. | आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण (4235-02-102-99-51) | 36.32 | 22.31 (61) | 22.31 (61) |
| 10. | आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण - राज्य का अंशदान (4235-02-102-99-98) | 9.98 | 5.42 (54) | 2.43 (24) |
| **36** | **कुल** | **464.52** | **301.39 (65)** | **237.86 (51)** |

## परिशिष्ट 2.16

### (संदर्भः अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 76)

**व्यय की अधिकता का योजनावार विवरण (अंतिम तिमाही के दौरान ₹ दो करोड़ से अधिक का व्यय और कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक का व्यय)**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम | व्यय (₹ करोड़ में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | कुल | अंतिम तिमाही के दौरान (प्रतिशत में) | मार्च 2025 के दौरान (प्रतिशत में) |
| | **लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)** | | | |
| 1 | राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-03-101-81-99) | 93.85 | 43.60 (46) | 2.94 (3) |
| 2 | गुरुग्राम में पंचगांव से फारुखनगर वाया जमालपुर तक 2-लेन सड़क का चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण द्वारा निर्माण (5054-04-337-48-98) | 8.22 | 4.84 (59) | 4.84 (59) |
| 3 | गुरुग्राम एवं नूंह जिले में (एमईएस) पर किमी 0 से 11.50 मीटर तक चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर), सुदृढ़ीकरण एवं आई.पी.बी. का कार्य (5054-04-337-48-99) | 4.67 | 4.67 (100) | 2.22 (48) |
| 4 | राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार- (5054-04-337-99-99) | 58.49 | 21.61 (37) | 2.55 (4) |
| 5 | अनुसंधान (5054-80-800-99) | 72.88 | 49.12 (67) | 16.41 (23) |
| | **कुल** | **238.11** | **123.84 (52)** | **28.96 (12)** |
| | **परिवहन विभाग** | | | |
| 1 | एफ-अन्य व्यय (3055-51-201-96) | 125.50 | 125.50 (100) | 125.50 (100) |
| 2 | हरियाणा राज्य परिवहन डिपो (5055-51-050-78) | 116.84 | 89.68 (77) | 1.67 (1) |
| | **कुल** | **242.34** | **215.18 (89)** | **127.17 (52)** |

## परिशिष्ट 2.17

### (संदर्भः अनुच्छेद 2.8.1 (ii); पृष्ठ 80)

### अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के लिए 2024-25 में बचत (₹ दो करोड़ एवं 20 प्रतिशत) का योजना-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | योजना विवरण | बजट प्रावधान (ओ+एस) | वास्तविक व्यय | बचत (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|
| | **शिक्षा विभाग** | | | |
| 1 | राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन का रखरखाव [पी-01-09-2202-01-053-96-51] | 100.00 | 39.87 | (-) 60.13 (60) |
| 2 | सुविधाओं का विस्तारण कक्षा I-V (पूर्णकालिक) [पी-01-09-2202-01-101-97-51] | 7.00 | 0.60 | (-) 6.40 (91) |
| 3 | सुविधाओं का विस्तारण कक्षा VI-VIII (पूर्णकालिक) [पी-01-09-2202-01-101-95-51] | 20.00 | 0.00 | (-) 20.00 (100) |
| 4 | प्रधानमंत्री श्री (राइजिंग इंडिया के लिए पीएम स्कूल) योजना [पी-02-09-2202-01-199-99-51] | 64.65 | 0.00 | (-) 64.65 (100) |
| 5 | प्रधानमंत्री श्री (राइजिंग इंडिया के लिए पीएम स्कूल) योजना [पी-02-09-2202-01-789-93-51] | 7.50 | 0.00 | (-) 7.50 (100) |
| 6 | शिक्षा का अधिकार अधिनियम [पी-01-09-2202-01-800-93-51] | 170.00 | 95.33 | (-) 74.67 (44) |
| 7 | स्वच्छ प्रांगण [पी-01-09-2202-01-800-91-99] | 7.00 | 4.20 | (-) 2.80 (40) |
| 8 | राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गुरुग्राम की स्थापना [पी-01-09-2202-02-004-99-51] | 28.51 | 16.70 | (-) 11.81 (41) |
| 9 | सरकारी विद्यालयों में सुधार एवं परिवर्तन [पी-01-09-2202-02-053-99-51] | 105.00 | 9.94 | (-) 95.06 (91) |
| 10 | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) की स्थापना [पी-02-09-2202-02-105-92-51] | 60.00 | 21.11 | (-) 38.89 (65) |
| 11 | मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत नीति [पी-01-09-2202-02-110-94-51] | 5.00 | 0.99 | (-) 4.01 (80) |
| 12 | 9वीं एवं 11वीं कक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त साइकिल प्रदान करना [पी-01-09-2202-02-789-99-51] | 10.00 | 1.00 | (-) 9.00 (90) |
| 13 | अप्राप्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए [पी-01-09-2202-02-792-99-51] | 5.00 | 0.24 | (-) 4.76 (95) |
| 14 | सु-संस्कार-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) [पी-01-09-2202-02-800-97-97] | 7.00 | 4.12 | (-) 2.88 (41) |
| 15 | छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम [पी-01-09-2202-02-800-97-96] | 7.00 | 4.50 | (-) 2.50 (36) |
| 16 | राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) [पी-02-09-2202-03-103-97-51 | 60.00 | 0.00 | (-) 60.00 (100) |
| 17 | प्रारंभ शिक्षक शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए राज्य संस्थान, झज्जर [पी-01-09-2202-03-188-99-51] | 25.00 | 6.25 | (-) 18.75 (75) |
| 18 | अप्राप्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए [पी-01-09-2202-03-792-99-51] | 10.00 | 0.00 | (-) 10.00 (100) |
| 19 | साक्षर भारत योजना [पी-02-09-2202-04-200-97-51] | 10.00 | 0.00 | (-) 10.00 (100) |
| 20 | सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, झज्जर की स्थापना [पी-01-10-2203-51-112-95-51] | 8.00 | 4.32 | (-) 3.68 (46) |
| 21 | सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, रेवाड़ी की स्थापना [पी-01-10-2203-51-112-94-51] | 8.00 | 4.86 | (-) 3.14 (39) |
| 22 | राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकुला की स्थापना [पी-01-10-2203-51-12-92-51] | 10.00 | 0.00 | (-) 10.00 (100) |
| 23 | भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), किलोहार्ड, सोनीपत की स्थापना [पी-01-10-2203-51-112-91-51] | 7.00 | 3.50 | (-) 3.50 (50) |
| 24 | सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, नीलोखेड़ी, जिला करनाल की स्थापना [पी-01-10-2203-51-112-90-51] | 10.00 | 5.45 | (-) 4.55 (46) |
| 25 | स्कूल भवनों का निर्माण [पी-01-12-4202-01-201-99-51] | 200.00 | 24.90 | (-) 175.10 (88) |
| 26 | प्राथमिक शिक्षा के लिए पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण/खरीद के लिए योजना [पी-01-12-4202-01-201-98-51] | 178.63 | 11.92 | (-) 166.71 (93) |
| 27 | माध्यमिक विद्यालय भवन [पी-01-09-4202-01-202-99-51] | 150.00 | 93.70 | (-) 56.30 (38) |
| 28 | नाबार्ड के अंतर्गत उच्च माध्यमिक एवं हाई स्कूल भवन का निर्माण [पी-01-12-4202-01-202-97-51] | 40.00 | 0.00 | (-) 40.00 (100) |
| 29 | पॉलिटेक्निक भवन [पी-01-12-4202-02-104-99-51] | 20.00 | 12.56 | (-) 7.44 (37) |
| 30 | भवन (इंजीनियरिंग कॉलेज) [पी-01-12-4202-02-105-99-51] | 5.00 | 0.15 | (-) 4.85 (97) |
| 31 | पॉलिटेक्निक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण [पी-01-10-4202-02-789-99-51] | 7.00 | 1.96 | (-) 5.04 (72) |
| | **कुल** | **1,352.29** | **368.17** | **(-) 984.12 (73)** |
| | **महिला एवं बाल विकास विभाग** | | | |
| 1 | एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) [पी-02-12-2235-02-102-73-51] | 55.00 | 0.00 | (-) 55.00 (100) |
| 2 | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए योजना [पी-02-12-2235-02-102-70-51] | 5.00 | 0.01 | (-) 4.99 (99) |
| 3 | राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना [पी-02-12-2235-02-102-69-51] | 20.00 | 0.00 | (-) 20.00 (100) |
| 4 | हरियाणा राज्य क्रेच योजना [पी-02-12-2235-02-102-65-51] | 32.15 | 9.56 | (-) 22.59 (70) |
| 5 | गैर-संस्थागत/केयर स्पांसरशिप/फॉस्टर केयर/पश्चवर्ती देखरेख [पी-02-12-2235-02-102-64-51] | 5.00 | 1.54 | (-) 3.46 (69) |
| 6 | चाइल्ड हेल्पलाइन [पी-03-12-2235-02-102-62-51] | 14.88 | 0.00 | (-) 14.88 (100) |

| क्र. सं. | योजना विवरण | बजट प्रावधान (ओ+एस) | वास्तविक व्यय | बचत (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | लिंग संवेदीकरण [पी-01-12-2235-02-103-79-51] | 20.00 | 13.60 | (-) 6.40 (32) |
| 8 | महिला शक्ति केंद्र का नाम बदलकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब कर दिया गया है [पी-02-12-2235-02-103-74-51] | 5.00 | 0.00 | (-) 5.00 (100) |
| 9 | महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित करने की योजना [पी-03-12-2235-02-103-69-51] | 7.80 | 4.19 | (-) 3.61 (46) |
| 10 | आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता [पी-01-12-2235-02-789-99-51] | 120.00 | 61.77 | (-) 58.23 (49) |
| 11 | अनुसूचित जाति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को वित्तीय सहायता [पी-02-12-2235-02-789-90-51] | 60.00 | 26.01 | (-) 33.99 (57) |
| 12 | मुख्यालय के लिए स्टाफ [पी-01-12-2236-02-101-99-51] | 97.25 | 12.82 | (-) 84.43 (87) |
| 13 | मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता [पी-01-12-2236-02-101-86-51] | 30.25 | 12.65 | (-) 17.60 (58) |
| 14 | पोषण अभियान के लिए योजना [पी-02-12-2236-80-102-99-51 | 53.42 | 0.00 | (-) 53.42 (100) |
| 15 | आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण- राज्य का अंशदान [पी-01-21-4235-02-102-99-98] | 38.00 | 9.99 | (-) 28.01 (74) |
| 16 | जे.जे. अधिनियम का कार्यान्वयन - रिमांड/संप्रेक्षण गृह [पी-01-21-4235-02-102-97-99] | 40.00 | 14.06 | (-) 25.94 (65) |
| 17 | जेजेबी एवं सीडब्ल्यूसी (एसएपी) का निर्माण [पी-02-21-4235-02-102-96-51] | 5.50 | 0.00 | (-) 5.50 (100) |
| 18 | युवा लड़कियों/महिलाओं एवं निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं के लिए घर-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र [पी-01-21-4235-02-103-99-51] | 31.00 | 0.32 | (-) 30.68 (99) |
| 19 | आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण [पी-01-21-4235-02-789-99-51] | 8.00 | 1.04 | (-) 6.96 (87) |
| | **कुल** | **648.25** | **167.56** | **(-) 480.69 (74)** |

## परिशिष्ट 2.18

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.8.1 (v); पृष्ठ 81)

## महिला एवं बाल विकास विभाग में खोले गए बैंक खातों का विवरण

| क्र. सं. | बैंक का नाम | बैंक खाता नंबर | जिस योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोला गया | 31 मार्च 2025 को शेष (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 184501 000238 | आंगनवाड़ी केंद्र का उन्नयन/निर्माण | 39.05 |
| 2 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 4301034038 | आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य) | 35.97 |
| 3 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 4301032728 | पूरक पोषण कार्यक्रम | 19.37 |
| 4 | एक्सिस बैंक | 921010048050886 | किशोरियों के लिए योजना | 0.96 |
| 5 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 4301034040 | पोषण अभियान | 1.25 |
| 6 | आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 16104000129664 | मिशन वात्सल्य | 6.60 |
| 7 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 50100688429074 | गैर-संस्थागत देखरेख/देखभाल प्रायोजन/पालक देखरेख (फॉस्टर केयर)/पश्चवर्ती देखरेख (आफ्टर केयर) | 1.55 |
| 8 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 50100684242017 | मिशन वात्सल्य के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) | 0.15 |
| 9 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 50100532677756 | बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए योजना | 0.08 |
| 10 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 348401000003362 | महिला हेल्पलाइन | 0.06 |
| 11 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 348401000003360 | वन स्टॉप सेंटर | 0.89 |
| 12 | इंडियन ओवरसीज बैंक | 348401000003361 | महिला योजना के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना के लिए भवन का निर्माण | 0.17 |
| 13 | इंडसइंड बैंक लिमिटेड | 159478913181 | महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब (हरियाणा) | 0.66 |
| 14 | आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 4301034281 | प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (पीएमएमवीवाई) | 55.62 |
| 15 | एक्सिस बैंक | 9210100 47419062 | पालना | 2.79 |
| 16 | एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 5010077 2576026 | आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (पालना) | 1.26 |
| 17 | एचडीएफसी | 50100467147689 | किशोर न्याय निधि | 3.07 |
| | | **कुल** | | **169.50** |

# परिशिष्ट 2.19

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.8.2 (ii); पृष्ठ 86)

**अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के लिए 2024-25 में बचत (₹ दो करोड़ एवं 20 प्रतिशत) का योजना-वार विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना विवरण | बजट प्रावधान (ओ+एस) | वास्तविक व्यय | बचत (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|
| | **लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)** | | | |
| 1. | राज्य राजमार्गों के अंतर्गत सड़क कार्य (पी-01-3054-03-337-51) | 90.00 | 67.76 | (-) 22.24 (25) |
| 2. | सड़क कार्यों के अंतर्गत सीआरआईएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन (पी-02-5054-03-337-87) | 150.00 | 110.00 | (-) 40.00 (27) |
| 3. | नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुलों के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (पी-02-5054-04-101-84-97) | 15.00 | 0.00 | (-) 15.00 (100) |
| 4. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत पुलों के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (पी-02-5054-04-101-84-98) | 80.00 | 43.93 | (-) 36.07 (45) |
| 5. | सड़क निर्माण के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक के शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत शहरी अवसंरचना का निर्माण (पी-02-5054-04-337-47) | 10.00 | 0.00 | (-) 10.00 (100) |
| 6. | सड़क निर्माण के अंतर्गत गुरुग्राम एवं नूंह जिले में (एमईएस) पर किमी 0 से 11.50 मीटर तक चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर), सुदृढ़ीकरण एवं आई.पी.बी. (पी-02-5054-04-337-48-99) | 9.19 | 4.67 | (-) 4.52 (49) |
| 7. | अंबाला सर्कल सीएफसी में सड़क निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का उन्नयन (पी-02-5054-04-337-49-99) | 22.00 | 0.00 | (-) 22.00 (100) |
| 8. | अंबाला सर्कल सीएफसी में सड़क निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का उन्नयन (पी-02-5054-04-337-49-99) | 230.00 | 0.85 | (-) 229.15 (100) |
| 9. | ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत नाबार्ड योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण (पी-02-5054-04-337-98-97) | 170.00 | 107.76 | (-) 62.24 (37) |
| 10. | ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं बाईपास का निर्माण (पी-02-5054-04-337-98-98) | 100.00 | 49.98 | (-) 50.02 (37) |
| 11. | ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अंतर्गत निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (पी-02-5054-04-337-99-98) | 130.00 | 78.30 | (-) 51.70 (40) |
| 12. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान (पी-02-5054-04-789-99-97) | 25.00 | 13.56 | (-) 11.44 (46) |
| 13. | अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत के अंतर्गत नाबार्ड का अंशदान (पी-02-5054-04-789-99-98) | 55.00 | 32.86 | (-) 22.14 (40) |
| 14. | अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत के अंतर्गत राज्य का अंशदान (पी-02-5054-04-789-99) | 70.00 | 13.86 | (-) 56.14 (80) |
| 15. | हरियाणा रेल अवसंरचना विकास (एचआरआईडीसी) के लिए पूंजीगत इक्विटी (पी-01-5054-80-190-99) | 10.00 | 0.00 | (-) 10.00 (100) |
| | **कुल** | **1,166.19** | **523.53** | **(-) 642.66 (55)** |
| | **परिवहन विभाग** | | | |
| 1. | हरियाणा राज्य परिवहन के अंतर्गत सी-रिपेयर एवं रखरखाव (पी-01-3055-201-97) | 255.69 | 204.28 | (-) 51.41 (20) |
| 2. | भूमि एवं भवन के अंतर्गत विनियामक विंग के लिए भूमि की खरीद एवं भवन का निर्माण (पी-01-5055-050-77) | 20.00 | 3.30 | (-) 16.70 (84) |
| 3. | भूमि एवं भवन के अंतर्गत हरियाणा राज्य परिवहन डिपो (पी-01-5055-050-78) | 200.00 | 116.84 | (-) 83.16 (42) |
| 4. | बेड़े के अधिग्रहण के अंतर्गत हरियाणा राज्य परिवहन डिपो (पी-01-5055-102-77) | 180.00 | 15.36 | (-) 164.64 (91) |
| | **कुल** | **655.69** | **339.78** | **(-) 315.91 (48)** |

## परिशिष्ट 2.20

### (संदर्भः अनुच्छेद 2.8.2 (iii); पृष्ठ 86)

### अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2022-25 के दौरान सतत बचत

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम | वर्ष | बजट | व्यय | बचत (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)** | | | | |
| 1 | सी.आर.आई.एफ. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन (पूर्णतः केंद्र प्रायोजित) (5054-03-337-87) | 2022-23 | 150.00 | 40.87 | 109.13 (73) |
| | | 2023-24 | 150.00 | 93.47 | 56.53 (38) |
| | | 2024-25 | 150.00 | 110.00 | 40.00 (27) |
| 2 | नाबार्ड योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण (5054-04-101-84-97) | 2022-23 | 15.00 | 3.22 | 11.78 (79) |
| | | 2023-24 | 15.00 | 2.77 | 12.23 (82) |
| | | 2024-25 | 15.00 | 0.00 | 15.00 (100) |
| 3 | जिला सड़कों के अंतर्गत राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं उन्नयन (5054-04-337-99-99) | 2022-23 | 56.00 | 31.53 | 24.47 (44) |
| | | 2023-24 | 70.00 | 42.90 | 27.10 (39) |
| | | 2024-25 | 70.00 | 58.49 | 11.51 (16) |
| 4 | अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत के अंतर्गत नाबार्ड का अंशदान (5054-04-789-98) | 2022-23 | 55.00 | 40.56 | 14.44 (26) |
| | | 2023-24 | 55.00 | 37.11 | 17.89 (33) |
| | | 2024-25 | 55.00 | 32.85 | 22.15 (40) |
| | **परिवहन विभाग** | | | | |
| 1 | 3055-800-97 सी-रिपेयर एवं रखरखाव | 2022-23 | 12.68 | 10.54 | 2.14 (17) |
| | | 2023-24 | 12.17 | 7.94 | 4.23 (35) |
| | | 2024-25 | 11.15 | 8.60 | 2.55 (23) |
| 2 | 5055-050-77 विनियामक विंग के लिए भूमि की खरीद एवं भवन का निर्माण | 2022-23 | 20.01 | 0.00 | 20.01 (100) |
| | | 2023-24 | 20.00 | 0.56 | 19.44 (97) |
| | | 2024-25 | 20.00 | 3.30 | 16.70 (84) |

# परिशिष्ट 2.21

## (संदर्भः अनुच्छेद 2.9.1; पृष्ठ 87)

## उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राशि आहरित की गई

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | योजना का नाम | स्वीकृति की तिथि | कुल बजट | व्यय | बचत (-)/ आधिक्य (+) | आकस्मिकता निधि से अग्रिम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पी-01-17-5054-03-101-81-99- राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण | 27 मार्च 2025 | 50.00 | 93.85 | 43.85 | 6.93 |
| 2 | पी-01-17-5054-03-337-88-99- राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार | | 350.00 | 406.08 | 56.08 | 108.77 |
| 3 | पी-01-17-5054-04-101-84-99- राज्य योजना के अंतर्गत पुलों एवं रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण | | 200.00 | 171.09 | -28.91 | 22.37 |
| 4 | पी-01-17-5054-04-337-99-99- राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण एवं सुधार | | 70.00 | 58.49 | -11.51 | 10.86 |
| | **कुल** | | **670.00** | **729.51** | **59.51** | **148.93** |

**स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा।**

## परिशिष्ट 3.1

### (संदर्भ: अनुच्छेद 3.2.2; पृष्ठ 92)

### परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत अंशदान एवं निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | प्रारंभिक शेष | कर्मचारी द्वारा अंशदान | राज्य सरकार द्वारा अंशदान | वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति | एनएसडीएल को कुल अंतरित | कम अंतरण (+)/ अधिक अंतरण (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (2+3) | 5 | 6 = (1+4)-5 |
| 2008-09[1] | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| 2009-10 | 0.04 | 28.88 | 9.18 | 38.06 | 23.91 | 14.19 |
| 2010-11 | 14.19 | 78.29 | 37.07 | 115.36 | 101.13 | 28.42 |
| 2011-12 | 28.42 | 104.35 | 67.64 | 171.99 | 183.00 | 17.41 |
| 2012-13 | 17.41 | 163.58 | 98.76 | 262.34 | 302.80 | (-) 23.05 |
| 2013-14 | (-) 23.05 | 240.47 | 143.25 | 383.72 | 421.26 | (-) 60.59 |
| 2014-15 | (-) 60.59 | 314.54 | 283.69 | 598.23 | 529.53 | 8.11 |
| 2015-16 | 8.11 | 328.94 | 278.83 | 607.77 | 596.45 | 19.43 |
| 2016-17 | 19.43 | 382.15 | 378.04 | 760.19 | 729.70 | 49.92 |
| 2017-18 | 49.92 | 479.94 | 460.44 | 940.38 | 975.76 | 14.54 |
| 2018-19 | 14.54 | 565.88 | 534.30 | 1,100.18 | 1,086.16 | 28.56 |
| 2019-20 | 28.56 | 717.91 | 694.20 | 1,412.11 | 1,407.78 | 32.89 |
| 2020-21 | 32.89 | 778.53 | 766.83 | 1,545.36 | 1,535.18 | 43.07 |
| 2021-22 | 43.07 | 875.35 | 939.66 | 1,815.01 | 1,839.41 | 18.67 |
| 2022-23 | 18.67 | 1,004.06 | 1,321.09 | 2,325.15 | 2,343.02 | 0.80 |
| 2023-24 | 0.80 | 1,157.10 | 1,664.45 | 2,821.55 | 2,795.76 | 26.59 |
| 2024-25 | 26.59 | 1,339.41 | 1,865.42 | 3,204.83 | 3,164.16 | 67.26 |
| | **कुल** | **8,559.40** | **9,542.85** | **18,102.25** | **18,035.01** | |

**स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।**

[1] 2008-09 से पूर्व के आंकड़े हजार में हैं, जिन्हें करोड़ में परिवर्तित करने के पश्चात तालिका में दर्शाया जाना संभव नहीं है। अतः, तालिका में एन.पी.एस. के आंकड़े वर्ष 2008-09 से ही दर्शाए गए हैं।

# परिशिष्ट 3.2

## (संदर्भ: अनुच्छेद 3.12; पृष्ठ 103)

## 2024-25 तक स्वायत्त निकायों के लेखों का बकाया

| क्र. सं. | निकाय या प्राधिकरण का नाम | लेखे कब से लंबित हैं | लंबित लेखों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, पंचकुला | 2024-25 | 1 |
| 2. | हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग | 2013-14 से 2024-25 | 12 |
| 3. | राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण हरियाणा राज्य (सीएएमपीए) | 2021-22 से 2024-25 | 4 |
| 4. | हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड | 2024-25 | 1 |
| 5. | हरियाणा मानवाधिकार आयोग | 2024-25 | 1 |
| 6. | हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | 2022-23 से 2024-25 | 3 |
| 7. | हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) | 2022-23 से 2024-25 | 3 |
| 8. | हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, पंचकुला | 2021-22 से 2024-25 | 4 |
| 9. | हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण पंचकुला (एचआरईआरए) | 2023-24 से 2024-25 | 2 |
| 10. | हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम | 2023-24 से 2024-25 | 2 |
| 11. | गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण | 2024-25 | 1 |
| 12. | फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण | 2018-19 से 2024-25 | 7 |
| 13. | हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड | 2024-25 | 1 |
| 14. | हरियाणा राज्य जल संसाधन प्राधिकरण | 2024-25 | 1 |
| 15. | हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग | 2024-25 | 1 |
| 16. | हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण, पंचकुला | 2024-25 | 1 |
| 17. | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकुला | 2023-24 से 2024-25 | 2 |
| 18. | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरूग्राम | 2023-24 से 2024-25 | 2 |
| 19. | हरियाणा वक्फ बोर्ड, हरियाणा | 2018-19 से 2022-23[2] | 4 |
| 20. | हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला | 2016-17 से 2024-25 | 9 |
| 21. | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा.), जींद | 2024-25 | 1 |
| 22. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पंचकुला | 2024-25 | 1 |
| 23. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., यमुनानगर | 2024-25 | 1 |
| 24. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रेवाड़ी | 2024-25 | 1 |
| 25. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., झज्जर | 2024-25 | 1 |
| 26. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पानीपत | 2024-25 | 1 |
| 27. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सिरसा | 2024-25 | 1 |
| 28. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नारनौल | 2024-25 | 1 |
| 29. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., रोहतक | 2024-25 | 1 |
| 30. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., नूंह | 2024-25 | 1 |
| 31. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., पलवल | 2024-25 | 1 |
| 32. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कुरूक्षेत्र | 2024-25 | 1 |
| 33. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., फरीदाबाद | 2024-25 | 1 |
| 34. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., कैथल | 2024-25 | 1 |
| 35. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., हिसार | 2024-25 | 1 |
| 36. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., सोनीपत | 2024-25 | 1 |
| 37. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., करनाल | 2024-25 | 1 |
| 38. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., भिवानी | 2024-25 | 1 |
| 39. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., चरखी दादरी | 2024-25 | 1 |
| 40. | मु.न्या.म.-सचिव, जि.वि.से.प्रा., अंबाला | 2024-25 | 1 |
| **कुल** | | | **82** |

**स्रोत: विभागीय डेटा/सूचना**

2 2022-23 के बाद कोई लेखा सौंपा नहीं गया।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/haryana/hi